खण्ड-340, अंक-9
सोमवार, 21 ज्येष्ठ, शक संवत् 1901
(11 जून, 1979 ई0)

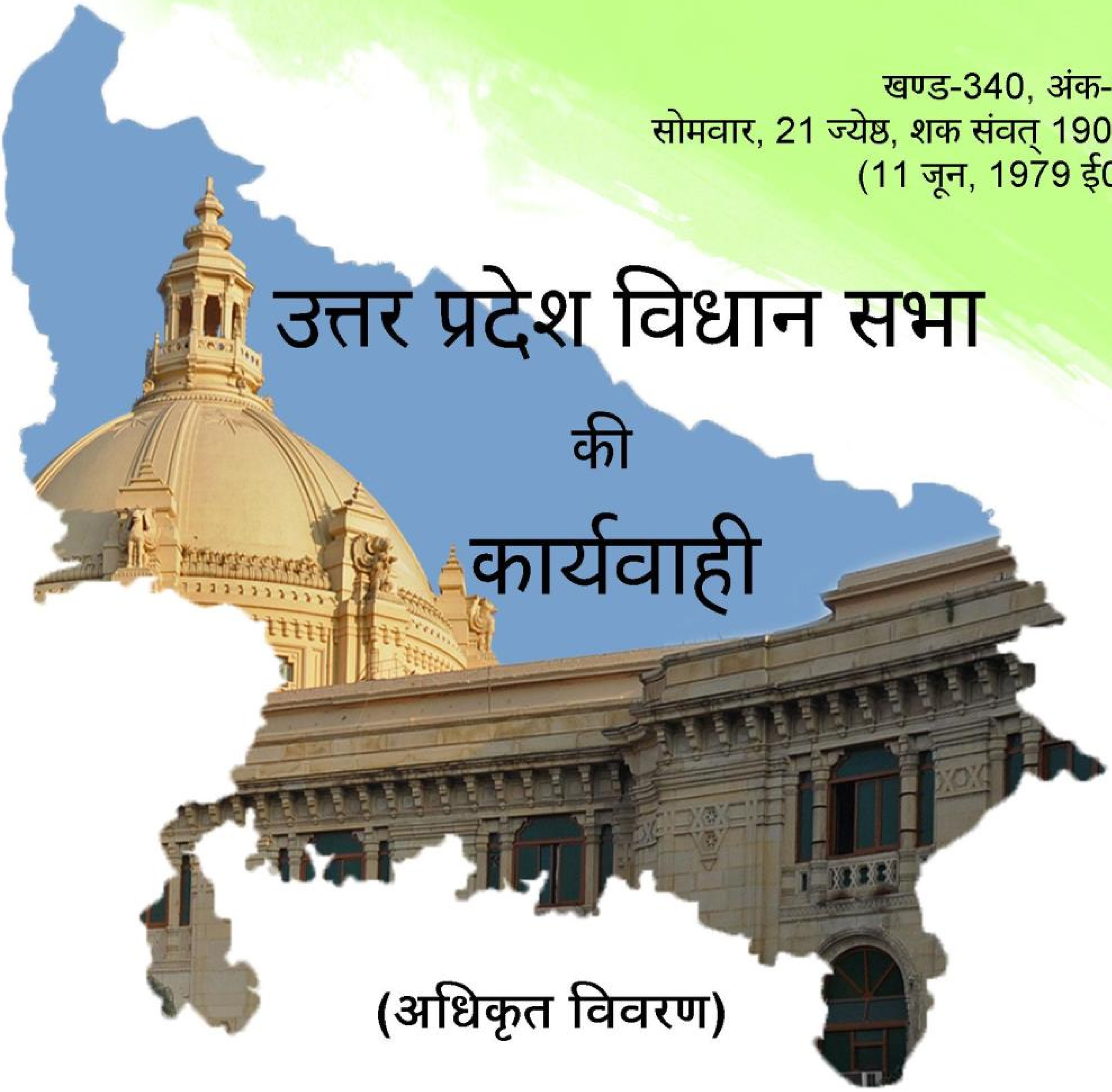

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 340 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1981

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य ..	1115–1118
प्रश्नोत्तर ..	1119–1180
वेतन असंगति समिति द्वारा संस्तुत वेतनमान प्रदेश के जिला सेवायोजन अधिकारियों को न दिए जाने से असंतोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1181
ललितपुर जिले के कतिपय ग्रामों में पशुओं में गलाघोंटू बीमारी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1181–1182
मुजफ्फरनगर नगरपालिका प्रशासन की उपेक्षापूर्ण नीति से नगर में गन्दगी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1182
पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल के अभाव तथा चीन को तेल की तस्करी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1182–1183
बस्ती जिले में गत वर्ष आवंटित अस्पताल खनवा बाजार को बन्द किए जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1183–1184
ग्राम पुरवा मुराकगर, जिला फतेहपुर के हरिजनों पर, अत्याचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1184–1185
ग्राम लक्ष्मीपुर शिवाला के श्री जयश्री व श्री सुदामा की करमही गांव के व्यक्तियों द्वारा पिटाई से मृत्यु के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1185–1187
नेपाल के विद्यार्थियों को भारतीय सीमा की पुलिस द्वारा पकड़ कर नेपाल की पुलिस को सौंपे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (जारी) ..	1187–1188
नियम 301 के अन्तर्गत सदन में दी गयी सूचनाओं पर कोई कार्यवाही न किए जाने पर आपत्ति ..	1188–1190
नेपाल के विद्यार्थियों को भारतीय सीमा की पुलिस द्वारा पकड़ कर नेपाल की पुलिस को सौंपे जाने के सम्बन्ध औचित्य का प्रश्न ..	1190
झांसी में उपलि वृष्टि एवं तूफान से हुई क्षति के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	1191–1192
1979–80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 27—गृह विभाग (कारागार) तथा अनुदान संख्या 86—गृह (कारागार) विभाग–पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	1193–1229

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश के द्रुतगति से विकासार्थ प्रदेश को छोटे राज्यों में विभाजित किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्थगित) ..	1229–1251
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) विधेयक, 1979)विधान परिषद से वापसी की सूचना) ..	1251
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	1251
मेसर्स गोल्डेन कोल्ड स्टोरेज, जी० टी० रोड शिवराजपुर, कानपुर के भवन के गिर जाने से हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	1251–1261
पूर्वोत्तर रेलवे की गाड़ी संख्या–14 डाउन आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस में घटित लूट की घटना के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	1261–1263
नस्थियां ..	1265–1274

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 11 जून, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 271

अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अठईराम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अनवार अहमद समदनी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसेन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेई, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदयनाथ, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पान्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीपाल, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरीनाथ त्रिपाठी, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्रभूषण सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रसेन सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री

जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जय शंकर पांडेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
झामलाल अहेरवार, श्री
तेजभान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
डी० पी० वोरा, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेम सिंह, चौहान, श्री
नौनिहाल सिंह, चौधरी
पूरन चन्द्र , श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पवान', श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुलवारी, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुवांठा 'अरविन्द', श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मंजूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मंजूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नोलाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकुन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री

मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद मसूद खाँ, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल शर्मा, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफीक अहमद खाँ, श्री
रमाशंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज मंगल पान्डेय, श्री
राजन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नरेश पान्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम बक्श, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती शरण पौर्य, श्री

लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शशिप्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसेन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री

सूरबीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरिकृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरीराम वर्मा, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 11 जून, 1979

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

जनपद प्रतापगढ़ में धान एवं गेहूं के क्रय केन्द्र

**1—श्री रामदेव दुबे (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि 1978 एवं 1979 में प्रतापगढ़ जनपद में धान एवं गेहूं के समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद हेतु एक भी क्रय केन्द्र नहीं खोला गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार तुरन्त ही किसानों को राहत पहुंचाने के लिए क्रय केन्द्र खोलेगी एवं जनता में घोषित कराकर उसका गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री मलिखान सिंह)—

जी नहीं। चालू खरीफ मारकेटिंग वर्ष (1978–79) तथा वर्तमान रबी मारकेटिंग वर्ष (1979–80) में प्रतापगढ़ जनपद में धान एवं गेहूं के क्रय केन्द्र खोले गए हैं तथा उनपर किसानों से समर्थन मूल्य पर धान व गेहूं क्रय भी किया गया है।

ग्राम सभाओं के चुनाव

**2—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच), श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद), श्री कृष्ण कुमार पालीवाल (जिला जालौन), श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन) तथा श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बतायेगी कि अशोक मेहता कमेटी की मुख्य–मुख्य सिफारिशें लागू करके उसी आधार पर ग्राम सभाओं के चुनाव कराने के प्रश्न पर क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो चुनाव कब तक निश्चित रूप से करा दिए जायेंगे ? यदि नहीं, तो शासन के सामने चुनाव कराने में मुख्य–मुख्य क्या कठिनाइयां हैं ?

पंचायत राज मंत्री (श्री जमुना प्रसाद)—

जी हां।

ग्राम सभाओं के चुनाव यथाशीघ्र कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। प्रश्न नहीं उठता।

श्री बाबू लाल वर्मा—

गांव सभाओं के चुनाव दो साल से टाले जा रहे हैं। उनका विधिवत गठन न होने से सारे विकास कार्य ठप पड़े हैं। माननीय मंत्री ने उत्तर में बतलाया है कि चुनाव यथाशीघ्र कराने पर विचार किया जा रहा है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि निश्चित रूप से गांव सभा के चुनाव कब तक करा दिए जायेंगे ? दूसरे अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट में मुख्य–मुख्य बातें कौन सी हैं गांव सभाओं के चुनाव कराने के सम्बन्ध में ?

श्री जमुना प्रसाद--

अशोक मेहता कमेटी की जो रिपोर्ट है वह शासन का विकेन्द्रीकरण करना चाहती है। प्रदेश में जो गांव सभा का ढांचा है जिसमें क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् भी आती है इनको खत्म करके केवल दो टायर वाला सिस्टम कायम करने के पक्ष में है। एक गांव सभा, दूसरे जिला परिषद्। उसके अनुसार जिला परिषदों द्वारा जिले का नियोजन कार्य किया जायगा। उसमें लोक सभा, विधान सभा तथा विधान परिषद् के सदस्य होंगे। प्रदेश की सरकार द्वारा उनको वित्तीय साधन जुटाए जायेंगे। इसके अलावा जिला परिषदों को इस बात का पूरा अधिकार दिया जायगा कि जिला स्तर पर अपने शासन को चलाने हेतु अपने वित्तीय साधनों को स्वयं एकत्रित करें।

श्री बाबू लाल वर्मा--

जैसा मंत्री जी ने बताया कि जिला परिषद् को व्यापक अधिकार दिए जा रहे हैं ताकि जिले का विकास हो सके तो फिर क्या कारण है कि दो साल बीत गए चुनाव नहीं कराए गए और अगर तीन साल भी बीत गए तो यह योजना रखी रह जायगी ? क्या माननीय मंत्री जी बतलायगे कि निश्चित तारीख, महीना तथा साल क्या है जब ये चुनाव करा दिए जायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह वह बतला चुके हैं। अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार निर्णय लिया जायगा।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

एक तो माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि अशोक मेहता कमेटी की संस्तुति के अनुसार जिला परिषद् को पुनर्गठित करने की परिकल्पना है। दूसरे क्या चुनाव सीधे करायेंगे यह मंत्री जी के उत्तर से प्रकट नहीं हो रहा है। क्या सरकार ने उनकी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है या अभी उस पर विचार हो रहा है। मान्यवर, यह चुनाव का दस्तावेज है इसको सदन के पटल पर रखना चाहिए। आप यह बता दें कि क्या सरकार ने अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है क्योंकि इस बारे में हम जान सकें और कुछ सुझाव दे सकें, और क्या मंत्री जी इसे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद--

अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है और सभी माननीय सदस्यों को जो भी चाहें, उनको रिपोर्ट मिल सकती है। माननीय सदस्य ने पूछा था कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट के क्या-क्या सुझाव हैं, वह मैंने बताए। श्री तोमर ने पूछा कि क्या शासन ने उन्हें मान लिया है तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि अभी मंत्रि-परिषद् के सामने यह मामला नहीं आया है और जब आयेगा तो उस पर विचार होगा। दूसरा उन्होंने यह पूछा है कि गांव पंचायतों के चुनाव कब तक होंगे ? मैं बताना चाहता हूं कि शासन ने 27-4-79 को एक पत्र निर्वाचन निदेशक को लिखा था कि 14 जून, 1979 को गांव पंचायतों का पीरियड खतम हो रहा है इसलिए चुनाव करा दिए जायं। निर्वाचन विभाग ने 5 मई को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस चुनाव को पूरा करने के लिए 6/7 माह का समय चाहिए। मान्यवर, अगर आप कहें तो मैं दोनों पत्रों को पढ़ दूं ?

श्री उपाध्यक्ष—

निर्वाचन आयोग ने जो मुख्य-मुख्य बातें कहीं हैं अपने पत्र में, वह आप बता दें।

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, उसमें लिखा है कि गांव पंचायतों का वर्तमान कार्यकाल 14 जून, 1979 को समाप्त हो रहा है और शासन की दृष्टि में गांव पंचायतों के चुनाव में और अधिक विलम्ब करना और उनके कार्यकाल को अनिश्चित काल तक बढ़ाते रहना उचित नहीं है। अतः राज्य सरकार का यह विचार है कि गांव पंचायतों के सामान्य निर्वाचन आगामी 14 जून, 1979 के पूर्व अवश्य सम्पन्न करा दिए जायं अतः आपसे अनुरोध है कि आप कृपया गांव पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के लिए एक कार्यक्रम तैयार कर शासन को तत्काल भेजने की कृपा करें। ताकि इस सम्बन्ध में उच्च आदेश प्राप्त कर लिए जायं।

श्री कृष्ण कुमार पालीवाल—

मैं जानना चाहता हूं कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर गांव पंचायतों और ब्लाक समितियों के चुनाव सीधे करा दिए जायेंगे अथवा जैसे चुनाव पहले होते थे उसी प्रक्रिया से होंगे ?

श्री जमुना प्रसाद—

अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट ने चुनाव दो स्तरीय प्रणाली के अनुसार रखा है। एक मंडलीय पंचायतें और दूसरे जिला परिषद्। इसलिए गांव सभा की मौजूदा जो व्यवस्था है वह अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट में नहीं आती है। जैसा मैंने निवेदन किया कि अभी शासन ने उसे स्वीकार नहीं किया है और बिना उसके स्वीकार किए कैसे उसके अनुसार चुनाव करा सकते हैं। अशोक मेहता समिति के अनुसार गांव पंचायतों के चुनाव बिलकुल सीधे होंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर इस सदन में चर्चा करने का विचार रखते हैं। यदि हां, तो कब तक ?

श्री जमुना प्रसाद—

अगर सदन चाहेगा तो कोई रुकावट नहीं हो सकती है।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट का शासन ने निरीक्षण कर लिया है और पूर्णतः उसे स्वीकार करने जा रही है या उसके कुछ ही अंशों को स्वीकार करने पर विचार कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब मंत्री जी दे चुके हैं कि अभी इसे मंत्रिपरिषद् के सामने जाना है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि बिना मंत्रिपरिषद में इस अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किये ही क्या ग्राम सभाओं के चुनाव की कोई तिथि निर्धारित की जा सकती है ? यदि हां, तो कब तक मंत्रिपरिषद्

इस पर विचार कर लेगी ताकि मंडल स्तर की समितियों और जिला परिषदों के चुनाव कराये जा सकें ।

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया कि जो वर्तमान पंचायती राज का गठन है उसके अनुसार चुनाव कराया जा सकता है बिना अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट पर विचार किये । लेकिन अगर अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट पर विचार करना है तो उसमें जो क्षेत्र समितियां है उनके अधिकारों का स्वरूप भिन्न हो जाता है । इस पर अभी विचार नहीं किया है, मंत्रिपरिषद् ने इस पर अभी निर्णय नहीं लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि कब तक इसके बारे में निर्णय ले लेगें और कब तक चुनाव करा देगें ?

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया माननीय सदस्यों को कि शासन ने चुनाव आयोग को लिखा था और वह पत्र भी मैंने पढ़ कर सुनाया कि 14 जून तक चुनाव अवश्य करा दें लेकिन चुनाव अधिकारी ने उत्तर दिया कि इसमें 6, 7 महीने लग जायेंगे ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रिपरिषद् कब तक विचार करके निर्णय ले लेगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी श्री रघुबर दयाल वर्मा ने प्रश्न किया है कि मंत्रिपरिषद् अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट पर कब तक निर्णय ले लेगें । इसके बारे में आप बता दें ।

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, अभी केन्द्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था उसमें कुछ मुख्य मंत्रियों की एक उपसमिति बना दी गई है जो अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट के सभी पहलुओं पर विचार करेगी । तो मुख्य मंत्रियों की उस समिति की जो रिपोर्ट देगी उसके परिप्रेक्ष्य में निर्णय होगा ।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

मैं जानना चाहूंगा, जो मुख्य मंत्रियों की सब-कमेटी बनी है उस पर विचार करने के लिए वह अलग प्रश्न है । जहां तक उत्तर प्रदेश पंचायती राज शासन का प्रश्न है उसने अशोक मेहता कमेटी की किन-किन रिकमेन्डेशन को स्वीकार किया है, किन को माना है और किन को विचार करने के लिए रखा है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह जवाब दे दिया है कि अभी वह प्रश्न मंत्रिपरिषद के सामने नहीं आया ।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

उन्होंने तमाम रिकमेन्डेशन की जिनकी तीन कैटेगरीज हैं एक तो वह रिकमेन्डेशन है जो मानने लायक हैं, दूसरी वह जो मानने लायक नहीं हैं और तीसरा वह जो विचार करने के लायक हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने जवाब दिया कि अभी मंत्रिपरिषद् इस पर विचार करेगा ।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

पहले आपका जो पंचायती राज विभाग है वह टिप्पणी देगा किन-किन से वह सहमत हैं, किन-किन से वह असहमत हैं और कौन विचार करने योग्य हैं । डिपार्टमेन्ट की टिप्पणी के बाद मंत्रिपरिषद् में आयेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें विभाग की बात कहां आती है ? जब शासन निर्णय करेगा तब ही जवाब देगें ।

श्री जमुना प्रसाद--

इसका जवाब दे चुका हूं कि एक उप-समिति मुख्य मंत्रियों की बनी है ।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

अशोक मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो मुख्य मंत्रियों की सब कमेटी बनी है वह तो अलग से विचार करेगी आप और आपका पंचायती राज विभाग अशोक मेहता कमेटी की किन-किन रिकमेन्डेशन को मानने के पक्ष में है और किनको नहीं मानने के पक्ष में और किन को विचार करने के पक्ष में है ?

श्री उपाध्यक्ष--

विभाग किसको स्वीकार करता है किसको नहीं, शासन जब तक कोई फैसला न ले ले, तब तक यहां कैसे आएगा । (व्यवधान)

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मेरा तो कहना यह है कि विभाग किसको मानने के पक्ष में है या किसको न मानने के पक्ष में ? पहले तो कैबिनेट के सामने उनकी राय जाएगी, तब उस पर विचार होगा । शासन तो बाद में विचार करेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो बता दिया कि विचाराधीन है ।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य--

यह रिपोर्ट मंत्रिपरिषद् के विचाराधीन है । तो श्रीमन्, मंत्रिपरिषद् में तब जाता है, जब विभागीय मंत्री उसे स्वीकार कर लेता है, यह वह अपनी टिप्पणी के साथ मंत्रिपरिषद् में प्रस्तुत करता है । मैंने यही प्रश्न किया था कि इस रिपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद आप उसके कितने अंशों या सम्पूर्ण रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं ? जब तक उनको स्वीकृति नहीं होगी, उनके द्वारा मंत्रिपरिषद् में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तब तक वह उस पर विचार नहीं कर सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं लेता हूं ।

साकेत डेरी, फैजाबाद में नियुक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में जांच

**3--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन के अन्तर्गत जनपद फैजाबाद में चल रही साकेत डेरी में बिना सेवा सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र दिये हुए एवं सेवायोजन कार्यालय की संस्तुति प्राप्त किये बगैर तथा चयन समिति द्वारा इन्टरव्यू लिये बिना नियुक्त ऐसे 26 व्यक्तियों के नामों की सूची देते हुए प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 20 अप्रैल, 1979 द्वारा मुख्य मंत्री से जांच कराने का आग्रह किया था ? यदि हां तो जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उपरोक्त नियुक्तियां किस आधार पर किन-किन व्यक्तियों की संस्तुति पर की गई थीं ?

पशुधन मंत्री (श्री अब्दुल हलीम खां)--

जी हां प्रश्नकर्ता का 20-4-79 का एक पत्र जिसमें साकेत डेरी, फैजाबाद में नियुक्त 26 व्यक्तियों के सम्बन्ध में जांच कराने का आग्रह था, प्राप्त हुआ था। इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच कराने से यह ज्ञात हुआ है कि उल्लिखित 26 कर्मचारियों में से 13 की नियुक्ति चयन समिति द्वारा साक्षात्कार किये जाने के उपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर की गयी थी । एक कर्मचारी डेरी में 1973 से कार्यरत है । 6 कर्मचारियों की नियुक्ति तदर्थ रूप से की गयी । 4 कर्मचारियों की नियुक्ति दैनिक वेतन पर की गयी । एक कर्मचारी जो कि सहकारी संस्था मण्डल से चुना गया था और वाराणसी में कार्य कर रहा था का स्थानान्तरण किया गया । एक कर्मचारी मेरठ इकाई से स्थानान्तरित होकर आया । विस्तृत जांच कराई जा रही है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं केवल इतना जानता हूं कि अब तक की जो जांच हुई है और जो तथ्य उनके सामने आए हैं, उनके अनुसार क्या उन 26 नियुक्तियों को मंत्री जी नियमित मानते हैं ?

श्री अब्दुल हलीम खां--

यह 26 आदमी रखे गये हैं, जिनका आपने अपने पत्र में तजकिरा किया था और उनमें से 14 व्यक्ति ऐसे हैं, जिनकी नियुक्ति पहले की गई थी, कुछ ट्रांसफर होकर आए हैं और जिस इन्टरव्यू का आपने जिक्र किया, उनमें इन तमाम के तमाम व्यक्तियों का सम्बन्ध नहीं है । लेकिन जब वह इन्टरव्यू लिया था, तो सेलेक्ट कमेटी बोर्ड था, उसके सम्बन्ध में सन्देह अवश्य है कि जो रूल्स उसे मानने चाहिए थे, उनको शायद नहीं माना गया है :

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैं मंत्री जी का ध्यान इन 26 व्यक्तियों में से श्री रामू, जिनकी नियुक्ति टाइपिस्ट-कम-क्लर्क पद पर हुई, श्री बी० एस० फोगट, केमिस्ट, श्री नन्द लाल गुप्त, एकाउन्टेन्ट तथा श्री बबई राम यादव, वुल अटेन्डेन्ट--इन चार व्यक्तियों के

बारे में मैंने जो शिकायतें की थीं, क्या वे अब तक की जांच से सही पायी गयी और श्री बी० एस० फोगट के बारे में 28/3/79 की श्री ओम पाठक की रिपोर्ट क्या है ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

जो 26 नाम आपने लिखकर दिये थे, सही पाए गये थे...

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

बी० एस० फोगट के बारे में 28-3-79 की ओम पाठक की रिपोर्ट क्या है ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

श्री रामू पहले तो ऐसा था कि यह 16-1-76 को इंटरव्यू में रखे गये, इंटरव्यू में मुनासिब पाये गये। उसके आधार पर नियुक्त किये गये। श्री बेचई राम यादव पहले के रखे हुए थे। इंटरव्यू में शामिल नहीं थे। श्री बी० एस० फोगट इंटरव्यू में शामिल थे। श्री नन्द लाल इंटरव्यू में शामिल थे। उसके आधार पर नियुक्त किये गये। श्री ओम पाठक मनेजिंग डाइरेक्टर ने 28-3-79 की रिपोर्ट में लिखा है कि उनका हाथ कांपता है जिससे सही कार्य नहीं कर सकते। उसने संस्तुति भी की है कि इनको तुरन्त हटा दिया जाय।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मेरा प्रश्न रामू के बारे में यह था कि जो मैंने पत्र लिखा था, इनकी टाइपिस्ट-कम-क्लर्क की जगह पर नियुक्ति हुई है, वह टाइप नहीं जानते, यह लिख कर उन्होंने दिया है। उसी तरह से बेचई राम यादव के बारे में टर्मिनेशन आर्डर हुआ। बाद में उन्हें फिर से नियुक्त किया, फिर से नियुक्ति पत्र बना कर भेज दिया, यह शिकायतें सही हैं या नहीं ? मैंने यह प्रश्न किया था।

श्री अब्दुल हलीम खां—

इसके सिलसिले में जो रिपोर्ट मेरे पास है उसमें कोई इस तरह की जानकारी नहीं है कि श्री रामू टाइप नहीं जानते बल्कि उनके मुताल्लिक यह जानकारी दी गयी है कि वह नौकरी छोड़ कर चले गये। श्री बेचई राम यादव पहले रखे गये थे। 16-1-79 के इन्टरव्यू से पहले रखे गये थे।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

माननीय मंत्री जी बताएंगे कि चुनाव समिति की जो भी संस्तुतियां हैं, उनसे सहमत हैं या नहीं, अगर उनके बारे में नहीं सहमत हैं तो दूसरी लिस्ट को कैंसिल करेंगे, और जिन-जिन अधिकारियों ने संस्तुति की, जिसके आधार पर चुनाव हुए हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही करने की बात सोचेंगे ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

मैंने आपके द्वारा कहा मान्यवर, कि जिस तरह से यह बोर्ड बनाया गया है, उसमें संदेह है कि सही था या नहीं। उसी बुनियाद पर ला डिपार्टमेन्ट की राय लेकर यह निर्णय लूंगा कि उस चुनाव को कैंसिल करना सम्भव है या नहीं ? उसी के बाद इस सिलसिले में कुछ बता सकूंगा।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

माननीय मंत्री जी उस चुनाव से संतुष्ट नहीं हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जिस सेलेक्शन कमेटी न, या जिन अधिकारियों ने चुनाव किया है, जिसको माननीय मंत्री जी खुद ही कहते हैं कि शुबहा ह कि ठीक नहीं हुआ, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? अगर उन अधिकरियों के लिखाफ कार्यवाही न हो तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री उपाध्यक्ष--

जब इसको अनियमित पाएंगे तब ही अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है ।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

यही कहलवा दें तो संतुष्ट हो जाऊंगा । माननीय मंत्री जी को संदेह है कि चुनाव कमेटी द्वारा ठीक नहीं हुए तो लिस्ट को भी कैंसिल कर देंगे और जिन अधिकारियों ने चुनाव किया है उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसको साफ कर दीजिये माननीय मंत्री जी ।

श्री अब्दुल हलीम खां--

मान्यवर, जरा सी गलतफहमी पैदा हुई है । मैंने यह बात नहीं कही कि जो चुनाव हुआ है वह गलत हुआ है । जो बोर्ड बनाया गया ह, उसमें मुझको सन्देह है कि वह नियमानुकूल नहीं है इसीलिए मैंने कहा कि ला डिपार्टमेन्ट की राय लेंगे । अगर सेलेक्शन बोर्ड गलत नहीं ह, तो चुनाव भी गलत नहीं होंगे ।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने इस चुनाव को किया उन अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

जो सेलेक्शन बोर्ड बना है उस पर नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

श्री राज मंगल पान्डेय--

जिन्होंने चुनाव किया है उन्होंने तो कोई संस्तुति की होगी, जिसको माननीय मंत्री जी मानन को तैयार नहीं हैं। जिस बोर्ड ने चुनाव किया है उसके खिलाफ या उसके मेम्बर के खिलाफ कार्यवाही मंत्री जी करेंगे ?

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आखिरी सवाल माननीय श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी कर लें ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह का वातावरण है तो जब तक जांच चल रही है उससे सम्बन्धित सारे कागजात को सील करवा देंगे जिससे फरवर मैंनिपुलेशन हो सके ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

उसमें किसी मैनीपुलेशन की गुन्जाइश नहीं है। जितने भी कागजात हैं उन सबके बारे में आख्या मांगी गयी है और मिल्क कमिश्नर उसकी इन्क्वायरी करेंगे। अगर किसी प्रकार की गुन्जाइश देखी जायेगी तो यकीनन उनको सील कर दिया जायगा।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

यहां पर नियुक्तियों के लिए सहकारी सेवा संस्थान बना हुआ है उसी के द्वारा सभी नियुक्तियां की जाती हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अलग से चयन समिति बनाने का क्या कारण है ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

यह सही है कि सहकारी समितियों के लिए सेवा बोर्ड बना हुआ है। अगर कोई संस्था ऐडहाक एप्वाइन्टमेन्ट करना चाहती है तो बोर्ड से इजाजत लेकर कर सकती है अगर कोई नियुक्ति इस तरह की गयी हो तो इस बात की जानकारी सेवा मंडल को एक महीने के अन्दर दे दी जायगी। सेवा मंडल नियुक्तियों में बहुत समय लगाता है, इसलिए ऐडहाक एप्वाइन्टमेन्ट्स कर लिए जाते हैं।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य—

मान्यवर, बड़े वेग जवाब आ रहे हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, केवल दो प्रश्नों में ही आधा घन्टा चला गया है। दूसरे लोगों के साथ भी तो न्याय कीजिए।

यू० पी० कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन में डिप्टी मैनेजर के पद का चयन

**4—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) तथा श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 15 मई सन् 1979 को यू० पी० कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन में डिप्टी मैनेजर के अनेक पदों की नियुक्ति के लिए लखनऊ में साक्षात्कार हुआ था जिसमें योग्यतम अभ्यर्थियों का चयन न करके कम योग्यता के अभ्यर्थियों का चयन कर दिया गया है और इस चयन में हरिजन और पिछड़ी जाति का एक भी अभ्यर्थी नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और यदि नहीं, तो चयनित अभ्यर्थियों की योग्यता और जिनका चयन नहीं किया गया है, उनकी योग्यता प्रमाण-पत्र के आधार पर क्या-क्या है ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

दिनांक 15-5-1979 को तीन पदों हेतु साक्षात्कार लिया गया कुल 88 व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिये थे। जिनमें दो व्यक्ति पिछड़ी जाति के थे। 21 व्यक्ति साक्षात्कार के लिए बुलाये गये। ग्यारह व्यक्ति आये। दो का चयन किया गया।

अभ्यर्थियों की योग्यता की सूचना *संलग्न है।

*देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1265 पर।

श्री सन्त बक्श रावत—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन में 80 प्रार्थना-पत्र अनुसूचित जाति के लोगों के आये थे या नहीं और अनुसूचित जाति के आरक्षण को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

मैंने बतलाया कि 88 आदमियों की एप्लीकेशन थीं, उनमें दो पिछड़ी जातियों के कन्डीडेट्स थे, लेकिन स्क्रीनिंग में उनकी योग्यता इस तरह की नहीं थी कि उनको बुलाया जा सके ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य अनुसूचित जाति के बारे में पूछ रहे हैं । आप पिछड़ी जाति के बारे में बता रहे हैं ।

श्री अब्दुल हलीम खां—

दरख्वास्त देने वालों में कोई नहीं था ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये नियुक्तियां तदर्थ नियुक्तियां की जाने की बात है और यदि हां, तो क्या तदर्थ नियुक्तियां नियमानुकूल की जा रही हैं । यदि नहीं, तो शासन उस पर क्या कार्यवाही करेगा ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

इसके मुतल्लिक में इसी राय का हूं कि नियुक्तियां नियमानुसार नहीं की गयी हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

अगर नहीं की गयीं तो इस पर शासन क्या निर्णय करने जा रहा है ? क्या इन नियुक्तियों को और जो साक्षात्कार हुआ है उसको निरस्त करने जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप यह बता दें कि जो चुनाव हुआ है वह नियमानुसार हुआ है या नहीं ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

मैंने तो कहा कि मेरा ऐसा ख्याल है कि चुनाव नियमानुसार नहीं हुआ ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

जब नहीं हुआ तो शासन क्या निर्णय लेने जा रहा है ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

जो चुनाव हुआ है वह नियमानुसार नहीं हुआ है । अतः सहकारिता ऐक्ट के अन्दर जो भी प्राविधान होगा, उसको देखकर जो हमें करना होगा, वह किया जायेगा ।

श्री गुलाब सेहरा—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन पदों के लिए जो विज्ञापन दिया गया था उसमें अनुसूचित जाति के आरक्षण की बात कही गयी थी या नहीं ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

नहीं कही गयी थी ।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य—

मंत्री जी ने कहा कि चुनाव नियमानुसार नहीं हुआ था और वे जानकारी करेंगे । जब कोई कार्य नियमानुसार नहीं होता तो शासन उसको निरस्त करता है । तो क्या सरकार द्वारा इस चुनाव को निरस्त करने पर विचार हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो उन्होंने कहा कि जो भी नियमानुसार होगा, वे करेंगे ।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य—

जब कोई कार्य नियमानुसार नहीं हुआ तो उसको निरस्त करने में वे क्या नियम देखेंगे ? जब वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि नियमानुसार नहीं हुआ तो इन्हें निरस्त करने की घोषणा करनी चाहिए ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी घोषणा यहां तो नहीं होगी ।

श्री नन्द राम (जिला मुजफ्फरनगर)—

जब चुनाव अवैध हुआ तो रिजर्वेशन के अनुसार करने पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने कहा तो है कि जो कुछ विभाग की ओर से कार्यवाही हो सकती है, वह होगी ।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जहां तक उनकी जानकारी है, वह नियमानुकूल नहीं हुआ और जो विज्ञापन निकला उसमें रिजर्वेशन के बारे में कोई बात नहीं निकाली गयी । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन सेवाओं में 18 प्रतिशत का या जो भी अनुसूचित जाति का रिजर्वेशन है वह है और अगर है तो विज्ञापन में जो 18 प्रतिशत के रिजर्वेशन के बारे में नहीं निकाला सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए । यह जानते हुए भी कि इस प्रकार का विज्ञापन नहीं निकाला तो क्या वे सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

जैसा मैंने अर्ज किया जो विज्ञापन निकला उसमें कोई तजकिरा शैड्यूल्ड कास्ट या शैड्यूल्ड ट्राइब या एक्स मिलिटरी परसौनेल का तजकिरा नहीं है और जैसा कि विज्ञापनों में होता है इसमें उम्र वगैरह की छूट वगैरह भी नहीं थी ।

यह भी मेरे कहने का एक कारण है कि नियमानुकूल नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि मैं कोआपरेटिव ऐक्ट के अन्दर जो भी प्राविधान होगा, जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, उसको देखकर जो उन्होंने गल्ती की है, उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

हरदोई-उन्नाव-कानपुर मार्ग पर प्राइवेट बसों के किराये में वृद्धि

*1--श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई, उन्नाव-कानपुर-मार्ग पर चलने वाली प्राइवेट बसों के किराए में 1 मई, 1979 से लगभग डेढ़गुनी वृद्धि कर दी गयी है ? यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और यह वृद्धि किस के आदेश से की गयी ?

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

हरदोई-उन्नाव-कानपुर मार्ग पर चलने वाली प्राइवेट बसों के किराये में 1 मई, 1979 से डेढ़गुनी वृद्धि नहीं की गई है। इस मार्ग के हरदोई-उन्नाव भाग पर 30% तथा पूरे हरदोई-उन्नाव-कानपुर मार्ग पर 14% की किराये में वृद्धि उक्त दिनांक से की गई। चूंकि यह वृद्धि शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम किराये की से कम है, अतः आपरेटरों ने यह वृद्धि स्वयं ही की है जो वैधानिक है। मुंसिफ मजिस्ट्रेट, पूर्वी हरदोई ने इस वृद्धि को दिनांक 18 मई, 1979 के अन्तरिम आदेशानुसार 3 जुलाई, 1979 तक के लिये स्थगित कर दिया है।

श्री राम आसरे वर्मा--

श्रीमन्, बस मालिक तो आज यह रहे हैं कि यह हक हमने थैली देकर पाया है। हरदोई से लखनऊ 110 किलोमीटर पड़ता है और किराया 5 रुपया है, पर हरदोई-उन्नाव रोड पर उसी अनुपात में नहीं है। फिर क्या आपने प्राइवेट आपरेटर्स को यह छूट दे रखी है कि वे जब चाहें किराया बढ़ा दें। हरदोई से कानपुर और हरदोई से लखनऊ के बीच अनुपात के हिसाब से ही किराया होना चाहिये, क्या वह है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, 3 मई, 1975 को राज्य सरकार ने एक राजाज्ञा जारी करके दर निर्धारित की और जैसा कि मैंने अपने मूल उत्तर में कहा है कि शासन ने जो दर निर्धारित की है वे उससे कम ही ले रहे हैं।

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी उस रूट पर पड़ने वाले विधायकों और बस आपरेटर्स को बुलाकर कोई मीटिंग करके उचित किराये को फिक्स करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, बैठक तो मैं बुला लूंगा मगर यह प्रश्न न्यायालय के समक्ष विचाराधीन भी है और न्यायालय से स्थगन आदेश भी वे ले आये हैं। मैं विधायकों की बैठक बुला लूंगा बस आपरेटर्स और यात्रियों के प्रतिनिधियों को भी बुला लूंगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा--

बस आपरेटर्स को भी बुलायेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मैंने कहा तो कि बुला लेंगे।

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मंत्री जी ने एक ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया प्राइवेट आपरेटर्स को कि सरकार द्वारा निश्चित किराये से उनका किराया कम है। पर जो वह ओवरलोडिंग करते हैं, जितने यात्री अन्दर बैठते हैं उतने ही छत पर बैठते हैं, इसे रोकने के लिये क्या कदम उठायेंगे कोई क्योंकि इससे तो उनकी आय दुगुनी हो जाती है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

इसके लिये जो नियम बने हैं वे इन पर भी लागू होते हैं। उनका पालन न करने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाती है। भविष्य में इन नियमों का और कड़ायी के साथ पालन करवाया जायेगा।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य--

किराया निश्चित करने का सरकार का जो मापदंड है वह क्या है ? श्रीमन्, क्या यह भी उसके साथ ही बताने का कष्ट करेंगे कि जो मार्ग वहां पर हैं वह कौन (सी) में है, (ए) में है, (बी) में है कौन से मार्ग पर वे बसें चलती हैं और किस व्यक्ति ने उसको जाकर कोर्ट से रोकवाने का प्रयास किया है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, जहां तक प्रश्न किराये को निर्धारित करने का है, इसको मोटर विहिकिल एक्ट में दिया गया है, उसके अनुसार किराये की दर निर्धारित की गयी है।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

क्या माननीय मंत्री जी उन्नाव-हरदोई रोड पर जो मालिकों द्वारा यात्रीकर की चोरियां होती हैं, इस चोरी को रोकने के लिए, उस मार्ग का राष्ट्रीयकरण करके बसें चलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

इससे आपका यह प्रश्न नहीं उठता। यह प्रश्न अलग से आप करिये।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

मान्यवर, किराया भी बढ़ा दिया है और टैक्स की चोरी भी करते हैं।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, जिस प्रकार से प्राइवेट बसों के ओवर लोड का चालान कर दिया जाता है, उसी प्रकार से हमारी जो सरकारी बसें हैं, उनके ओवर लोड होने पर एसा प्राविधान ह ? यदि हां, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अब तक कितनी राजकीय बसों का चालान किया गया है ? क्या आर0 टी0 ओ0 उन्हें सरकारी बसें समझ कर उनका चालान नहीं करता है ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

बलिया–सिकन्दरपुर मार्ग पर मिनी बस में आग लगने की दुर्घटना

*2—श्री शम्भूनाथ चौधरी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया शहर से थोड़ी दूर पर देवकली गांव के पास 7 मई, 1979 को अवैध ढंग से चल रही मिनी बस नम्बर यू0 टी0 डी0 1128 जो यात्रियों से ठसाठस भरी हुई थी और जिसमें डीजल रखा था, आग लग गयी, जिससे चार यात्री घटनास्थल पर ही जिन्दा जल गए और दर्जनों घायल हुए ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है और अवैध रूप से चल रही उक्त मिनी बस के लिए किन अधिकारियों को दोषी पाकर दंडित किया गया है ? और यदि नहीं किया गया है, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां । यह सही है कि दिनांक 7 मई, 1979 को मिनी बस संख्या यू0 टी0 डी0 1128 दिन में लगभग साढ़े 12 बजे बहादुरपुर (कटहर नाला), थाना सुखपुरा, जिला बलिया में बलिया–सिकन्दरपुर मार्ग पर जल कर ध्वस्त हो गयी । उक्त मिनी बस को एक विवाह पार्टी ढोने हेतु सिसोतर से सिकन्दरपुर द्वारा सुखपुर बलिया खार का एक अस्थाई परमिट जिला अधिकारी बलिया ने दिनांक 5–5–79 से 7–5–79 तक के लिए दिया था । अतः घटना के समय वाहन परमिट से आच्छादित थी । गाड़ी में आग लग जाने के फलस्वरूप घटना स्थल पर 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी तथा 2 व्यक्ति घायल हो गए । इस दुर्घटना के सम्बन्ध में श्री शिव गोविन्द चौकीदार तथा बस के स्वामी ने पुलिस थाने में प्रथम सूचना रपट दर्ज कराई है जिसमें पुलिस द्वारा जांच की जा रही है जांच के उपरान्त ही दुर्घटना के विवरण तथा कारणों का पता चल सकेगा जिसके फलस्वरुप यदि कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

प्रदेश में गन्ने का न्यूनतम मूल्य

*3—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978–79 के सीजन में चीनी मिल मालिकों ने 180 रुपए क्विंटल चीनी को आधार मान कर गन्ने का न्यूनतम मूल्य 10 रु0 क्विंटल देने का निश्चय किया था, परन्तु अब चीनी का बाजार भाव 300 रु0 क्विंटल हो गया है तो क्या सरकार उसी अनुपात में गन्ने का न्यूनतम मूल्य 16 रुपए 67 पैसे क्विंटल दिलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री शिव मंगल सिंह)--

यह सही नहीं है कि सत्र 1978-79 के लिये चीनी मिल के मालिकों ने गन्ने का न्यूनतम मूल्य 180 रु0 को आधार मानकर 10.00 रु0 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। यह विषय पूर्णतः भारत सरकार के अधीन है। सत्र 1978-79 के लिये भारत सरकार द्वारा न्यूनतम गन्ना मूल्य 8·5% चीनी पर्ते से सम्बन्धित 10.00रु0 प्रति क्विंटल निर्धारित है जो चीनी पर्ते के आधार पर प्रदेश की विभिन्न मिलों के लिय 10.00 रु0 से 12.71 रु0 प्रति क्विंटल तक है। यह मूल्य सत्र के आरम्भ में निश्चित कर दिया जाता है व पूर्ण सत्र के लिये लागू रहता है तथा सत्र के बीच में घटाया-बढ़ाया नहीं जाता है। इस लिए प्रदेश सरकार द्वारा गन्ने के न्यूनतम मूल्य को घटाये-बढ़ाए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, मैं जानना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से जो कुछ हर मिलों में गन्ने की कीमत देने का तय किया गया है और वे गन्ना मिलें हाई कोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है और हाई कोर्ट ने जो गन्ने की कीमत तय किया है, साढ़े 12 या साढ़े 13, जो भी है, यह बीच का डिफरेंस जो है, इसको शासन देगा या कौन देगा ? इसको मैं जानना चाहता हूं।

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, जो हाई कोर्ट द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त हुए हैं, उनके विरुद्ध सरकार द्वारा उसमें पैरवी की जा रही है और उसका निर्णय होने के बाद ही सरकार निश्चय कर पायेगी कि इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, इसमें करोड़ों रुपये का सवाल है। यह तो नीति की बात है, वह 12.50 या 13.50 के बीच का जो मार्जिन है, उनको देगी या हाई कोर्ट के स्थगन के बाद गन्ने की कीमत कम हुई है और 11.32 तथा 11.6 रुपये में जो फर्क है वह देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसको स्पष्ट कर दें।

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, प्रदेश सरकार द्वारा यह घोषित हो चुका है कि केन्द्र द्वारा जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित हुआ तथा पिछले सत्र में जो दिया गया उसका जो अन्तर होगा, उसको सबसिडी के रूप में सरकार देगी। अब इस वर्ष जो केन्द्र सरकार ने न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है, इसके विरुद्ध कुछ मिल मालिकों ने रिट दायर की है और उसके ऊपर कम दाम पर नोटिस लिये हैं। अब प्रदेश सरकार का जब तक निर्णय न हो जाये तब तक सर्वासडी को तय नहीं कर सकते। वह फैसले के बाद ही होगा।

श्री श्री नारायण--

मान्यवर, हमारा प्रश्न रहा.... ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप खड़े नहीं हुए तभी मैंने पाण्डेय जी को बुलाया । आप को भी मौका दूंगा ।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--

मान्यवर, आप दो-एक लोगों पर इतना फिदा है कि वह कह नहीं सकता।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

कुछ मिलों ने स्थगन आदेश लिए हैं । सरकार ने घोषित किया है कि अन्तर को सबसिडी के रूप में देगी । तो क्या यह सही है कि सरकार ने सब्सिडी भी नहीं दी और केन्द्र ने जो मूल्य घोषित किया है, जो और ई शुगर मिल ने भी जो केन्द्र ने तय किया, वह भी नहीं दिया, तो क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न के पहले भाग का जवाब दे दें ।

श्री शिव मंगल सिंह--

भुगतान किसी गन्ना मिल ने न किया हो तो यह अलग प्रश्न है, इस पर अलग से कार्यवाही की जायेगी । गन्ने का न्यूनतम मूल्य जो प्रदेशीय सरकार ने निर्धारित किया है, उसके विरुद्ध भी कुछ मिल मालिक न्यायालय जाकर स्थगन आदेश लाये हैं । चूंकि प्रदेशीय सरकार उनके विरुद्ध पैरवी कर रही है, अतः जब फैसला हो जाए तभी सरकार निर्णय लेगी ।

श्री श्री नारायण--

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं था ।

(श्री श्री नारायण भोजपुरी में बोले ।)

श्री उपाध्यक्ष--

खड़ी बोली में आप पूछा करें, मेरी समझ में नहीं आता है ।

(व्यवधान)

श्री श्रीनारायण--

मान्यवर, मिल मालिक लोग जिस आधार पर हाई कोर्ट में जाकर रिट दाखिल किए तो उस आधार पर चीनी का दाम बढ़ जाने पर गन्ने के दाम भी बढ़े । सरकार के खिलाफ मिल मालिक लोग गन्ने का दाम कम करने के लिए रिट दाखिल किये तो सरकार क्यों नहीं चीनी का दाम बढ़ने के बाद मिल मालिकों के खिलाफ रिट दाखिल करके गन्ने का दाम बढ़वाती ?

श्री शिव मंगल सिंह--

यह केन्द्रीय सरकार का विषय है । जो पहले मिल चुका है, उसका जो अन्तर है, उसको सब्सिडी देने के लिए जब सरकार ने घोषणा कर दिया तो यह प्रश्न ही नहीं पैदा होता, घटने-बढ़ने का ।

श्री बाबू लाल वर्मा—

केन्द्र सरकार ने जो टेरिफ कमीशन बैठाया था और उसकी रिपोर्ट के आधार पर उसने कहा था कि जितने रुपये में चीनी होगी उतने आने में गन्ने के दाम होंगे। तो माननीय मन्त्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले सीजन में गन्ने का दाम 10 रु0, 12 रु0 था, तब चीनी का दाम 180 रुपये था। आज चीनी का दाम 280 रुपये तक हो गया, तो उस टेरिफ कमीशन के आधार पर क्या माननीय मन्त्री जी दाम एडजेस्ट करने की कृपा करेंगे ?

(कुछ सदस्यों के आपस में बात करने पर।)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया बात न करें।

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, प्रश्न सुनाई नहीं पड़ा।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आप दोहरा दें और प्रश्न को ज्यादा लम्बा नहीं बनायें।

श्री बाबू लाल वर्मा—

केन्द्रीय सरकार ने एक टेरिफ कमीशन बैठाया था, उसकी सिफारिश थी कि जितने रुपये चीनी का दाम होगा, उतने आने गन्ने का दाम रखा जाएगा। तो जब चीनी का दाम 180 रु0 था, तब गन्ने का दाम 10 रुपये था। आज चीनी का दाम 280 हो गया तो क्या बढ़े हुये चीनी के दाम के अनुपात में मंत्री जी गन्ने का दाम देने की कृपा करेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, यह मूल्य का निर्धारण केन्द्रीय सरकार करती है। प्रदेश सरकार का यह विषय नहीं है।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो रिकवरी के आधार पर मूल्य तय है जो पिछले वर्ष गन्ना का मिला था, उसके अन्तर को सरकार देगी। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो अन्तर है, उसे किस आधार पर देने की व्यवस्था कर रही है ? यदि कर रही है तो कब तक देगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका तो उत्तर दे चुके हैं।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

मन्त्री जी ने उत्तर में कहा कि गन्ने का मूल्य केन्द्र सरकार तय करती है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार यह महसूस करती है कि गन्ने का मूल्य कम है, इसलिए उसको बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश भेजी है ? यदि भेजी है, तो वह क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी इजाजत मैं नहीं देता।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य—

माननीय मन्त्री जी क्या बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्र सरकार ने जो यह गन्ने का दाम निश्चित किया था, उस वक्त जो चीनी का भाव था, उसको देखकर किया था। आज चीनी के बढ़ते हुए अभावों को ध्यान में रखते हुये क्या माननीय मन्त्री जी केन्द्रीय सरकार को संस्तुति करेंगे कि जो चीनी की कीमत बढ़ी है, उसको देखते हुये गन्ने का दाम निश्चित करें ?

श्री शिव मंगल सिंह—

केन्द्रीय सरकार ने गन्ने का मूल्य निर्धारित करती है, उसमें बीच में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह हर चीजों को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। बीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल एक बार परिवर्तन होता है।

श्री शिवानन्द शुक्ला, सहायक लेखाकार, उन्नाव का स्थानान्तरण

*4—श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा), श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा), श्री श्यामबिहारी सिंह (जिला बरेली), श्री नेतराम सिंह (जिला एटा), श्री राम अधार (जिला आजमगढ़) तथा श्री मान पाल सिंह (जिला एटा)—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री शिवानन्द शुक्ला, सहायक लेखाकार, कार्यालय कृषि अधिकारी, उन्नाव का स्थानान्तरण विगत जुलाई–अगस्त, 1978 में स्थानीय विधायकों एवं संसद सदस्यों के शिकायत के आधार पर अल्मोड़ा कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिला कृषि अधिकारी, उन्नाव ने अतिरिक्त कृषि निदेशक (सामान्य), उत्तर प्रदेश को यह लिखित देने पर भी कि श्री शुक्ला को वहां से कार्य मुक्त कर दिया गया है श्री शुक्ला अभी तक उन्नाव में ही कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो कैसे ? क्या शासन इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करेगा ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हां, श्री शिवानन्द शुक्ला, सहायक लेखाकार का स्थानान्तरण 5 जुलाई, 1978 को किया गया था। जिला कृषि अधिकारी, उन्नाव ने अपने आदेश दिनांक 17 जनवरी, 1979 द्वारा उन्हें कार्यमुक्त हो जाने का आदेश दिया, जिसकी प्रतिलिपि अति० कृषि निदेशक (सामान्य) को सूचनार्थ प्रेषित की, परन्तु श्री शुक्ला 12–12–78 से 23–2–79 तक चिकित्सा अवकाश का प्रार्थना–पत्र देकर अनुपस्थित रहे, जिसके फलस्वरूप जिला कृषि अधिकारी, उन्नाव उन्हें अवमुक्त नहीं कर पाये। दिनांक 24–2–79 से 10–5–79 तक उन्होंने राजकीय हित में महत्वपूर्ण कार्य किया और कुछ चार्ज दिया। इसके बाद वे चिकित्सा आधार पर अवकाश के प्रार्थना–पत्र देकर अनुपस्थित हैं। जिला कृषि अधिकारी, उन्नाव ने उन्हें तत्काल चार्ज देने के लिए फिर से आदेश दिए हैं।

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि श्री शुक्ला ने राजकीय हित में क्या महत्वपूर्ण कार्य किया है। 5 जुलाई, 78 के स्थानान्तरण आदेश का अभी तक पालन क्यों नहीं हुआ ? क्या अधिकारियों के सम्मुख उनको अनुपस्थित में चार्ज दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, जब चिकित्सा अवकाश से वह लौटे तो उस समय उन्नाव में कोई सहायक लेखाकार उपलब्ध नहीं था। इसी वजह से संस्तुति की कि अभी महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिसमें इनकी आवश्यकता है, इनको रोका जाय। साथ ही साथ अल्मोड़ा जहां इनका स्थानान्तरण हुआ था, वहां के जिला कृषि अधिकारी ने लिखा कि अभी इनको वहां से रिलीव न किया जाय। इसी वजह से रुके रहे। अब जल्दी हो जाएगा और ये वहाँ चले जायेंगे।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी क्या बतायेंगे कि उस सहायक लेखाकार ने कोई गबन पकड़ा था ? यदि हां, तो वह कितना था और क्या इसी कारण, चूंकि उसमें दो डिप्टी डाइरेक्टर फंस रहे हैं, इसी कारण इनका स्थानान्तरण किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह सवाल इससे नहीं उठता है, आप दूसरा सवाल करें।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

क्या इसीलिए इनका स्थानान्तरण किया जा रहा है कि इन्होंने गबन पकड़ा है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी इजाजत नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित सहायक लेखाकार श्री शुक्ला ने उन्नाव का चालीस लाख रुपये का गबन पकड़ा है और इस गबन से लोगों को बचाने के लिए कुछ बाहरी जिलों के लोगों की संस्तुति से उनका स्थानान्तरण अल्मोड़ा कराया गया, जिसे रोकने के लिए उन्नाव जिले के कई विधायकों ने पत्र लिखा तो पत्र के आधार पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न के पहले भाग की इजाजत मैं नहीं देता हूं। दूसरा भाग उन्नाव जिले के कुछ विधायकों ने उनको रोकने के लिए पत्र लिखा, इसका जवाब दे दीजिए।

श्री राम आसरे वर्मा--

बुनियादी प्रश्न तो 40 लाख रु0 के गबन का है। जिन लोगों के ऊपर साबित हो रहा है, उन्होंने षडयन्त्र करके अल्मोड़ा ट्रान्सफर कराया।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न के पहले भाग की इजाजत नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, आपने इजाजत नहीं दी, इसको बताने के लिए तो सवाल की बुनियाद खत्म हो जाती है।

श्री उपाध्यक्ष--

इसके लिए आप अलग से नोटिस दें । मन्त्री जी प्रश्न के दूसरे भाग की सूचना आपके पास हो, तो दीजिए ।

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, जिन विधायकों ने उनके पक्ष में लिखा, उनके कुछ नाम तो मेरे पास मौजूद हैं । श्री चौधरी राघवेन्द्र सिंह, संसद सदस्य, श्री जगदीश प्रसाद द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा । श्री गौरी शंकर पाण्डेय, सदस्य, विधान परिषद्, श्री सुन्दर लाल, सदस्य, विधान सभा, श्री मुकीमुर्रहमान, सदस्य, विधान सभा के नाम हैं ।

गन्ना विकास परिषद्, बहेड़ी, जिला बरेली के सदस्यों और अध्यक्ष का चुनाव

*5--श्री रफीक अहमद खां (जिला बरेली)--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि बहेड़ी, जिला बरेली की गन्ना विकास परिषद् के सदस्यों और अध्यक्ष का चुनाव गत वर्ष हो चुका है ? यदि हां, तो गन्ना विकास परिषद् के कार्य शुरू न करने का कारण क्या है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

गन्ना विकास परिषद्, बहेड़ी, जिला बरेली के गन्ना उत्पादक सदस्यों का चुनाव दिनांक 27-11-76 को एवं अध्यक्ष का चुनाव 19-8-78 को हुआ था । परन्तु कुछ वैधानिक कठिनाइयों के कारण गन्ना विकास परिषद् के गठन सम्बन्धी औपचारिक आदेश पारित नहीं हो सके ।

जनपद प्रतापगढ़ में आलू की खरीद

*6--श्री रामदेव दुबे--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1979 में समर्थन मूल्य देकर प्रतापगढ़ जनपद में सरकार ने कितना आलू खरीदा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि लाखों टन आलू प्रतापगढ़ के विभिन्न अंचलों में सड़ रहा है और सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर आलू नहीं खरीदा गया ? क्या यह भी सही है कि प्रतापगढ़ जनपद में स्थान-स्थान पर आलू जलाया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह--

भारत सरकार द्वारा आलू के लिए कोई समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया । अतः समर्थन मूल्य पर प्रतापगढ़ जनपद में सरकार द्वारा आलू की खरीद नहीं की गई, शासन को कोई ऐसी सूचना नहीं है ।

नोट--नियम 29(4) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

कृषि फार्मों पर अन्न भण्डारण निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

*7--श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले के तीन रा० कृषि फार्मों पर अन्न भण्डारण के निर्माण हेतु वर्ष 1978-79 के लिए एक लाख इकतीस हजार रुपए स्वीकार किए गए, जो 31 मार्च, 1979 को बिना अन्न भण्डारों के निर्माण कराये ही उपरोक्त एक लाख इकतीस हजार धनराशि ठेकेदारों के नाम बैंक के खाते में स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ? क्या सरकार इस घोटाला से सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध जांच कराकर अविलम्ब कार्यवाही करेगी ?

श्री शिव मंगल सिंह--

अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

मिर्जापुर जिले में बिना परमिट जारी किये गये ट्रक

*8--श्री मोती राम (जिला कानपुर)--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कोटा (शक्तिनगर) जिला मिर्जापुर में लगभग 1,200 ट्रक बिना परमिट के और अधिकतर सरण्डर की हुई चल रही है ? क्या उनके परमिट जारी किए गए ? यदि नहीं, तो शासन उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गन्ना समिति, लक्सर, जिला सहारनपुर के कोषाध्यक्ष श्री जय नारायन कपूर के विरुद्ध गबन की जांच

*9--श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)--

क्या सरकार को जानकारी है कि लक्सर, जिला सहारनपुर के सहकारी गन्ना समिति पर्चियों के भुगतान में 20 हजार रुपए या इससे अधिक के घोटाला के कैशियर श्री कपूर के विरुद्ध 16 मई, 1979 को पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है ? क्या इसमें समिति के अध्यक्ष, लिपिक एवं सचिव की सांठ-गांठ थी । यदि हां, तो क्या मन्त्री जी निष्पक्ष अधिक्रमण या गुप्तचर विभाग से सारे काण्ड की जांच करायेंगे ? उक्त सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शिव मंगल सिंह--

गन्ना समिति, लक्सर, जिला सहारनपुर के कोषाध्यक्ष श्री जय नारायन कपूर के विरुद्ध 17,810 रुपये के व्ययहरण की एक एफ० आई० आर० पुलिस स्टेशन लक्सर में दिनांक 16 मई, 1979 को दर्ज कराई गई है जिसकी जांच पुलिस की कोआपरेटिव सेल मेरठ द्वारा की जा रही है और विस्तृत जांच पूर्ण होने पर ही ज्ञात हो सकेगा कि समिति के अध्यक्ष, लिपिक एवं सचिव की इस मामले में कोई सांठ-गांठ थी या नहीं । चूंकि पुलिस स्तर से इस मामले की जांच की जा रही है, इसलिये गुप्तचर विभाग या अन्य किसी माध्यम से जांच कराने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता । कोषाध्यक्ष, श्री जय नारायन कपूर को पुलिस द्वारा पकड़कर जेल भेज दिया गया है तथा इनको निलम्बित भी कर दिया गया है ।

साकेत डेरी में दुग्ध मूल्य का अनियमित भुगतान

*10—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या पशुधन मन्त्री की जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में साकेत डेरी अयोध्या की साढ़े 6 लाख रुपये की क्रियाशील पूंजी (रनिंग कैपिटल) का लगभग साढ़े 3 लाख रुपया फीडर वैलेंसिंग डेरी बनारस के पास लगभग डेढ़ लाख रुपया लखनऊ मुख्यालय पी० सी० डी० एफ० के पास तथा शेष धन दूध से उत्पादित माल (मिल्क प्रोडक्ट्स) के रूप में फैजाबाद में है जिसके परिणाम स्वरूप न तो दूध उत्पादकों को समय से दूध के दाम का भुगतान हो पा रहा है न समितियों के सचिवों को पिछले लगभग 5 महीनों से वेतन दिया गया है और न दूध उत्पादक सहकारी समितियों के अब तक के कमीशन का भुगतान किया जा सका है ? फलस्वरूप उक्त डेरी के बन्द हो जाने का खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है ? क्रियाशील पूंजी के इस प्रकार के दुरुपयोग के लिए कौन दोषी है ? इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

फैजाबाद डेरी ने दिनांक 19 दिसम्बर, 1978 से कार्य प्रारम्भ किया। इस डेरी हेतु शासन ने 6.50 लाख रुपया पी० सी० डी० एफ० को क्रियाशील पूंजी के रूप में दिया। पी० सी० डी० एफ० द्वारा अब तक साकेत डेरी को 4.70 लाख रुपया दिया गया है।

साकेत डेरी ने वाराणसी डेरी को कुल 2,49,469.91 लाख रुपया का तरल दूध दिया जिसमें से वाराणसी डेरी ने 2 लाख 20 हजार पांच सौ पचपन रुपया का भुगतान कर दिया। इसमें एक लाख दस हजार पांच सौ पचपन रुपये के मूल्य का दुग्ध पदार्थ दिया गया।

साकेत डेरी फरवरी, 1979 के तीसरे सप्ताह से दुग्ध मूल्य का नियमित भुगतान नहीं कर रही है। समितियों के कमीशन कभी नहीं दिया गया। समितियों को सचिवों का वेतन देने में कठिनाई हो रही है। डेरी में दूध की मात्रा काफी गिर गयी है।

डेरी फेडरेशन को सरकारी अधिकारियों द्वारा नियमित भुगतान करने तथा साकेत डेरी का प्रबन्ध सुधारने को कई बार लिखा गया।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

कालाढूंगी, जिला नैनीताल में खोला गया गेहूं क्रय-केन्द्र

*1—श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्रय-विक्रय समिति, कालाढूंगी, जिला नैनीताल द्वारा कालाढूंगी में गेहूं खरीदने हेतु क्रय-केन्द्र खोलने की स्वीकृति सहायक निबन्धक, सहकारी विभाग, नैनीताल ने दिनांक 18 मार्च, 1979 को पत्रांक 4030-57 के द्वारा प्रदान की थी और दिनांक 7 अप्रैल, 1979 को पत्रांक 404 द्वारा सभापति, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी ने भी उक्त समिति को गेहूं क्रय-केन्द्र, कालाढूंगी में खोलने हेतु स्वीकृति प्रदान की

थी ? यदि हां, तो क्या क्रय-विक्रय समिति, कालाढूंगी द्वारा कालाढूंगी में गेहूं क्रय-केन्द्र खोला गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

कालाढूंगी में सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि०, कालाढूंगी तथा सहकारी कृषक सेवा समिति कालाढूंगी दोनों ही गेहूं क्रय-केन्द्र खोलना चाहती थीं और यह बताया गया था कि यदि इनमें से किसी एक को क्रय-केन्द्र की मान्यता दी गई तो पदाधिकारियों में आपसी गम्भीर मतभेद पैदा हो सकते हैं। इन सभी परिस्थितियों में एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से पी० सी० एफ० को क्षेत्रीय संचालक के अनुरोध पर सहायक निबन्धक, नैनीताल ने 2 अप्रैल, 1979 को आदेश जारी किये कि कालाढूंगी में गेहूं क्रय करने हेतु केन्द्र जिला सहकारी संघ लि०, हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा खोला जाय।

राजकीय कृषि फार्म, जमुनाबाद (गोला), जनपद खीरी में आडिट के दौरान अनियमिततायें

*2--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय कृषि फार्म, जमुनाबाद (गोला), जनपद खीरी के अभिलेखों में विभागीय आडिट के दौरान वर्ष 1974-75, 1975-76 एवं 1976-77 में क्रमशः एक लाख, साढ़े पांच लाख तथा साढ़े सात लाख (कुल 14 लाख), रुपए की गम्भीर अनियमिततायें एवं गोलमाल प्रकाश में आए ? यदि हाँ, तो शासन द्वारा इस सिलसिले में क्या कार्यवाही की गई और इसके लिए किन-किन अधिकारियों को दोषी ठहराया गया ?

श्री शिव मंगल सिंह-

जी हां, राजकीय कृषि फार्म जमुनाबाद (गोला) जनपद खीरी के अभिलेखों में विभागीय आडिट के दौरान 14,21,215.36 रु० की गम्भीर अनियमिततायें प्रकाश में आयी। सम्प्रेक्षण प्रतिवेदनों पर सम्बन्धित अधिकारियों से आख्याय माँगी गई हैं जिन के प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

जिला परिषद्, फर्रुखाबाद में अनुभागीय मुख्य लिपिक का पद

*3--श्री बाबू लाल विद्यार्थी (जिला गोरखपुर)--

क्या पंचायत राज मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला पंचायत एवं क्षेत्र समिति अधिनियम की धारा 47 के अधीन धारा 43 की उपधारा (1) में उल्लिखित ऐसे पदों पर, जिनका प्रारम्भिक वेतन 200 रुपए प्रतिमास या उससे अधिक होने पर नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्थानापन्न अथवा अस्थायी नियुक्ति बिना आयोग के परामर्श कि किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक जारी नहीं रखी जा सकती है ? यदि हां, तो जिला परिषद्, फर्रुखाबाद में वेतन स्तर 280--424 रु० के अनुभागीय प्रधान लिपिक के एक पद पर अल्पकालीन अस्थायी नियुक्ति दिनांक 18 मार्च, 1969 से अब तक आयोग के परामर्श के बगैर क्यों जारी हुई ? पंचायती राज मन्त्री कब तक इसे समाप्त करने का निर्णय लेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद--

जी हां। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम में ऐसा प्राविधान है। जिला परिषद् फर्रुखाबाद में अनुभागीय मुख्य लिपिक का पद

श्री जमुना प्रसाद--

18 मार्च, 1969 को भरा गया था। उस समय इस पद का वेतनमान 175--250 रु0 था। नियुक्ति के समय वेतनमान का प्रारम्भिक वेतन 200 रु0 से कम होने के कारण यह पद अधिनियम की धारा 43(1) के अन्तर्गत नहीं आता था। अतः लोक सेवा आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं थी। वेतन का पुनरीक्षण 1 अगस्त, 1972 को हुआ और नया वेतनमान 240--424 रु0 हो गया। चूंकि दिनांक 18 मार्च, 1969 को नियुक्ति हुयी थी, अतः उसे इस आधार पर कि वेतनमान 240--424 रु0 हो गया है, पदोन्नति को समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला परिषद् द्वारा संचालित अस्पतालों में रोगी पंजीकरण शुल्क

*4--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सरकार को यह जानकारी है कि जिला परिषद् द्वारा संचालित अस्पतालों में अभी भी रोगी पंजीकरण शुल्क के रूप में प्रति रोगी पचास पैसे वसूल किए जाते हैं जब कि जनता पार्टी ने रोगियों को ऐसे शुल्क से पूर्णतया मुक्त कर दिया है? यदि हां, तो इस दोहरी नीति को समाप्त करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री जमुना प्रसाद--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बदायूं में कोल्ड स्टोरेज के मालिकों द्वारा आलू की निर्धारित दर

*5--श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

क्या कृषि मंत्री मेहरबानी करेंगे कि बदायूं जनपद के काश्तकारों अथवा जन प्रतिनिधियों से मार्च अथवा अप्रैल, 1979 में कोई शिकायत इस बाबत प्राप्त हुई कि जनपद से कोल्ड स्टोरेज के मालिकान आलू के काश्तकारों से नियत रेट के अतिरिक्त धन मांग रहे हैं? यदि हां, तो उसमें सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री शिव मंगल सिंह--

जी हां। शिकायतों की जांच जिला उद्यान अधिकारी द्वारा की गई। जाँच के दौरान शिकायतकर्ता किसानों ने बताया है कि कोल्ड स्टोरेज द्वारा निर्धारित दर पर ही आलू भण्डारित किया गया और किसी प्रकार का अतिरिक्त धन उनसे नहीं लिया गया। जन प्रतिनिधि द्वारा की गयी शिकायत की जांच हो रही है।

नियोजित फसल योजना लागू करने पर विचार

*6--श्री हरिशचन्द्र (जिला बस्ती)--

क्या सरकार नियोजित फसल योजना लागू करने के प्रश्न पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब से लागू की जायेगी?

श्री शिव मंगल सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

[दिनांक 11 जून, 1979 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

[7वें सोमवार के लिए स्थगित]

उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां संघ लि०, लखनऊ के केन्द्रीय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा

*2—श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून) तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां संघ लि०, लखनऊ के केन्द्रीय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु किसी चिकित्सक की सेवाएं प्राप्त की जा रही है? यदि हां, तो सन्दर्भित चिकित्सक पूर्ण कालिक रूप से कार्यरत है अथवा अल्पकालिक रूप से एवं उन्हें संघ की ओर से कितना वेतन प्रतिमाह भुगतान किया जाता है?

श्री शिव मंगल सिंह—

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लि०, लखनऊ के केन्द्रीय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा हेतु डा० वी० डी० मिश्रा, एम० बी० बी० एस०, एम० एस० की सेवायें अंशकालिक (पार्ट टाइम) अधिकृत चिकित्सक के रूप में ली जा रही है। गन्ना संघ द्वारा इन्हें इस कार्य के लिए मानदेय के रूप में अंकन 250 रुपया भत्ता प्रतिमाह दिया जा रहा है।

*3— श्री मन्जूर अहमद तथा श्री गुलाब सेहरा—

[6ठे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बफर गोदाम, बहराइच में गबन की जांच

*4—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बफर गोदाम, बहराइच का गबन से सम्बन्धित सारा रिकार्डस कृषि अधिकारी, बहराइच तथा श्री रमाशंकर उपाध्याय, भूतपूर्व बफर गोदाम इंचार्ज ने मिल कर मार्च, 1979 में जलवा दिया है, क्योंकि इनके ऊपर 5 लाख रुपये का गबन का आरोप है? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त पूरे काण्ड की किसी उच्च अधिकारी से जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की कृपा करेगी?

श्री शिव मंगल सिंह—

बफर गोदाम, बहराइच के कार्यालय में 6/7 मार्च, 1979 की रात में चोरी हुई थी और एक अलमारी जिसमें बफर गोदाम सम्बन्धी रिकार्ड्स रखे थे, पास के किसान डिग्री कालेज में एक खेत में जलती पाई गई। पुलिस में एफ० आई० आर० दिनांक 7 मार्च, 1979 को दर्ज कराई गयी। पुलिस द्वारा 16 अप्रैल, 1979 को फाइनल रिपोर्ट लगाकर कहा गया है कि मुल्जिम का पता नहीं चल सका। मामले की जांच विभाग के उच्च अधिकारी द्वारा कराई जा रही है।

श्री रमाशंकर उपाध्याय, भूतपूर्व बफर गोदाम इन्चार्ज के कार्यकाल 1-4-74 से 8-1-78 तक के अभिलेखों का सम्प्रेक्षण कराया जा चुका है। शेष 9-1-78 से 23-12-78 तक के कार्यकाल का आडिट कराया जा रहा है। इसके उपरान्त ही गबन है या नहीं की सही स्थिति का पता लगेगा और दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

*5--श्री राज किशोर तिवारी--

[7वें सोमवार के लिए स्थगित]

पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य

*6--श्री श्रीनारायण--

क्या सरकार चालू सीजन में गन्ने का दाम साढ़े बारह रुपए प्रति क्विंटल पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा साढ़े तेरह रुपये प्रति क्विंटल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को तुरन्त भुगतान करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

श्री शिव मंगल सिंह--

चीनी मिलों द्वारा इस वर्ष भुगतान किये जा रहे न्यूनतम गन्ना मूल्य की दर तथा गत वर्ष पश्चिमी तथा मध्य क्षेत्र में दिये गये 13.50 रु० प्रति कुन्टल तथा पूर्वी क्षेत्र में दिये गये 12.50 प्रति कुन्टल सहमत गन्ना मूल्य की दर के अन्तर को शासन द्वारा किसानों को सबसिडी के रूप में पिराई सत्र समाप्ति के बाद भुगतान किया जायगा।

उत्तर काशी के डुण्डा तथा पुरौला विकास खण्डों का पुनर्गठन

*7--श्री बरफियालाल जुवांठा (जिला उत्तरकाशी)--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या जिला उत्तरकाशी के डुण्डा तथा पुरौला विकास खण्डों के पुनर्गठन का मामला शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो इन विकास खण्डों का पुनर्गठन कब तक कर दिया जावेगा।

श्री जमुना प्रसाद--

जी हां।

आवश्यक औपचारिकतायें पूरी होने पर विकास खण्डों के पुनर्गठन की कार्यवाही की जा सकेगी।

*8--श्री विद्याशंकर--

[7वें सोमवार के लिए स्थगित]

जनपद फिरोजाबाद में शीतगृह तथा उनमें भण्डारित आलू

*9--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद में चार शीतगृह है? यदि हां, तो क्या चारों शीतगृहों में फिरोजाबाद तहसील के आलू उत्पादक काश्तकारों का आलू शीतगृहों में रखा गया है? क्या मैनपुरी जनपद का भी आलू शीतगृहों में है?

यदि हां, तो क्यों ? फिरोजाबाद तहसील के आलू उत्पादक काश्तकारों से रुपया लेने के बाद भी आलू शीत गृह में नहीं रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों और अब कितना आलू शीत गृह के बाहर पड़ा है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

जी हां।

फिरोजाबाद तहसील में स्थापित चारों शीत गृहों में अधिकतर फिरोजाबाद तहसील के व आगर जनपद के आलू उत्पादकों का आलू भण्डारित हुआ है।

मैनपुरी जनपद के कृषकों का भी आलू शीत गृहों में भण्डारित हुआ है। मैनपुरी जनपद फिरोजाबाद तहसील से लगा हुआ है। अतः वहां के कृषकों ने अपनी सुविधानुसार फिरोजाबाद क्षेत्र के शीत गृहों में अपना आलू भण्डारित किया है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आलू ले जाकर भण्डारित किये जाने का कोई प्रतिबंध नहीं है। कृषकों से अग्रिम धनराशि लेने के बाद भण्डारण न करने की कोई शिकायत किसी भी कृषक से नहीं प्राप्त हुई है और न ही किसी भी शीत गृह के बाहर अब आलू पड़ा है।

*10--श्री रामनरायन वर्मा--

[7वें सोमवार के लिए स्थगित]

*11--श्री रियासत हुसैन--

[7वें सोमवार के लिए स्थगित।]

*12--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[7वें सोमवार के लिए स्थगित।]

गन्ना आयुक्त कार्यालय, लखनऊ में कार्यरत सांख्यिकी कर्मचारियों का वेतनमान

*13-श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में वेतन आयोग 1971-73 द्वारा संस्तुति वेतनमानों में पाई गई असंगतियों एवं उनके निवारण के सम्बन्ध में मन्त्रिपरिषद् की उप समिति के निर्णय का शासनादेश संख्या 2531 सी० डी०/12-एच(28) (20)-76, दिनांक 14 सितम्बर, 1976 होने के बावजूद, गन्ना आयुक्त कार्यालय, लखनऊ पर कार्यरत सांख्यिक कर्मचारियों पर न लागू कर के उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान 280-460 रु० से वंचित रखने का क्या कारण है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

यह सही है कि मन्त्रिपरिषद् के उप समिति के निर्णय का शासनादेश संख्या 2531/सी०डी०-12एच--28(20)-76, दिनांक 14-9-76 होने के उपरान्त गन्ना आयुक्त कार्यालय में कार्यरत सांख्यिक कर्मचारियों पर वेतनमान 280-460 रु० लागू नहीं किया जा सका है। उक्त शासनादेश के निर्देशानुसार यह वेतनमान कार्यरत सांख्यिक कर्मचारियों पर उसी दशा में अनुमन्य होगा जब लोक सेवा आयोग से वे अनुमोदित हों। गन्ना विकास विभाग में कार्यरत सांख्यिक कर्मचारी लोक सेवा आयोग से अनुमोदित नहीं है। इसलिये इन्हें यह वेतनमान 280-460 रु० नहीं दिया जा सका है। इनके अनुमोदन की कार्यवाही की जा रही है, अनुमोदनोपरान्त उन्हें वेतनमान 280-460 रु० दे दिया जायेगा।

टिकैतनगर में स्थापित किया गया गन्ना क्रय केन्द्र

*14–श्री अशर्फीलाल यादव (जिला बाराबंकी) तथा श्री राम सागर (जिला बाराबंकी)––

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रिजर्वेशन मीटिंग वर्ष 1978–79 के अनुसार यह तय हुआ था कि चीनी मिल मसौधा, जनपद फैजाबाद की ओर से, केन यूनियन दरियाबाद, जिला बाराबंकी के अन्तर्गत स्थान टिकत नगर में गन्ना क्रय केन्द्र स्थापित किया जायेगा ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थान पर क्रय केन्द्र स्थापित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह––

सीजन 1978–79 हेतु रिजर्वेशन मीटिंग में टिकैतनगर में गन्ना क्रय केन्द्र स्थापित करने हेतु निर्णय हुआ था और तदनुसार आदेश भी पारित किया गया किन्तु चीनी मिल मसौधा द्वारा उक्त क्रय केन्द्र न चलाये जाने के कारण मिल के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाराबंकी के न्यायालय में अभियोजन दायर कर दिया गया है ।

सहकारी गन्ना विकास समितियों के लेखों का सम्प्रेक्षण

*15–श्री मोहम्मद शमीम अन्सारी (जिला बाराबंकी)––

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जुलाई 1970 में जब सहकारी गन्ना समितियों का आडिट गन्ना विकास विभाग से निकाल कर वित्तीय विभाग के नियन्त्रण में भेजा गया तो किन आडिटरों को गन्ना आयुक्त ने गन्ना विकास परिषदों के हित में रोक लिया था और उनको सहकारी सम्परीक्षा में जाने से वंचित रखा गया ?

श्री शिव मंगल सिंह––

शासनादेश संख्या 2212–सी0डी0/12एच––306/64, दिनांक 29–6–70 के अन्तर्गत गन्ना विकास विभाग के सहकारी गन्ना विकास समितियों के लेखों के सम्प्रेक्षण से सम्बन्धित समस्त आडिट स्टाफ को उत्तर प्रदेश सहकारी तथा पंचायत सम्परीक्षा संगठन के अधीन स्थानान्तरित कर दिया गया और किसी व्यक्ति को भी उक्त संगठन में जाने से वंचित नहीं रखा गया ।

*16–श्री लक्खी सिंह––

[7वें सोमवार के लिए स्थगित]

जनपद प्रतापगढ़ में अयोग्य भूमि तथा केन्द्रीय बीहड़ योजना का विस्तार

*17–श्री रामदेव दुबे––

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत नदियों के तट पर (19000) उन्नीस हजार हेक्टेयर भूमि खेती के अयोग्य है और दिन प्रति दिन नार खोह के रूप में परिणत होती जा रही है ? क्या सरकार केन्द्रीय बीहड़ सुधार योजना यहां भी चलाने की सिफारिश करेगी तथा उक्त भूमि कृषि के योग्य बनाकर जनपद की खाद्य समस्या हल करेगी ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह--

जी हां,

पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के अभाव में केन्द्रीय सोइड पुआर योजना का अभी प्रतापगढ़ जनपद के लिए विस्तार सम्भव नहीं है ।

मालवीया ब्रिज, वाराणसी पर बस एवं टेम्पो से दुर्घटना

*18-श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29 अप्रैल, 1979 को मालवीय ब्रिज, वाराणसी पर रोडवेज बस एवं टम्पो से भयंकर दुर्घटना हुई थी ? यदि हां, तो घटना क्या है ? इसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई ? क्या मृतकों की शिनाख्त हुई ? सरकार ने मृतक परिवारों को तत्काल क्या सहायता दी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हां । दिनांक 29-4-79 को बस रामनगर से गुदौलिया आते हुए 17-15 बजे मालवीया पुल पर आटो रिक्शा से टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हुई । घटना के फलस्वरूप टैम्पो पर सवार चालक सहित 3 व्यक्तियों की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गयी और दो घायल व्यक्तियों की कुछ समय बाद अस्पताल में मृत्यु हुई । मृतकों की शिनाख्त हो गयी है ।

मृतकों के वारिसों को उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से कोई तात्कालिक सहायता नहीं दी गयी क्योंकि मृत व्यक्ति आटो रिक्शा के यात्री थे ।

गोरखपुर एवं वाराणसी में वाहनों की खरीद

*19-श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती) तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती)--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डल गोरखपुर एवं वाराणसी में उद्यान सचल दल के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए शासन ने प्रत्येक दोनों मण्डलों के एक-एक वाहन खरीदने के लिए धन स्वीकृत किया था ? यदि हां, तो वाहन खरीदे गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि वाहन को अम्बेसडर तथा डीजल की बन्द जीप के रूप में खरीदा गया और उसे लखनऊ नगर में ही इस्तेमाल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह--

जी हां । वाहन खरीदे गये । उनका प्रयोग निदेशालय के अधिकारियों द्वारा प्रदेश के औद्यानिक कार्यक्रम की देखरेख के लिये किया जा रहा है क्योंकि वाराणसी तथा गोरखपुर मण्डल के सचल दलों को एक जीप और एक स्टेशन वैगन योजना की स्वीकृत देन पर उपलब्ध करा दी गयी थी ।

*20-श्री तेजभान सिंह--

[7वें सोमवार के लिए स्थगित]

*21-22-श्री राम सिंह--

[7वें सोमवार के लिए स्थगित]

श्री राज बल्लभ यादव, भूतपूर्व प्रभारी बीज भण्डार, गोरखपुर के विरुद्ध गबन का आरोप तथा निलम्बन

*23—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

क्या कृषि मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री राज बल्लभ यादव, प्रभारी बीज भण्डार, बलहो खोर (गोरखपुर) ने वर्ष 1975-76 में लगभग डेढ़ लाख रुपए का गबन किया था और उनके विरुद्ध जांच भी बैठाई गयी थी ? क्या यह भी सही है कि श्री यादव को पुनः गबन के आरोप के बावजूद भी ढेबरा बीज भण्डार (गोरखपुर) पर नियुक्त किया गया, जहां श्री यादव ने फिर 32,000 रु० का गबन किया ? यदि हां, तो श्री यादव के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव मंगल सिंह—

श्री राज बल्लभ यादव, भूतपूर्व प्रभारी बीज भण्डार बलहो खोर, जनपद गोरखपुर द्वारा वर्ष 1975-76 में नहीं बल्कि 23-12-72 से 30-1-74 तक के कार्यकाल में 1,44,007·76 रु० की क्षतियां पहुंचाई गई जिसके लिये उनको जांच अधिकारी द्वारा 15-9-76 को आरोपित किया गया । यह सही है कि श्री यादव को बलहो खोर पर क्षतियां पहुंचाने के बावजूद भी ढेबरा बीज भण्डार पर नियुक्त किया गया जहां 32, 820·38 रु० की क्षतियां प्रकाश में आई । श्री यादव को निलम्बित कर दिया गया है तथा विभागीय एवं अपराधिक कार्यवाही की जा रही है ।

*24—श्री बरफिया लाल जुवांठ—

[7वें सोमवार के लिए स्थगित]

*25—श्री राम आसरे वर्मा—

[7वें सोमवार के लिए स्थगित]

*26—श्री राजकिशोर तिवारी—

[7वें सोमवार के लिए स्थगित]

औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, चौबटिया, बस्ती एवं सहारनपुर में रिक्त पद

*27—श्री श्यामदेव, श्री मुश्ताक अहमद (जिला वाराणसी) तथा श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, चौबटिया (अल्मोड़ा), बस्ती एवं सहारनपुर में इस समय श्रेणी-1 के कौन-कौन से पद कितने दिनों से रिक्त हैं ? इन रिक्त पदों को लम्बे समय तक रिक्त रखने का क्या औचित्य है ? इन रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्रों पर श्रेणी-1 के निम्नलिखित पद रिक्त हैं:--

क्रमांक	केन्द्र	पद नाम	रिक्ति का दिनांक
1	चौबटिया	उपनिदेशक, उद्यान कम-प्रभारी अधिकारी	1-9-1978
2	चौबटिया	जनेटिसस्ट (फ्लोरीकल्चर)	13-12-1978
3	सहारनपुर	उपनिदेशक, उद्यान कम-प्रभारी अधिकारी	1-1-1979
4	सहारनपुर	इन्टोमालोजिस्ट	13-1-1979
5	बस्ती	उपनिदेशक, उद्यान कम-प्रभारी अधिकारी	17-6-1978

क्रमांक 1, 2, 3 व 5 पर उल्लिखित पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। क्रमांक 4 पर उल्लिखित पद पर नियुक्ति के बारे में निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग से प्रस्ताव मांगा गया है।

कानपुर में लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स का किराये पर लिया गया गोदाम

*28-श्री मोतीराम तथा श्री कौशल किशोर (जिला जालौन)--

क्या सहकारिता मन्त्री बतायेंगे कि वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ने 2 वर्ष पूर्व कानपुर नगर में लक्ष्मी इन्जीनियरिंग वर्क्स का एक गोदाम 19 हजार रुपए प्रति माह किराए पर लिया है और यह गोदाम असुरक्षित होने के कारण कई वर्ष से प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है क्योंकि यह स्थान गोदाम के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया था ? यदि हां, तो इसको कब्जे में रखने का क्या औचित्य है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

भण्डारागार निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार 1 मार्च, 1976 को भण्डारागार निगम ने कानपुर नगर में लक्ष्मी रतन इंजीनियरिंग वर्क्स का एक गोदाम 18,782 रुपया प्रतिमाह की दर से किराए पर लिया था और माह मार्च 1976 से वह गोदाम भण्डारागार निगम के प्रयोग में है।

जनपद फैजाबाद की 'साकेत डेरी, अयोध्या' में दो वितरण वाहन तथा मिल्क टैंकर का खरीद

*29--श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

क्या यह सही है कि जनपद फैजाबाद की 'साकेत डेरी, अयोध्या' में दो वितरण वाहन तथा लॉग डिस्टेंस हाउसेज स्कीम के तहत मिल्क टैंकर खरीदा जाना था लेकिन ऐसा न करके मुरादाबाद से एक पुरानी गाड़ी और पुराना टैंकर साकेत डेरी को भेज दिया गया है और नई गाड़ी तथा नए टैंकर का दाम लगाकर

लाखों रुपया साकेत डेरी के फंड से मुरादाबाद इकाई को स्थानान्तरित कर दिया गया है ? क्या साकेत डेरी की इस प्रकार की अनेकों अनियमितताओं, पद के दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार की घटनाओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का 20 अप्रैल, 1979 का मुख्य मन्त्री को सम्बोधित शिकायती-पत्र मिल गया है ? यदि हां, तो इन सारी गड़बड़ियों, अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के लिए कौन दोषी है और दोषी लोगों को दंडित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अब्दुल हलीम खां--

यह सही है कि जनपद फैजाबाद की साकेत डेरी, अयोध्या हेतु दो वितरण वाहन खरीदा जाना था, मगर यह सही नहीं है कि लांग डिस्टेंस हालेज स्कीम के अन्तर्गत केवल साकेत डरी हेतु ही मिल्क टैंकर खरीदा जाना था, साकेत डेरी के लिए मुरादाबाद इकाई से एक टैंकर तथा वाराणसी दुग्धशाला से एक मिल्क वाहन दिया गया जिसका मूल्य फैजाबाद डेरी के एकाउन्ट्स से चार्ज नहीं किया गया है और न ही इस हेतु कोई धनराशि मुरादाबाद इकाई को स्थानान्तरित की गई है ।

जी हां, जांच रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है, परीक्षण के बाद दोष सिद्ध होने पर ही सम्बन्धित व्यक्ति को दंडित किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

*30--श्री बाबू लाल वर्मा,
श्री जगन्नाथ सिंह परमार,
श्री मैनेजर सिंह,
श्री शारदा प्रसाद जायसवाल,
श्री ऊदल,
श्री उदय नारायन सिंह,
श्री भगवती सिंह,
श्री सोहनवीर सिंह तोमर,
श्री रघुबर दयाल वर्मा,
श्री गुन्जेश्वर,
श्री बदन सिंह तथा
श्री सुरेन्द्र पाल ।

[7वें सोमवार के लिए स्थगित]

कृषि विभाग में वर्ग 1, 2, 3 के कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड की संस्तुति

*31--श्री सियाराम सागर (जिला बरेली)--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1972 में गठित उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए राज्य सरकार की एनामली कमेटी ने जो संस्तुतियां की थीं, उन्हें कृषि विभाग में लागू कर दिया गया है ?

यदि हां, तो वर्ग 1, 2 व 3 के कितने कर्मचारियों को सलेक्शन ग्रेड दिया गया है ? यदि नहीं, तो इस विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है और सरकार यह ग्रेड कब तक दिलाने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हां ।

अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 1 तथा 2 के लिए क्रमशः 64 व 281 सेलेक्शन ग्रेड के पद स्वीकृत किए गए हैं । अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–3 के लिए उक्त समिति द्वारा सेलेक्शन ग्रेड देने की संस्तुति नहीं की गई थी । इसलिए एनामली कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर इस वर्ग के लिए सेलेक्शन ग्रेड के आदेश जारी नहीं किये गये । विलम्ब का प्रश्न नहीं है ।

वि किसान सहकारी चीनी मिल, सठियांव जिला आजमगढ़ में गन्ना मूल्य का भुगतान

*32—श्री हरिशचन्द्र—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसान सहकारी चीनी मिल, सठियांव, जिला आजमगढ़ ने वर्तमान सीजन में गन्ने के मूल्य का भुगतान किस महीने तक कर दिया है ? किसानों का कितना देय धन अभी भुगतान करने के लिए शेष है ? उनका भुगतान कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

वि किसान सहकारी चीनी मिल, सठियांव, जिला आजमगढ़ ने वर्तमान सीजन में गन्ने के मूल्य का भुगतान दिसम्बर, 1978 तक का कर दिया है । वर्तमान सीजन का 50.96 लाख रुपया अभी भुगतान करने के लिए शेष है । उक्त अवशेष के भुगतान के लिए प्रयास किया जा रहा है ।

देवरिया जिले में मसालों पर शोध कार्य हेतु फार्म

*33—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री विश्वनाथ पांडेय—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में कोई 200 एकड़ का फार्म मसालों पर शोध कार्य करने के लिए खोला गया है ? अगर हां, तो उसकी क्या प्रगति है । उक्त शोध कार्य के लिए कितने व्यक्ति किस–किस पद पर नियुक्त किए गए हैं और उनकी योग्यताएं क्या हैं ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के गन्ना ग्राम सेवकों की सेलेक्शन ग्रेड सूची

*34—श्री जयराम (जिला गाजीपुर)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गाजीपुर में कितने गन्ना ग्राम सेवक ऐसे हैं जो ज्येष्ठ हैं परन्तु उनका नाम 20 अप्रैल, 1979 को प्रकाशित सेलेक्शन ग्रेड सूची में नहीं हैं ? इसका क्या कारण है और इसे ठीक कराने के लिए सरकार क्या कर रही है ? क्या इस सम्बन्ध में विधायक (श्री देवराम) ने

5 मार्च, 1979 को संयुक्त गन्ना आयुक्त, लखनऊ को तथा 8 मार्च, 1979 को नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड्स मन्त्री ने गन्ना विकास मन्त्री जी को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शिव मंगल सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् एवं समितियों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें

*35--श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)--

क्या कृषि मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् एवं मण्डी समितियों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें लागू की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? और कब तक लागू कर दी जावेंगी ?

श्री शिव मंगल सिंह--

जी हां । कर्मचारियों की सेवा शर्तें नियुक्ति के समय नियुक्ति आदेश में लिख दी जाती हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*36--श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री दयाराम भास्कर--

[4-6-79 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत उत्तरित]

बड़हलगंज में बस स्टेशन के निर्माण पर विचार

*37--श्री कल्पनाथ सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दोहरी घाट डिपो क्षेत्र, आजमगढ़ के अन्तर्गत बरहलगंज में बस स्टेशन बनाने का मामला शासन एवं विभाग की जानकारी में कब से है और इस सम्बन्ध में कब-कब क्या कार्यवाही की गई है ? क्या मन्त्री जी को यह भी ज्ञात है कि बरहलगंज के बस स्टेशन के लिए ग्राम प्रधान बुढ़नपुरा ने कोई जमीन बिना कीमत के देने का प्रस्ताव किया है ? क्या उस जमीन को नीची भूमि कह कर छोड़ा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जमीन को पाट कर बनाने में क्या कठिनाई है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हां । बड़हलगंज में पहले बस स्टेशन बनाने का विचार था परन्तु सन् 1972 में दोहरीघाट, बरहलगंज के बीच घाघर पर पक्का पुल बन जाने के फलस्वरूप यात्रियों को बरहलगंज और दोहरीघाट के बीच जाने की असुविधा समाप्त हो गई । अब उपयुक्त भूमि मिलने पर बरहलगंज में एक छोटा बुकिंग आफिस निर्मित किए जाने का मामला निगम के विचाराधीन है ।

ग्राम प्रधान चिल्लूपार जनपद गोरखपुर ने लगभग 2.31 एकड़ भूमि बिना कीमत देने का प्रस्ताव किया है परन्तु निरीक्षण करने पर सड़क से काफी नीची भूमि होने के कारण पाटने के व्यय भार को देखते हुए उसे अनुपयुक्त पाया गया ।

पब्लिक सर्विस कमीशन से पशु चिकित्सकों की नियुक्ति

*38—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या पशुधन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1977 में पब्लिक सर्विस कमीशन से पशु चिकित्सकों को चुनकर सरकार को नियुक्ति के लिए भेजा है ? यदि हां, तो उसमें से कितने लोगों की नियुक्ति हुई और बाकी की नियुक्ति में क्या बाधा है ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

भटनी गन्ना समिति, जनपद देवरिया में मुख्य जांच दल अधिकारी द्वारा जांच

*39—श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोन्डा)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भटनी गन्ना समिति, जनपद देवरिया में मुख्य जाँच दल अधिकारी द्वारा कोई जांच दिनांक 10 सितम्बर, 1978 को की गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

श्री शिव मंगल सिंह—

प्रश्नगत समिति में मुख्य जांच दल अधिकारी द्वारा कोई जांच दिनांक 10-9-78 को नहीं अपितु प्राप्त शिकायती पत्र पर दिनांक 12-8-78 से 15-8-78 तक मुख्य जांच दल अधिकारी द्वारा जांच की गई थी; जांच में समिति में डेलीगेटों के चुनाव, गन्ना पूर्ति, समिति कोष से दिए गए अग्रिम धन के दुरुपयोग आदि से सम्बन्धित अनियमितायें प्रकाश में आई थी ।

उक्त अनियमितताओं के आधार पर पाये गये दोषी तीन गन्ना विकास निरीक्षकों, तीन गन्ना ग्राम सेवकों, एक ज्येष्ठ विकास निरीक्षक तथा लेखाकार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के साथ ही एक कोषाध्यक्ष को निलम्बित करने एवं एक अस्थायी लिपिक की सेवा समाप्त करने के निदेश दिए गए हैं । इसके अतिरिक्त प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष एवं एक सदस्य के विरुद्ध सहकारी अधिनियम, 1965 की धारा 38 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के आदेश दिए गए हैं ।

*40—श्री भगवान सिंह—

[21-5-79 को अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत उत्तरित ।]

पशुपालन विभाग, रायबरेली में सेवा निवृत ए० डी० ओ० एवं उनके भविष्य निधि का भुगतान

*41—श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई)—

क्या पशुपालन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली से कितने ए० डी० ओ० (एच) पशुपालन विभाग से वर्ष 1976 में रिटायर हुए ? क्या यह सही है कि अभी तक उनके फन्ड, ग्रेच्युटी, पेन्शन आदि उपलब्धियों का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? भुगतान कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

केवल एक सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) श्री जफर अली सिद्दीकी दिनांक 31-8-76 को सेवा निवृत्त हुये। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश ने अन्तिम रूप से श्री सिद्दीकी को पेन्शन व ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु आदेश जारी कर दिये हैं। महालेखाकार ने इनको जी0 पी0 एफ0 के रु0 8105 के भुगतान के आदेश भी जारी कर दिये हैं।

कृषि सेवा वर्ग 3 में ज्येष्ठता सूची के आधार पर कर्मचारियों की पदोन्नति

*42—श्री बिहारी लाल हंस—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कृषि विभाग में वर्ग तीन के कर्मचारियों का प्रथम ज्येष्ठता सूची से किस क्रम तक पदोन्नति हुयी है ? क्या यह सही है कि इस बीच आने वाले बहुत से कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश प्रसारित नहीं हुये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-3 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची भाग एक के क्रमांक 1,600 तक अंकित कर्मचारियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा चुका है। इस बीच आने वाले कुछ कर्मचारियों के आदेश प्रतिकूल प्रविष्टियों के होने, अन्य विभाग में चले जाने, तथा गबन के मामले में सम्बद्ध होने के कारण नहीं प्रसारित किये गये हैं।

ग्राम सियरापार, जिला बस्ती की भूमि पर पैदावार तथा उसके आय व व्यय

*43—श्री ओम प्रकाश—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि बस्ती जिले में वाल्टरगंज के पास ग्राम सियरापार में आम तथा अमरूद शोध योजना अन्तर्गत सन् 1972-73 से 65 एकड़ भूमि पर उद्यान विभाग का कब्जा चला आ रहा है और उपरोक्त 65 एकड़ भूमि पर लगातार 1972-73 वर्ष से ही विभागीय ट्रैक्टर तथा माली आदि द्वारा चना, मटर, गेहूं, अरहर आदि फसलें पैदा की जाती हैं ? वर्ष 1972-73 से 1978-79 तक 65 एकड़ पर खेती कराने में कुल कितना धन व्यय किया गया और कितनी आमदनी वर्षवार हुई ? क्या यह सही है कि इसकी कुल आमदनी किसी उच्च अधिकारी की जेब में जाती है ? यदि हां, तो क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह—

वर्ष 1972-73 में नहीं वरन् वर्ष 1973-74 में जिला बस्ती के ग्राम सियरापार की 53·34 एकड़ भूमि पर कब्जा मिला था किन्तु उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 30 जुलाई, 1973 के परिणामस्वरूप केवल 24·05 एकड़ भूमि पर कब्जा रह गया जिसमें सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इस भूमि पर बीजू पौधे रोपित किये जाते हैं तथा इन्टर क्रापिंग के रूप में बना,

अरहर तथा सरसों जैसी फसलें जो, असिंचित भूमि पर उग सकती हैं, उगायी जाती हैं । आय तथा व्यय का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	आय	व्यय
	रु०	रु०
1973–74	3,898·80	1,850·47
1974–75	6,842·02	1,542·70
1975–76	4,770·00	1,366–99
1976–77	3,913·80	2,100·90
1977–78	2,461·05	1,658·26
1978–79	2,534·10	807·88
योग ..	24,419·7.	9,327·20

आमदनी किसी अधिकारी की जेब में नहीं जाती है ।

एस० के० सिंह, सेवा निवृत अधिकारी पर बकाया धनराशि का चार्ज

*44—श्री ओम प्रकाश—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उद्यान एवं फल अनुसन्धान विभाग के एक श्रेणी–2 के अधिकारी (श्री एस० के० सिंह) जिन्हें कम्पलसरी रिटायरमेन्ट दे दिया गया है उनके विरुद्ध एक लाख रुपये बकाया वसूल न होने का चार्ज था जिसे हाई कोर्ट ने निदेशक, उद्यान विभाग की लापरवाही के कारण यह एक लाख रुपये निदेशक, से ही वसूल करने का कोई निर्देश दिया है ? यदि हां, तो अब तक शासन ने उपरोक्त एक लाख रुपये की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की है ? क्या यह सही है कि यह एक लाख रुपया बट्टा खाता में डाल दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? इस मामले में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी नहीं । श्री एस० के० सिंह, श्रेणी–2 के अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त अधिकारी के विरुद्ध एक लाख रुपये की वसूली का कोई चार्ज नहीं है । माननीय हाई कोर्ट ने तथा कथित एक लाख रु० की वसूली के बारे में कोई निर्देश नहीं दिये हैं । अतएव इस धनराशि की वसूली करने अथवा उसे बट्टे खाते में डालने का प्रश्न नहीं उठता ।

संयुक्त कृषि निदेशक के पदों पर प्रोन्नति

*45—श्री गुलाब सेहरा—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या ए-2226(1)-12(1)-79, दिनांक 3 मई, 1979 के द्वारा संयुक्त कृषि निदेशक के पदों पर पदोन्नति की गई है ? क्या यह भी सही है कि पात्रता के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 15/25/73 रा० एकी०, दिनाँक 10 मई, 1976 में स्पष्ट निदेश होने के बावजूद भी सेवा नियमों में संशोधन न करके पिछड़ी जातियों एवं अनुसूचित जातियों के अधिकारियों को पदोन्नति से वंचित किया गया है ? यदि हां, तो उसके लिए कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं ? क्या कृषि मन्त्री उक्त पदोन्नति आदेश निरस्त करके आरक्षण कोटा के अनुसार पदोन्नति करेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह—

यह सही है कि शासनादेश संख्या ए-1226/12-1-79, दिनांक 3-5-79 द्वारा संयुक्त कृषि निदेशक के पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां की गई हैं। शासनादेश संख्या—15/25/73—रा० एकी०, दिनांक 10-5-76 के निर्देशानुसार कृषि विभाग की प्रासंगिक सेवा नियमावली में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा अन्य विशेष वर्गों के लिए आरक्षण सम्बन्धी प्राविधान करने की कार्यवाही की जा रही है। संयुक्त कृषि निदेशक के पदों पर पदोन्नति के लिए पात्रता क्षेत्र में अनुसूचित जाति का कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं था। पात्रता क्षेत्र में उपलब्ध पिछड़े वर्ग के एकमात्र अधिकारी की पदोन्नति कर दी गई थी। चूंकि पात्रता क्षेत्र में आने वाले समस्त अधिकारियों के मामले में विचार करने के बाद पदोन्नति के आदेश दिये गये थे इसलिये उक्त शासनादेश को निरस्त करने का कोई आधार नहीं है और इस विषय में किसी अधिकारी के, उत्तरदायी होने का प्रश्न नहीं है।

अतिरिक्त कृषि निदेशक के पदों पर आरक्षण कोटे के अनुसार पदोन्नति

*46—श्री गुलाब सेहरा—

क्या कृषि मन्त्री यह भी कृपया बतायेंगे कि अतिरिक्त कृषि निदेशक के पदों पर पदोन्नति करते समय पिछड़ी एवं अनुसूचित जातियों के अधिकारियों को आरक्षण कोटा के अनुसार पदोन्नति करेंगे ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

लोक सेवा अधिकरण के आदेश दिनांक 21-5-79 द्वारा अतिरिक्त कृषि निदेशक के पदों पर नियुक्तियां रोक दी गई हैं। अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश वापस किए जाने पर अतिरिक्त कृषि निदेशक के पदों पर पदोन्नति करते समय पिछड़ी एवं अनुसूचित जातियों के अधिकारियों की पदोन्नति के प्रश्न पर कृषि विभाग (ज्येष्ठ पदों पर भर्ती) नियमावली, 1976 के प्राविधानों तथा आरक्षण सम्बन्धी शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

*47—श्री शिव लाल मित्तल—

[7वें सोमवार के लिए स्थगित।]

आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक चिकित्सकों का वेतनमान

*48—श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

क्या ग्राम विकास मन्त्री को जानकारी है कि जिला परिषदीय अधिकार क्षेत्र में संचालित आयुर्वेदिक चिकित्सकों एवं एलोपैथिक चिकित्सकों के वेतन-मानों में अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों ? इसका अविलम्ब दूर करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां ।

वेतन आयोग (1971-73) द्वारा आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक चिकित्सकों के अलग-अलग वेतनमान निर्धारित किये गये हैं ।

जिला परिषदों की आर्थिक स्थिति सोचनीय होने के कारण अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

*49—श्री श्याम दत्त पालीवाल तथा श्री रघुबर दयाल वर्मा—

[7वें सोमवार के लिए स्थगित ।]

*50—श्री हामिद रजा खां—

[7वें सोमवार के लिए स्थगित]

विधान सभा क्षेत्र, जहांगीरगंज में विचाराधीन शीत गृह का निर्माण

*51—श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)—

क्या सहकारिता मन्त्री को इस बात की जानकारी कि फैजाबाद जनपद में टान्डा तहसील के विधान सभा क्षेत्र, जहांगीरगंज में एक भी शीतगृह नहीं है ? यदि हां, तो क्या विधान सभा क्षेत्र, जहांगीरगंज में सहकारिता क्षेत्र में शीघ्र ही शीतगृह बनवाने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

विधान सभा क्षेत्र, जहांगीरगंज में कोई शीतगृह नहीं है ।

इस क्षेत्र में शीतगृह स्थापित करने की उपयुक्तता निश्चित करने के लिये इस क्षेत्र का सर्वे करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

*52—श्री बाबूलाल वर्मा—

[4-6-79 को 29(4) में तारांकित प्रश्न संख्या 1 द्वारा उत्तरित ।]

53—श्री ऊदल—

[7वें सोमवार के लिये स्थगित ।]

*54—श्री श्रीराम द्विवेदी—

[7वें सोमवार के लिए स्थगित ।]

*55—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

ग्राम विकास खास में स्टाकमैन सेन्टर खोलने पर विचार

*56—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या पशुधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के कम्पिल महोत्सव में 5 अक्तूबर, 1978 को तत्कालीन पशुधन मन्त्री जी ने एक जनसभा म जनता को यह आश्वासन दिया था कि अगले बजट सत्र में ग्राम विकास खास में पशुधन विकास हेतु स्टाकमैन केन्द्र खोल दिया जायेगा ? क्या उक्त मन्त्री जी ने वर्तमान मन्त्री को उक्त सूचना एक पत्र द्वारा मार्च, 1979 को भी दे दी थी ? यदि हां, तो अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्या वहां स्टाकमैन केन्द्र खोला जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

जी हां । स्टाकमैन सेन्टर खोलने पर विचार किया जा रहा है ।

*57—श्री मिठाई लाल—

[6ठें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम, शाखा भटनी पर किसानों की बकाया धनराशि

*58—श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया) श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर) तथा श्री बसन्त (जिला देवरिया)—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम शाखा भटनी पर किसानों का लगभग 30 लाख रुपया बकाया पड़ा है उसकी भुगतान की व्यवस्था अब तक नहीं की गई ? यदि हां, तो भुगतान की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ? क्या गन्ना विकास मन्त्री बतायेंगे कि प्रबन्धक के विरुद्ध 1977-78 व 1978-79 में धन अर्जित करने एवं अनियमित कार्य से सम्बन्धित जन प्रतिनिधि गन्ना किसानों का आवेदन-पत्र शासन को इस वर्ष प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शिव मंगल सिंह—

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम शाखा, भटनी पर दिनांक 31-5-79 तक निम्नांकित धनराशि बकाया है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	गन्ना मूल्य	ब्याज	योग
1977-78 ..	0·16	0·97	1·13
1978-79 ..	24·19	1·16	25·35
योग ..	24·35	2·13	26·48

उक्त अवशेष के भुगतान के प्रयास किये जा रहे हैं । पुराने अवशेष के भुगतान हेतु इस मिल को 7 लाख रुपये का ऋण भी दिया गया है । प्रबन्धक

के विरुद्ध वर्ष 1977–78 व 1978–79 में धन अर्जित करने एवं अनियमित कार्य से सम्बन्धित जन प्रतिनिधि गन्ना किसानों का कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

*59—श्री मौजीलाल कुरील—

[7वें सोमवार के लिए स्थगित ।]

पशु चिकित्सालय के डाक्टर व अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

*60—श्री रामकृष्ण (जिला जौनपुर) तथा श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)—

क्या पशुधन मन्त्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ में स्थित सरोजिनी नायडू मार्ग पर पशु चिकित्सालय के डाक्टर व अधिकारी द्वारा पशुओं की लापरवाही से चिकित्सा करने के कारण कई पशुओं की जानें 1978–79 में गयीं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करा कर दोषी डाक्टर व अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला सहकारी बैंक, प्रतापगढ़ के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*61—श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़) श्री रामदेव दुबे तथा श्री हरिकेवल प्रसाद—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4 मई, 1979 को जिला सहकारी बैंक, प्रतापगढ़ के अध्यक्ष के विरुद्ध उनकी अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनपद के भी विधायकों तथा संचालक मण्डल के 9 सदस्यों नें अपने संयुक्त हस्ताक्षर से एक मेमोरंडम मन्त्री जी को दिया है ? क्या यह सही है कि उस मेमोरंडम की प्रतियां मुख्य मन्त्री तथा जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को भेजी गयीं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां, मुख्य मंत्री जी तथा सहकारिता मन्त्री जी को सम्बोधित मेमोरन्डम प्राप्त हुए थे । शिकायतों की जांच उप निबन्धक, सहकारी समितियां, फैजाबाद मण्डल द्वारा कराई जा रही है ।

भूतपूर्व संयुक्त कृषि निदेशक श्री सोहनवीर सिंह द्वारा राजकीय सुविधाओं के उपयोग की जांच

*62— रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री सोहनवीर सिंह, भूतपूर्व संयुक्त कृषि निदेशक 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद रिटायर होने पर भी राजकीय सुविधाओं जैसे टेलीफोन, जीप एवं कार्यालय का उपयोग कर रहे हैं ? यदि हां, तो किस हैसियत से ? क्या यह सही है कि उनको बीज निगम में नियक्त किए जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह--

श्री मोहन वीर सिंह, भूतपूर्व संयुक्त कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) ने 58 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् दिनांक 31-1-78 को सेवा-निवृत्त होने के उपरान्त भी टेलीफोन एवं सरकारी जीप का प्रयोग किया। इस पर व्यय हुयी धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

58 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद श्री सिंह को बीज निगम में नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

चीनी मिलों द्वारा गर्म जल यन्त्र का क्रय

*63--श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या परिवहन बतलाने की कृपा करेगी कि गत 3 वर्षों में प्रदेश के 85 चीनी मिलों के लिए हाट वाटर ट्रीटमेंट जिसकी लागत 15 हजार रुपया होती है, बिना टेंडर लिए 70 हजार रुपए के खरीदे गए हैं? यदि हां, तो शासन इस घोटाले की जांच कराकर दोषियों, दोषी व्यक्तियों को कठोर दण्ड दिलाएगी?

श्री शिव मंगल सिंह--

गर्म जल यंत्र का क्रय चीनी मिलों द्वारा स्वयं किया जाता है और विभाग द्वारा निर्धारित दर 25,000 रु० से 34,000 रुपये तक की धनराशि 2/3 शासकीय अंश के रूप में इन मिलों को यंत्र चालित होने पर दे दिया जाता है।

जिला सहकारी विकास संघ, बहराइच द्वारा निर्मित क्षतिग्रस्त कोल्ड स्टोरेज तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध जांच

*64-- श्री छेदीलाल (जिला गोन्डा) तथा श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)--

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला सहकारी विकास संघ, बहराइच द्वारा निर्मित कोल्ड स्टोरेज क्षतिग्रस्त हो गया है? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से लोग दोषी हैं और उनके विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

अब तक की गई जांच के आधार पर संस्था के सचिव श्री राजनारायण दोषी पाये गये जिन्हें निलम्बित कर दिया गया है।

*65--श्री मानपाल सिंह एडवोकेट--

[नियम 29 (4) में तारांकित प्रश्न संख्या 4 की पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

*66--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

[छठे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

श्री हरी सिंह, गन्ना पर्यवेक्षक, जिला गोंडा की सेवा-निवृति

*67--श्री ओम प्रकाश--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा के गन्ना सुपरवाइजर (श्री हरी सिंह) को आपातकाल में 15 सितम्बर, 1975 को 53 वर्ष की आयु में बिना किसी खराब वार्षिक प्रविष्टि के जबरिया सेवा मुक्त करने के सम्बन्ध में 25 जुलाई, 1978 को शाह आयोग ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को पत्र संख्या 91-यू० पी०/201/77/ए०ए०/190-एल-38 में पुनर्विचार के लिए लिखा और मुख्य सचिव ने गन्ना सचिव को 11 जुलाई, 1978 को पत्र संख्या 107/1/11/78-सी-6 के अनुसार सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए लिखा है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में शासन ने क्या कोई निर्णय लिया ? यदि नहीं, तो इतने विलम्ब के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्री शिवमंगल सिंह--

श्री हरी सिंह, गन्ना पर्यवेक्षक, जिला गोण्डा को स्क्रीनिंग के अन्तर्गत दिनांक 15-9-75 को, उनके नियुक्ति प्राधिकारी, उप गन्ना आयुक्त (मध्यक्षेत्र) द्वारा सेवा निवृत्त किया गया था । इस सम्बन्ध में शाह जांच आयोग/शासन को प्रेषित उनकी प्रार्थना के संदर्भ में गन्ना आयुक्त द्वारा मामले का परीक्षणोपरान्त श्री सिंह का सेवा निवृत्ति विरुद्ध प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए तत्सम्बन्धी सेवा निवृत्ति के आदेश निरस्त कर के उनके पद पर पदारूढ़ किये जाने के आदेश दिनांक 4-6-79 को जारी कर दिये गये है ।

*68-69--श्री हरि चरण यादव--

[7वें सोमवार के लिए स्थगित ।]

*70--श्री बिन्दू लाल--

[7वें सोमवार के लिए स्थगित ।]

फर्रुखाबाद में गंगा दरवाजे से टीका घाट तक सड़क निर्माण

*71--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या सरकार को यह जानकारी है कि फर्रुखाबाद में गंगा दरवाजे से टीका घाट तक की सड़क पुनः निर्माण के लिए वर्ष 1978-79 में एक लाख रुपया स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो अभी तक उक्त कार्य प्रारम्भ न करने का क्या कारण है ?

श्री जमुना प्रसाद--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि में विकास का कार्य हेतु 'भूमि सेना' का गठन

*72--श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री ईशदत्त यादव (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार ने वर्ष 1978 में 'भूमि सेना' का गठन किया है ? यदि 'सेना' नहीं गठित हुई है तो क्यों ? इस सेना द्वारा अब तक परती जमीनें कृषि योग्य बनाने के लिए कितनी भूमि में विकास का कार्य किया गया है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

आवश्यक प्रक्रियाओं के पूर्ण न होने के कारण वर्ष 1978 में 'भूमि सेना' गठित नहीं हो सकी । अतः सेना द्वारा परती जमीन पर विकास कार्य किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री मकीनन तिवारी, पशुधन विकास सहायक, पशु चिकित्सालय, महराजगंज के विरुद्ध शिकायतों की जाँच

*73—श्री अब्दुल हफीज (जिला फैजाबाद)—

क्या पशुधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के पशु चिकित्सालय, महराजगंज के पशुधन विकास सहायक (श्री मकीनन तिवारी) के विरुद्ध अप्रैल, मई, 1978 में कितनी शिकायतें गबन करने, अनुशासनहीनता बरतने एवं अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने आदि के सम्बन्ध में जिला पशुधन अधिकारी, गोरखपुर को प्राप्त हुई ? उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

श्री मकीनन तिवारी, पशुधन विकास सहायक, पशुचिकित्सालय, महराजगंज के विरुद्ध अप्रैल, मई, 1978 में गबन करने, अनुशासनहीनता बरतने एवं अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने आदि के सम्बन्ध में कुल 9 शिकायती-पत्र प्राप्त हुये जाँच के पश्चात् श्री तिवारी को कठोर चेतावनी दी गई, महराजगंज से स्थानान्तरित कर दिया गया तथा भंडार के भौतिक सत्यापन में पाई गई कमी हेतु 247 रु० की वसूली के आदेश भी दिए गए । उक्त धनराशि में से 107 रु० उनसे वसूल भी किया जा चुका है ।

अतारांकित प्रश्न

हरदोई फार्म के कोष लिपिक को नकदीकरण अवकाश की अस्वीकृति

1—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री बतायेंगे कि कृषि विभाग में कोष लिपिकों, निदेशक के ई० आर० अनुभाग तथा अन्य अनुभागों में अवकाश के नकदीकरण के विशेष वेतन देने की व्यवस्था है ? यदि हाँ, तो हरदोई फार्म के कोष लिपिक को उक्त सुविधा से वंचित किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि मुख्य प्रशासन अनुभाग द्वारा हरदोई के लिए लिखित रूप में उक्त सुविधा न दिए जाने के निदेश दिये गये हैं ? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री शिव मंगल सिंह—

नकदीकरण अवकाश की स्वीकृति तथा अवकाश वेतन का भुगतान वित्त सा०-4 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 1973 के अनुसार दिया जाता है । हरदोई के कोष लिपिक को अनुमन्य सुविधा से वंचित नहीं किया गया था बल्कि पूर्व में गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप हुये अतिरिक्त धनराशि के भुगतान की वसूली के विरुद्ध इसे समायोजित किया गया था ।

2—श्री बाबू लाल वर्मा—

(7वें सोमवार के लिये स्थगित ।)

3—डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

(5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 69 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।)

4—श्री गौरी शंकर भैया तथा श्री राम गोबिन—

(7वें सोमवार के लिये स्थगित ।)

5—श्री राम सजीवन—

(7 वें सोमवार के लिए स्थगित ।)

गांव प्रधान श्री सरयू प्रसाद तिवारी व सहायक विकास अधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

6—श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़) तथा कुंवर तेज भान सिंह (जिला प्रतापगढ़)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को श्री राम दास पटेल, उप प्रधान, गांव यादव पट्टी, विकास खण्ड कुन्डा, जिला प्रतापगढ़ का कोई शिकायती-पत्र गांव प्रधान, यादव पट्टी, पंचायत मन्त्री (श्री सरयू प्रसाद तिवारी) व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) कुन्डा, प्रतापगढ़ के खिलाफ दिनांक 13 सितम्बर, 1978 का अनियमितता के सम्बन्ध में मिला है ? अगर हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां ।

जांच कराई जा रही है ।

कृषि विभाग में मिनिस्ट्रियल एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारी

7—श्री गुलाब सेहरा—

क्या कृषि मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पद मिनिस्ट्रियल एवं चतुर्थ श्रेणी (लेखाकार, सहायक लेखाकार, वरिष्ठ प्रधान लिपिक, कनिष्ठ लिपिक व चतुर्थ श्रेणी) के हैं, उनमें से कितने पद अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों से भरे गये हैं ?

श्री शिव मंगल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कृषि विभाग में राजपत्रित पदों पर अनुसूचित जाति के अधिकारी

8—श्री गुलाब सेहरा—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पद राजपत्रित (कक्षा 1, 2) हैं, उनमें से कितने पद अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों से भरे गए हैं ?

श्री शिव मंगल सिंह--

कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश (कृषि निदेशक संगठन) में उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी--1 के विभिन्न सम्वर्गों में कुल 128 पद स्वीकृत हैं जिसमें 98 पदों पर अधिकारी कार्यरत हैं। शेष पद रिक्त हैं। भरे हुये पदों में 4 पदों पर अनूसूचित जाति के अधिकारी कार्यरत हैं। जनजाति का कोई अधिकारी कार्यरत नहीं है।

उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी--2 के विभिन्न सम्वर्गों में कुल 598 पद स्वीकृत हैं। इसमें से 534 पदों पर अधिकारी कार्यरत हैं, शेष पद रिक्त हैं। भरे हुए पदों में से 43 पदों पर अनुसूचित जाति के अधिकारी कार्यरत हैं। जनजाति का कोई अधिकारी कार्यरत नहीं है।

कृषि विभाग में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग (1, 2 व 3) में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारी

9--श्री गुलाब सेहरा--

क्या कृषि मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पद अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग (1, 2 व 3) के हैं? उनमें से कितने पद अनुसूचित जाति/जन जाति के कर्मचारियों से भरे हैं?

श्री शिव मंगल सिंह--

कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग--1, 2 तथा 3 के कुल 14,929 पद हैं जिनमें से 960 पद अनुसूचित जाति के कर्मचारियों तथा 5 पद अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों से भरे हैं।

10--श्री राज किशोर तिवारी--

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।)

बलिया जिले में कुंओं का निर्माण

11--श्री राम गोबिन (जिला बलिया) तथा श्री गौरी शंकर भैया (जिला बलिया)--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि बलिया जनपद में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1977-78 एवं 1978-79 में प्रत्येक विकास खण्ड के ग्राम सभाओं में कितने कुंआ बनाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी? उनमें से प्रत्येक ब्लाक में कितने कुंओं का निर्माण किया जा चुका है? तथा बाकी के निर्मित न होने का कारण क्या है?

श्री जमुना प्रसाद--

वर्ष 1977-78 में शासन द्वारा बलिया जिले में 84 कूप स्वीकृत किए गए। इनमें से 70 कूप पूर्ण बन चुके हैं। 14 कूप निर्माणाधीन हैं जिनमें से 4 में 90 प्रतिशत, 5 में 50 प्रतिशत व 5 में 25 प्रतिशत कार्य हुआ है।

वर्ष 1978–79 में जनपद बलिया में 250 कूप स्वीकृत हुए जिनमें 4 कूप बन चुके हैं। 215 कूप निर्माणाधीन हैं इनमें 52 कूप 50 प्रतिशत व 163 कूपों में 25 प्रतिशत कार्य हुआ है। 31 कूपों म कार्य प्रारम्भ होना है।

उक्त दोनों वर्षों में विकास खंडवार स्वीकृत एवं निर्मित कूपों की संख्या संलग्न तालिका में अंकित है।

अवशेष कूपों के निर्मित न होने का कारण यह है कि बलिया जनपद में जून से अक्टूबर तक बाढ़ से प्रभावित रहा तथा अक्तूबर से मार्च तक जलस्तर बहुत ऊंचा रहा है। अप्रैल से समस्त कूपों पर कार्य लगाया गया है।

*(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1263 पर)

श्री बी0 एन0 श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी, ललितपुर द्वारा चौकीदार के क्वार्टर का आवास हेतु प्रयोग

12—रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977–78 में कार्यरत श्री बी0 एन0 श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी जिला परिषद् में नवनिर्मित चौकीदार के क्वार्टर में रहे ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत चौकीदार को न देकर उन्हें प्रदत्त किया गया ? क्या इस बीच में नियमित किराये का भुगतान होता रहा ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री जमुना प्रसाद—

श्री बी0 एन0 श्रीवास्तव, तत्कालीन जिला विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्, ललितपुर आवासीय भवनों की कमी के कारण, चौकीदार नामक क्वार्टर में दिनांक 24–11–77 से 26–6–78 तक, अध्यक्ष, जिला परिषद् की मौखिक अनुमति से रहे तथा पूर्व निर्धारित दर से किराये का भुगतान करते रहे।

श्री बी0 एन0 श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी द्वारा फर्नीचर की खरीद

13—श्री रणवीर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतानें की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977–78 में कार्यरत श्री बी0 एन0 श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी ने जो लगभग 60 हजार रुपयों क फर्नीचर खरीदा वह पंचायत उद्योग, झांसी (ललितपुर) से क्रय न कर श्री शान्ति प्रसाद ऐण्ड सन्स, झांसी से खरीदा ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

वितीय वर्ष 1977–78 में केवल 8,440 60 रु0 का फर्नीचर खरीदा गया और वह श्री शान्ति प्रसाद एण्ड सन्स, झांसी से नहीं खरीदा गया।

भूमि विकास बैंक, शाहजहांपुर के, मकान मालिक व प्रबन्धक में भवन सम्बन्धी विवाद तथा प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही

14—श्री राजकुमार शर्मा—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमि विकास बैंक, शाहजहांपुर शाखा के भवन सम्बन्धी विवाद पर जो मकान मालिक और प्रबन्धक के बीच था, प्रधान कार्यालय ने अपना निर्णय 16 जुलाई, 1977 को दिया था उस पर शाखा प्रबन्धक ने अब तक अमल क्यों नहीं किया ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

भूमि विकास बैंक शाहजहाँपुर शाखा के भवन सम्बन्धी विवाद, जो मकान मालिक और प्रबन्धक के बीच था, वह उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि० बरेली के क्षत्रीय प्रबन्धक की मौजूदगी में, दिनांक 30-4-79 को एक लिखित समझौते पर मकान मालिक तथा प्रबन्धक के हस्ताक्षर हो जाने के फलस्वरूप समाप्त हो गया है ।

15—श्री राज कुमार शर्मा—

क्या सहकारिता मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विषय में मकान मालिक ने 30 अगस्त, 1978 को तथा प्रश्नकर्त्ता विधायक ने 7-9-78, 7-12-78 व 27-12-78 को सहकारिता मन्त्री को जो पत्र दिए उन पर क्या कार्यवाही की गयी । निर्णय का पालन न करने के कारण क्या शाखा प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

चूंकि, मकान मालिक तथा प्रबन्धक के बीच भवन सम्बन्धी विवाद अब समाप्त हो गया है, अतः शाखा प्रबन्धक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

गन्ना कर्मचारी महासंघ की मांगें

16—श्री राजकुमार शर्मा—

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना कर्मचारी महासंघ, उत्तर प्रदेश की ओर से 5 जनवरी, 1979 को और इससे पूर्व 12 मांगों का आवेदन-पत्र गन्ना आयुक्त को और उसकी प्रतिलिपियाँ गन्ना विकास मन्त्री तथा मुख्य मन्त्री को दी गयी थीं तथा प्रश्नकर्त्ता विधायक ने महासंघ की मांगों के सम्बन्ध में 10 जनवरी, 1979 को गन्ना आयुक्त व गन्ना विकास मन्त्री को पत्र लिखे थे, उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? महासंघ के प्रतिनिधियों से मन्त्री और आयुक्त आदि की कितनी बार और क्या वार्तायें हुयीं ?

श्री शिव मंगल सिंह—

गन्ना कर्मचारी महासंघ, उत्तर प्रदेश की ओर से 12 सूत्रीय मांग-पत्र गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश तथा गन्ना विकास मन्त्री एवं अन्य को दिया गया । इन मांगों पर विचार करने के लिये संयुक्त परामर्शदात्री समिति का गठन गन्ना आयुक्त द्वारा दिनांक 5-2-79 को किया गया ।

उक्त गठित परामर्शदात्री समिति द्वारा कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट दे दी है, जो गन्ना आयुक्त के विचाराधीन है ।

जनपद फैजाबाद में पंचायत सेवकों का चुनाव

17—श्री मित्रसेन—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मार्च, वर्ष 1979 जनपद फैजाबाद में पंचायत सेवकों का कोई चुनाव हुआ है ? यदि हाँ, तो चुनाव अधिकारी कौन थे ? कितने पंचायत सेवकों को विभागीय सेवा में लिया गया, क्या इस पद हेतु प्रकाशन विधिवत् समाचार पत्रों में किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हाँ । चुनाव चयन समिति द्वारा किया गया, जिसके जिला विकास अधिकारी, अध्यक्ष, अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, जिला परिषद् तथा जिला पंचायत राज अधिकारी, सदस्य थे । दिनाँक 31-5-79 तक 34 को सेवा में लिया जा चुका है ।

जी नहीं । इसका प्रचार जनपद के समस्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर लगवा कर कराया गया ।

नियमानुसार आवश्यकता नहीं है ।

18-19—श्री ऊदल—

(7वें सोमवार के लिए स्थगित ।)

खाद्यान्न योजनान्तर्गत बलिया जनपद में निर्मित सड़क

20—श्री गौरी शंकर भैया तथा श्री राम गोबिन—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में सन् 1978-79 में खाद्यान योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लाक में सम्पर्क मार्ग बनाने के लिए कितनी कि0 मी0 सड़कें स्वीकृत की गयी थी ? उनमें से प्रत्येक ब्लाक में कितनी कि0 मी0 सड़कों का निर्माण किया जा चुका है ? बाकी के निर्माण में विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री जमुना प्रसाद—

श्रम हेतु खाद्यान योजना के अन्तर्गत बलिया जनपद में वर्ष 1978-79 में कुल 111.85 किलोमीटर लम्बे सम्पर्क मार्ग स्वीकृत किये गये जिसमें से उक्त अवधि तक कुल 46.920 किलोमीटर पर कार्य हुआ है जिनकी विकास खन्डवार सूची *संलग्न है । शेष मार्गों के निर्माण कार्यों में विलम्ब का कारण दिसम्बर, 1978 में अधिकांश कार्यों का स्वीकृत होना, मार्ग से सम्बन्धित कृषकों का विवाद, भूमि न देने हेतु मुकदमेबाजी, मौके पर मार्ग का अतिक्रमण, मिट्टी का न मिलना प्राविधिक कार्यों में देख-रेख की कठिनाई एवं जनपद के कुछ विकास खन्डों में निर्धारित दर पर मजदूरों का न मिलना है ।

---

*देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1270 पर ।

खाद्यान्न योजनान्तर्गत जनपद बहराइच तथा सिरसिया ब्लाक में निर्मित सड़क

21—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शासन को जानकारी है कि "खाद्यान्न योजना" के अधीन बहराइच जनपद में कितनी और कौन-कौन सड़कें विकास खन्डवार मिट्टी का कार्य करने हेतु पिछले एक साल के अन्दर चयन किया गया और उनमें से सिरसिया ब्लाक में विकास खन्ड द्वारा कितने किलोमीटर कौन-कौन सड़क बनाई गयी ? समिति द्वारा प्रस्तावित एवं स्वीकृत सड़कें अभी तक पूरी न होने का क्या कारण है तथा उसके लिए कौन-कौन दोषी हैं ?

श्री जमुना प्रसाद—

श्रम हेतु खाद्यान्न योजना अन्तर्गत जनपद बहराइच में पिछले एक साल के अन्दर निर्माण हेतु चयनित विकास खन्डवार सम्पर्क मार्गों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न* है। सिरसिया ब्लाक में निर्माण हेतु चयनित सम्पर्क मार्ग निम्नाँकित हैं :—

1—सिरसिया से बालापुर तक 4 कि0 मी0।

2—सिरसिया से जौगढ़ तक 4.500 कि0 मी0।

3—लक्ष्मनपुर बाजार से जोखवा तक 6 कि0 मी0।

विकास खन्ड अधिकारी सिरसिया द्वारा सिरसिया से जौगढ़ की सड़क पर माह फरवरी, 1979 में कार्य आरम्भ कराया गया। लगभग 0.325 कि0 मी0 सड़क बनी। समिति द्वारा प्रस्तावित व स्वीकृत सड़कें मार्च, अप्रल, 1979 से रबी की कटाई, मड़ाई व लगन विवाह आदि पड़ने के कारण मजदूरों के न मिलने एवं गर्मी में मिट्टी सूखकर कड़ी होने के कारण खुदाई में मजदूरी पूरी न पड़ने के कारण अभी तक पूरी नहीं हो सकी है।

22—श्री सुमेर चन्द्र गोयल (जिला सहारनपुर)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर भूमि विकास बैंक कार्यालय भवन का करीब 2/3 भाग इसके शाखा प्रबन्धक निजी परिवार की रिहाइश में ला रहे हैं ? यदि हां, तो किराया का कितना भाग व बिजली, पानी का रुपया अदा कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

शाहजहांपुर भूमि विकास बैंक के कार्यालय भवन के आठ कमरों में से, तीन कमरे शाखा प्रबन्धक द्वारा आवासीय प्रयोग में लाया जा रहा है। शाखा प्रबन्धक से इसका किराया, नियमानुसार उनके मूल वेतन का 10 प्रतिशत लिया जाता है, इन्हें मकान किराया भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। बिजली का खर्च भी, मीटर रीडिंग के अनुसार शाखा प्रबन्धक द्वारा ही वहन किया जाता है। जल कर की कोई वसूली उनसे नहीं की जाती है।

23—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

[7वें सोमवार के लिए स्थगित।]

*छापी नहीं गई।

प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा गन्ना आपूर्ति के मूल्य का भुगतान

24—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर), श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया) तथा श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी भी प्रदेश में ऐसी चीनी मिलें कौन-कौन हैं जो कि गन्ना आपूर्ति (चालू) का भुगतान नहीं कर रही हैं ।

श्री शिव मंगल सिंह—

सहकारी चीनी मिल रमाला जिसने प्रथम बार इस सत्र में अप्रैल, 1979 से पिराई प्रारम्भ की है, को छोड़कर प्रदेश की सभी चीनी मिलें सत्र 1978-79 म हुई गन्ना आपूर्ति के मूल्य का भुगतान कर रही हैं ।

जनपद इलाहाबाद की टाउन एरिया मंझनपुर में बस वर्कशाप स्थापित किये जाने की योजना

25—श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की टाउन एरिया मंझनपुर में सन् 1973-74 में कितना धन देकर और कितनी भूमि इस उद्देश्य से खरीदी है कि उक्त भूखन्ड में छोटा बस वर्कशाप स्थापित किया जायेगा ? अब तक उक्त योजना की प्रगति क्या है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इलाहाबाद की टाउन एरिया मंझनपुर में 1973-74 में नहीं बल्कि 1974-1975 में 8,900 रु0 देकर टाउन एरिया से 4 बीघा 9 बिस्वा (2.78 एकड़) भूमि खरीदी गई थी । उक्त भूमि पर वर्कशाप बनाने का प्रस्ताव था । किन्तु भूमि उपयुक्त न होने के कारण उस पर कोई निर्माण नहीं किया गया । इस भूमि को टाउन एरिया कमेटी के पक्ष में त्याग करके उसके बदले में टाउन एरिया को वह भूमि जिस पर वर्तमान बस स्टेशन स्थित है, प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है ।

खिरकिया से शाहबढ़न पीर की मजार (पडरौना) तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण

26—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को जानकारी है कि पडरौना तहसील में खिरकिया से शाहबढ़न पीर की मजार तक के ऐतिहासिक व प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थान तक श्रम के बदले खाद्यान्न योजना में सम्पर्क मार्ग के निर्माण कराए जाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी नहीं । क्योंकि जिला स्तरीय समिति द्वारा अब तक यह सम्पर्क मार्ग स्वीकृत नहीं है ।

पडरौना तहसील के कतिपय मार्गों का निर्माण

27—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि पडरौना तहसील में खिरकिया से घौरहरा, मनिकोरा, चती मुसहरी, खरसाल बबुइया, माघो कोठिलवा मार्ग जो कि अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निर्माण कराया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी नहीं । क्योंकि जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अब तक यह सम्पर्क मार्ग स्वीकृत नहीं है ।

देवरिया जनपद में अन्त्योदय योजनान्तर्गत मशीनें

28—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद के सभी विकास खन्डों में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत किसानों को दी जाने वाली चारा काटने के मशीनों के अतिरिक्त कल पुर्जे कमिश्नरी के किसी भी बाजार म उपलब्ध नहीं है ? यदि हाँ, तो इसके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री जमुना प्रसाद—

देवरिया जनपद में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय परिवारों को चारा काटने की मशीनें नहीं दी गई हैं । अतः उनके लिये कल पुर्जों की व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं पैदा होता ।

भूमि संरक्षण अनुभाग में लिपिक वर्गीय स्थायी कर्मचारी

29—श्री रणवीर सिंह—

क्या कृषि मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि विभाग के भूमि संरक्षण अनुभाग में लिपिक वर्गीय कितन कर्मचारी शासनादेशानुसार दिनाँक 1 जनवरी, 1974 के अन्तगत स्थायी घोषित किये जा चुके हैं ? शेष को कब तक स्थायी कर दिया जाएगा ?

श्री शिव मंगल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि० अकबरपुर, जिला फैजाबाद में शेयरों का क्रय

30—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड अकबरपुर, जिला फैजाबाद के कितने शेयर अभी तक बिक चुके हैं और उनमें से कितने शेयर होल्डरों को सर्टीफिकेट दी जा चुकी है ? क्या यह सही है कि शयरों की बिक्री से प्राप्त धनराशि में भारी घपला होने और शेयरमनी का ठीक-ठीक हिसाब उपलब्ध न होने के कारण ही सभी शेयरहोल्डरों को शेयर सर्टीफिकेट न जारी करना सम्भव नहीं हो पा रहा है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

वि किसान सहकारी चीनी मिल लि0, अकबरपुर, जिला फैजाबाद में कुल 4329 सदस्यों द्वारा पूर्ण शेयर क्रय किये गये हैं जिनमें से 3855 सदस्यों का शेयर सर्टीफिकेट जारी किया जा चुका है। शेष 474 सदस्यों के शेयर सर्टीफिकेट अभी तक ब्लाक तथा तहसील से पूर्ण रसीदों से प्राप्त धन का हिसाब न मिलने के कारण जारी नहीं हो सके। इसके अतिरिक्त 1132 और सदस्यों द्वारा भी शेयर क्रय किये गये हैं जिनके पूरे मूल्य का न होने के कारण शेयर सर्टीफिकेट जारी नहीं किये गये। शेयर की बिक्री से प्राप्त धनराशि में घपला होने की कोई बात प्रकाश में नहीं आई है और न उस कारण शेयर सर्टीफिकेट का जारी होना रुका है। वैसे भी, भारत सरकार द्वारा अकबरपुर चीनी मिल की स्थापना हेतु लाइसेंस निरस्त कर दिए जाने के कारण एकत्र अंशपूंजी को वापस करने के आदेश दे दिए गये हैं।

31—श्री श्रीराम द्विवेदी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

32—श्री गनेशी लाल चौधरी—

[7वें सोमवार के लिए स्थगित।]

33—श्री बाबू लाल वर्मा—

[7वें सोमवार के लिए स्थगित।]

कृषि भवन, लखनऊ में अस्थायी नियुक्त लिपिक

34—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1978-79 में लखनऊ स्थित कृषि भवन कार्यालय में लिपिक वर्ग में कितनी अस्थायी नियुक्तियां की गयीं तथा उनकी भर्ती का आधार क्या था? उक्त वर्ष उक्त पद के लिए कितने प्रार्थना-पत्र आए तथा अभ्यर्थियों की योग्यता का क्या मापदन्ड था?

श्री शिव मंगल सिंह—

वर्ष 1978-79 में कृषि भवन में लिपिक वर्ग में कुल 5 अस्थायी/स्थनापन्न नियुक्तियां की गयी हैं जिनमें दो छटनीशुदा कृषि अमीनों में से दो मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की, तथा एक नियुक्ति तदर्थ रूप से नियमित नियुक्ति तक के लिये की गई। प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने का प्रश्न नहीं था।

वर्तमान भूमि संरक्षण अधिकारी, सुल्तानपुर श्री गिरजा शंकर पर गबन का आरोप

35—श्री हरिकेवल प्रसाद तथा राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि वर्तमान भूमि संरक्षण अधिकारी, शारदा सहायक खण्ड-3, सुल्तानपुर (श्री गिरजा शंकर) जबकि वह जनपद उन्नाव में जिला कृषि अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, कृषि बीज भण्डार, भगवन्तनगर पर लगभग अट्ठाइस हजार तथा कृषि बीज भण्डार, माथर पर लगभग

पैंतालीस हजार रुपए का गबन किए व कराए तथा जब जनपद बाराबंकी में जिला कृषि अधिकारी के पद पर कार्यरत थे तब बफर गोदाम, रायबरेली में एक लाख से अधिक का गबन तथा जनपद गाजीपुर के कार्यकाल के दौरान मूंगफली की खरीदारी में घोर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार किए ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी को अभी तक निलम्बित क्यों नहीं किया गया ? क्या उक्त अधिकारी के अपराधों व भ्रष्टाचारों की जांच सतर्कता विभाग, पुलिस भ्रष्टाचार निवारण संगठन अथवा आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा कराए जाने के सम्बन्ध में कृषि मन्त्री, उत्तर प्रदेश व मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश को कुछ विधायकों के अनेकों पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव मंगल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद रायबरेली के सहायक विकास अधिकारी (कृषि) श्री मुराहू सिंह के विरुद्ध गबन, भ्रष्टाचार का आरोप

36--श्री हरिकेवल प्रसाद तथा श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार बतायेंगी कि विकास खण्ड, बछरावां, जनपद रायबरेली में वर्ष 1971-72 व वर्ष 1972-73 में बहुफसली योजना के अन्तर्गत वहां के सहायक विकास अधिकारी, कृषि द्वारा किए गए जिप्सम खाद के वितरण में गबन, भ्रष्टाचार व धांधली के मामले की जांच 1975 में सतर्कता विभाग द्वारा की गयी थी ? क्या सतर्कता अधिष्ठान के पुलिस अधीक्षक ने वर्ष 1977 में कृषि निदेशक (सामान्य एवं समन्वय अनुभाग) को इस आशय की रिपोर्ट दी थी कि जिप्सम वितरण में वहां के तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी, कृषि (श्री मुराहू) द्वारा भ्रष्टाचार व धांधली की गयी है ? यदि हां, तो उक्त मामले में उक्त अधिकारी को अभी तक निलम्बित क्यों नहीं किया गया है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

वर्ष 1971-72 तथा वर्ष 1972-73 में जनपद रायबरेली के विकास खण्ड बछराव में जिप्सम खाद के वितरण में वहां के सहायक विकास अधिकारी (कृषि) के विरुद्ध कथित गबन, भ्रष्टाचार व धांधली के मामले की जांच सतर्कता विभाग द्वारा वर्ष 1975 में की गयी थी ।

सतर्कता अधिष्ठान के पुलिस अधीक्षक से वर्ष 1977 में कृषि निदेशालय (सामान्य एवं समन्वय अनुभाग) को प्रश्न में उल्लिखित आशय की कोई जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई ।

वर्ष 1975 में हुई सतर्कता जांच की रिपोर्ट, जो शासन को प्राप्त हुई थी, के निष्कर्षों में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी, कृषि (श्री मुराहू सिंह) को निलम्बित किये जाने के लिये पर्याप्त आधार न होने के कारण, उन्हें निलम्बित नहीं किया गया ।

जनपद इलाहाबाद के ग्राम अछौला से जिला परिषद् को प्राप्त चकबन्दी की भूमि

37—डाक्टर जवाहर लाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि तहसील, मेजा, विकास खण्ड, उरुवा, जनपद इलाहाबाद स्थित प्राथमिक विद्यालय, अछौला के लिए जिला परिषद् को अछौला गांव की चकबन्दी में कितनी जमीन प्राप्त हुई है ? क्या परिषद् ने उक्त जमीन को सुरक्षित रखा है ?

श्री जमुना प्रसाद—

तहसील मेजा विकास खण्ड उरुवा जनपद इलाहाबाद के ग्राम अछौला की चकबन्दी में प्राथमिक विद्यालय के लिए 10 बिस्वा भूमि अवश्य छोड़ी गई है परन्तु भूमि का विधिवत अभी जिला परिषद् इलाहाबाद को हस्तान्तरण नहीं हुआ है ।

सहकारी विभाग द्वारा सहकारी ऋण की बकाया वसूली

38—श्री सोहनवीर सिंह तोमर, श्रीमती पुष्पा तलवार (जिला कानपुर) तथा श्री उदय नारायण सिंह (जिला वाराणसी)—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या सहकारी विभाग ने सहकारी बकाए की वसूली हेतु 1978 में कोई विशेष अभियान चलाया था, क्या इस अभियान के अन्तर्गत पुराने बकाए का सत्यापन इस उद्देश्य से कराया गया था कि जो बकाया वसूली के योग्य न हो, उसे राइट आफ कर दिया जाय ? यदि हाँ, तो इस अभियान के फलस्वरूप कितना अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण वसूल हुआ, दोनों श्रेणियों का कितना-कितना ऋण बकाया रहा तथा कितना ऋण राइट आफ किया गया ? शेष बकाया को वसूल करने के लिए सरकार कौन-कौन से कदम उठाने जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रति वर्ष की भाँति वर्ष 1978 में भी सहकारी ऋण की वसूली की गई । इसके अन्तर्गत पुराने बकायों का सत्यापन नहीं कराया गया था अपितु पुराने बकाया धनराशि का सत्यापन हेतु अभियान चलाया गया था । बकाया वसूली के फलस्वरूप कुल 2 अरब 11 करोड़ 83 लाख 22 हजार रु० की वर्ष के माँग के विरुद्ध वसूली 1 अरब 40 करोड़ 37 लाख 63 हजार रु० की हुई तथा दोनों श्रेणियों (अल्प एवं मध्यकालीन) का 71 करोड़ 45 लाख 59 हजार रु० बकाया रहा ।

सत्यापन कार्यक्रम के अन्तर्गत 30-6-77 से तीन वर्ष पूर्व की अवधि का बकाया सत्यापित किया गया था जिसके फलस्वरूप अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर 4 करोड़ 66 लाख 57 हजार रु० राइट आफ किये जाने योग्य पाया गया तथा उनके राइट आफ हेतु कार्यवाही हो रही है । शेष बकाया के वसूल करने के लिये आवश्यक प्रयास किया जा रहा है ।

प्रक्षेत्र प्रबन्धक दौराला (मेरठ) के विरुद्ध अभियोग-पत्र

39—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रक्षेत्र प्रबन्धक दौराला (मेरठ) के विरुद्ध दिनांक 23 मई, 1978 को भेजी गयी एक अभियोग-पत्र की प्रतिलिपि मिली है ? यदि, हाँ तो क्या अभियोग से सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव मंगल सिंह—

दिनाँक 23-5-78 के कथित अभियोग-पत्र की प्रतिलिपि प्राप्य नहीं है। एक दिनाँक रहित ज्ञापन उक्त फार्म के कर्मचारियों की ओर से अवश्य प्राप्त हुआ था जिस पर श्री चतर सिंह सिरोही उप कृषि निदेशक, मेरठ से आख्या ली गयी। उन्होंने किसी को दोषी नहीं पाया।

40—श्री शम्भू नाथ—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

41—श्री राम अधार—

[6ठे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों की बकाया धनराशि तथा गन्ने की पेराई

42—श्री रियासत हुसैन—

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 15 अप्रैल, 1979 तक उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के ऊपर प्रदेश के गन्ना किसानों का कितना रुपया बकाया है और उस बकाया धनराशि में से कितना पिछले वर्ष का बकाया है और कितना इस वर्ष का ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि किस-किस फैक्टरी ने कितने-कितने गन्ने की पिराई की है और कितने फैक्टरियां दिनांक 15 अप्रैल, 1979 तक बन्द हो गयी ?

श्री शिव मंगल सिंह—

प्रदेश की चीनी मिलों पर दिनाँक 15-4-79 तक गन्ना कृषकों का कुल गन्ना मूल्य अवशेष 44·91 करोड़ रुपये था जिसमें से 37·98 करोड़ रुपये इस वर्ष का तथा 6·93 करोड़ रुपये पिछले वर्ष का है।

सत्र 1978-79 में पेरे गए गन्ना की मिलवार सूचना* संलग्न तालिका में दी गई है। 15 अप्रैल, 1979 तक प्रदेश की 19 फैक्ट्रियाँ बन्द हो चुकी थीं।

जिला सहकारी बैंक इलाहाबाद के विरुद्ध दिये गये प्रतिवेदन की माँगें

43—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला सहकारी बैंक इलाहाबाद के विरुद्ध गबन, अवैधानिक नियुक्तियाँ एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जनता द्वारा

*देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1271 पर।

कोई प्रदर्शन जिलाधिकारी इलाहाबाद के बंगले पर दिनाँक 9 अप्रैल, को किया गया था ? यदि हाँ, तो जिलाधिकारी को दिए गए प्रतिवेदन में मुख्य-मुख्य माँगें क्या हैं ? तथा सरकार न इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

दिनाँक 9-4-79 को जिलाधिकारी इलाहाबाद के यहाँ जनता द्वारा एक प्रदर्शन किया गया था जिसमें जिला सहकारी बैंक लि०, इलाहाबाद के विरुद्ध भी एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन में मुख्य माँग जिला सहकारी बैंक लि०, इलाहाबाद के वर्तमान अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय एवं सचिव श्री सोबरन लाल त्रिवेदी को बरखास्त कर उनके द्वारा की गई अनियमितताओं की जाँच कराने के सम्बन्ध में थी । उक्त मांग-पत्र में उठाए गए बिन्दुओं पर जाँच की जा रही है ।

44--श्री राम नरायन वर्मा--

[7वें सोमवार के लिए स्थगित ।]

45--श्री प्रदीप कुमार यादव--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

46--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[6ठे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

47--श्रीमती शारदा देवी--

[6ठे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जिला गोरखपुर के रिकार्ड आफिस में दाखिल जन्म-मृत्यु रजिस्टर

48--श्रीमती शारदा देवी (जिला गोरखपुर)--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पंचायतराज एक्ट के प्राविधानों के अनुसार जिला गोरखपुर का रिकार्ड आफिस में पिछले 6-7 वर्षों के जन्म मृत्यु रजिस्टर दाखिल नहीं किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या इसे व्यवस्थित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जमुना प्रसाद--

वर्तमान समय में जन्म-मृत्यु रजिस्टर उ० प्र० जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1976 के अनुसार दाखिल किये जाते हैं । पूर्व में पंचायत राज अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत वर्ष 1972 से 1978 तक 6,546 जन्म मृत्यु रजिस्टर कलेक्ट्रेट के फौजदारी अभिलेखागार में दाखिल किये गये हैं । अवशेष रजिस्टरों को तत्काल जमा कर देने हेतु जिलाधिकारी द्वारा खण्ड विकास अधिकारियों को निदेश दे दिया गया है ।

श्री समर बहादुर सिंह, आँकिक एवं भण्डारक के विरुद्ध अपहरण का आरोप

49--श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भटौली (बाँसगाँव जिला गोरखपुर) कृषक सहकारी समिति में 20 हजार रुपये के गबन का एक अपराध अभी हाल में बाँसगाँव थाने की पुलिस ने दर्ज किया है ? यदि हाँ, तो तथ्य क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हाँ, श्री हरिनाथ सिंह प्रबन्ध निदेशक ने 21-4-79 को श्री समर बहादुर सिंह आँकिक एवं भण्डारक के विरुद्ध 20,000 (बीस हजार रुपय) के अपहरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट बांसगाँव थाने में दर्ज कराई ह ।

उनकी रिपोर्ट में कपड़ा उद्योग एवं उर्वरक उद्योग में करीब 20,000 रु० के अपहरण का आरोप लगाया गया ह ।

उपाधीक्षक पुलिस विशष अनुसंधान शाखा द्वारा विवेचना की जा रही है ।

50--श्री नाथू राम शिक्षक--

[7वें सोमवार के लिए स्थगित ।]

गन्ना विकास सहकारी समिति, हरदोई द्वारा गन्ने की कीमत का भुगतान

51--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास सहकारी समिति, हरदोई में कितने किसान ऐसे हैं जिन्हें अप्रैल, 1979 तक गन्ने की कीमत का भुगतान नहीं किया गया ? इसके लिए दोषी कौन है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

सहकारी गन्ना विकास समिति लि० हरदोई में लगभग 2 हजार ऐसे कृषक हैं जिन्हें अप्रैल, 1979 तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ है। यह अवशेष कृषकों द्वारा भुगतान लेने के लिए न आने के कारण है। अतः अवशेष धनराशि के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

जिला परिषद् के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री कमाल अहमद रिजवी के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जाँच

52--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जिला परिषद् के भूतपूर्व अध्यक्ष (श्री कमाल अहमद रिजवी) के भ्रष्टाचार एवं अन्य अनियमितताओं के बारे में जनता पार्टी पलिया के सदस्य श्री गुरुदयाल सिंह नागरा द्वारा जुलाई, 1977 में प्रस्तुत आरोप-पत्र पर कोई जाँच चल रही है ? यदि हां, तो जांच कार्यवाही में अब तक कितनी प्रगति हुई ?

श्री जमुना प्रसाद--

जी हां। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

गन्ना विकास विभाग के कर्मचारियों का स्थायीकरण

53--श्री हरिकेवल प्रसाद--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना विकास विभाग में ग्रुप-1 के कितने अस्थायी कर्मचारियों की सेवा अवधि 3 वर्षों से अधिक है तथा कितने को 1977-78, 1978-79 तक स्थायी किया गया है, कितने शेष हैं ? शेष कर्मचारियों को अब तक स्थायी न किए जाने के कारण क्या है तथा उन्हें कब तक स्थायी कर दिया जायगा ?

श्री शिव मंगल सिंह--

ग्रुप-1 के 120 कर्मचारी, जिनकी सेवा अवधि तीन वर्ष से अधिक है, अस्थायी हैं। वर्ष 1977-78 व 1978-79 में किसी भी कर्मचारी को स्थायी नहीं किया गया है। इन 120 अस्थायी कर्मचारियों में केवल 14 कर्मचारी लोक-सेवा आयोग से अनुमोदित थे जिनमें 12 कर्मचारियों को दिनांक 6 जून, 1979 को स्थायी कर दिया गया है। दो कर्मचारी सेवा में कार्यरत न होने के कारण स्थायी नहीं किय गये। शेष 108 कर्मचारी लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं है, इसलिए उनको स्थायी नहीं किया जा सका। उपलब्ध स्थायी व अस्थायी स्वीकृत पदों के प्रति लोक सेवा आयोग को कर्मचारियों के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजा जायेगा और आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही उनका स्थायी किया जाना सम्भव होगा।

54--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[7वें सोमवार के लिए स्थगित।]

खाद्यान्न योजनान्तर्गत जनपद आगरा में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को सहायता

55--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास क्षेत्र, फिरोजाबाद में हाल म जमुना नदी की बाढ़ से नष्ट हुए ग्रामों के लिए कोई टेस्ट वर्क सेवा राहत योजना के अन्तर्गत कार्य आरम्भ कर रोजगार देने हेतु शासन को कोई योजना जिला प्रशासन से प्राप्त हुई है? यदि हां, तो वह पूरी योजना क्या है? इस योजना पर कार्य कब तक आरम्भ होगा?

श्री जमुना प्रसाद--

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में श्रम के जितने खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सहायता कार्य किए जाने के लिए आगरा जनपद की जिला चयन समिति ने 56 सम्पर्क मार्गों को निर्माण के लिए चुना। निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 1011 मैट्रिक टन गेहूं तथा सर्वेक्षण और गेहूं की ढुलाई आदि के लिए 28,625 रु० की मांग जिलाधिकारी ने निदेशक, पंचायत राज से की। इनमें विकास खण्ड फिरोजाबाद के निम्नलिखित तीन सम्पर्क मार्ग भी सम्मिलित है:--

1--रुपसपुर से हिरनगऊ तक 4 कि० मी०।

2--रुपसपुर से गुढ़ाऊं तथा जमुना तक 4 कि० मी०।

3--नगराचरा से रामदास का पुरी तक 4 कि० मी०।

पर्याप्त मात्रा में गेहूं आवंटित किया जा चुका है। अन्य आवश्यक प्रबन्ध किए जा रहे हैं और कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

56--श्री राम सजीवन--

[26-12-79 के अतारांकित प्रश्न संख्या 106 द्वारा उत्तरित]

57--श्री बाबू लाल वर्मा, श्री रामजी सिंह तथा श्री औसान सिंह--

[7वें सोमवार के लिए स्थगित।]

व्यवहारिक पुष्टाहार योजनान्तर्गत विकास खण्ड दुद्धी में निर्मित कुएं

58--श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर), श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर) तथा श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मिर्जापुर, तहसील दुद्धी में सन् 1965 से 1972 तक व्यावहारिक पोषण योजना (ए० एन० वी०) के अन्तर्गत कुल कितने कुएं, किन-किन स्थानों पर निर्मित कराये गये तथा कितने कुओं में रहट लगाये गए एवं कितने कुओं पर एंगिल आयरन एवं कटीले तार लगाए गए? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त कूप निर्माण में बहराइच जिले में किए जा रहे गड़बड़ी के सम्बन्ध में ए० डी० एम० (सी०) व्यय हुआ तथा वर्तमान समय में कुल कितन कुयें प्रयोग म आ रहे हैं? रहट तथा एंगिल आयरन व कटीले तार क्या मौके पर मौजूद ह? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जमुना प्रसाद--

व्यवहारिक पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड, दुद्धी में वर्ष 1967-68 से 1971-72 तक 19 स्कूलों जोरूखाई, सजैयाडीह, टेढ़ा, थिवही, हरना कछार, फूलवार, धूरपा, महुअरिया, हथबानी, दुद्धी, दुम्हान, बीडर, विन्ढमगंज (मूडोसेमर), मझोली, कटौली, धूमा, बरखड़, रजखड़ धनौरां, में स्कूल वाटिका हेतु 19 कूप निर्माण/मरम्मत का कार्य किया गया। इन 19 कुओं पर रहट तथा 16 स्कूल वाटिकाओं पर एंगिल आयरन व कटीले तार का कार्य कराया गया। कूप निर्माण/मरम्मत पर रु० 44,147 रहट पर रु० 12,800 तथा एंगिल आयरन व कटीले तार पर रु० 26,702·95 पैसे का व्यय किया गया। वर्तमान समय में 15 कुएं उपयुक्त अवस्था में हैं।

जिन किन्हीं विद्यालयों पर रहट, एंगल आयरन अथवा कटीले तार उपलब्ध नहीं है उनसे संबंधित प्रधानाध्यापकों तथा तत्कालीन क्षेत्र विकास अधिकारियों आदि के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। आवश्कतानुसार वसूली इत्यादि की भी कार्यवाही की जायगी।

परिवहन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण

59--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि परिवहन निगम में कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन्हें लगभग 20 वर्ष से एक ही स्थान पर कार्यरत रखा गया ह? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि कुछ कर्मचारियों को वर्ष में दो-दो बार स्थानान्तरण किए गए? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

सूचना एकत्र की जा रही है।

बहराइच जिले में धान की सामूहिक नर्सरी में गड़बड़ी

60--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यसूची दिनांक 26 मार्च, 1979 ई० के नत्थी (घ) के अतारांकित प्रश्न संख्या 65 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या कृषि मन्त्री

महोदय कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा सामूहिक धान नर्सरी में बहराइच जिले में किए जा रहे गड़बड़ी के सम्बन्ध में ए० डी० एम० (सी०) को शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया था और उन्होंने जिला कृषि अधिकारी, बहराइच को दिया तथा जांच में ब्लाक कैसरगंज के विन्देश्वरी प्रसाद, निवासी बुढ़ानपुर, रामबहोरी व कृष्ण कुमार, निवासी पवही व मुन्नी लाल गो० नम्बर-1 व चुन्नी लाल व हनोमान, गो० नम्बर-2 ने उनके नाम पर फर्जी कार्य कराने का बयान दिया? यदि हां, तो गलत व झूठी सूचना शासन को देने वाले अधिकारी के विरुद्ध अब तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है और जाँच किसने की तथा पूरी जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री शिमंगल सिंह--

प्रश्नकर्ता से बहराइच जिले में धान की सामूहिक नर्सरी में गड़बड़ी के सम्बन्ध में अभिलेखों के अनुसार कोई भी शिकायती-पत्र ए० डी० एम० (सी०) को नहीं मिलो और न उन्होंने जिला कृषि अधिकारी को जांच हेतु दिया। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद जालौन में डी० पी० ए० पी० योजना के अन्तर्गत भूमि समतलीकरण में व्यय

61--श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उसे इस बात की जानकारी है कि जालौन जनपद में डी० पी० ए० पी० योजना के अन्तर्गत भूमि समतलीकरण में इतना खर्च प्रति एकड़ आ रहा है कि कुछ किसान रुपया देने के बदले जमीन ही छोड़ने को तैयार हैं? यदि हां, तो क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि समतलीकरण कराना अनिवार्य है या किसान की इच्छा पर?

श्री शिव मंगल सिंह--

जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत किसी भी कृषक से प्राप्त नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, 1963 में निहित प्रक्रिया के अनुसार सभी प्रकार की भूमि पर आवश्यकतानुसार विभिन्न विधियों से लाभार्थी की लागत पर भूमि संरक्षण का कार्य उस स्थिति में अनिवार्यतः कराया जा सकता है यदि कार्य जनहित में आवश्यक पाया जाये और कृषक उसे स्वेच्छा से न करें।

स्वर्गीय राम प्रगट लाल श्रीवास्तव, चालकती डिपो की जमानत की धनराशि एवं एन० एस० सी० का भुगतान

62--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री राम प्रगट लाल श्रीवास्तव, ड्राइवर, बस्ती डिपो (गोरखपुर क्षेत्र) राज्य परिवहन निगम की मृत्यु सन् 1968 में हो गई और आज तक उनके जमानत की धनराशि तथा उनके एन० एस० सी० की धनराशि उनकी विधवा पत्नी श्रीमती सावित्री श्रीवास्तव को नहीं दी गई? यदि हां, तो क्या कारण है तथा सरकार कब तक उक्त धनराशि को उनकी पत्नी को देने की व्यवस्था करेगी?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

स्वर्गीय राम प्रगट लाल श्रीवास्तव, चालक, बस्ती डिपो की पास-बुक संख्या 59806 वास्ते 100 रु० तथा एन० एस० सी० नं० डी10 709044 वास्ते 100 रु० का रिलीज आर्डर पोस्ट मास्टर बस्ती को क्षेत्रीय प्रबन्धक, गोरखपुर, द्वारा दिनांक 18-5-79 को भेज दिया गया है जिसकी प्रतिलिपि स्व० राम प्रगट लाल श्रीवास्तव की पत्नी श्रीमती सावित्री श्रीवास्तव को भी प्रेषित की गई है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे उक्त धनराशि पोस्ट मास्टर, बस्ती से प्राप्त कर लें।

गन्ना विकास विभाग के मध्य क्षेत्र में समिति भोगी लिपिकों की नियुक्ति

63--देव कुमार (जिला बांदा)--

क्या सरकार बतायेगी कि गन्ना विकास के मध्य क्षेत्र में जुलाई/अगस्त सन् 1977 के बाद से भारी संख्या में समिति भोगी लिपिकों की नियुक्तियां की गयीं ? क्या यह सही है कि इन नियुक्तियों में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव मंगल सिंह--

गन्ना विकास विभाग के मध्य क्षेत्र में जुलाई/अगस्त, 1977 के बाद अब तक 151 समिति भोगी सामयिक लिपिकों की तथा 8 समिति भोगी स्थायी लिपिकों की नियुक्तियां की गयी। समिति भोगी सामयिक लिपिकों की नियुक्तियों में नियमानुसार कार्यवाही की गई है परन्तु स्थायी लिपिकों की नियुक्तियों में निर्धारित नियमों का पूर्णतः पालन नहीं हुआ है। इस संबंध में विस्तृत जांच कराई जा रही है जिसके पूर्ण हो जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायगी।

विकास खण्ड, कनेलो के कार्यालय भवन का निर्माण स्थल कौशम्भी के नाम परिवर्तन पर विचार

64--श्री नाथूराम शिक्षक--

क्या ग्राम विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की तहसील मंझनपुर के विकास खण्ड, कनेलो के कार्यालय भवन का निर्माण स्थल कौशम्भी क्षेत्र है ? यदि हां, तो उक्त विकास खण्ड का नाम कौशम्भी ही रखा जायगा ? क्या यह भी सही है कि विकास खण्ड, कनेलो के जिला परिषद् सदस्य श्री जगत नारायण त्रिपाठी ने दिनांक 20 जनवरी, 1979 को जिला परिषद्, इलाहाबाद की बैठक में उक्त प्रकार की मांग रखी है ? यदि हां, तो उक्त सुझाव पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जमुना प्रसाद--

जी हां।

विकास खण्ड का नाम रखने का विषय विचाराधीन है।

श्री जगत नारायण त्रिपाठी ने दिनांक 29-1-79 को जिला परिषद् की बैठक में सुझाव रखा था जिस पर नियमानुसार जांच की जा रही है।

वेतन असंगति समिति द्वारा संस्तुत वेतनमान प्रदेश के जिला सेवा योजन अधिकारियों को न दिये जाने से असंतोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

मान्यवर, आपके माध्यम से जिला सेवायोजन अधिकारियों के 41 पदों के वेतनमान के सम्बन्ध में वेतन आयोग की असंगति समिति के निर्णय की ओर सरकार तथा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

मान्यवर, उ० प्र० वेतन आयोग 1971-73 की संस्तुतियों में व्याप्त असंगतियों के निवारण हेतु राज्य सरकार द्वारा एक असंगति समिति का गठन किया गया था । इस वेतन असंगति समिति ने अपनी रिपोर्ट 1975 में प्रस्तुत कर दी और इस समिति की रिपोर्ट पर मन्त्रि-परिषद् की एक उप-समिति द्वारा निर्णय भी लिया जा चुका था । मंत्रि-परिषद् की इस उप-समिति के निर्णय के अनुसार वेतन असंगति समिति के समस्त प्रस्ताव मान लिये गये हैं और यह निर्णय लिया गया था कि इन प्रस्तावों का कार्यान्वयन 1-10-75 से किया जायेगा । वेतन असंगति समिति द्वारा इसकी रिपोर्ट के पृष्ठ 4 के अनुच्छेद 12 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जिला स्तर के पद जैसे जिला सेवायोजन अधिकारी, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला पशुधन अधिकारी, जिला उद्योग अधिकारी, जिनका वेतन मान 1-10-75 से पूर्व 550-1200 रु० से कम था को 550-1200 रु० वेतनमान दिया जाय और इसमें इस बात का प्रतिबन्ध था कि इस पर नियुक्ति कम से कम 50 प्रतिशत लोक सेवा आयोग के प्रतियोगात्मक परीक्षा के आधार पर किया जाय । इस सम्बन्ध में निवेदन है कि उपरोक्त उल्लिखित अधिकारियों में से जिला उद्योग अधिकारियों, जिला पशुधन अधिकारियों को 550-1200 वेतनमान दे दिये गये, परन्तु जिला सेवायोजन अधिकारियों के 41 पदों पर यह वेतन मान लागू नहीं किया गया ।

अस्तु लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार तथा सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये माननीय वित्त मन्त्री जी से वक्तव्य की मांग करता हूं ।

ललितपुर जिले के कतिपय ग्रामों में पशुओं में गलघोंटू बीमारी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)--

महोदय, अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न आपके माध्यम से माननीय पशुपालन मन्त्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं । मान्यवर, ललितपुर जनपद में पशुओं की बीमारी गलघोंटू बड़े ही उग्र रूप से फैल रही है । विशेष तौर से बार ब्लाक में इसका जोर अत्यधिक है, यह बीमारी अधिकतर ग्राम बदयाना, हनुपुरा, देवरान, ताड़ा, कर्मई, भेलोनी, तुर्की, लड़वारी, आदि ग्रामों में है । सैकड़ों की संख्या में पशु मर रहे हैं । चारों ओर गन्दगी एवं दुर्गन्ध का वातावरण व्याप्त है, और किसान जब भी पशु अस्पताल ब्लाक बार में जाता है तो कभी-कभी डाक्टर नहीं मिलता

---

*मूल भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(जिला ललितपुर) श्री रणबीर सिंह—

और मिल भी जाता तो दवा नहीं देता। पैसे लेकर दवा देता है, इस प्रकार पूरे क्षेत्र में असंतोष का वातावरण व्याप्त है। आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि अविलम्ब पशु उपचार की व्यवस्था की कार्यवाही कर ताकि पशुधन की हानि रुक सके और गरीबों को राहत मिल सके।

मुजफ्फरनगर नगर पालिका प्रशासन की उपेक्षा पूर्ण नीति से नगर में गंदगी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्रीमती मालती शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, मुजफ्फरनगर नगरपालिका प्रशासन की उपेक्षापूर्ण नीति एवं ढिलाई के कारण नगर में भीषण गन्दगी व्याप्त है। सर्वत्र कूड़े के ढर देखे जा सकते ह। नालों की सफाई महीनों से नहीं हुई परिणामस्वरूप बदबू, मक्खी तथा मच्छरों की भनभनाहट की भरमार है। अनेक नालियां टूटी हुई हैं, जिससे कि पानी का बहाव रुक गया है। प्रेमपुरी की मोड़ पर एक पुलिया अधूरी पड़ी है। रात्रि में अंधेरे में एक लड़का तथा एक लड़की दुर्घटना से मर गये बिजली की व्यवस्था अत्यन्त दोषपूर्ण है, जिससे रात्रि में अन्धेरा रहता है इससे अपराध भी बढ़ रहे हैं। पानी आपूर्ति की व्यवस्था भी खराब है, जिससे इस भीषण गर्मी तथा चिलचिलाती धूप में बिना पानी के हाहाकार मचा हुआ है।

मान्यवर, मुजफ्फरनगर के नागरिकों की परेशानी आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में लाकर मांग करती हूं कि तत्काल व्यवस्था में सुधार किया जाय।

मान्यवर, सर्वाधिक आश्चर्य एवं चिन्ता की बात यह है कि नगरपालिका के प्रशासक एवं वर्तमान जिलाधिकारी के पास जो शिकायतें लेकर जाता है, उससे सहानुभूतिपूर्वक बात करने के बजाय वह दुत्कार कर भगा देते हैं।

अन्त में शासन से पुनः आग्रह है कि इस हेतु कृपया उचित कार्यवाही शीघ्र करने की व्यवस्था की जाय।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल के अभाव तथा चीन को तेल की तस्करी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महीनों से पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल का अभूतपूर्व संकट है। चोरबाजार में एक लीटर मिट्टी के तेल के लिये 4 रु० से 5 रु० तक देना पड़ रहा है। गांवों में ढेबरी व दिए की रोशनी में शादियां हो रही हैं। वहीं मिट्टी के तेल के थोक विक्रेताओं एवं सम्बन्धित विभाग के उच्चाधिकारियों की सांठगांठ ने बड़े पैमाने पर मिट्टी का तेल नेपाल के रास्ते चीन भेजने की बात प्रकाश में आयी है।

प्राप्त सूचना के अनुसार गोरखपुर, देवरिया, गोंडा तथा बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर बड़े पैमाने पर मिट्टी का तेल, डीजल व पेट्रोल के टैंकर रात में सीमा पार करते हुए देख गये हैं और इस प्रकार से नेपाल होते हुए डीजल मिट्टी का तेल व पेट्रोल चीन भेजा जा रहा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल को नेपाल भेजने के लिए कुछ थोक विक्रेता अधिकृत हैं और ऐसे ही थोक विक्रेता संबन्धित जिले का कोटा फर्जी वितरित दिखाकर उसे नेपाल भेज दे रहे हैं। जिला आपूर्ति कार्यालय गोरखपुर ने भी इस बात की पुष्टि किया है कि कुछ थोक विक्रेताओं ने महीनों से तेल प्राप्ति एवं वितरण की कोई सूचना पूर्ति कार्यालय को नहीं दिया है।

गोरखपुर इण्डियन आयल के अधिकारियों का कहना है कि उनके पास तेल का पर्याप्त भंण्डार है। थोक विक्रताओं का कहना है कि मिट्टी के तेल की कमी नहीं है फिर भी मिट्टी के तेल का अभाव बना रहे यह थोक विक्रेताओं एवं जिलापूर्ति कार्यालयों के कतिपय अधिकारियों, कर्मचारियों के सांठगांठ का दुष्परिणाम मात्र है।

मिट्टी के तेल का यह अभाव और इससे उत्पन्न सामान्य गरीब किसान की कठिनाई व लूट सरकार के लिए चुनौती है तथा आपूर्ति विभाग के लिए शर्मनाक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर इस अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने, जनता को राहत दिलाने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

बस्ती जिले में गतवर्ष आवंटित अस्पताल खनवा बाजार को बन्द किये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री शिव लाल मित्तल (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन तथा शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं।

मान्यवर, पिछली सरकार ने 3 एलोपैथिक अस्पताल बस्ती जनपद के लिये आवंटित किय थे जिनमें एक मुन्डेरवा बाजार, बस्ती, शिवपुर बस्ती और तीसरा खनवा बाजार तहसील नौगढ़, बस्ती के लिय था जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय विधायकों द्वारा किया गया था खनवा बाजार तहसील नौगढ़, बस्ती का एलोपैथिक का उद्घाटन मैंने किया था और दवायें भी बांटी गयी थीं। लेकिन पता नहीं क्यों उक्त अस्पताल बनाने के आदेश निरस्त कर दिये गये हैं। इससे क्षेत्र की जनता में भारी रोष, असंतोष व्याप्त हो गया है।

अतः, मान्यवर, मैं इस सरकार से माँग करता हूं कि पिछली सरकार द्वारा आवंटित अस्पताल को शीघ्र खुलवाने की कृपा करें।

इसके अलावा मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार द्वारा घोर अन्याय किया जा रहा है...

श्री उपाध्यक्ष—

अब इस तरह से नहीं। अब कृपया बैठिये।

श्री शिव लाल मित्तल—

* * * * *]

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं। आपका यह व्यवहार सर्वथा अनुचित है। अब जो आप कह रहे हैं नहीं लिखा जायेगा।

नोट :—[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री शिव लाल मित्तल--

[* * * * * *]

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठिये । यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री शिव लाल मित्तल--

मेरे क्षेत्र का मामला है। वहां के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री मित्तल, आप कृपया सदन छोड़ें ।

श्री शिव लाल मित्तल--

मान्यवर, मैं इस तरह से सदन नहीं चलने दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया सदन छोड़ें वरना मुझे इंगित करना पड़ेगा ।

श्री शिव लाल मित्तल--

मेरे क्षेत्र का मामला है । उक्त अस्पताल का उद्घाटन तक हो गया है । फिर भी अस्पताल बनाने के आदेश निरस्त कर दिये गये हैं । यह वहां की जनता के साथ अन्याय है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपको इंगित करता हूं ।

(श्री शिव लाल मित्तल बैठ गये)

श्री उपाध्यक्ष--

चूंकि आप बैठ गये हैं, इसलिये इस समय आपको इंगित करना वापस लेता हूं । लेकिन भविष्य के लिये चेतावनी देता हूं कि इस तरह का व्यवहार हुआ तो आपको इंगित करके निलम्बन की कार्यवाही होगी ।

ग्राम पुरवा मुरादपुर, जिला फतेहपुर के हरिजनों पर अत्याचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मान्यवर, आपके माध्यम से ग्राम पुरवा मुरादपुर, थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर के हरिजनों का हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना-पत्र जो मिला है, की मूल प्रति इस प्रति के साथ संलग्न कर आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार समय-समय पर वायदा करती है कि हरिजनों के साथ उत्पीड़न सम्बन्धी कार्यवाही करने वाले व्यक्ति अथवा अधिकारी के

नोटः--[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

छापी नहीं गयी ।

साथ सख्ती से व्यवहार किया जाएगा, जनपद फतेहपुर के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए न तो कोई प्रशासनिक नियम है और न ही कोई कानून । घटना इस प्रकार है कि ग्राम पुरवा मुरादपुर के समीप एक गांव है जिसका नाम पुरानी बिन्दकी से जाना जाता है वहां पर एक शातिर एवं गिरोह बन्द बदमाश किस्म का व्यक्ति है जिसका नाम नरेन्द्र सिंह है उसने हरिजनों के साथ अत्याचार करने का एक कीर्तिमान पता का स्थापित कर दिया है, जिसकी सूचनायें भी जनपद फतेहपुर के अधिकारियों को दी गयीं परन्तु उस बदमाश व्यक्ति के साथ आज तक किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक कार्यवाही नहीं की गई । हस्ताक्षरयुक्त हरिजनों ने यह शिकायत की है कि उक्त व्यक्ति हरिजनों से जबरन अपना बेगार करवाता है तथा दो तीन रुपये पूरे दिन की मजदूरी देता है तथा बेगार न करने पर हरिजन व्यक्तियों को मारता है तथा गांव से निकलवा देता है, कई व्यक्ति गांव छोड़कर जा चुके हैं तथा कई व्यक्तियों की मौतें भी इस व्यक्ति के जालिम रवैय के कारण हो चुकी हैं इसके साथ ही साथ यह व्यक्ति हरिजन परिवारों के मकानों में रातों में घुसकर उनकी बहिन, बेटियों तथा बहुओं के साथ बलात्कार कर रहा है तथा घरों को लूट रहा है जिसके कुछ उदाहरण मैं आपकी सेवा में दे रहा हूं । 1 रात में राम आसरे नामक हरिजन के परिवार में घुसकर उसकी पत्नी के साथ जबरन बलात्कार किया । 2–प्रभु पुत्र लोधा के घर रात में जबरन घुसकर उसकी लड़की के साथ जबरन बलात्कार किया । 3–रात को गोपाल के घर घुसकर उसकी लड़की के साथ बलात्कार किया । 4–जगन के घर रात को घुसकर उसकी पुत्रवधू के साथ बलात्कार किया । 5–रात को भिखारी के घर घुसकर उसकी लड़की के साथ बलात्कार किया तथा घर में आग लगा दी । 6–श्याम सुन्दर पुत्र कुन्दन के घर घुसकर जबरन उसकी लड़की को उठा ले गया और बलात्कार किया । 7–चौथी नामक व्यक्ति के घर से बकरा उठा ले गया। 8–बेगार न करने पर कई व्यक्तियों को मारा और गांव से भगवा दिया । उपरोक्त के अलावा और प्रमुख मुद्दे इस प्रति की संलग्न मूल प्रति में अंकित हैं जिन्हें आप देख लें ।

उक्त घटना की सूचना जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक को भी संबंधित हरिजनों ने की है परन्तु आज तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही उक्त शातिर बदमाश नरेन्द्र सिंह के साथ नहीं हुई । इस गिरोह में छत्रपाल, गनेशा, हीरा, गट्टू पुत्र रेठोर तथा अन्य बड़े–बड़े बदमाश शामिल हैं । उक्त घटनाओं से क्षेत्र में समस्त हरिजनों में अशांति एवं विद्रोह की भावना बलवती हो रही है और बहू बेटियों एवं बहनों की इज्जत लूटने वाले इस गिरोह को प्रशासन मदद कर रहा है इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि स्वयं की रक्षा हेतु अत्याचारों से उत्पीड़ित हरिजनों को वित्तीय सहायता वाले बजट में से हथियार प्रदान करें जिससे वे अपनी इज्जत की रक्षा कर सकें ।

ग्राम लक्ष्मीपुर शिवाला के श्री जयश्री व श्री सुदामा की करमही गांव के व्यक्तियों द्वारा पिटाई से मृत्यु के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री उपाध्यक्ष––

श्री दुक्खी प्रसाद, आपकी यह सूचना बड़ी थी इसलिये इसको मैंने थोड़ा कम कर दिया है । जहां से मैं आपको रोकूं उसके बाद अगले पन्ने से पढ़ियेगा ।

*श्री दुक्खी प्रसाद (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व का प्रश्न सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

मान्यवर, दिनांक 3-6-79 को श्री जयश्री पुत्र श्री दुर्बल व सुदामा पुत्र रामकोमल हरिजन, ग्राम लक्ष्मीपुर शिवाला के अपने गन्ने के खत में दिन से ही पानी चला रहे थे । नहर माइनर ग्राम करमही सानी के पश्चिम तरफ एक फलांग है, उसी दिन के रात्रि को अचानक ग्राम करमही सानी में डकैती पड़ी । उक्त व्यक्तियों का चक नहर माइनर के दो फलांग पश्चिम दूर है । डाकुओं के लूट के चले जाने के बाद गांव वालों ने गन्ने के पत्ते में आग लगा कर शोर मचाया तो अगल बगल गांव वालों को भी जानकारी हुई कि ग्राम करमही सानी में डकैती पड़ गई है तो श्री सुदामा व श्री जयश्री के घरवालों ने अपने ग्राम में कहने लगे हमारे घर के श्री सुदामा व जयश्री गन्ने के खेत में पानी चला रहे हैं । कहीं ऐसा न हो कि हमारे घर के दोनों व्यक्तियों के ऊपर डाकू आक्रमण कर दें । इस बात को सोचकर लक्ष्मीपुर शिवाला के कुछ लोग सुदामा व जयश्री के परिवार के साथ गन्ने के खेत पर गये । वे दोनों वहां नहीं थे । वे लोग नहर पर गये, जहां से पानी खेत में आ रहा था कि अब सुदामा व जयश्री न मिले तो करमही गांव पर गये तो देखे कि सुदामा व जयश्री को करमही गांव वाले मारपीट रहे हैं । लक्ष्मीपुर के लोग सुदामा व जयश्री से पूछे कि तुम लोग क्या किये हो कि ये लोग मार रहे हैं, तो सुदामा व जयश्री बताये कि हमारे खेत से पकड़कर लाकर मार रहे हैं तो गांव के लोगों ने सुदामा व जयश्री के विषय में बताया कि ये चोर डाकू नहीं हैं, इन्हें छोड़ दो...

श्री उपाध्यक्ष—

यहां से पेज 2 के दूसरे पैराग्राफ "बाद में विश्वस्त सूत्रों" से पढ़िये ।

श्री दुक्खी प्रसाद—

बाद में विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि सुदामा व जयश्री को गन्ने के खेत में से पकड़ कर लोग ले गये हैं और बुरी तरह से पिटाई की: दोनों की मृत्यु हो गई तथा मोती बुरी तरह घायल है । इस अप्रिय घटना से लोगों में व्यापक असन्तोष है ।

अस्तु उक्त लोक-महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में ला कर माननीय मुख्य मन्त्री जी से न्यायिक जांच तथा साथ ही साथ मोती को जेल से रिहा और निर्दोष मृतक परिवार को दस-दस हजार रुपये सहायता की मांग व उचित कार्यवाही की मांग करता हूं ।

श्रीमन्, पहले गांव वालों ने मुझे दरखास्त दी...

श्री उपाध्यक्ष—

अब नहीं...

श्री दुक्खी प्रसाद—

मैं उस समय गया और उसको कत्ल...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने नोटिस दे दिया है इस पर कार्यवाही होगी। अब आगे कुछ नही कहेंगे। मैं इजाजत नहीं देता। आप कृपया बैठें।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

एक औचित्य का प्रश्न...

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

एक व्यवस्था का प्रश्न...

श्री दुक्खी प्रसाद—

[* * * * *]

श्री उपाध्यक्ष—

यह आपका लिखा नहीं जायगा...

श्री रवीन्द्र सिंह—

एक औचित्य का प्रश्न...

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो दिया था उसे मैंने औचित्य के प्रश्न के रूप में अस्वीकार किया है...

डाक्टर अश्वनीकुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैंने 301 में सूचना दी थी...

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 301 में जो सूचनायें दी गयीं जिनको मैंने लोक हित की समझा उनको मैंने ले लिया। अन्य जो सूचनायें हैं उनके संबंध में तो आप प्रश्न के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं...

नेपाल के विद्यार्थियों को भारतीय सीमा की पुलिस द्वारा पकड़कर नेपाल की पुलिस को सौंपे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, एक मिनट मुझे सुन लें। पिछले दिनों...

श्री उपाध्यक्ष—

इसको मैंने स्वीकार नहीं किया...

श्री रवीन्द्र सिंह—

एक मिनट में कहूंगा। पिछले दिनों नेपाल के कुछ विद्यार्थी मुझसे मिले थे। मान्यवर, एक मिनट सुन लें।...

नोटः—[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने इजाजत नहीं दी है...

श्री रवीन्द्र सिंह--

लोकतंत्र के लिए नेपाल की जनता, युवक, संघर्षरत है । चूंकि हिन्दुस्तान और नेपाल सीमा पर आने जाने में प्रतिबंध नहीं है । इसलिए वहां के संघर्षरत विद्यार्थी और लड़के कभी-कभी उत्तर प्रदेश की सीमा बहराइच, बस्ती, गोरखपुर जिलों में आ जाते हैं । वहां की पुलिस बगैर सरकार की नीति के नेपाल की पुलिस से स्थानीय स्तर पर सांठ-गांठ कर तीन काम कर रही है । एक तो विद्यार्थियों को जबरन रोक कर उनको बाध्य कर रही है कि वे नेपाल के अंदर जायं और वहां पकड़े जायं, उनको जबरन खदेड़ रही है और सबसे गम्भीर कार्य तो यह कर रही है कि विद्यार्थियों को पकड़ कर नेपाल की पुलिस के हवाले कर रही है...

श्री उपाध्यक्ष--

मैं पहले ही कह चुका हूं कि औचित्य के प्रश्न के रूप में मैंने इसे अस्वीकार किया है । लेकिन मैं इसे शासन को भेज दूंगा ।

श्री रवीन्द्र सिंह--

उत्तर प्रदेश की सरकार की कोई भी ऐसी नीति नहीं है । इस पर कार्यवाही का निर्देश दें...

नियम 301 के अन्तर्गत सदन में दी गयी सूचनाओं पर कोई कार्यवाही न किये जाने पर आपत्ति

(श्री कमला प्रसाद वर्मा के खड़े होने पर)

उपाध्यक्ष--

कमला प्रसाद वर्मा जी, आपने लिख कर नहीं भेजा है...

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

लिख कर भेजा है बहराइच जिले में करीब दस गांव...

(व्यवधान)

मैंने लिख कर दिया लेकिन महीने भर से ऊपर हो गया मौके पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी, न कोई सहायता का कार्य किया गया । नियम 301 के अन्दर जब कोई, सूचना दी जाती है तो यही विश्वास किया जाता है कि शासन द्वारा कार्यवाही श्री लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

श्री उपाध्यक्ष --

जो सूचना आपने दी थी वह राजस्व मन्त्री जी को चली गयी है । आप पुनः बतला दें मेरे कक्ष में आ कर किस-किस गांव के बारे में वह सूचना थी तो उनसे कह कर जल्दी कार्यवाही करा दूंगा ।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

नियम 301 के बारे में अनेक बार आपने यह व्यवस्था दी है कि अन्तरिम उत्तर एक सप्ताह में तथा सम्पूर्ण उत्तर एक महीने में शासन द्वारा सदस्य के पास आ जायेगा लेकिन किसी भी सूचना का उत्तर समय से नहीं मिल रहा

है । एक महीने से अधिक हो गया न अन्तरिम उत्तर मिला, न सम्पूर्ण उत्तर मुझे मिला । जो नियमावली में नियम दिये हुए हैं उनकी सुरक्षा का कार्य आपको ही करना है और जो मन्त्री निरन्तर नियमों का पालन आपकी व्यवस्था के बावजूद नहीं करते हैं । उनकी उस पीठ से भर्त्सना अथवा प्रताड़ना की जाय । मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न भी उठाया था उसकी इजाजत पिछली बार नहीं मिली : आपकी पीठ से यह निर्णय हुआ था कि माननीय मन्त्रीगण नियमों के अन्दर सूचनाओं का स्पष्ट उत्तर दे दें लेकिन उत्तर न मिले तो नियमों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी पीठ की है, उसकी सुरक्षा के लिये आप क्या कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसके बारे में आप लिख कर भेज दें । वैसे मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिये बतला दूं कि शासन की तरफ से नियम 301 की सूचनाओं के कार्यान्वयन के लिये अलग से एक सेल कायम करने का निर्णय लिया गया है । जैसा कहा जा चुका है एक सप्ताह के अन्दर अन्तरिम उत्तर तथा 30 दिन के अन्दर सम्पूर्ण उत्तर मिल जायगा कि क्या कार्यवाही हुई । कुछ ऐसी सूचनायें होती हैं जिनमें कार्यवाही करने में महीनों लग जाते हैं, उनके सम्बन्ध में लिख कर आपको भेज देंगे कि इस कारण से कार्यवाही नहीं हो सकी । परसों एक बैठक हुयी थी जिसमें एक सेल कायम करने के बारे में बताया गया था । आपको नहीं मालूम हो सका था । इस सेल में 4, 5 सेक्शन आफिसर सहित कुछ नीचे के लिपिक तथा अधिकारी होंगे जो इसके लिये जिम्मेदार होंगे । अब माननीय सदस्यगण को इसके बारे में आगे चल कर शिकायत नहीं मिलेगी ।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)--

व्यवस्था का प्रश्न है । मोहन सिंह जी ने जो कुछ कहा उससे मैं 100 फीसदी अपने को सम्बद्ध करते हुए यह निवेदन करूंगा कि 301 के अन्तर्गत शासन की तरफ से जो स्टेटमेंट आता है उस स्टेटमेंट के आधार पर कोई कार्यवाही भी होगी या केवल फेक्ट्स से सम्बन्धित स्टेटमेंट ही आयेगा ? क्या आप शासन को निर्देश दें कि केवल स्टेटमेंट न दे कर कोई निश्चित कार्यवाही भी वह करेगी और सदन तथा सदस्य को सूचित करेगी । स्टेटमेंट देना अलग बात है, कार्यवाही करना अलग बात है ।

श्री उपाध्यक्ष--

निश्चित कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निर्देश होते हैं । उसकी सूचना सम्बन्धित माननीय सदस्य को मिल जायगी ।

राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं कि आपने नियम 301 की सूचनाओं की कार्यवाही को प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाया है । मान्यवर, इसी सम्बन्ध में एक जानकारी चाहता हूं कि अनेक बार अनेकों निर्देश दिये जाने के बाद भी उनका पालन नहीं हुआ है तो उसके लिये आपने एक सेल बना दिया लेकिन और इन सभी कदमों को उठाने के बाद भी कि 7 दिन के अन्दर अन्तरिम 1 माह के बाद पूर्ण उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो क्या सरकार इस तरह की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है कि जो अधिकारी अथवा मन्त्री इन आदेशों की अवहेलना करेंगे उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

आगे इस पर विचार कर लेंगे। कुछ सूचनायें उन्होंने इधर भेजी हैं। उन्होंने मुझे ऐसी 3-4 सूचनाय दिखाई भी हैं जो उन्होंने भेजी हैं। एक सूचना पर माननीय मन्त्री ने खेद प्रकाश भी किया है।

नैपाल के विद्यार्थियों को भारतीय सीमा की पुलिस द्वारा पकड़ कर नैपाल की पुलिस को सौंपे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

अभी माननीय रवीन्द्र सिंह जी ने एक विषय उठाने की आपसे अनुमति चाही थी और आपने उसे अस्वीकार कर दिया था किन्तु फिर भी आपने अनुमति दी और सदन के संज्ञान में वह बात आई।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने अनुमति नहीं दी।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

वह सदन की कार्यवाही हो गई।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, वह औचित्य के प्रश्न के रूप में सदन की कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि मैंने अनुमति नहीं दी थी।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

हम लोगों के संज्ञान में वह बात आ गई। वह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है....।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने उसके लिए अनुमति नहीं दी थी। मैं उसको कार्यवाही के लिए भेज दूंगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

नैपाल से जितने भी लोग आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा में वे किसी प्रकार से पदार्पण न करें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसे शासन के पास भेज दूंगा। वे कार्यवाही करेंगे।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

जो बिना अनुमति के बोलते हैं उनकी बात.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब उप मुख्य मन्त्री एवं राजस्व मन्त्री अपना वक्तव्य पढ़ेंगे।

झांसी में उपलवृष्टि एवं तूफान से हुई क्षति के सम्बन्ध में वक्तव्य

उप मुख्य मन्त्री एवं राजस्व मन्त्री (श्री नारायण सिंह)—

माननीय सदस्य विधान सभा सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त व श्री नारायण की इस सूचना के आधार पर कि जनपद झांसी में 21 मई, 1979 को भीषण उपलवृष्टि तथा तूफान से जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है तथा जान-माल की भीषण क्षति हुई है, जिलाधिकारी, झांसी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 21 मई, 1979 को शाम को 3-30 बजे से 5-30 के बीच झांसी जिले में तूफानी हवा के साथ हल्की वर्षा हुई तथा मटर के आकार के ओले गिरे। इस तूफान का प्रभाव झांसी नगर व उसके आसपास के 7 ग्राम दौन, जरबो, लकारा, बरगद, आरी, गढ़मऊ एवं बरुआसागर नगरी क्षेत्र एवं मऊरानीपुर तहसील के 3 ग्राम कुआ, बुढ़िया बम्हौरी एवं स्यावनी बुजुर्ग में हुआ।

उक्त तूफान के कारण 15 परिवार विशेष रूप से प्रभावित हुए जिनमें से 7 परिवारों के निम्नलिखित 9 सदस्यों की मृत्यु हो गई :—

क्रम सं०	मृतकों के नाम	पता	मृत्यु के कारण
1	कु० सन्नो	मुहल्ला खंडेराव, तहसील व नगर झांसी	मकान की छत गिरने से
2	श्रीमती पनकुइयां पत्नी पन्ना	ग्राम लकारा, तहसील व जिला झांसी	बिजली गिरने से
3	कलुवा पुत्र पन्ना		
4	सुन्दरि पुत्र गोविन्द	ग्राम जरबों तहसील व जिला झांसी	महुये के पेड़ गिरने से उसके नीचे दब जाने के कारण।
5	फूला देवी पुत्री देवकी	बरुआसागर नगरी क्षेत्र झांसी	बिजली गिरने से
6	जसोदा देवी पुत्री जग्गू		
7	जय कुंवर पुत्री जग्गू		
8	श्रीमती प्रेमा	ग्राम दौन, तहसील व जिला झांसी	पेड़ गिरने से उसके नीचे दबने के कारण
9	मंशाराम पुत्र श्रीमती प्रेमा		

[श्री नारायण सिंह]—

उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित 3 व्यक्ति पेड़ गिरने से घायल हुए :—

1—प्रेमा पुत्र भगोले
2—मनिया साहू
3—श्रीमती रुकिया पत्नी भगवान दास
} निवासीगण बरुआसागर, तहसील झांसी।

तूफान से झांसी नगरी क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों के मकानों के छप्पर को भी क्षति पहुंची किन्तु क्षति मामूली होने के कारण कोई सहायता देने की आवश्यकता नहीं पाई गयी।

तहसील मऊरानीपुर के गोरा बाग [illegible], बुढ़िया, बम्होरी व स्मावनी बुजुर्ग इस तूफानी हवा का प्रभाव महसूस किया गया तथा मकानों के खपरैल टूटने से छुट-पुट क्षति हुई। किसी व्यक्ति को सहायता देने की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

तहसील झांसी के निम्नलिखित 5 व्यक्तियों के खलिहान को भी क्षति पहुंची है :—

1—किशन सिंह पुत्र महरवान सिंह, निवासी ग्राम बरगद।

2—रघुराव सिंह पुत्र महरवान सिंह, निवासी ग्राम बरगद।

3—श्रीमती महादेवी पत्नी हरनन्द, ग्राम आरी।

4—मनीराम पुत्र राम जनम, ग्राम आरी।

5—द्वारिका प्रसाद पुत्र सुन्दर लाल, ग्राम दौन।

झांसी नगर में विद्युत् के तार तथा पेड़ आदि टूट जाने से लगभग 60,000 रु० का नुकसान हुआ। बिजली की लाईन 48 घंटे के अन्दर पुनः चालू कर दी गयी थी। झांसी शहर में लगभग 10—11 घंटे के पश्चात् ही बिजली पुनः उपलब्ध हो गयी थी।

झांसी शहर में ही टेलीग्राफ के 6 खम्बे जमीन पर गिर गये और टेलीफोन के तार टूट गये थे। टेलीफोन की लाइन 48 घंटे के अन्दर चालू कर दी गई थी। टेलीफोन विभाग को लगभग 5,000 रु० की क्षति हुई है।

इस तूफानी हवा से किसी सरकारी भवन को क्षति नहीं हुई है, निजी मकानों को बहुत मामूली क्षति पहुंची है और किसी को सहायता देने की आवश्यकता नहीं पायी गई।

उपर्युक्त विशेष प्रभावित परिवारों को कुल 900 रु० की धनराशि अहेतुक सहायता वितरित कर दी गई है। प्रभावित व्यक्तियों तथा मृतकों के परिवार को नियमानुसार और सहायता देने के लिये 25,000 रु० की अतिरिक्त धनराशि दिनांक 4 जून, 1979 को आवंटित कर दी गयी है।

मृतकों के परिवारों को नियमानुसार अतिरिक्त सहायता देने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है।

1979-80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 27 गृह विभाग (कारागार) तथा अनुदान संख्या 86-गृह (कारागार) विभाग-पूंजीगत परिव्यय

श्री उपाध्यक्ष--

अब वित्तीय वर्ष 1979-80 के आय-व्ययक पर मतदान को ले रहे हैं। यह तीन बजे तक चलेगा। उसी हिसाब से आप बोलें।

*कारागार मन्त्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,58,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 86-गृह (कारागार) विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 42,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, जनता सरकार बनने से पेश्तर हमारे यहां कारागारों की दशा बड़ी सोचनीय थी। उत्तर प्रदेश के कारागारों में लगभग 30 हजार बन्दी औसतन प्रति वर्ष रहते हैं। उनको जो आवश्यक जीवनोपयोगी वस्तुयें हैं उनको भी पिछली सरकार उपलब्ध नहीं कर पाई। हमारी सरकार की नीति यह है कि चूंकि उन्होंने अपराध किये हैं तो सजा तो वह भोग ही रहे हैं जेल में उनको अनुशासन में रहना पड़ेगा लेकिन जो उनकी मानवीय आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति करानी चाहिये। जनता पार्टी की सरकार बनने के फौरन बाद हमसे जो पूर्व मन्त्री थे उन्होंने काफी सुधार किये जैसे भोजन व्यवस्था में दाल की मात्रा बढ़ा दी, लकड़ी की मात्रा बढ़ा दी, साबुन की मात्रा बढ़ा दी इसी प्रकार प्रस्तावित अनुदान में भी उल्लेखनीय सुधार का प्रयास किया गया है। हमारे जो कारागार हैं यह ब्रिटिश शासन काल के बने हुए हैं, उनकी इमारतें भी खराब हो चुकी हैं, बहुत सी इमारतें तो कच्ची हैं और बरसात के दिनों में बन्दियों का उनमें रहना मुश्किल हो जाता है उनके सुधार के लिए इस वर्ष पुरानी बैरकों के जीर्णोद्धार के लिए 25 लाख रु० का अनुदान प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ-साथ नई बैरकों के लिए 35 लाख रु० की व्यवस्था की है। भवन निर्माण के लिए भारत सरकार से धन प्राप्त किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में जो हमको जरूरत होगी 11,160 बन्दियों के रहने के लिए 62 बैरकों का निर्माण कराया जायेगा जिसके लिए 690 लाख रु० के नये बैरकों के निर्माण के लिए और 712 लाख रु० जीर्णोद्धार के लिए यानी कुल 1402 लाख रु० देने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

इसके अतिरिक्त कारागारों का वातावरण सुधारने के लिए भी काफी प्रयास किये जा रहे हैं, जैसे कि हमारे कारागारों में बिजली की व्यवस्था नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बेनी प्रसाद वर्मा]--

प्रस्तावित बजट में करीब 13 कारागारों में पूर्णतया विद्युतीकरण कर दिया जायेगा और 7 ऐसे कारागार लिए जा रहे हैं जिनमें पेय जल की व्यवस्था की जायेगी और इसके साथ-साथ 9 कारागारों में पूर्ण रूप से स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था की जायगी। इन सुधारों के अलावा बन्दियों को उपलब्ध सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करने का प्रयास किया गया है। अभी तक बन्दियों के ऊपर प्रति दिन 2 रुपया 77 पैसा व्यय होता था, जिससे प्रत्येक बन्दी को 2600 कैलोरी शक्ति यानी पौष्टिक शक्ति प्राप्त होती थी, इसको बढ़ाकर अब 3 रुपया प्रति दिन प्रति बन्दी व्यय किया जायेगा, जिससे 3,000 कलोरी प्रति बन्दी को प्राप्त होगी।

शासन ने समय-समय पर प्राप्त विभिन्न शिकायतों को ध्यान में रखकर यह भी निर्णय लिया है कि जेलों से गेहूं जो बाहर पिसने जाता है, जिसकी वजह से उसकी गड़बड़ी होती है और उसमें धान की भूसी मिलाकर पीसा जाता है, धीरे-धीरे सभी जेलों में एक-एक आटा चक्की लगवा दी जायेगी, जिससे यह दुर्व्यवस्था समाप्त हो सके। अब धीरे-धीरे सभी जेलों में विद्युतीकरण हो जायेगा तो इस मार्ग में कोई दिक्कत नहीं होगी।

पिछले वर्षों में प्रति बन्दी 26 पैसा उनके वस्त्रों और दवाई पर व्यय किया जाता था, अब उनमें वृद्धि करके उसे 1 रुपया कर दिया गया है। इससे उनकी चिकित्सीय और वस्त्रों की अधिक सुविधायें प्राप्त होंगी। इसके अलावा और अधिक चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से 7 एम्बूलेंस गाड़ियों को खरीदने का निर्णय भी शासन द्वारा लिया गया है। यह केन्द्रीय कारागार में रखी जायेगी और इससे हम उम्मीद करते हैं कि उनसे चिकित्सीय सुविधाओं की कमी में सुधार होगा।

हमें यह भी समय-समय पर शिकायतें मिली थीं कि जेलों में खास कर के नाइयों की बड़ी दिक्कत है। इसलिये हमने निर्णय लिया है कि करीब 30 नाइयों को जेलों में नियुक्त किया जायेगा और 147 स्वच्छकारों की भी नियुक्ति की जायेगी। अबतक जेलों की समुचित सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था और कांग्रेस शासन काल में यह होता रहा है, जिसके लिए हम उनको दोषी मानते हैं कि जो मुसहर जाति के लोग होते हैं, उनको सफाई के लिए अब तक जेलों में बन्द कर लिया जाता था। हम इस कुप्रथा को समाप्त करना चाहते हैं, इसलिये हम 147 नये स्वच्छकारों की नियुक्ति करेंगे।

(व्यवधान)

ओम प्रकाश जी तो हमारे ही मन्त्री थे। वह तो हमने कांग्रेस के समय की बात बताई है। गांधी जी ने भी कहा है कि देश में पाखाना उठाने की प्रथा समाप्त होनी चाहिये, लेकिन दुर्भाग्य से, 30 साल इनके हाथ में सत्ता रही, लेकिन इन्होंने उसे समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। हम इसको समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और आशा करते हैं कि 82-83 तक प्रदेश में कोई जेल ऐसा नहीं रहेगा, जहां पर पी० आर० ए० आई० टाइप या फ्लश पाखाने न हों।

अब मैं कुछ जेल उद्योगों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इनमें जेलों में चमड़ा उद्योग, सिलाई उद्योग तथा सीमेन्ट उद्योग प्रमुख उद्योग हैं।

अब तक इनको वहां पर मजदूरी नहीं मिलती थी, चन्द उद्योगों को छोड़कर। हमने यह निर्णय लिया है कि सारे उद्योगों में, जिनमें यह बन्दी काम करेंगे, इनको काम के बदले में मजदूरी दी जायेगी, जिससे उनके पुनर्वास में सुविधा मिलेगी। यह मजदूरी उनके खाते में जमा की जायेगी और चाहें तो अपने परिवार को भी भेज सकते हैं। सम्पूर्णानन्द शिविर जेल में काम करने वाले को अब तक 5 रुपया मजदूरी मिला करती थी, अब हम निर्णय लेने जा रहे हैं कि इस मजदूरी को 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपया कर दिया जाय।

(व्यवधान)

पांच रुपये पिछले साल का प्राविधान पढ़ रहे हैं। पांच रुपये मजदूरी कम है। कम से कम 10 रुपय बढ़ा कर की जाय। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस पर शीघ्र निर्णय हो जायेगा। इसी तरह से जेलों में उद्योग चलते हैं, नैनी और बरेली में, केन्द्रीय सरकार से 10 लाख रुपया प्राप्त हो गया है, इस साल ऊन का धागा बनाने के दोनों उद्योग लगाये जायेंगे। इन उद्योगों को कायम करेंगे। उसके साथ–साथ औद्योगिक प्रशिक्षण मिलेगा ताकि जेल से जब बाहर आयेंगे तो वह एक अच्छे नागरिक की तरह जीवन बिता सकें। उससे वह लघु उद्योग कायम करके सफल नागरिकों की तरह जिन्दगी बसर कर सकें। इसी तरह से आत्मसमर्पण करने वाले लोग जेल में बन्द हैं। उन्हें खुले चलने की सुविधा दे रहे हैं। उनके लिए एक काम किया है कि एक–एक भैंस स्टेट बैंक से कर्ज ले कर दे दिया है। दूध देने वाली भैंस हैं। जो आमदनी होती है उनके खाते में जमा हो जाती है। चाहें तो परिवार में भेज सकते हैं, बाद में छूटे तो किसी काम को कर सकते हैं।

इसी तरह से कृषि के मामले में हमारे यहां करीब 127 कृषि फार्म जेलों में हैं। अब तक खास उत्पादन उनसे नहीं मिलता था। कभी–कभी उत्पादन मिलता ही नहीं था। बड़ा भ्रष्टाचार होता था। हमने सुधार करने का प्रयास किया है चूंकि हमारा जीवन एक किसान परिवार से सम्बन्धित है। इसलिए हमने अपनी जानकारी से और आफिसरों से बात चीत करके निर्णय लिया इस वर्ष 14 क्विंटल से कम जो पैदावार देगा तो वहां के कारागार पाल अधीक्षक जो हैं, उनके खिलाफ जवाब तलब होगा और कार्यवाही होगी और अगले वर्ष उनको कृषि वाली जेल में नहीं रखा जायगा। आपको जान कर खुशी होगी कि सबसे अच्छी पदावार बरेली में होती है, वहां से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सूचना मिली है। पिछले वर्ष में जो उत्पादन हुआ, इस साल रेकार्ड उत्पादन हुआ गेहूं का। अब तक जो सूचना प्राप्त हुई जेलों से, अभी सब जेलों से प्राप्त नहीं हुई। पिछले वर्षों से 800 क्विंटल ज्यादा। आदर्श कारागार गेहूं के मामले में आत्म निर्भर होगा। इसमें बाहर से गेहूं खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी।

आजादी से पहले पुलिस कांस्टेबिल की जो तनख्वाह होती थी उससे ज्यादा बन्दी रक्षक की तनख्वाह होती थी। पुलिस कांस्टेबिल की तनख्वाह बढ़ गयी, लेकिन बन्दी रक्षक की तनख्वाह जहां की तहां है। बन्दी रक्षक की दशा में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। इतना निर्णय ले लिया है अब तक उनको 12 घंटे काम करना पड़ता है, उसको काट कर आठ घंटे कर देंगे, बजट के पास होने के बाद।

एक सदस्य--

पैसा कब देंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

उस पर भी विचार कर रहे हैं। विचाराधीन है। शीघ्र उस पर निर्णय हो जायगा। एक चीज और बताना चाहूंगा। खास तौर से विरोधी पक्ष के लोग हरिजनों के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं। लेकिन उनके वक्त में, चार उप कारागार महानिरीक्षक हैं, 18 फीसदी रिजर्वेशन है, उनके समय में एक भी हरिजन को उप कारागार महानिरीक्षक की जगह नहीं दी गयी। आपने मौका नहीं दिया। मैंने दो महीने में निर्णय ले लिया है कि एक उप कारागार महानिरीक्षक होगा जो हरिजन होगा। इसी तरह से मैंने यह निदेश दिया है जो हरिजनों का कोटा है उसका कड़ाई से पालन किया जाय। इस सम्बन्ध में जो अधिकारी दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। प्रशिक्षण विद्यालय है यह हिन्दुस्तान का सबसे अच्छा विद्यालय माना जाता है। गृह मन्त्री ने मीटिंग बुलाई थी उसमें भी इसकी प्रशंसा की गयी थी। इस विद्यालय का हम और विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए धन का प्राविधान किया है। हम यह विश्वास करते हैं कि निकट भविष्य में दूसरे प्रान्तों से प्रशिक्षण पाने के लिए आयेंगे। यह हिन्दुस्तान में सबसे अच्छा प्रशिक्षण विद्यालय तो है ही साथ-साथ इसका विस्तार और हो जायगा।

मान्यवर, बन्दियों के पलायन की घटनाओं की बात होती है। दो साल में बन्दियों के पलायन की घटनायें इमरजेन्सी के समय से कम हुई हैं। मैं एक और बात की जानकारी आपको दूंगा और वह बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। जेल मैनुअल ब्रिटिशर्स की बनायी हुई इसमें तमाम धारायें लागू नहीं होती हैं और इसमें संशोधन की मांग होती रही है हमने निर्णय लिया है कि जेल मैनुअल में संशोधन होना चाहिये। उसके लिये समिति का प्रस्ताव हो गया है। और वह एक सप्ताह में बन जायेगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि 31 अक्तूबर तक इसका पूर्ण रूप से संशोधन हो जायगा। अगर कोई माननीय सदस्य सुझाव देना चाहते हैं तो वह अपने सुझाव समिति के सामने भेज देंगे।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य (जिला बरेली)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है अभी मन्त्री जी ने कुछ भी कहा वह आश्वासन के रूप में कहा है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बजट में निश्चित रूप से शासन ने जो निर्णय लिए हैं उन्हीं के बारे में माननीय मन्त्री जी बतावें। जो विचाराधीन हैं उन पर कोई भरोसा नहीं है। मंत्री जी बराबर आश्वासन की बात कर रहे हैं कि विचार किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

माननीय सदस्य का ध्यान पुरानी सरकार की ओर चला गया है जो झूठ बोलती रही है। मैंने आश्वासन नहीं दिया, जो निर्णय ले लिए गये हैं उनको

बताया है । जेल मैनुअल के संशोधन करने का निर्णय ले लिया गया है । मैंने एक तिथि भी निश्चित कर दी है कि अक्तूबर तक उसका संशोधन अवश्य हो जायगा । उसके लिए एक कमेटी बना दी गयी है । माननीय राम आसरे वर्मा ने पिछले शुक्रवार को एक प्रश्न पूछा, बेड़ियों के बारे में । मैं बताना चाहता हूं कि जेल के जो नियम हैं उनमें कड़ाई के साथ पालन किया जायेगा और कोई ढील नहीं बरती जायेगी । बेड़ियों के नियम जो हैं वह 21 वर्ष से नीचे और 45 वर्ष के ऊपर के बन्दियों को कतई बेड़ी नहीं डाली जायेगी ।

मान्यवर, मेरा यह छोटा सा बजट है और जेल सम्बन्धी आवश्यक सुधार करने जा रहे हैं, उनको मैंने माननीय सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया और अनुरोध करता हूं कि इसे आप स्वीकार करेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या--86 सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी की संक्षिप्त और आश्वासनों से भरा भाषण सुनने को मिला । इससे ज्यादा अच्छा तो यह होता कि माननीय मंत्री जी सदन में आते और कहते कि ये हमारे अनुदान हैं और इनको मंजूर कर लिया जाए । यह ज्यादा अच्छा और शोभाजनक होता । यह भी अच्छा प्रतीत नहीं होता कि मंत्रीजी ने जितना कहा उससे कई गुनी ज्यादा बातें मैं भी कहूं । आज शासन की जेलों में लोगों के सुधार के लिए बन गयी हैं लेकिन सुधार किनमें किया जाता है जो बिगड़े होते हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि लोग बिगड़ते क्यों हैं ? शब्द "क्यों" के बारे में न कांग्रेस सरकार ने कभी सोचा और न मौजूदा शासन 2 सालों में ही सोच पाया है । यदि "क्यों" शब्द का जवाब सोच लिया गया होता तो जेलों की नौबत ही न आती और उस पर खर्च होने वाली धनराशि जनता के खून पसीने की कमाई को व्यय करने की जरूरत ही न होती ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश की जेलों में मानव शक्ति अपार है और इस अपार मानव शक्ति को देखते हुए अगर उसका सही प्रयोग होता तो स्थिति कुछ और ही होती । सी० आर० पी० सी० कहती है कि अब अन्डर ट्रायल्स भी जो वहां पर जायेंगे, उनसे भी मेहनत लेंगे । कन्विक्ट्स के लिए तो पहले ही से है लेकिन अब इन अन्डर ट्रायल्स के कन्विक्टस से भी अर्थात् दोनों से श्रम लेने का प्राविधान है और इन दोनों प्रकार के कन्विक्टस की जेलों में तादाद बहुत रहती है । तो यदि इस पूरी मानव शक्ति से इस्तेमाल करने के तरीके निकाल लिए जायं तो हमारी जेलों से शासन को आमदनी होनी चाहिए, घाटा नहीं होना चाहिए । आज शासन और विशेष कर मंत्री जी ने स्वयं एक-दो जेलों की मिसाल दी और कहा कि हमारी आदर्श जेल गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर हो गई है और कुछ जेलें सब्जी के मामले में आत्मनिर्भर हो गयी हैं । यहां पर जेलों के सुधार

[श्री राम आसरे वर्मा--]

की बात कही गयी । जब तक इस समाजवादी व्यवस्था में लोग लूट और जुल्म के शिकार होंगे तब तक इस व्यवस्था को बदलना होगा और जो मानव सिद्धान्त हैं जिनको आप चोर और डकैत की संज्ञा देते हैं वे भी लोग कहेंगे । तो इस मानव शक्ति के इस्तेमाल करने के तरीके आप निकालें । शासन उस दिशा में कदम उठा रहा है जो कि देखने को मिला लेकिन वे काम इतने नहीं हैं जितनी की शासन से अपेक्षा थी । पूरी मानव शक्ति का प्रयोग तो खुली जेलों में अधिक होता है । पिछले साल में मुझे घुमा जेल में जाने का मौका मिला था, कैदी के रूप में नहीं, बल्कि एक दर्शक के रूप में । मैंने वहां पर देखा और वहां के कैदियों से बात भी हुयी वहां पर पत्थरों का काम होता है, उनकी कटाई होती है और 5 रुपये की मजदूरी के हिसाब से उनको दिया जाता है । मैं इस बात से तो बहुत खुश हूं कि उन्होंने आश्वासन दिया पर कितना अच्छा होता अगर माननीय मंत्री जी आज सदन में इसकी भी घोषणा कर देते कि मजदूरी 10 रुपये कर दी गयी है ।

मान्यवर, कहा गया कि जो पैसा कैदियों को मिलता है उसको उनके खातों में जमा कर दिया जाता है । इसका जो मौजूदा तरीका है वह सही नहीं है । जो पैसा उनका जमा होता है उस पर उनको ब्याज नहीं मिलता है । सेविंग बैंक की तरह से ही इनका पैसा जमा होने की व्यवस्था हो । जिस वक्त आज एक कैदी जाता है तो जितना पैसा उसका जमा होता है उसका काफी हिस्सा तो जेल वाले ही ले लेते हैं । इसलिए जैसी बैंक में सेविंग बैंक जैसी व्यवस्था है, वैसी ही व्यवस्था जेलों में भी होना चाहिए ।

सितारगंज जेल में काफी जमीन खुली हुई पड़ी है । माननीय धर्मदत्त वैद्य जब इसके मंत्री थे तो उन्होंने उस समय यह आदेश दिया था कि उस जमीन को तोड़ कर वहां गन्ना बोया जायेगा और गुड़ भी बनाया जायेगा । पता नहीं वह सिलसिला आगे चला या नहीं । अगर माननीय मंत्री जी ने कुछ संकेत किया होता तो पता चलता ।

जेलों में जेल के फाटक पर आज भी जब तक 5 रुपये का नोट नहीं दिया जाता, कोई मिलने अन्दर नहीं जा पाता । जेलों की व्यवस्था ठीक करने के लिए जिन कारणों से मंत्री जी ने छापे मारे वह कारण अब भी बरकरार हैं । जो भी मुलाकात करने जाता है क्षुब्ध होकर आता है । व्यवहार भी ठीक नहीं होता ।

मान्यवर, आज जेलों में करीब-करीब 50 नक्सलपन्थी अब भी बन्द हैं । जो जेलों में आज बन्द हैं वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाजवादी व्यवस्था को बदलने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था और आप तो समाजवादी मंत्री हैं, आपको ख्याल करना चाहिए उनका ।

(व्यवधान)

जेलों में दुर्व्यहार के कारण ही आज कोई भी नक्सलपन्थी ऐसा नहीं होगा जो भिन्न-भिन्न प्रकार के रोगों का शिकार न हो । आपके अधिकारी कहते हैं कि उनको किसी तरह का कोई रोग नहीं है । पर फतेहपुर, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, आप कहीं जाकर देख लें आपको उनमें कोई न कोई रोग अवश्य मिलेगा । इसलिए आप उनके इलाज की व्यवस्था कराइये ।

(व्यवधान)

तत्कालीन मंत्री चौधरी चरण सिंह ने भी उनको एक राजनैतिक बन्दी ही माना था। लेकिन इन राजनैतिक बन्दियों को बेड़ियों में आज भी आप जकड़े हुए रखे हैं। इन राजनैतिक बन्दियों से अन्य कैदियों से ज्यादा बदतर व्यवहार किये जा रहे हैं। तो अन्य बातों के साथ आप यह कह दिये होते कि जब से आप कुर्सी पर आये, इन लोगों के प्रति जो व्यवहार पहले हो रहा था, उसमें परिवर्तन आया।

श्री उपाध्यक्ष––

आप कितना समय लेंगे ?

श्री राम आसरे वर्मा––

मान्यवर, 5–6 मिनट और लेंगे। राशन जो जेलों में दिया जाता है, उसमें मिट्टी मिली रहती है। उसमें मिट्टी मिली क्यों न रहे, क्योंकि उसी आटा से अधिकारियों और कर्मचारियों का भी खर्च चल रहा है। मुझे जेलों को देखने का मौका मिला, कैदी के रूप में नहीं, दर्शक के रूप में, वहां के अधिकारी और कर्मचारी जितना राशन निकालेंगे, उतनी मिट्टी मिलाने की कोशिश करेंगे ही उसको पूरा करने के लिए। ईंधन आप बढ़ा रहे हैं, तो मान्यवर, राशन–पानी, इन सबकी जो कठिनाइयां हैं, जो राशन पहले मिलता था, तो आदमी उस राशन से भी अपना दिन काट लेता था, जो लकड़ी पहले मिलती थी, उससे भी खाना बना लेता था। आज आपने लकड़ी बढ़ा दी, इसका मतलब यह कि अब तक कच्ची रोटी खाते रहे। जो आपका यह कैदी–बन्दी है, जो असहाय जीवन व्यतीत कर रहा है, उसको किस तरह का खाना मिले, इसको आप देखें, लकड़ी दुगुनी कर दें, दाल की मात्रा बढ़ा दें, मैं मान्यवर, ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, आज जो मंत्री जी ने यहां पर भाषण दिया है, उस भाषण का निचोड़ यह है कि जो कोई भी जेलों में हों, चाहे नाइयों का ही मसला हो, हालात के ऊपर तरस आई है। लेकिन वह तरस एक नये नतीजे के रूप में कब आयेगी, जब माननीय मंत्री जी अपने निर्णयों की घोषणा करेंगे क्योंकि वह कह रहे हैं कि निर्णय करने जा रहे हैं। तो उस निर्णय का कौन सा फोरम होगा ? इस सदन से ज्यादा अच्छी जगह कोई नहीं होगी, जो निर्णय आप लेने जा रहे हैं, उनके बारे में अगर घोषणा कर दें, तो पूरे सदन से उसकी मान्यता मिल जायगी।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। फांसी पाया हुआ कैदी जेल में बन्द किया जाता है, 12 साल, 13 साल के बाद 20 साल की सजा पाया हुआ आदमी छोड़ दिया जाता है। 1/4 सजा काटने के बाद उसको प्रोवेशन पर भी छोड़ने का प्राविजन है। लेकिन जो फांसी पाया हुआ आदमी जो मर्सी के रूप में छोड़ दिया जाता है, तब भी उसे आजीवन कारावास की सजा भुगतनी पड़ती है। तो मान्यवर, जिस प्रकार से आजीवन कारावास के कैदी को 10–12 साल की सजा भुगतने के बाद छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार से फांसी पाये हुए कैदी को, जिसे कि मर्सी पर छोड़ दिया जाता है, उसे भी 10–12 साल की सजा जो वह भुगत चुका है, उसके पश्चात् उसे छोड़ा जा सकता है। तो इस तरह के बन्दियों को भी छोड़े जाने की व्यवस्था शासन की ओर से की जानी चाहिये।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं इस बात को दोहराऊंगा कि माननीय मंत्री जी ने यद्यपि आने के लिए अच्छी बातें बतायी लेकिन आज सदन के सामने कुछ नहीं दिया, कोई घोषणा नहीं की। 30 साल के कांग्रेस शासन के आश्वासन सुने गये, आपने कहा कि जनता पार्टी के आश्वासन झूठे नहीं होते। एक सुन लीजिए, 78 में ओम

[श्री राम आसरे वर्मा--]

प्रकाश जी जेल मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि जेल मैनुअल बनेगा और इस सदन के पहले बनाने के संकेत दिये थे, आप कह रहे हैं, आपका भी देख लूंगा अक्तूबर तक लेकिन आप यह न कहियेगा कि जनता पार्टी के आश्वासन झूठे नहीं होते। इन शब्दों के साथ में अपने कटौती के प्रस्ताव के साथ चाहूंगा कि आप अपना समर्थन दें।

*श्री शम्भू नाथ (जिला जौनपुर)--

माननीय कारागार मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का अनुमोदन करता हूं और 2 लाइन कहूंगा। हमारे पूर्वी जिले में एक जाति है मुसहर, वह पत्ते बनाती है, सवारियां ढोती है, लकड़ी बीन कर इज्जत के साथ गुजर-बसर करती है। इनको प्रायः समाज में वन का राजा भी कहा जाता है। मैंने इनकी बावत पार्लियामेंट म भी कोशिश की थी जब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेन्ड हो रहा था तो 109 में प्रायः एस० पी० को लिखा जाता था कि जेल में पाखाना उठाने वालों की कमी है तो वही प्रक्रिया देश की आजादी के बाद भी चलायी जा रही है। व्यक्तिगत भी मंत्री जी से कहा और इस सदन में भी अवगत कराना चाहता हूं। मैं अनुरोध करूंगा कि वह आदमी जो जंगल में रहता है, जिसका पेशा नहीं है पाखाना उठाये, शासन द्वारा मजबूर किया जाये क्योंकि उसके पास कोई जरिया, कोई सहारा नहीं है। इस हालत में देश की आजादी की जो किरण है उन तक नहीं पहुंच पायी है। मैं चाहूंगा कि उनके सुधार के लिए कम से कम कुछ सुधार करें और उनको इससे मुक्त करें और उनकी जगह पर सफाई करने वाले, स्वीपर आदि, जो भी व्यवस्था कर सकें, फ्लश सिस्टम आदि करें। लेकिन उनसे यह कार्य न लें ताकि उन्हें महसूस हो कि जनता पार्टी की सरकार ने इस व्यवस्था को बदला और जो सबसे नीची जाति है उनका हित किया। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपके बजट का अनुमोदन करता हूं।

(इस समय 1 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शम्भूनाथ पीठासीन हुये)।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

जेलों की उपयोगिता इस माने में है कि अपराधी प्रकृति के लोग जेल जाने के बाद या तो अपराध को छोड़ दें और दुबारा उसी तरह का अपराध करने की कोशिश न करे और न उनके दिमाग में आये। लेकिन अक्सर देखा यह जाता है कि जो कच्चे अपराधी व्यक्ति अपराध कर एक बार जेल गया तो पक्का अपराधी बनकर, ज्यादा दक्ष होकर निकलता है। यही कारण है मान्यवर, अपराध निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस सरकार ने इस दृष्टिकोण से सोचा नहीं तो इस तरफ ध्यान दिया ही नहीं। इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकार भी इस दृष्टिकोण से नहीं सोच रही है कि जेल को इस लायक बना दे कि अपराध घटें। मान्यवर, होता है कि जो जितना बड़ा अपराधी है, जो जितना बड़ा गुन्डा है, माननीय मंत्री जी तो जेल में रहे होंगे, अन्य लोग भी रहे हैं। मान्यवर, हमारी तो लगभग सारी उम्र हो गयी जेल काटते काटते, हमने अभी तक यह देखा है कि जो जितना बड़ा अपराधी है और तन्दुरस्त है, जेल में उतनी ही उसको सुविधायें मिली रहती है, उसको वार्डर से लेकर जेलर तक,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुपरिन्टेन्डेन्ट तक घबड़ाते हैं। सारे जेल में उनको आजादी मिली रहती है, जेल के भण्डार में उन्हें घूमने की आजादी रहती है। बैरिक में जाने की आजादी रहती है, यहां तक कि कैदियों से मालिक को भी। वह अपनी बैरिक में चाय भी बना लेंगे, उन्हें सब्जी भी मिलेगी छाय भी मिलेगी। वैसे जो नारकीय स्थिति जेलों की रही है, उसमें जो सुधार माननीय मंत्री जी ने किया है अपने अनुभव के आधार पर, वह तो अच्छा किया है, धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं, हैं। जितना पैसा गवर्नमेंट देती है बन्दियों के लिये कम से कम वह सब उन्हें मिले, इस तरफ जो माननीय मंत्री जी ने सोंचा है वह अच्छी बात है। मैं, जब माननीय मंत्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि जेल मैनुईल नया बनेगा।

मान्यवर, अब कांग्रेस के लोगों को जेल जाना है, फिर भी मैं चाहता हूं कि मैनुअल में सुधार हो। जिस तरह से जेलों में हम लोगों ने काटा है 26 नम्बर की शब्जी खाकर उस तरह की उनको खाने को न मिले। तो मानयवर, मैं यह चाहूंगा कि जब कभी जेल मैनुअल बने उसमें राजनैतिक बन्दियों के अलग से नियम होना चाहिये, कोई प्राविधान होना चाहिये।

मान्यवर, जेलों में इतना भ्रष्टाचार है। हमारे प्रस्तावक महोदय ने कुछ बातों का उल्लेख किया। मैं आपको बताऊंगा कि इमरजेन्सी के दौरान मैं इस लखनऊ जिला जेल में था यहां के जेलर थे उदय नारायण सिंह। वह माननीय कमलापति त्रिपाठी के बहुत खास आदमी थे। एसा कई दिन नहीं जाता था जब वह दो–ढ़ाई हजार रूपया जेल में न कमाता हो। जो भी नया कैदी आता था उसको जेल के फाटक पर ही बेड़ी डलवा देता था। दलाल लगा रहता था उससे तय हो जाता था, रूपया। और रुपया उसके घर से आ जाता था। अगर किसी ने 10 रूपये भी कम दिये तो दूसरे दिन उसकी हालत खराब कर देता था। यहां तक कि आर० एस० ए० के दो कैदियों के बेड़ी डलवा दी और 500 रूपये की मांग की।

मान्यवर, उसी जेलर ने उसी जेल के अन्दर एक अवयस्क महिला के साथ बलात्कार किया। मान्यवर, जेल के अन्दर रहकर उसके खिलाफ हमने, उस समय की सरकार, कांग्रेस सरकार को लिखा कि इसने ऐसा कड़ा कुकर्म किया है। जेल के अन्दर से हमने कम से कम 15, 16 प्रश्न भेजे असेम्बली के लिये। मान्यवर, आपको यह जानकर तज्जुब होगा कि इन प्रश्नों को उसने गायब करा दिया। मान्यवर, जेल एक ऐसी जगह है जहां हर आदमी यह सोचता है कि उसको सुविधा मिले दूसरे को सुविधा मिले या न मिले। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि हमारे लोगों में से ही कुछ लोगों ने सुविधा पाने की दृष्टि से जेल के अन्दर उसकी मदद की और मान्यवर, मुझे आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब हमारी जनता पार्टी की सरकार बनी तो जेल मंत्री जी से बहुत आग्रह किया, बहुत निवेदन किया कि इस तरह के जेल को जेल को जिस में कोई स्थान नहीं होना चाहिये। मंत्री जी ने मुझसे वादा किया कि हम इसको अनिवार्य अवकाश दे देंगे। मान्यवर, लेकिन अनिवार्य आवकाश नहीं दिया और वह जेलर काम करता रहा। अभी मेरे ख्याल में, आजमगढ़ जेल जहां पर वह जेलर रंगे हाथों पकड़ा गया और निलम्बित है। मुझको यह मालुम हुआ है कि माननीय मंत्री जी पर दबाव पड़ रहा है उसको बहाल करने के लिये। पहले वाले मंत्री जी पर तो

[श्री मोतीलाल देहलवी--]

दबाव पड़ता रहा उन्होंने कोई सजा नहीं दी, तो मान्यवर, मैं माननीय वर्तमान जेल मंत्री जी से यह आशा करूंगा कि इतने बड़े कुकर्मी जेलर को जेल में कोई स्थान नहीं होना चाहिये। मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय मंत्री जी किसी किस्म की रियायत उसको न देते हुये जिस मामले में पकड़ा है, उसको किसी हालत में बख्शा नहीं जायगा।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इसी उदय नारायन ने जब जिला जेल में बलात्कार किया था तो मान्यवर, उल्टे बंदियों पर मुकदमा लगा दिया गया और उनमें कई बंदियों पर मुकदमा आज भी चल रहा है। मान्यवर, बिल्कुल झूठा मुकदमा है। यह बड़े अफसोस की बात है। और शर्म की बात है कि जनता पार्टी की सरकार आयी, कांग्रेस सरकार में तो उस जेलर को छूट मिली रही, उस जेलर ने अपने कुकर्मों को दबाने के लिये बंदियों पर झूठा मुकदमा लगवाया तोड़ फोड़ का। यह बड़े दुख और अफसोस की बात है कि सजा वही कुछ लोगों पर वह झूठा मुकदमा चल रहा है और मुकदमें उठाये नहीं गये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी से वार्ता करें और अपनी तरफ से भी आग्रह करें, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वह मुकदमे बिल्कुल झूठे हैं, उन मुकदमों को खत्म कराने के लिये मंत्री जी अपना पूरा प्रयास करेंगे और मुकदमें उठा लिये जायेंगे यह मैं उम्मीद करता हूं। इन शब्दों के साथ जेल मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किये हैं उनका समर्थन करता हूं और जो कुछ नये काम जो किये हैं उनके लिये बधाई देता हूं।

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी ने जो जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव भाई राम आसरे जी ने पेश किया है उसका विरोध करता हूं। यह तीसरा बजट भाषण देहलवी जी का एक ही विषय पर हुआ। अफसोस की बात है कि तीन भाषणों के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी। पता नहीं क्या तथ्य है, तथ्य सामने आना चाहिये।

माननीय मंत्री जी ने जो गतवर्ष बजट प्रस्तुत किया था। उसमें हम लोगों ने कई सुझाव दिये थे और अश्वासन दिया गया था कि जो जेल मैनुअल है वह बहुत दिनों से बना हुआ है, उसमें बहुत कम सुधार हुये हैं। कैदियों की सुख सुविधा की जहां तक बात है उसमें बहुत कम परिवर्तन हुआ है। इस संबंध में जो उप समिति बनी है और उसकी जो संस्तुतियां हैं वह सदन के सामने रखी जायंगी। उस उप समिति की संस्तुतियों के अनुसार जेल में बहुत सारे संशोधन कर दिये जायगे। मान्यवर, मंत्री जी ने बजट स्पीच में घोषणा किया है कि कैदियों को एक कप चाय सुबह दी जायेगी और भोजन के उपरान्त पौष्टिक आहार जैसे कि गुड़ आदि दिया जायेगा तो यह अच्छी बात है। लेकिन अफसोस है कि जेल में कैदियों को बहुत थोड़ी सब्जी मिलती है और एक गुण पौष्टिक चीज दाल जो मिलती है उसकी मात्रा राज्य सरकार के आदेश से कम कर दी गयी है इसलिये कैदियों की खुराक के संबंध में मान्यवर, नये सिरे से परिवर्तन करना चाहिये और प्रोटीन वाली चीजों का विस्तार किया जाना चाहिये।

मान्यवर, जितने केन्द्रीय कारागार हैं उनमें आवास की समस्या गम्भीर है। मंत्री जी ने जो स्वच्छ शौचालय बनाने की घोषणा किया है, वह अच्छी है। इमरजेन्सी के पहले और उसके दौरान जो लैट्रिन बनायी गयीं जैसे नैनी और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बरेली जेलों में उसी प्रकार की लैट्रिनें अन्य केन्द्रीय कारागारों में भी बनाना चाहिये । इसी के साथ-साथ आजादी के पहले और उसके बाद जो लैट्रिने बनी हैं उनके लिये भी प्राविधान किया जाना चाहिये और इन शौचालयों को इस प्रकार का बनाया जाना चाहिये जैसे कि श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी ने इन्टरोडयूस्ड किया है ।

मान्यवर, बैरिकों को नये सिरे से बनाना चाहिये क्योंकि बहुत सी 70 साल पुरानी बैरिक्स हैं जो कि बरसात में, हम लोग कहा करते थे कि वह चूती नहीं बल्कि, बरसती हैं । इसलिये बैरिकों में परिवर्तन करना चाहिये और नये निर्माण होना चाहिये ।

मान्यवर, बहुत दिनों से योजना है कि सब जेलों में विद्युत् की सुविधा उपलब्ध की जायेगी जिससे बंदियों को रोशनी और पखों की सुविधा हो जायेगी । इस संबंध में थोड़ा प्रयास हुआ है लेकिन उसको द्रुतगामी स्तर पर, 6 महीने की योजना बनाकर जिला जेलों से लेकर केन्द्रीय स्तर की जेलों तक विद्युत् की सुविधा तत्काल दी जाय ।

मान्यवर, जहां तक राजनैतिक बंदियों का सवाल है तो जनता सरकार रहेगी तो जनता का विरोध भी रहेगा और इसलिये जो राजनैतिक बंदी हैं यदि राजनैतिक कारणों से जेल में जाते हैं तो उनको सुविधा पाने के लिये आवेदन पत्र देना पड़ता है तब वह संबंधित मजिस्ट्रेट के जरिये सुविधा पाता है । मैं समझता हूं कि केन्द्रीय जेल, दिल्ली, में तिहाड़ जेल में बंदियों को आवश्यकता नहीं होती हैं कि वह आवेदन पत्र दें बल्कि राजनैतिक बंदियों को यदि राजनैतिक कारणों से बंद किया जाता है तो उनको बी श्रेणी की सुविधा जेल में दे दी जाती है । इसलिये आपको भी जेल मैनुअल में परिवर्तन करना चाहिये कि राजनैतिक बंदी को सुविधा पाने के लिये आवेदन पत्र न्यायालय को न देने की जरूरत पड़े बल्कि जेल के अधिकारी या सुपरिन्टेन्डेन्ट को इस प्रकार के अधिकार दे दिये जांय जिससे वह राजनैतिक बंदियों को वह सहूलियतें दे सकें ।

मान्यवर, केन्द्रीय कारागारों में कुछ उद्योग संबंधी काम होता है जैसे दरी, कालीन, लकड़ी या फर्नीचर का काम । इस कार्यक्रम को जिला स्तर की जेलों में भी बढ़ाया जाना चाहिये और प्रयास होना चाहिए कि अपने जिला, परिवार से बहुत दूर जब आजीवन सजा होती है, जिलों से केन्द्रीय कारागारों में उनको भेज दिया जाता है, तो जो गरीब बंदी हैं, जो अपने परिवार से दूर होते हैं, तो उनकी परिवार से मुलाकात नहीं हो पाती है, इसलिये प्राविधान होना चाहिये कि बंदी को दूर न जाना पड़े इसलिये कमिश्नरी स्तर के जेलों में उद्योग संबंधी काम हों जिससे बंदियों से केन्द्रीय कारागारों में जो परिश्रम कराया जाता है, वह परिश्रम अपने कमिश्नरी स्तर की जेलों में कराया जाय इससे बंदी अपने नजदीक के इलाके में रह सकेगा ।

मान्यवर, बरेली में बच्चों का एक जेल बना रखा है, तो मैं चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छा हो कि बनारस में वहां के केन्द्रीय कारागार में इस तरह के जेल की व्यवस्था सम्बद्ध कर दें । पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के जेल बनाने चाहिये और बच्चों में जो बाल अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसके लिये, जेलों में मनोरंजन के लिये, अपराधियों को शिक्षित करने के लिये कुछ इंतजाम होना चाहिये और खासतौर से सिनेमा,

[श्री मोहन सिंह---]

टेलीविजन और प्रचार सामग्री प्राप्त करायी जानी चाहिये । खासतौर पर केन्द्रीय स्तर पर कम से कम बंदियों को सप्ताह में एक दिन टेलीविजन के जरिये उनके मनोरंजन का प्राविधान करना चाहिये ।

इसी तरह से कैन्टीन की व्यवस्था के बारे में कहना है कि किसी भी जेल में कैन्टीन की व्यवस्था अच्छी नहीं है । मैंने बहुत सारा समय जलों में बिताया है । नगण्य सी व्यवस्था कैन्टीन की है हमारे यहाँ के जेल की । मान्यवर, मैं बिहार में भी जेलों में रहा हूं । वहाँ बड़ी सुंदर व्यवस्था है । वहां पैसा देकर चीज खरीद सकते हैं । आज कैन्टीन की सुविधा न होने के कारण कैदिओं को बड़ी असुविधायें होती हैं वे अपना पैसा खर्च कर देने के पश्चात भी चीजों के खरीद सकने में असमर्थ होते हैं । इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि केन्द्रीय कारागार और जिला कारागार में भी कैन्टीन की व्यवस्था होनी चाहिये । आज अपना पैसा देकर भी कोई चीज खरीद सकने में असमर्थ हैं । तो केन्द्रीय और जिला कारागारों में कैन्टीन की सुविधा अवश्य दी जानी चाहिये ।

एक चीज यह कहनी है कि आज जेलों में भोजनालय की व्यवस्था पुराने ढंग की है उससे उनका स्वास्थ्य खराब होता है । तो बड़े और छोटे जेलों में जो डेरी फार्म हैं और पशु हैं, उनका जो गोबर है, उस गोबर के जरिये गोबर गैस प्लान्ट की योजना चला सकते हैं जिससे लकड़ी भी बचे और बंदियों की जो शारीरिक क्षति होती है, वह न हो । तो स्मोकलेस चूल्हे का भी शीघ्र इंतजाम करने की कृपा करें । खर्च तो जरूर होगा लेकिन ईंधन की बचत होगी । इसलिये इसकी रूपरेखा तैयार कर कोई व्यवस्था करें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

इसी तरह से जेलों में नाई की व्यवस्था नहीं है । जिनसे शौचालय का काम लिया जाता है, उनको कोई सहूलियतें नहीं हैं । प्रायः जेलों में एकाध नाई का काम करते हैं । सेलून की कोई व्यवस्था नहीं है । तो सेलून की व्यवस्था केन्द्रीय कारागार में अवश्य होनी चाहिये । तो इस तरह के कुछ काम होंगे तो हम समझेंगे कि मंत्री जी ने अपने जेल जीवन के अनुभव से कुछ सीखा है और आने वाले दिनों में हम लोग फिर जल जाने वाले हैं । तो निवेदन है कि जेलों में कुछ न कुछ अवश्य ही सुधार किया जाय ताकि हम लोग कह सकें कि ये सुधार हमारे जमाने में हुई थे ।

इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का पूरा पूरा समर्थन करता हूं ।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव तो अब एक व्यवस्था बन चुकी है---सुझाव देना और समालोचना करना मेरी राय में जेलों कि कमियों के बारे में हमसे ज्यादा अच्छे ढंग से हमारे मंत्री जी विचार करेंगे क्योंकि उनका अन्य जनता विधायकों को एंव जनता पार्टी का ज्यादा से ज्यादा समय जेलों में बीता है--खास तौर से 19 महीने जो जेलों में रहे हैं, तो जेल के जीवन के बारे में अच्छी तरह से सोच कर उसमें सुधार कर लेंगे । जैसा कि माननीय मोहन सिंह जी ने कहा, जिला सुपरेन्टेन्डेट और वार्डेन से तमाम सुविधाओं के लिये लड़ा करते थे । लेकिन उनके सही समाधान के लिये शासन आज भी सजग नहीं! । परिवर्तन

की कड़ी में कुछ चीजें सुधारी हैं या बढ़ाया है। जैसे दाल की व्यवस्था की है। लेकिन जेल के अंदर तो उसको नहीं मालूम कि कितनी बंधी है। अब 60 ग्राम के बजाय 90 ग्राम की योजना की है दाल की। इसी तरह से साबुन और दूसरी सुख-सुविधाओं के बारे में कहा है। लेकिन प्रश्न है कि यह चीजें उनको कैसे उपलब्ध करायी जायें? इसके बारे में शासन को सजग होना चाहिए क्योंकि देखा गया है कि जेल के जेल सुपरिन्टेन्डेंट या जेलर अक्सर मोटी तोंद वाले ही निकलते हैं, उसकी तोंद जरूरत से ज्यादा मोटी होती है, उन पर थोड़ा नियंत्रण लगाइये। माननीय सदस्यों ने मत व्यक्त किया है कि जो सुख सुविधायें कैदियों को दी जाती हैं वह सही ढंग से उपलब्ध नहीं होती। जो कैदी दोपहर बाद आता है उसका राशन तो निकाल लिया जाता। लेकिन खुराक दूसरे दिन से दी जाती कि कहा जाता है कि आज आपको खाना नहीं मिल सकता।

अभी गोबर गैस प्लान्ट के बारे में बड़े अच्छे सुझाव आये। आपको खर्चा जरूर पड़ेगा लेकिन उसके तहत दो लाभ भी होंगे। एक तो अच्छी खाद उपलब्ध होगी, उसका भी उपयोग जेल के कृषि कार्यक्रम में हो सकेगा या अपने से संबंधित और भी विभागों को दे सकते हैं या बेची भी जा सकती है। साथ-साथ ईंधन में सरकार का जो व्यय होता है वह बचेगा। यह बड़ा अच्छा सुझाव है अगर इसके खर्चे और उपलब्धियों को देखेंगे तो खर्चा नगण्य होगा और कैदियों पर भी उपकार होगा।

दूसरे, आप तो अभी अभी आए हैं, आपके बारे में क्या कहा जाए। आपने जो घोषणायें की हैं जैसे जेल मैनुअल की प्रक्रिया को आप जल्द ही एक दूसरी शक्ल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। धर्मदत्त वैद्य जी ने आपको थोड़ा इशारे से समझाया था कि जनता शासन के वादों पर कोई भरोसा नहीं है इसलिये यह विवेचन किया गया। जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, यह निश्चित है कि कुछ जेल सुपरिन्टेन्डेंट या जेलर्स के व्यवहार अच्छे नहीं है लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है कि माननीय भूतपूर्व जेल मंत्री साहब जिन जेलों में रहे, जहां उनको सुख-सुविधायें पर्याप्त मात्रा में मिली वहां तो जेल सुपरिन्टेन्डेंट अच्छा था और जहाँ यह नियमों के अलावा अलग से व्यवस्था चाहते थे और जो जेल सुपरेन्टेडेन्ट या जेलर वह सुविधायें नहीं उपलब्ध करा पाये, वे खराब हो गये, उनको सस्पेंड किया गया और खराब एन्ट्री दी गयी। जैसा आप ने कहा जेल की व्यवस्था क्यों होती है? जेल एक उपचार है। कोई अपराधी प्रवृति का व्यक्ति समाज में जन्म लेता है तो उसके शुद्धीकरण या नवीनीकरण की बात को लेकर जेल का निर्माण किया गया है।

कुछ लोगों की राय है कि जेल में यातनायें कम होनी चाहिए, कुछ लोगों की राय है कि अगर यातनायें कम होंगी नियंत्रण कम होगा तो अपराधी प्रवृति के लोग, जो यातनाओं और नियंत्रण से ही सुधर सकते हैं, उन पर सही नियंत्रण नहीं हो सकेगा। मेरी तो यही धारणा है कि जैसा कि कहा गया था कि जेलों की जगह अस्पताल बनेंगे, स्कूल चलेंगे, वही होना चाहिए था। जनता पार्टी ने तो भयमुक्त समाज की स्थापना की थी तो जेलों की तो आवश्यकता ही नहीं है मेरे ख्याल से तो पिछले शासन से ज्यादा उपयोग जेलों का दिखाई पड़ रहा। क्योंकि इतने कम दिनों के अन्दर हर तरह के कैदियों की संख्या बढ़ी है चाहे वे अपराध प्रवृत्ति के कैदी हों या राजनीतिक कैदी हों। माँगों को लेकर मास्टर बंद हुए हैं। यह सब देखते हुए आपको जेलों की व्यवस्था में सुधार करना चाहिए।

[श्री अरुण कुमार---]

यह सही है कि एक दो दिन में सब काम नहीं हो सकता लेकिन वहां लैट्रीन कैन्टीन वगैरह की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए । बन्दी रक्षक की तनख्वाह एंव सुख सुविधाओं की बढ़ोत्तरी करनी चाहिए ।

*श्री रवीन्द्र सिंह-(जिला गोरखपुर)---

मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । निश्चित रूप से कुछ सुधार, घोषणायें और कार्य माननीय मंत्री जी ने किया है । जैसे भोजन में कुछ सुधार किया गया, सफाई के संबंध में प्रभावशाली कदम उठाये गये, स्वच्छ शौचालयों के संबंध में इंतजाम किया गया । कैदियों की स्थिति सुधारने का प्रयास किया गया । दूसरे मुहकमों के मंत्रि को तो नौसिखिया माना जा सकता है लेकिन जनता पार्टी के किसी भी मंत्री को यदि कारागार विभाग दे दिया जाए तो उसे नौसिखिया नहीं कहा जा सकता और इस लिहाज से जो भी सुधार के कदम उठाये गये है, मैं उन्हें पर्याप्त नहीं मानता । निश्चित रूप से अच्छे कदम उठाये गये हैं । हमारे राम आसरे वर्मा जो काफी जेल में गये हैं, उन्हें इसकी काफी जानकारी है । हम इस तरह नहीं सोचते कि हमें अब जेलों में नहीं जाना पड़ेगा हमें फिर जेलों में जाना पड़ सकता है । छोटे-छोटे सुधार, जो सामान्य व्यक्ति के लिए उतना महत्व नहीं रखते हैं लेकिन जो लोग जेलों में रहते हैं उनकी निगाह से 60 ग्राम से 90 ग्राम दाल का बढ़ाया जाना, लकड़ी को ड्योढ़ा किया जाना शौचालयों में सुधार किया जाना, कितना महत्वपूर्ण है । उनकी परेशानियां हम हमने अपनी आंखों से देखी हैं इसलिए समझते हैं । जैसा आपने कहा है कि राशन की व्यवस्था पर आप पर्याप्त नियंत्रण रख रहे हैं और शिकायतें कम मिलेंगी मैं जानना चाहूंगा कि कौन सी प्रभावी व्यवस्था आपने इसमें की है । कोई बदली हुई व्यवस्था, जिससे पर्याप्त नियंत्रण रखी जा सके राशन के संबंध में, ऐसी व्यवस्था मुझे तो कहीं नजर नहीं आई ।

कहा गया है कि विद्युतीकरण किया गया है । पुस्तकालय भवनों, पुस्तकालय और मनोरंजन की सुविधा देने में कैदियों को अधिक सुविधा दी गई है । हो सकता है कि सरकारी खजाने से कैदियों के मनोरंजन के लिए, पुस्तकें पढ़ने के लिए और जो सुधार के लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिये पैसा ले लिया गया हो । लेकिन आप के 2-4 जेलों में जाकर देखें कि आपने जो पैसा दिया है कि कैदी मनोरंजन कर सके, किताबें पढ़ सके और इन्सान बनकर जेल से निकले उस पैसा समुचित रूप में जेल के कैदियों को सुविधायें मिल नहीं पा रही हैं । आप देखें कि जो भी सुविधायें आप कैदियों को दे रहे हैं वे सुविधायें कैदियों को वास्तव में मिल भी पा रही हैं या नहीं ? तमाम जेलों में उद्योग हैं, खेतियां होती है । जेलों में शारीरिक श्रम का अभाव नहीं है । पर्याप्त लोग हैं जो अपने श्रम से, उद्योग चला सकते हैं या खेती की उपज बढ़ा सकते हैं । लेकिन मेरा दावा है कि 2-3 जेलों को छोड़ सकते हैं बाकी सभी जेलों में जो खेती होती है, जहां आपको मुफ्त शरीरिक श्रम उपलब्ध होता है । मेरी चुनौती है कि जेल विभाग की जो खेती की उपज है वह जिलों की आम खेती से कम है । जेल की खेती में हर एक चीज की सुविधा है, शारीरिक श्रम हो, निगरानी रखने की सुविधा हो, पशुओं या दूसरे प्रकार की क्षति से बचाने की सुविधा है, किसी भी जिले के आम काश्तकार की खेती से जो औसत उपज जेल में होती है उस काश्तकार के मुकाबले कम है । या यह भी कहा जा सकता है कि प्रक्टिकल रूप से कागजातों में कम दिखाया जाता है । यही स्थिति उद्योगों

की है । मैं तो कहूंगा कि जो उपज होती है उसे कम दिखाया जाता है कागजों पर । अपने हित के खातिर जो जेल के अधिकारी हैं इसे कम दिखाते हैं । जेल में उद्योग हैं, खेती है, वहां पर दूसरे आय के स्रोत हैं, अगर मनुष्य से उन पर श्रम कराया जाय बेहतरी और तरक्की की कोशिश की जाय तो निश्चित रूप से काफी सुधार हो सकता है । अभी आप ने हवाला दिया कि पचास हजार की सब्जी जेलों में पैदा हुई । आपकी उपज बढ़ सकती है तमाम जेलों में सुधार करके । मैं आप से आग्रह करूंगा कि जेलों में उत्पादन क्षमता बढ़ायें, चाहे वह उद्योग के माध्यम से हो चाहे खेती के माध्यम से हो ताकि जेलों का विकास हो ।

मान्यवर, दो तीन सुझाव देना चाहूंगा । कैदियों को पेरोल दी जाती है । पेरोल माननीय न्याय मंत्री जी देते हैं शासन की ओर से । विशेष परिस्थितियों में एक, दो महीने का पेरोल मिलता है । विशेष परिस्थितियां खत्म हो जाती हैं पैरोल पर छूटने और जेल के फाटक पर पहुंचने के साथ । न्यायिक स्थिति की जांच कर लें, मुझे ठीक से जानकारी नहीं है । सारी परिस्थितियों का अवलोकन कर लें । यदि सम्भव हो तो एक महीने के पेरोल की सुविधा तीन विशेष परिस्थितियों में देने का अधिकार आप जेलों के अधीक्षक को दे दें । वह देख लें कि जेल में कैदी का जीवन शांतिपूर्वक हो, दुरस्त हो, सभ्य हो, अनुशासित हो । इस प्रकार विशेष परिस्थितियों का अवलोकन कर लें और एक महीने के पेरोल की सुविधा कारागार के अधिकारी को देने का अधिकार दे दें ।

एक पक्ष बंदियों का, मेरे ख्याल से यह भी है, जो लक्ष्य माननीय मंत्री जी का भी होगा कि बंदी को परिवर्तित कर एक अच्छे नागरिक के रूप में जेल से बाहर बनाया जाय । इसके लिए आपने नाम भी बदला है सुधार गृह । सुधार गृह नाम बदलने का मकसद आप का तभी पूरा होगा जब इस तरफ प्रयास किये जायेंगे । इसके लिए आप को कोशिश करनी होगी ।

एक दूसरा पक्ष है कैदियों की सुख–सुविधा देने का । जनता पार्टी के अधिकांश सदस्य इस सम्बन्ध में एक–एक चीज से वाकिब हैं । जेलों में रिश्वतखोरी हो, रिमिशन देने में धांधली हो, ये तमाम तरह की चीजें हैं ।

एक तीसरा पक्ष मान्यवर, जेल के कर्मचारियों का है । वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारियों को दिक्कतें हैं । बन्दी रक्षकों को सुविधा दी जानी चाहिए । उनकी तनख्वाह दूसरे विभागों के मुकाबले बहुत कम है, पदोन्नति नाम मात्र की है, आवास की व्यवस्था नहीं है । जो क्वार्टर उपलब्ध हैं उनकी हालत दयनीय है, उनकी मरम्मत का इन्तजाम नाम–मात्र का है । मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि कैदियों को सुविधा देने के लिए कैदियों को रक्षकों के बारे में भी सोचा जाय । वे भी कैदियों के एक अंग हैं । उनके लिए भी सुविधा दी जाय, उन्हें पदोन्नति की सुविधा, आवास की सुविधा, अधिक तनख्वाह की सुविधा देनी होगी । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं ।

(श्री सूरज प्रसाद का नाम पुकारे जाने पर)।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अगर नये बिन्दु प्रस्तुत करें तो ज्यादा बेहतर होगा, उनसे सदन को लाभ होगा । बार–बार एक ही चीज को दुहराने से लाभ नहीं होता ।

*श्री सूरज प्रसाद (जिला शाहजहाँपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि कृष्ण का जन्म भी कारगार में हुआ था और आज हम जनता पार्टी की सरकार में बैठे हैं, जनता पार्टी की सरकार का जन्म भी कारागार में ही हुआ है (व्यवधान) मैं वर्मा जी को एक शेर सुना दूं :

"साहिल के तमाशायी अफसोस तो करते हैं ।
पर डूबने वाले की इमदाद नहीं करते ।"

प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करते हुए मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे मंत्री समाजवादी हैं, उन्हें जेल का अनुभव है और मैं भी भुक्त भोगी हूं और मेरी समझ में कोई ऐसा न रहा होगा जिसको अनुभव न हुआ हो । जो मात्रा दाल तथा लकड़ी की बढ़ाई है, सामान की बढ़ाई है उसके साथ-साथ यह भी व्यवस्था हो कि कूड़े करकट वाला सामान कैदियों को न दिया जाय । अंग्रेजों के जमाने की जो बेड़ी डालने की प्रथा है, इसे समाप्त किया जाय । मैं शाहजहाँपुर जेल की सरप्राइज विजिट करता हूं । मैंने अपनी आँखों से देखा है कि कैदी जिनकी जाँघों में गोलियाँ लगी थीं उनकी जाँघों में बेड़ी डाली गयी थी । आज भी जेलों में यह प्रथा है कि रसोइये से उसकी जात पूछी जाती है । हरिजन लोगों की रसोई अथवा भंडारे में नहीं रखा जाता है । यह भी अस्पृश्यता दूर करने की एक कड़ी होगी यदि आप आदेश जारी करें कि भंडार में सिवा हरिजन के दूसरा खाना बनाने वाला नहीं होगा (व्यवधान) इसके अलावा जेलों में बीड़ी, सिगरेट तथा अन्य मादक वस्तुएं जाती हैं उन पर पाबन्दी लगा दी जाय ।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को यह भी बतलाना चाहता हूं कि शाहजहाँपुर जेल का कार्यक्रम सबसे अच्छा चल रहा है । वहाँ का जेल सुपरिंटेन्डेंट बड़ी तेजी के साथ बढ़िया काम कर रहा है । जेलों के अन्दर सफाई की व्यवस्था है । आज कल फ्लश लेटरिन का काम भी हो रहा है ।

लाउड स्पीकर लगे हुये हैं, रेडियों से प्रार्थनायें सुनाई जाती हैं और भी व्यवस्थायें की गई हैं । इसके साथ ही साथ वहाँ पर कैदियों को जो खाना दिया जाता है वह मैंने अपने आप वहाँ जाकर देखा है, टाइम पर अच्छी तरह से दिया जाता है, जेल के आस-पास कोई स्थान खाली नहीं रखा जा रहा है, वहाँ पर बागीचे लगाये जा रहे हैं । इन सबके साथ ही साथ मैं माननीय जेल मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे हमारी शाहजाँहपुर की जेल में एक टेलीविजन की व्यवस्था भी कर दें । इन शब्दों के साथ-साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हू और आपको बधाई देता हूं ।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कारागार मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

(श्री लक्खी सिंह के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय लक्खी सिंह जी, आप बार-बार क्यों उठते हैं ? नहीं उठना चाहिए । आप तो बुजुर्ग हैं और अनुशासित हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, आपने अभी यह संकेत किया कि कोई नया सुझाव आये तो मैं कुछ नये सुझाव रखना चाहता हूं। पहला यह है कि इस समय उत्तर प्रदेश की कारागारों में 30 हजार बन्दी हैं और केवल 25 हजार बंदियों की क्षमता ही यहाँ पर है। इसलिये यह आवश्यक है कि बंदियों की क्षमता के अनुसार कारागारों की संख्या अधिक होनी चाहिए। मैं इस विषय में यह कहना चाहूंगा कि हमारे जिले आगरे में एक केन्द्रीय कारागार था जो कि तुड़वा दिया गया है। इसको बनवाने के लिये 2 करोड़ 18 लाख रुपया खर्च होना था जिसमें से अभी तक केवल 68 लाख रुपया ही खर्च हुआ है, 1 करोड़ 50 लाख रुपया और खर्च करना है। लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि इस वर्ष बजट में केवल 10 लाख ही खर्च करने के लिये दिया गया है। यदि 10 लख रुपया ही प्रति वर्ष दिया गया तो वह 15 वर्ष में बनकर तैयार होगा और जेल की दीवालें 15 वर्ष से पहले ही टूट जायेंगी और इसका मकसद हासिल नहीं हो सकेगा। इसलिये मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आगरे की इस जेल को 2 वर्ष के अन्दर बनाकर पूरा कर दिया जाय ताकि लम्बी सजा पाने वाले कैदियों को फतेहगढ़ और बरेली न ले जाकर वहीं पर रखा जाय। इसके साथ ही साथ आगरे की कारागार की क्षमता 2 हजार कैदियों को रखने की है और इससे वह कमी भी दूर हो जायेगी। मैं सुझाव दूंगा कि आगरे का केन्द्रीय कारागार जल्दी बनाया जाय।

एक सुझाव और मैं अपने अनुभव के आधार पर रखना चाहता हूं। क्योंकि कांग्रेस शासन में मुझे भी जेल जाने का मौका मिला था। जब मैं एटा जेल में था तो मैंने देखा कि जो दाल वहाँ पर परोसी जाती थी उसमें मैं समझता था कि जीरे का छौंक लगा हुआ है लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि वह भिनुगा थे। इसलिय मैं कारागार मंत्री को बधाई दूंगा कि उन्होंने खाने की सामग्री की तरफ कुछ सुधार किया है। उन्होंने 60 ग्राम दाल के स्थान पर 90 ग्राम देने की व्यवस्था की है। जब हम दाल के अन्दर उंगली डालते थे तो एक दाना भी दाल नहीं मिलती थी और उन्होंने अब इस खाने की मात्रा को डयोड़ा कर दिया है। इसके अतिरिक्त पहले जब हमें दाल व सब्जी के लिये ईधन दिया जाता था तो उसमें हमें सचेत रहना पड़ता था कि खाना बनने से पहले ही कहीं ईधन खतम न हो जाय। वह भी माननीय मंत्री जी ने ड्योढ़ा कर दिया है। इन सब बातों के लिये मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

लेकिन इनके साथ ही साथ कुछ अन्य बाकी काम करने रह गये हैं। जैसे जेलों में जो अध्यापक पढ़ाने के लिये जाते हैं वे केवल बिना काम की तनख्वाह लेते हैं और मैं समझता हूं कि किसी भी कैदी को एक प्रतिशत भी शिक्षित करने का कोई काम नहीं किया जाता है। खानापूरी के लिये हाजिरी दी जाती है और कैदियों को पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि ऐसे अध्यापक रखे जांय जो कैदियों को शिक्षित करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कारागारों में जो कृषि फार्म हैं उनसे जो उत्पादन होता है, उसे कैदियों पर ही खर्च किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठिय।

*श्री देव कुमार (जिला बाँदा)--

मान्यवर, जैसा अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि जेलों ने दुनियाँ को महान व्यक्ति दिये हैं। मान्यवर, जेलों में ऐसे साहित्य लिखे गये जो कभी मिट नहीं सकते। तमाम दुनियाँ के क्रांतिकारी, साहित्यकार और राजनीतिक नेताओं ने जेलों में अपने विचार दिये और फाँसी के फंदे चूमे। आज हमारे यहाँ आप देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक, जवाहर लाल नेहरू और महात्मा गाँधी ने अनेक किताबें लिखी। पाकिस्तान में अभी हाल ही में मृत्यु की कोठरी से श्री भुट्टो ने जो किताब लिखी यदि मेरी हत्या कर दी जाय तो उसमें तमाम सारी चीजें मिलती हैं। एक अमिट इतिहास जेलों से हमको मिलता है। लेकिन तकलीफ यह है कि जेलों के अन्दर किस तरह से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मुझे भी कई बार यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद जेल जाने का इतफाक हुआ लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ यह होती है कि वहाँ पर पढ़ने लिखने की सुविधायें नहीं रहती हैं। मैं जब भी जेल जाता हूं तो सोचता हूं कि पढ़ने का मौका मिलेगा लेकिन वहाँ पर भरपूर सुविधायें पढ़ने और लिखने की नहीं मिलती हैं। जैसा हमारे साथी मोहन सिंह जी ने कहा कि आप कोई मौलिक सुधार जेलों में लाये और अंग्रेजों के जमाने से जो चीजें चली आ रही हैं, उनमें परिवर्तन लायें।

मान्यवर, यह सही है कि जनता पार्टी का जन्म जेलों में हुआ। लेकिन प्रजातांत्रिक पद्धति में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर आन्दोलन होते हैं। हम यह महसूस करते हैं कि जब तक पूंजीवादी व्यवस्था है तब तक जेलों की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, हर तरह के आंदोलन चलेंगे, हर व्यक्ति समस्याओं को लेकर आंदोलित होंगे। आज सामाजिक अपराध भी उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं। इसलिए माननीय सदस्यों ने माननीय मंत्री जी का ध्यान इन बातों की ओर आकर्षित किया है कि जेलों में जितनी जगह होती है उससे ज्यादा कैदी रखे जाते हैं। हमारे यहाँ बांदा जेल में, मेरी जानकारी है तीन साढ़े तीन सौ कैदियों के रखने की जगह है लेकिन वहां पर 5, 6 सौ कैदी से कम नहीं रखे जाते हैं जिसकी बजह से वहाँ असुविधा होती है और उनको या तो कैम्पों में रखना पड़ता है या फिर बाहर भेजना पड़ता है। इसलिए जेलों में जगह की पर्याप्त व्यवस्था करें और जो आप नई जेल बना रहे हैं वह आधुनिक तरीके को बनायें, उनमें शौचालय, बिजली और आधुनिक तरीके के पुस्तकालयों की व्यवस्था करें ताकि कैदियों का सुचारु रूप से सुधार हो सके। आज गाँधी जी की इस बात को सारी दुनियाँ मानती है रिफारमेशन थ्योरी को कि पाप से नफरत करो पापी से नहीं।

जेलों में शिक्षा की बात कही गई। जेलों में कैदी जो हैं वह ज्यादातर ऐसे जीवन स्तर से आते हैं जिनकी जिंदगी क्रूर होती है जिनको जीवन में किसी प्रकार की सुविधायें नहीं मिलती हैं जो समाज में अशिक्षा और अन्याय से पीड़ित होते हैं। बहुत से लोग परिस्थितिवश क्रिमिनल हो जाते हैं। ऐसी हालत में उनकी विचारधारा को, मस्तिष्क को बदलने से बहुत से रचनात्मक काम हो सकते हैं, लेकिन वहाँ शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है। और जो शिक्षक रखे भी जाते हैं, वह रिटायर्ड प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक होते हैं, जो आपके पढ़े-लिखे और आधुनिक अपराधियों पर असर नहीं डाल सकते है। उनकी योग्यता और ज्ञान बहुत ही सीमित है। पढ़े-लिखे और विचारवान व्यक्ति भी जेलों में जाते हैं, जहाँ उनके स्तर को ये लोग चोट नहीं कर सकते हैं। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता और पढ़े-लिखे लोगों को भी वहां भेजा जाए और समय-समय पर उनके लेक्चर्स कराये जाय।

जेल उद्योग के बारे में मैं कहना चाहता हूं। बरेली जेल को मैंने देखा है, वहाँ बहुत अच्छा कालीन का काम और लकड़ी का काम बनता है और लखनऊ जेल में तेल का उद्योग काफी अच्छा चलता है। तो यदि इस दिशा में इनकी शक्ति का और उपयोग किया जाए, जेलों में उद्योग अधिक विकसित किय जाएं, तो यह जेल उद्योगों के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं।

लगभग हर जेल के पास कुछ न कुछ जमीन है। पिछली सरकार में जेल मंत्री लोकपति त्रिपाठी के जमाने में मैं जेल कमेटी में था, उस समय एक निर्णय हुआ था कि हर जेल में इतनी जमीन है, उसको कृषि फार्म में बदला जाएगा और उसमें सब्जी की व्यवस्था की जाएगी और इस हेतु सिंचाई आदि का प्रबन्ध किया जाएगा। उसमें हिसाब से कई हेक्टर जमीन आई थी। मंत्री जी इस ओर पूरा ध्यान दें तो आपको काफी सब्जी वहाँ से मिल सकती है। आप जेलों की उस जमीन का और श्रम शक्ति का समुचित उपयोग करें, जिससे आपका बोझ भी कम हो सके। जो उद्योग आप खोलेंगे, उससे वहाँ के लोगों को मजदूरी मिल सकती है।

घुरमा जेल कैम्प में काम करने वालों को अच्छा पैसा दिया जाता है, जिसे वह अपने घरों को भेजते हैं। उसी तरह से यदि आप हर जेल में काफी उद्योगों को ले जाएं, तो वे जेल में रहते हुए अपनी आर्थिक मदद कर सकते हैं और उनके परिवार वाले जो समाज पर बोझ बनते हैं वह समाज पर से बोझ कम हो सकता है और वे समाज का जीवन जी सकते हैं।

आज जेलों की जो स्थिति है, जो समस्यायें हैं मेरा निवेदन है कि उनका अध्ययन करने के लिए आप विशेषज्ञों की एक समिति बनावें, जो एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट दे। इससे आपको जेलों में आवश्यक सुधार करने में मदद मिलेगी। मैंने बांदा के बारे में मन्त्री जी से निवेदन किया था कि वहां पर बड़ा भ्रष्टाचार है। वर्ष 77-78 में वहां 75 हजार रुपया जेल की मरम्मत के लिए गया, जेलर और डिप्टी जेलर ने उस धन का दुरुपयोग किया। इस पर मन्त्री जी ने जेलर को मुअत्तल तो अवश्य कर दिया, लेकिन उसके बाद जो दूसरे जेलर गए, उन्होंने समझा भ्रष्टाचार करने से कुछ भी नहीं होता है और उन्होंने इस दिशा में उनको भी मात कर दिया। उन्होंने अरहर की दाल की जगह केसरी की दाल चलाना शुरू किया और विभिन्न अनुदानों का भारी दुरुपयोग करना शुरू किया। अपने अनुदान का खर्च करने के लिए उन्होंने दो ट्रक बालू की अन्दर एन्ट्री कर दी, इस पर मैं डी० एम० को फोन किया था।

(व्यवधान)

श्री अविष्ठाता--

यह लिखकर दे दीजिएगा, अब आप बैठें।

श्री देव कुमार--

उस पर जब अधिकारी जेल में गया....

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

माननीय देवकुमार जी जिस कारागार पाल के बारे में शिकायत कर रहे हैं उसको मुअत्तल कर दिया गया है।

श्री देव कुमार--

माननीय मन्त्री जी ने पुराने जेलर को मुअत्तल किया है। नए जेलर की बात बता रहा हूं। इसने पुराने वाले को मात कर रखा है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त कीजिए।

श्री देव कुमार--

एक तथ्य और कह दूं। उन्होंने वारन्ट बेचना शुरू कर दिया। बांदा में तहलका मचा हुआ है। बहुत से गुंडे क्रिमिनल्स को किया गया। कत्ल केस का मुलजिम था। चार सौ रुपया लेकर वारन्ट का इंदराज रजिस्टर में कर दिया। जब वह जेल से बाहर निकल गया तो जांच हो रही है कि कैसे बाहर निकल गया।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें। माननीय लक्खी सिंह।

श्री देव कुमार--

मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मौजूदा जेलर को अविलम्ब हटा दें और जांच करवाने की कृपा करें। बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जनता में बड़ा भारी असंतोष है।

*श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने समय दिया। यह मेरा जीवन उन्हीं में रहा है, कारागारों में। उत्तर प्रदेश की पांच बड़ी जेल हैं, सेन्ट्रल, उनमें एक आध बची हैं। 51 जेल हैं। इनमें थोड़ी सी रह गई हैं। बाकी पूरी हो जायेंगी। कौन करेगा? कर दीजिए। हम इनसे जेल में ही कहते थे, वद्य जी से पूछ लो, यह है कृष्ण मन्दिर। अगर इनको कृष्ण मन्दिर माना जाय, इनके दरवाजों को भिस्मार कर दो, दरवाजे जेलों के खराब हैं। दरवाजे पर जाते ही बन्दी को भय सवार हो जाता है। नोट कर लो, ऐसे ही थोड़े बोल रहा हूं, किसी ने बोला है? हर जेल का दरवाजा बदल दिया जाय, यह मेरा सुझाव है। वह दरवाजा जेल का न हो। जैसे वृन्दावन में बिहारी के मन्दिर का दरवाजा है, जैसे मथुरा जी में द्वारकाधीश मन्दिर का दरवाजा है, ऐसा दरवाजा बनवा दो।

श्री अधिष्ठाता--

आपको वहाँ पुजारी बना दिया जाय।

श्री लक्खी सिंह--

मैं तैयार हूं। हम कभी डरते नहीं। अंग्रेज से डरे नहीं। फिर काले अंग्रेज की सरकार आई। उससे डरे नहीं। अब चतुर्मुखी सरकार है। इनसे भी नहीं डरते। हमें कोई डर नहीं है। लेकिन एक बात हम कह देते हैं। उनसे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बराबर समय देंगे, कौन महाराज बोल रहे थे, कटौती वाले। हम दो चार बात बताते हैं आपके द्वारा, इन जेलों को अंग्रेजी में फैक्टरी कहते हैं, हिन्दी में उद्योग धंधा बना दीजिए और जो नौ जवान हैं, उनको ट्रेनिंग दो, जो लड़के फंस जाते हैं, उनकी वहाँ पर परेड सिखाई जाए और दुश्मन के सामने उनको भेजा जाय। यह काम किया जाय। हमारे मन्त्री जी नवजवान हैं, वह हमारी बात मानेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, समाजवादी हैं वह।

मान्यवर, शौचालयों की जो व्यवस्था है, वहाँ पर वह नर्क है। सबसे बुरी चीज है तो वह शौचालय है, टट्टी है। कोई भी भला आदमी यहाँ जा नहीं सकता है। इन 30 सालों में उनकी हालत नहीं सुधरी। अंग्रेजों के जमाने में तो कुछ लोग गए थे, जैसे वैद्य जी गए। उन शौचालय के लिए हम लोग कहा करते थे कि जब हमारी सरकार होगी तो बढ़िया बना देंगे, नर्क नहीं होगा। 2 साल हमारी सरकार को हो गए, चाहे रामनरेश जी की सरकार रही हो और चाहे बनारसी दास जी की सरकार हो, यह जरूर है कि बहुत परिवर्तन हुआ है, 30 साल के बराबर 2 साल में परिवर्तन कर दिया। जेलों को स्वर्ग बना दिया। मथुरा जेल सबसे खराब जेल थी, अब देखो उसे बहुत बढ़िया जेल बना दिया। पहले भय लगता था, क्योंकि मैं जब पकड़ा जाता था तो सबसे पहले उसी में जाता था और फिर मैं सबसे डबल बदमाश था तो मुझे एक महीने भी नहीं रहने देते थे, फिर दूसरी जेलों में भेज देते थे। वह कच्ची जेल थी, मिट्टी की दीवारें थीं, तो बारिश में भय लगता था कि कहीं दब न जायं। कई लोग दब भी गए। चक्की की मसक्कत हटा दिया तो हमारी सरकार ने बहुत अच्छा किया है। चक्की पीसने में बड़ा कष्ट होता था। यह हटा दी।

श्रीमन्, बेड़ी की सुन लो। कुछ अधिकारी खराब हैं कुछ अच्छे हैं। कुछ अधिकारी राशन चोर हैं। मैंने परिवहन मन्त्री जी से कहा था, वह सोशिलिस्ट हैं और कारागार मन्त्री जी भी सोशलिस्ट हैं। मैं कहता हूं कि बुर्का पहिन कर जाओ। जेलों में छापे मारो। यह वर्दी नहीं, कार में बैठकर नहीं, कलेक्टर को पहले सूचना देकर नहीं, अचानक जाओ। अचानक छापे मारो और राशन चोरों को पकड़ो और उनको दन्ड दो। जो बन्दियों के राशन को खा जाये, उसके बराबर कोई राक्षस नहीं है जो सरकार देती है, वह राक्षस खा जाते हैं। मैं फिर मन्त्री जी से कहता हूं कि बुर्का पहिन कर जाओ या सन्यासी कपड़े पहन कर जाओ और छापे मारो और जो राक्षस हों, उनको कठोर दन्ड दो। माननीय मन्त्री जी हमारे सुझावों में से कुछ न कुछ तो जरूर मानेंगे।

*श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे माननीय जेल मन्त्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों पर बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी को भी हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस समय अपना कार्यभार संभाला, बंदियों के लिए जेलों के अन्दर चाय की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमला प्रसाद वर्मा--]

व्यवस्था की । इसके साथ-साथ यह भी घोषित किया कि दोपहर के भोजन के पूर्व उनको गुड़ दिया जायगा। यही नहीं अपितु यह भी घोषित किया गया था कि भोजनोपरान्त अपराह्न में बंदियों को स्वास्थ्यवर्धक पेय भी दिया जायगा । इस सम्बन्ध में मेरा केवल इतना निवेदन है कि जो समय निर्धारित किया गया है, यह उचित नहीं है । वैसे तो जो बंदी जेल में जाते हैं, वे कहते हैं कि मैं ससुराल जा रहा हूं, लेकिन वहाँ पर इस प्रकार का स्वागत नहीं होता है । शाम को जो मुल्जिमान अदालतों से लौट कर जाते हैं तो उनको वही चाय जो बार-बार गर्म की गयी होती है और खराब हो जाती है, दी जाती है । नतीजा यह होता है कि बड़ा हल्ला-गुल्ला मचता है तो मेरी प्रार्थना है कि जो उनकी चाय का शाम का समय निर्धारित किया गया है, वह उन्हें प्रातःकाल दी जानी चाहिए । इसके साथ-साथ गुड़ जो भोजन के पूर्व देने की व्यवस्था है अगर वह भोजन के उपरान्त दिया जाय तो यह हाइजेनिक और स्वास्थ्यवर्धक भी होगा । इसलिए पूर्व नहीं बल्कि भोजन के बाद गुड़ दिया जाना चाहिए ।

तीसरी बात जो मुझे कहनी है, वह यह है कि स्वास्थ्यवर्धक पेय जो उनको भोजन के उपरान्त दिया जाता है, वह अपरान्ह में जिस समय चाय देने की बात कही है, उस समय देना चाहिए ।

अब मैं बहराइच जेल की ओर अपने माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । यह जेल बहुत पहले बनाई गई थी, जिसमें केवल 300 बंदियों के रहने का स्थान था, लेकिन इस समय इसमें औसत 800 बंदी रहते हैं । बन्दियों के लिए क्वार्टर्स की बहुत कमी है, मेरी प्रार्थना है कि इसको पूरा कराया जाना चाहिए ।

जैसा कि अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि हर जेल में शौचालयों की बहुत दुर्व्यवस्था है । उसी प्रकार से बहराइच जेल में भी बहुत पुरानी टट्टियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पर फ्लश सिस्टम की बनवाई जायं ताकि जेलों में स्वस्थ वातावरण बन सके ।

इसके अलावा मान्यवर, हमारी बहराइच की जेल में एक 12 एकड़ का फार्म है जो खुला हुआ पड़ा है । जेलों के अन्दर जो फार्म्स हैं, उनमें अच्छी-खासी कृषि हो सकती है और शाक-सब्जी उगाई जा सकती है ताकि वहाँ के लोगों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके । मेरी प्रार्थना है कि वहाँ पर जो खुला हुआ मैदान पड़ा है, उसके चारों तरफ बाउन्डरी वाल खिंचवा दी जानी चाहिए और अगर यह सम्भव न हो सके तो काँटेदार तारों से उसे घिरवा देना चाहिए और अगर वहाँ पर एक ट्यूबवेल की व्यवस्था हो जाय तो उसके द्वारा सिंचाई कराकर वहाँ पर शाक-सब्जी का उत्पादन हो सकता है और अन्नोत्पादन भी हो सकता है । इसके साथ-साथ मुझे यह भी निवेदन करना है कि उसमें एक कुंआ है और 2 हैंड पाइपस हैं पीने के पानी और नहाने के लिए। जिस समय वहाँ पर बन्दी नहाने जाते हैं तो बड़ी भीड़ हो जाती है और लड़ाई दंगा भी हो जाता है । उस जेल के पास वाटर वर्क्स की पाइप लाइन भी गई है । तो मेरा सुझाव है कि वहाँ पर वाटर वर्क्स की पाइप लाइन का प्रबन्ध किया जाना चाहिए ताकि जेल के अन्दर जल की व्यवस्था हो जाय और पीने के पानी की कठिनाई न हो ।

वहाँ पर जो पुलिस है और जेल पुलिस है, उन लोगों के लिए बहुत कम क्वार्टर्स हैं । एक-एक कमरे में 4-4 और 5-5 व्यक्ति रहते हैं । मेरी प्रार्थना है कि उनके आवास की व्यवस्था करनी चाहिए ।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, पहले सिविल पुलिस और जेल पुलिस, दोनों के वेतनों में समानता होती थी, लेकिन अब जो सिविल पुलिस है, उसकी ज्यादा है। मेरी प्रार्थना है कि इनके वेतनों में समानता की जानी चाहिए।

इसके साथ ही साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि जेलों के अन्दर जो शिक्षा की व्यवस्था है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। टीचर्स के लिए न तो कोई आवास की वहाँ व्यवस्था है और न ही उनको आवास भत्ता मिलता है या तो सरकार उनके लिए आवास की व्यवस्था कराए या उनको 10 प्रतिशत वेतन का आवास भत्ता दिलाए। इस पर मन्त्री जी को अवश्य विचार करना चाहिए।

इसके अलावा जो शिक्षा दी जाय, वह रोजगारप्रद हो और ऐसी हो, जिससे कि कैदियों में मानसिक परिवर्तन आ सके। आर्थिक दन्ड के जो अपराधी हों, उनको ऐसी शिक्षा मिले कि वे जेल से निकल कर अपना कोई छोटा-मोटा उद्योग चला सकें और अपनी अपराध करने वाली प्रवृति भुला सकें। इन शब्दों के साथ में इन अनुदानों का समर्थन करता हूं।

*श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। माननीय मन्त्री जी ने जो अपने बजट अनुदान प्रस्तुत किए हैं, उनका समर्थन करते हुए मैं कुछ उपयोगी सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, जुर्म से नफरत होना चाहिये मुजरिम से नहीं। मैं इस बात को नहीं मानता कि जेलों के अन्दर तमाम सुविधायें उपलब्ध हों, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था आज है, उसमें बेशक सुधार होना चाहिए। रिफारमेटरी एजूकेशन देने की जरूरत है। उसके लिए वहाँ रिफारमेटरी स्कूल्स होने चाहिए।

दूसरी बात यह कि आपके आई0 टी0 आई0 वगैरह के जो इन्सट्रक्टर्स होते हैं, उनको वहाँ जाकर कैदियों को छोटे-छोटे कामों की टेक्नीकल शिक्षा देनी चाहिए। कारपेन्टरी है, फरनीचर बनाना है, पालिश बनाना है, निकल पालिश बनाना है, सिलाई का काम है, साबुन बनाना है, बेंत का सामान बनाना है, छोटे-छोटे ऐसे काम उनको सिखाना चाहिए, जिससे की कैदी जेल से आने के बाद अपना कोई ऐसा काम कर सके, जिससे वह अपना खाने पहनने भर भी पैदा कर सकें तथा जेलों में उनके द्वारा बनाई हुई चीजें आसानी से बिक सकें।

महिलाओं के लिए जो आपके यहाँ महिला निकेतन है, उसके बारे में भी एक बात कहना चाहता हूं। वहाँ जेन्ट्स और लेडीज को कम्बाइन्ड काम करना होता है। (व्यवधान) वह परम्परा बहुत पहले से चली आ रही है। 30 वर्ष से वही चली आ रही है। इस नारी निकेतन के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उनको बातौर तोफा भेजा जाता है (व्यवधान) आप कोई ऐसा यहाँ का इन्तजाम करें कि यह चीज समाप्त हो।

(इस समय 2 बजकर 25 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

कैदियों को ऐसी शिक्षा आप दें, जिससे जो उनमें बुराई के लक्षण हों उनको वे, जब वे जेलों से बाहर आयें तो उन्हें वहीं छोड़ आयें, अपना वह आकर कोई रोजगार खोल सकें। इसके अलावा एक सुझाव यह भी देना चाहता हूं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुकीमुर्रहमान—[

कि जेलों के अन्दर बहुत से कैदी 300 रुपये महावार तक पैदा कर लेते हैं। इसका 30 या 40 प्रतिशत पैसा उनकी फैमिली को भी भेजना चाहिये। अभी तक शासन की ऐसी कोई नीति नहीं है, इसलिए मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि वे इस पर विचार करें। छोटे-छोटे उद्योगों का काम अगर जेलों में कैदियों को सिखाया जायेगा तो उनका ध्यान जरूर बुरे कामों की तरफ से हटेगा और सही कामों में लगेगा। वहाँ कोई ऐसे पुजारी तो जाते ही नहीं हैं कि जिनकी पूजा की जाय। इस बात से सुधार नहीं होता कि आप वहाँ पर चाय बंटवायें, गुड़ बंटवायें। जुर्म को देखते हुए 5 भागों में जेलों को डिवाइड करना पड़ेगा। उसमें पोलिटिकल लोग भी जाते हैं। लेकिन जुर्म की सजा और जुर्म का भय खत्म हो जाय तो उसे जेल भेजने से कोई फायदा नहीं है। जिस तरह से अधिकारियों की सी0 आर0 लिखी जाती है और उसको भय रहता है कि उसका काम कहीं खराब हो जायगा, तो उसके सी0 आर0 में लिख दिया जायगा। उसी प्रकार से जेल में सख्तियाँ होनी चाहिए बल्कि जेलों में सख्ती दुगुनी हो जानी चाहिए।

कभी-कभी कैदियों के नाम पर ऐसा कर दिया जाता है 5 किलो मूंज उसे बंटना है, दो किलो रूई उसे कातना है या 4 किलो रूई उसे धुननी है। तो 4 का 6 भी कर दिया जाता है कि उसे ज्यादा पैसा दिया जायगा। आप अपने हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट को निर्देश दें और उसके बाद इस प्रकार के जो छोटे-छोटे उद्योग के काम हैं, इन कामों में पैसा जो दीगर जगहों पर कन्ट्रेक्टर इन चीजों में दे रहा है, उसी प्रकार से वहाँ पर भी काम दीजिए, जैसे कारपेन्टरी का काम है, जो मुजरिम है, वह अगर कारपेन्टरी का काम जेल में करता है, तो वह जेल में मुजरिम तो है लेकिन वह जेल से बाहर जब आता है, तो कारपेन्टर कहलायेगा। तो अगर मुजरिम के जरायम को खत्म करना है, तो छोटे-बड़े, अच्छे-बुरे ये सारे काम वहां पर होना चाहिए।

श्रीमन्, जितना वह काम जेल में करता है और जेल से जो उसे आमदनी होती है, उसका 40 परसेन्ट उसके घर के सपोर्ट के लिए दे देना चाहिए। इस प्रकार से उसके परिवार को, अगर उसकी फैमिली के सपोर्ट के लिए मिलेगा, तो कम से कम उससे उसके बच्चे गन्दी नालियों में तो नहीं जायेंगे।

इसी के साथ-साथ मुझे एक बात और याद आई कि अभी मुझसे पहले हमारे सहयोगी, साथी जो बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा था कि जेल के अन्दर खादी का बैन कर दिया था, जो 32 साल की परम्परा चली आ रही थी, वही परम्परा होनी चाहिए। आपके पहले आपकी सीट पर जो मन्त्री थे, वहाँ पर उन्होंने गांधी आश्रम की वर्दी बन्द करवा दिया, जो तीस साल से खादी का इस्तेमाल खादी भन्डार से किया जाता था, वह इस्तेमाल किया जाय। माननीय मन्त्री जी हर जेल के अन्दर खादी भन्डार का काम शुरू करवा दें। उनके लिए वर्दी का कपड़ा खरीदा न जाय, बल्कि वहीं के कपड़े वहीं पर इस्तेमाल हो जायं।

श्रीमन्, जो रांड़, बेवा वगैरह रहती थीं, वे जेल में काम करती थीं, उनको सहायता किसी प्रकार से हो जाती थी, उससे उन गरीब महिलाओं की सहायता हो जाती थी। मैं माननीय मन्त्री जी से यह आशा करता हूं कि वह अपने बजट भाषण में यह क्लीयर करेंगे कि वही खादी भन्डार का कपड़ा जेलों में प्रयोग किया जायेगा। इन शब्दों के साथ में माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य--

श्री अधिष्ठाता महोदय....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, मैं कभी इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप में विश्वास नहीं करता किन्तु यह चरितार्थ है "जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी ।"

वर्मा जी ने जो कटौती प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करना चाहता हूं । हमारे साथियों ने बहुत से सुझाव दिये । वास्तव में अगर किसी भी राज्य को कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित करना है तो समाज के अवांछनीय तत्वों से उनकी रक्षा करनी होगी । इस तरह से अगर हम देखें तो जेल विभाग बहुत महत्वका विभाग है लेकिन दुःख है उसकी विशेषता, आवश्यकता का अनुभव होते हुए भी जो सुधार होना चाहिये था वह नहीं हो पाया । आज की जेल-जेल नहीं है, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है । जेलों का वातावरण तो अंग्रेजों के साथ चला गया किन्तु जो सुधार हुए हैं उनके बाद भी बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है जो हम चाहते थे वह नहीं हो पाया है, दूसरी बात है हमारा स्वप्न था कि स्वराज के बाद जेल की आवश्यकता नहीं होगी और इन्हें चिकित्सालयों, विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया जायेगा । किन्तु जो अपराधी मनोवृत्ति की भावना समाज में बढ़ रही है इसको देखकर सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि जेलों की व्यवस्था सुचारु रूप से की जाये और जब नाम दिया जाता है सुधार बन्दीगृह, तो उसे वास्तव में वैसा ही होना चाहिये । अब तक कुछ न किए जाने का दायित्व विगत शासन पर डाला जाता है ।

श्रीमन्, आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उधर बैठने वाले इधर से ही गए हैं और केन्द्र तक हैं । जो उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर हैं और अगर यह कार्य न हो पाया तो यह उनका भी दोष है, किन्तु मैं ऐसा नहीं मानता । अवश्य सुधार हुआ है । सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि अपराधी मनोवृत्ति के लोग जो जेल जायें, उनकी मनोवृत्ति समाप्त कर दी जाये और अच्छे नागरिक होकर निकलें ताकि समाज में उनका सम्मान हो और उनको कोई कष्ट भी न हो । कहने में यह बड़ी सुन्दर बात है लेकिन अमल में बड़ी कठिन बात है । इसके लिए जैसा कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था हो । जो शिक्षा दी जाती है उससे अपराधी मनोवृत्ति में अन्तर नहीं होता । आप कोई केन्द्र चुन लें जिसमें उच्च कोटि का कोई विद्वान ऐसा व्यक्ति हो जो मनोवैज्ञानिक तरीके से अपराधियों की मनोवृत्ति को दूर करने में सिद्ध हो सके, उसकी नियुक्ति करें और उसका परीक्षण करें । वहां अपराधियों को भेज कर देखें कि क्या उनमें कुछ अन्तर आया है । खाली साक्षर बना देने से किसी बन्दी को कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है । वैसे जो बाल-बन्दी-गृह हैं उनमें शिक्षा की व्यवस्था है ।

श्रीमन्, मैंने यह पुस्तिका देखी । इसमें उल्लेख किया गया है कि 1978 में 31581 की कुल क्षमता हमारे कारागारों की थी । और 32768 व्यक्ति उसके अन्दर रहते हैं । श्रीमन्, सर्वप्रथम मुझे इन आँकड़ों पर सन्देह है और सन्देह इसलिए है कि जो लोग चले गये, चले आये उसके हिसाब से यह अनुमानित आँकड़े हैं, जब किसी प्रकार के आन्दोलन चलते हैं, जैसे इस प्रदेश में चलते रहते हैं,

[आचार्य धर्म दत्त वैद्य---]

तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जेलों में जाते हैं, उनके लिए निवास की कोई सुविधा नहीं होती । मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि ये बन्दीगृह अंग्रेजी शासन काल के हैं जो सदा से उपेक्षित रहे हैं । अंग्रेजी शासन में इनके लिए कोई विशेष बजट नहीं रखा जाता था, न इस ओर विशेष ध्यान दिया जाता था । आज भी जेल के कर्मचारियों के साथ, बन्दियों के साथ बहुत ही उपेक्षा का व्यवहार किया जाता है । समाज को हमें अवांछनीय तत्वों से बचाना है, अपराधी मनोवृत्ति से बचाना है तो हमें वास्तव में सुधार करना होगा । जेलों में जो कैदी रहते हैं उनके श्रम का हम उपयोग नहीं कर पाते । बहुत से ऐसे काम हैं जो हम कैदियों से लेते हैं, जैसे अम्बर चर्खा से सूत कातना जाता है अगर यह पावर से काम ले लें तो हम उन बन्दियों को कोने से हटाकर दूसरे स्थानों पर लगा सकते हैं । हमारे यहां बहुत से उद्योग हैं । हम उन उद्योगों का आर्थिक दृष्टिकोण से विकास नहीं कर पाते । कैदियों के श्रम का लाभ नहीं उठाते । 18 लाख 32 हजार रुपया जो प्रान्तीय सरकार ने दिया था उनका हम उपयोग नहीं कर पाये । हमारे जेलों में कालीन, दरी बनती हैं जो देश में ही नहीं विदेशों में भी जाती थी और विदेशी मुद्रा अर्जित करतीं हैं । शासन की अकर्मणता के कारण हमारा उद्योग गिरता जा रहा है । हम निश्चित कर दें कि इस जेल के अन्दर केवल कालीनें ही बनेंगी या दरी बनेगी तथा सारी सुविधायें मुहैया करायें, कारीगर चाहे बाहर से दें तब हम उनको उपयोगी बना सकते हैं ।

इस प्रदेश ने जेलों में खुले शिविरों की व्यवस्था सर्वप्रथम की । सतारगंज में कैदी स्वच्छन्द रहता है । खेतों में काम करता है, रात को रखवाली करता है । घुरवा में भी जो काम पत्थर तोड़ने का चला, वास्तव में सफल हुआ है ।

मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने मजदूरी 5 रुपये से 10 रुपये कर दिया । किन्तु जो वह काम करता है उसका 10 रुपये भी कम है । आपने तो 10 रुपये इसलिए कर दिया कि बन्दी पर जो खर्च बढ़ रहा है उसकी मजदूरी बढ़ा कर पूरा कर लें । कभी आपने यह नहीं सोचा कि 5, 6, 10 वर्ष से यह व्यक्ति जेल में रहता है, यह बाहर रह कर कितना धन कमाता है । उस दृष्टिकोण से आपने न दाम दिया और न ही उससे काम लिया । हमें चाहिये कि विभाग द्वारा सीमेंट की फैक्ट्री लगाई जाये । कुछ कैदी इसमें काम करें केवल पत्थर तुड़वाने से काम नहीं चलेगा । मनुष्य का जो श्रम है उसको ध्यान में रखते हुए उसका पूरा लाभ उठाना होगा ।

एक सबसे बड़ी समस्या है भोजन की । मंत्री जी ने कहा है कि हमने अच्छे भोजन की व्यवस्था की है, दाल बढ़ा दी है तो मेरा सुझाव है कि आप जो लोगों को भोजन बांटते हैं वह न बांटिये । आप 6 रोटी देते हैं, चावल देते हैं, आप तंदूर पर रोटी पकवा कर या दूसरे प्रकार से रोटी पकवाकर उसको खाने पर बैठाइये । अगर वह 2 रोटी खाता है तो दो दीजिए, 6 खाता है तो 6 दीजिए । क्योंकि आज भी बहुत सा भोजन फेंका जाता है । आप 6 रोटी देते हैं किसी को उतने में गुजर नहीं हुआ तो उसने दो दूसरे से ले ली । लेकिन अगर किसी को 6 रोटी की जरूरत नहीं हुई तो वह खाना फेंक दिया जाता है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि शासन इस पर गंभीरता से विचार करे और भोजन की उचित व्यवस्था करे, सब्जी, दाल, रोटी उसको बैठाकर खिलायें, अपना-अपना तसला लेकर वह बैठें आवश्यकतानुसार खायें इस तरह से कुछ अन्न बच सके, भोजन बच सके तो उचित रहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अब समाप्त करें ।

श्री मोहन सिंह--

यह मंत्री रह चुके हैं ।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य--

मैं मंत्री रहा या नहीं रहा, लेकिन जेल में बहुत दिन रहा हूं । मुझे इसकी जानकारी आपसे अधिक है । इसलिए मैं अपने अनुभव की बात करता हूं । श्रीमन्, पूर्व सरकार ने इतनी सुन्दर व्यवस्था वहां न कर दिया होता तो ये इतने दिन आराम से वहां न रहे होते ।

अध्यक्ष--

आप उनकी बुजुर्गियत का ध्यान रखा कीजिये ।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य--

श्रीमन्, अंग्रेजों ने जो जेल का वातावरण बनाया था उसमें जब मनुष्य जेलों में जाता था तो ऐसे वातावरण में जाता था जो भय और आतंक का वातावरण था । लकिन अंग्रेजों के जाने के बाद जेल के वातावरण में आमूल चल परिवर्तन हुआ है और आज भय और आतंक नहीं है । तो क्या जरूरत है कि आप हम कैदियों की शक्ल-सूरत अजीब सी बनायें । कपड़े में नीली पट्टी, लाल पट्टी है, कपड़े भी अजीब तरह के हैं, हम क्यों नहीं उनकी आवश्यकतानुसार, मौसम के लिहाज से, सुविधाजनक उनको कपड़े दें चूंकि समय कम है इसलिए मैं मंत्री जी से इतना ही निवेदन करूंगा कि इन बातों पर विचार करें । इधर, उधर के बैठने की बात छोड़ें । लोग जो उधर बैठे हैं, उधर से ही इधर आने वाले लोग हैं । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री बसन्त (जिला देवरिया)--

मान्यवर, आज जो आपने मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । आज तक मैं नहीं बोल सका था । आज जेल का जो बजट आया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और साथ ही साथ मन्त्री जी को बधाई इस बात की कि अंग्रेजों के जाने के बाद आज तक जेल एक्ट में कोई संशोधन नहीं हुआ था । पहली बार जनता पार्टी के मंत्री ने आज संशोधन करके एक नई दिशा दिया है इसके लिए हम बधाई दे रहे हैं । साथ ही साथ जेल में जो सुविधा वह दे रहे हैं, उस सम्बन्ध में मैं मांग करता हूं कि जेल में जो मौजूदा पाखाने हैं उनको समाप्त किया जाये और जंजीर वाले फ्लश के पाखाने बनाये जायें । साथ ही साथ जो उसमें 60 वर्ष के कैदी हैं जिनको नजर से दिखाई नहीं पड़ता है उनको मंत्री महोदय को जेल से रिहा कर देना चाहिये क्योंकि वह सरकार के ऊपर एक बोझा हैं ।

मान्यवर, जेलों में पानी की बड़ी असुविधा है इसलिए जेलों में पानी की तत्काल व्यवस्था की जाये । जेलों में जो कैदियों को भोजन दिया जाता है उसमें भी परिवर्तन किया जाये और थोड़ा सा बढ़ाया जाये क्योंकि कैदियों को उतने से काम नहीं चलता है ।

[श्री बसन्त--||

मान्यवर, कैदियों को पढ़ाई-लिखाई में सुविधा दी जाये जिससे जब वह जेल से बाहर आवें तो उनको एक नई दिशा मिल सके। आजकल जेलों में कई किस्म के काम हो रहे हैं जैसे कालीन, मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, लकड़ी का काम हो रहा है, यह एक कारीगरी और ट्रेनिंग है, इसलिए कैदियों को इसकी सुविधा दी जाये।

मान्यवर, जेलों में जो कैदी पुलिस का काम करते हैं उनका वेतन बाहर की पुलिस से कम नहीं होना चाहिये और बाहर की पुलिस के बराबर उनका वेतन होना चाहिये।

साथ ही साथ, मान्यवर, हर कैदी को दवा देना चाहिये तथा वहाँ के डाक्टरों को हर कैदी की देखभाल करना चाहिये जिससे उनकी जिन्दगी अच्छी तरह से व्यतीत हो।

मान्यवर, जेल का जो मैनुअल है उसमें काफी सुधार होना चाहिये। इन शब्दों के साथ में इस बजट का भारी बहुमत से समर्थन करता हूं।

श्री बलदेव (जिला वाराणसी)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने कारागार बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने वाले हमारे चंद साथियों ने यह कहा है कि सबसे बड़ी तारीफ इस सरकार की यह रही कि जेल भुगतने वालों की संख्या बढ़ी है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वह यह भूल जाते हैं कि क्या हमारी जन संख्या की तादाद नहीं बढ़ी है। यदि बढ़ी है तो स्वाभाविक तौर से जेल में संख्या बढ़ेगी।

दूसरी बात यह भी महसूस करना चाहिये कि सरकार भी बदली है। सरकार के बदलने से भी किस तरह से आपकी सरकार के लोगों ने हम लोगों को जेल में डाल रखा था, इसलिए उनको सोचना चाहिये कि उनकी तादाद भी जेल में हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ में मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहूंगा और वस्तु स्थिति से भी अवगत कराना चाहूंगा। जैसा हमारे साथियों ने कहा और मंत्री महोदय ने शायद कबूल किया कि आटे की पिसाई में भूसी पिसाई जाती है जिसके निराकरण में मंत्री महोदय ने बताया कि जेलों में चक्कियाँ लगाई जायेंगी। तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यह चक्कियाँ चाहे जहाँ रहें, यह मनोवृत्ति पर आधारित रहती है। इस तरह से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए मनोवृत्ति की तरफ माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। वह ऐसी मनोवृत्ति है कि पराधीनता काल से हमारी जो आदत बना दी है, आज वह मजबूत होती चली जा रही है। रत्ती भर उसमें इधर-उधर की बात नहीं हुई। मैं जानकारी के रूप में बता रहा हूं। एक छोटा सा पात्र होता है जिससे आज कैदियों को चना भिगोया दिया जाता है। उस पात्र में नीचे सूराख करके चद्दर बिठा दी जाती है और जब भिगोया चना दिया जाता है तो नीचे से पात्र को उठा दिया जाता है जिससे एक-चौथाई या एक-तिहाई चना निश्चित रूप से कम होता है।

दूसरी बात यह भी रखना चाहता हूं कि आपने कहा कि कैदियों की रिहाई में गर्मी में 5-30 और जाड़े में 4-30 बजे तक रिहाई का काम होगा।

में बनाऊं 4-31 पर जो आपके नियमों के अनुसार जावेगा, उसको निश्चित तौर से राशन बनाकर तैयार हो जाता है और ठीक सबेरे उसकी रिहाई हो जाती है। इसी तरह से कैदी जिस दिन जेल में पहुंचता है, उस दिन उसको खाना नहीं मिलता। जिन दिन रिहाई होती है, वह राशन क्या होता है? मंत्री जी जरा इसको देखने की कृपा करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में सफाई के लिए मुसहर जाति के लोगों को कैद करके रखा गया है और आज भी वे सफाई का काम जेलों में कर रहे हैं। मंत्री जी ने कहा कि पाखाना की सफाई के लिए व्यवस्था में तब्दीली करेंगे और सफाई के लिए दीगर लोगों को रखेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी आज अपने बजट भाषण में अपनी क्षमता के मुताबिक जितने इस तरह के कैदियों को निकाल सकते हों, जितने लोगों की रिहाई कर सकते हों और उनकी जगह जितने सफाई मजदूर रख सकते हों, उसके लिए घोषणा कर देंगे तो मुझे ऐसा महसूस होगा कि हमारे मंत्री महोदय ने डाक्टर लोहिया के क्रिया-कलापों से अनुभव लिया है और मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में वे तत्कालिक निर्णय लेने में जरा भी नहीं हिचकेंगे। इन शब्दों के साथ पुनः मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे कैदियों को, जो उनकी क्षमता के अंदर हों, जिनको सफाई के लिए कैद कर रखा गया है, इन मुसहर लोगों की रिहाई करने की कृपा करेंगे।

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद) --

माननीय उपाध्यक्ष, माननीय कारागार मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस सम्बन्ध में जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं।

मान्यवर, आज जेल और जेलर की स्थिति में कुछ कहना चाहता हूं कि अभी तक जेल का नाम जेलर ही बना है। जेलर का नाम तो बड़ा भयंकर नाम है। जेलर नाम के स्थान पर कोई ऐसा नामकरण करें ताकि उनके दिमाग में कुछ परिवर्तन हो। मान्यवर, जेलर शब्द ही बड़ा भयंकर नाम है। मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूं कि जेल के अन्दर जो भेजा जाता है, वह सुधार के लिए भेजा जाता है। लेकिन, मान्यवर, वहाँ से जो लौटता है वह अधिक ज्यादा बिगड़ जाता है और कुख्यात अपराधी बन जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि जेल के अंदर जो हवालाती रखे जाते हैं जो दूसरी, तीसरी या चौथी बार जाते हैं उनके साथ जो नये हवालाती रखे जाते हैं और उनके साथ रहकर भी भयंकर अपराधी बन जाते हैं। मैं चाहूंगा कि जेल में एक बार जो कैदी जाते हैं और दूसरी बार जो अथवा बार-बार जेल जाने वाले हवालाती कैदियों से उनको अलग रखा जाय। हम देखते हैं कि कारागार के अन्दर सब एक ही साथ रखे जाते हैं जिससे जो नये अपराधी होते हैं उनको पुराने अपराधी पढ़ा लिखाकर पक्का अपराधी बना देते हैं और जब वे बाहर निकलते हैं तो बहुत बड़े-बड़े अपराध करते हैं। हमारे इलाहाबाद में नैनी केन्द्रीय कारागार है। पहले जिला कारागार अलग था। सन् 1931 में वह तोड़ दिया गया और तब से केन्द्रीय कारागार में मिला दिया गया है। कम से कम जहाँ केन्द्रीय कारागार है वहाँ जिला कारागार अलग बनाया जाय नैतिकता की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय। नैतिक शिक्षा के अभाव के कारण अपराधियों में

[बाबा राम अधार यादव—]

कोई सुधार नहीं हो पा रहा है । इसलिये जो भी अपराधी जेलों से निकलते हैं उनमें कुछ भी सुधार नहीं होता है । मैं चाहूंगा कि जो अपराधी बार-बार अपराध कर जेल जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी यातनायें दी जानी चाहिए जिससे उनका सुधार होगा । उनको खिलाइये, पिलाइये खूब, सब सुविधायें दीजिए मगर कड़ा श्रम उनसे लीजिए तभी उन पर कुछ असर होगा । आज जेल मेहमानखाने बन गये हैं । यहाँ पर जरूर यह कहूंगा कि जो राजनीतिक बन्दी हैं उनके साथ वह व्यवहार न किया जाय जो साधारण कैदी के साथ किया जाता है चाहे वह किसी भी दल से सम्बन्धित हो ।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहूंगा कि जेल के अन्दर जिनको एक साल से ऊपर की सजा मिले उनको किसी कारीगरी के काम में रखा जाय । आज जेलों के अन्दर जो उद्योग कार्य चल रहे थे, सभी उद्योग कार्य ठप पड़े हैं । जब वहाँ के कारागार अधीक्षक से पूछा जाता है कि उद्योग धन्धे बन्द क्यों हैं तो वह बता देते हैं कि मेरे पास बंदियों की संख्या कम है इसलिए हम कोई उद्योग को चला नहीं पा रहे हैं । मैं चाहूंगा कि हर कारागार के अन्दर एक या दो किस्म का उद्योग धंधा चालू करना चाहिये । लम्बे अरसे के जो कैदी हैं उनको उद्योग धंधों से प्रशिक्षित किया जाना अति आवश्यक है । जब वह प्रशिक्षित हो जावें और कार्य करें उन्हें परिश्रमिक दिया जावे । उनके खाने का, कपड़े का पैसा उनकी मजदूरी में से काट लिया जाय और शेष पैसा या तो जमा कर दिया जाय या उनके परिवार वालों के लिए भेजा जाय । साथ ही यह भी किया जाय कि अगर वे कोई उद्योग सीख जाते हैं और जब कैद से छूट कर बाहर आते हैं तो सरकार उनके रोजगार की भी व्यवस्था करे । जैसे बुरी का काम सीख लिया, बढ़ई का काम सीख लिया तो इस प्रकार के रोजगार की व्यवस्था उनके लिए की जाय, जब वह छूट कर आयें ।

एक चीज यह भी बताना चाहूंगा कि आजकल जेल के अन्दर बहुत जमीन पड़ी हुई है । जमीन बहुत उपजाऊ है । सारे तरह के साधन हैं । मगर जो अधिकारी कारागार में हैं, वे अच्छी तरह से काम नहीं ले पा रहे हैं । केन्द्रीय कारागार में तमाम जमीन पड़ी है, जितनी पैदावार होनी चाहिये उतनी पैदावार नहीं हो पाती है । जिस बंगले में अधीक्षक रहते हैं उसके बगल में कम से कम 5 एकड़ जमीन है उस जमीन से कोई लाभ नहीं है । इस तरह से सरकार को बड़ी हानि होती है ।

एक चीज मैं यह देख रहा हूं कि कारागार अधीक्षकों को बहुत बड़ा बंगला दे दिया गया है । उनको कम से कम तीन-चार कमरे का मकान दिया जाना चाहिए । वहीं पर जो बंदी रक्षक हैं उनको वही पुराना मकान मिल रहा है । वहाँ डिप्टी जेलर हैं, उनको भी रद्दी मकान मिला है । तो मैं चाहूंगा कि जो 6 करोड़ का बजट है जेल का, इसको बढ़ाया जाय तभी जेलों का सुधार हो सकता है । 6 करोड़ के बजट में लूट खसोट कितनी हो सकती है । लूट तो सिंचाई विभाग तथा अन्य विभागों में हो रही है जहाँ रुपये में 60 पैसे की लूट है । 6 करोड़ में लूट क्या हो सकती है ? कारागार मंत्री ने जो क्रान्तिकारी कदम उठाया है, उसे वह बराबर उठाते रहें, जेल में सुधार लाने के लिये तत्पर रहें । इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं चूंकि हमारे प्रदेश में जेल ही ऐसी जगह

है जहाँ फ्री काम करने के लिये आदमी मिलता है । वहाँ इतनी गैर जिम्मेदारी से 6 करोड़ का बजट दे दिया जाय, यह उचित प्रतीत नहीं हुआ । हमें थोड़ा तजुर्बा जल में रहने का हुआ है । बहुत से साथियों ने यह बात कही कि उनकी बुनियाद जल के बाहर रखी गयी लेकिन पैदाइश जेल में हुई । इसका मतलब यह है कि पैदा तो बाहर हुए लेकिन परिवरिश जेल में पाई और जेल के वातावरण में ही वह रहा । 72-73 बार मुझे जल जाने का अवसर हुआ । जल में जितनी तब्दीली होनी चाहिये थी, जितना आगे जेल में तरक्की होनी चाहिये थी वह नहीं हुई है । जेल में जाने के बाद जितना क्रिमिनल को सुधरना चाहिये उतना वह नहीं सुधर पाया ।

महात्मा गांधी, पं० जवाहरलाल नेहरू तथा देश के बड़े-बड़े नेता जिन्होंने देश को आजाद कराया, वे जेलों में रह कर ही बढ़िया आदमी तथा बढ़िया नेता बने लेकिन आजकल के हालात में वह बात नजर नहीं आती । आप देखें कि एक तरफ तो हमारा सिपाही है, दूसरी तरफ एक कैदी है । कैदी की सेहत तो भी ठीक मिलती है लेकिन सिपाही की सेहत, रहन-सहन तथा उसका चेहरा बहुत ही घटिया नजर आता है । उसकी वजह है, उसका वेतन जो बहुत कम मिलता है और काम ज्यादा लिया जाता । 8 बजे सुबह जाता है, 8 ही बजे रात्रि को वापस आता । इसके अलावा करप्शन की बात कही जाती है लेकिन मेरा ख्याल है कि करप्शन ऊपर से चलता है । आई० जी०, मंत्री तथा सचिव ठीक हों तो सिपाही भी ठीक रहेगा । सिपाही को सबसे कम वेतन मिलता है, सबसे ज्यादा काम लिया जाता है, गाली तथा ठोकर अलग से मिलती है लेकिन आप उसे ईमानदार देखना चाहते हैं । लेकिन जिसे सबसे अधिक आराम तथा सुविधा मिल रही है, बंगले में रहता है, हरामखोरी वह अलग से करता है तथा जेल का सारा सामान वह चोरी करवाता है और जितना सामान चोरी में जाता है उसमें ऊपर के अधिकारियों को जेलर तथा सुपरिन्टेंडेंट को ज्यादा हिस्सा मिलता है और सिपाही को बहुत कम मिल पाता है ।

मान्यवर, आज वहाँ पर करप्शन आगे बढ़ रहा है जिसका कि आम कैदियों पर असर पड़ रहा है । मुझे ऐसा लगता है कि जो जेल में जाते हैं उसमें 60 फीसदी लोग ऐसे होते हैं जो बेगुनाह होते हैं, जरायम नहीं करते हैं । 309 में पकड़ लेते हैं, 402 में पकड़ लेते हैं । 109 में पकड़ लेते हैं और झूठे बन्द किये जाते हैं जब उनको धोबी की जरूरत होती है, स्वीपर की जरूरत होती है तो उनको पकड़ कर बाहर से जेल भेज दिया जाता है । यह चीज हमारे देश से खत्म नहीं हो पायी । वहाँ पर टट्टी कमाने का काम, स्वीपर को करना पड़ता है । इस आजाद भारत में और महात्मा गांधी के देश में इस लानत को हम समाप्त नहीं कर पाये ।

माननीय मंत्री जी डाक्टर लोहिया के चेले रहे हैं । श्री बनारसीदास के चेले नहीं हैं वे तो उसी पुराने ढंग से चलेंगे, लेकिन आप तो क्रांतिकारी हैं, श्री बनारसी दास को तो बुरजुआ मानते थे, मंत्री जी और उनके साथी । मैं आपको सुझाव देना चाहती हूं कि सिपाहियों और आई० जी० के वेतन और सुविधा में फर्क लाइये । सिपाहियों का वेतन बढ़ाइये ताकि वे अपना जीवन निर्वाह ठीक से कर सकें, कैदियों की रोटी न चुरायें, अपने बच्चों का पेट भर पायें । इसीलिये

[श्री मन्जूर अहमद]

हमारे जो जेल के फार्म हैं, वे घाटे में चल रहे हैं कि हम कोई ठोस काम नहीं कर पाये हैं ।

मेरा सुझाव है कि बन्दियों को सुधारने के लिये अच्छे शिक्षक भेजना चाहिये । बाहर से जो लोग शिक्षक के रूप में वहाँ जाते हैं, वे उचित प्रकार की शिक्षा नहीं दे सकते । उनको ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे जब जेल से बाहर आयें तो अच्छे नागरिक बन सकें और हिन्दुस्तान को कुछ न कुछ दे सकें । लेकिन इसका उल्टा होता है । उसको लूटा जाता है उसको धक्के मारे जाते हैं, उसके घर के लोगों को लूटा जाता है जो मिलाई करने आते हैं । मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि जेलों के अन्दर वह काम होते हैं जो कोई बाहर नहीं कर पाता है । वहीं बैठे-बैठे सारे साधन जुटाये जाते हैं और वहीं पर उपलब्ध सारी चीजें मिल जाती हैं । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम सितारगंज जहाँ कि खुले में काम होता है उनको आप अच्छी मशीनें दे दें, अच्छे साधन दे दें, अच्छे काम दे दें । आपके यहाँ यह जरूरी नहीं है कि आपका कम्बल बाहर से आये, तेल, लत्ता कपड़ा आदि बाहर से आये । ये सब छोटी-छोटी चीजें जिन्हें आप स्वयं पैदा कर सकते हैं और क्षमता बढ़ा सकते हैं । इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे सुझावों पर गौर करें । सिपाही और आई० जी० के फर्क को मिटायें और जेलों में जो लूट खसौट होती है तथा बाहर से जाने वाले व्यक्तियों को जिस तरह से लूटा जाता है, वह बन्द करेंगे । मुझे उम्मीद है कि आपके जमाने में मुकम्मल तरीके से यह सारी चीजें बन्द होंगे ।

मैं कहूंगा कि कम से कम जिन कर्मचारियों ने अच्छा काम किया है, उनको प्रोत्साहन दिया जाय । जेलर और सुपरिन्टेन्डेन्ट्स को आप देखें उनका मुटापा बढ़ता जा रहा है और एक सिपाही को देखें वह कभी तन्दरुस्त नहीं मिलेगा । ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो हटने के लिये तैयार नहीं हैं । मान्यवर, एक असिस्टेंट जेलर को भूतपूर्व मंत्री ने सस्पेन्ड कर दिया था और फिर वहीं भेज दिया । यह आपको देखना चाहिए । जनता पार्टी के मंत्री ने ही उसे सस्पेंड किया था । वह छुट्टी लेकर पड़ा रहा । यह सब नहीं होना चाहिए । अन्त में मैं एक शेर पढ़ देना चाहता हूं :

वक्त लिखेगा कहानी अब नये मजबून की,
जिसकी सुरखी को जरूरत है तुम्हारे खून की ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, सदन के तमाम जिन माननीय सदस्यों ने आज इस चर्चा में भाग लिया मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा । कारागारों में सुधारों की आवश्यकता के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने संकेत किया । माननीय मोती लाल देहलवी जी ने तो बिलकुल सच्चाई सदन के सामने रख दी । जेलों में जो लोग जाते हैं उनके लिए कहा जाता है कि उनका सुधार किया जाता है लेकिन वह कच्चे जाते हैं तो पक्के होकर आते हैं । यह बात अगर 20 साल पहले सच थी या तीन साल पहले सच थी तो आज भी सच है । हम मानते हैं कि जेलों के अन्दर सुधार हो और इस दिशा में समय समय पर कदम भी उठाये गये हैं । आज हमारे जो जेल मंत्री हैं उन्होंने जिस तरह से आश्वासन भरे शब्द कहे हैं, उनको ठोस निर्णय नहीं तो आश्वासन के रूप में उन्हें हम सुधार का एक हिस्सा मानते हैं ।

मान्यवर, हम तो यह चाहते हैं जहाँ एक तरफ कैदियों, हवालातियों की दशा सुधारने के बारे में चर्चा हुई वहीं कम से कम उन लोगों के बारे में भी गहराई से सोचना चाहिये जिनकी जिन्दगी ही जेलों से जुड़ी है चाहे वह सिपाही हो, चाहे वार्डन हो या छोटा मोटा अधिकारी हो। कैदी या हवालाती थोड़े दिनों के लिए जेल जाते हैं लेकिन जेलों में काम करने वाले लोगों का पूरा जीवन दूसरे रूप में कहा जाय तो उनको आजीवन कारावास होता है। वह 24 सौ घंटे ड्यूटी में रहते हैं और बाद में जब लोग आरोप लगाते हैं तो उनको रोटी चोर की संज्ञा ही दे पाते हैं। 5–6 करोड़ के बजट में कितना वह चोरी करेंगे। आज बहुत से विभाग आपके ऐसे हैं जिनमें करोड़ों रुपये ऐसे ही चले जाते हैं। जेल के कर्मचारी राशन तक ही सीमित रह जाते हैं। तो उसके लिए हमें कारण ढूंढने चाहिये जिनकी वजह से उनको रोटी चोर की संज्ञा दी जाती है। आज उनकी सेवा की हालत इस तरह की नहीं है जिसको हम कह सकें कि अच्छी है। जितनी वह ड्यूटी देते हैं उसके हिसाब से उनकी सेवा शर्तें अच्छी नहीं है। उनका वेतन भी कम है उसके साथ साथ उनके घरों की हालत, जो कमरे उनको दिये जाते हैं वह बड़ी मुश्किल से मिलते हैं उसमें अधिकारियों और कर्मचारियों में आपसी में लड़ाई होती है, लाठी तक चलती हैं एक कहता है हम रहेंगे और दूसरा कहता है कि हम रहेंगे। तो आज उनके लिए पर्याप्त एकोमोडेशन नहीं है और जो है भी वह बहुत पुरानी है, एक तरफ दीवाल है तो दूसरी तरफ गिरी हुई है। यदि दीवाल ठीक है तो छत गिरी हुई है। तो इस बारे में भी आपको उचित व्यवस्था करनी चाहिये।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ में कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी ने जो अनुदान पेश किया है और राम आसरे वर्मा ने उसमें कटौती का प्रस्ताव पेश किया है। इच्छा जरूर होती है कि मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लूं लेकिन हमारे विरोध पक्ष के लोग हमारे ऊपर शक नहीं करेंगे लेकिन जनता पार्टी के लोग माननीय वर्मा जी के ऊपर शक करने लगेंगे कि वह विरोध पक्ष के साथ मिल गये हैं। यह सोचकर मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस नहीं ले रहा हूं और आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

श्रीमन्, जिन–जिन माननीय सदस्यों ने कारागार विभाग की अनुदानों की बहस में हिस्सा लिया, उन सभी के विचारों को मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। कुछ लोगों ने बहुत ही मूल्यवान सुझाव दिये हैं, जिनको उपयुक्त समय पर लागू भी किया जाएगा। ज्यादातर सुझाव माननीय सदस्यों ने कारागार विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में दिये हैं। मैं एक चीज अपने शुरू के भाषण में कहना भूल गया था। इससे पहले कारागार विभाग में लाखों रुपये के दाल और तिहलन की खरीद ठेकेदारी प्रथा से होती थी, किन्तु हमने निर्णय लिया है और आदेश हो भी गये हैं कि अब ठेकेदारों से इन्हें नहीं खरीदा जाएगा। सभी राशन सहकारी संस्थाओं के माध्यम से खरीदने के आदेश दे दिये गये हैं।

माननीय कमला प्रसाद वर्मा ने बहराइच जेल में जो खेती फार्म है, उसके बारे में ध्यान दिलाया कि उसका उपयोग ठीक से इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर

[श्रीबेनी प्रसाद वर्मा—]

ट्यूबवेल नहीं हैं और फार्म को सुरक्षा के लिए कोई बाउन्ड्री या तार नहीं लगे हुए हैं। इस सम्बन्ध म मैं उनको बताना चाहता हूं कि वहां के लिये ट्यूबवेल की व्यवस्था कर दी गयी है और तार की व्यवस्था बहुत जल्द कर दी जायगी।

श्री मुकीमुर्रहमान साहब ने सुझाव दिया था कि जेल में रहने वाले बन्दी जब बाहर निकलते हैं तो बहुत खंखार होकर निकलते हैं, उनको सभ्य नागरिक बनान का काम करना चाहिए था। म आपको बताना चाहता हूं कि प्रस्तावित अनुदान में यह भी व्यवस्था ह कि जेलों के लिए 5 मनोवैज्ञानिकों को नियुक्त किया जायगा और उनके द्वारा बन्दियों के मस्तिष्क को ठीक करने का प्रयास किया जाएगा।

श्री धर्मदत्त जी वैद्य, जो जेल मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार के सुझाव दिए कि अच्छे नागरिक बनाने का कार्य जेल विभाग द्वारा नहीं किया जाता ह। म उनको बताना चाहता हूं कि उनकी पार्टी ने तो जेल जीवन बिलकुल नर्क ही बना दिया था, लेकिन हमारी नीति उनकी नीति से बिलकुल भिन्न हैं। हम उनको सुधारने के लिए, सभ्य नागरिक बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। जैसे, मैंन घुरमा मजदूरों के बारे में कहा है कि उनकी 5 रुपये की निर्धारित मजदूरी को 10 रुपये कर देने का करीब-करीब निर्णय हमने ले लिया ह। यह भी हो सकता है कि 10 रुपये से भी ज्यादा हो जाय। इसी तरह से अब तक कुछ ही उद्योगों मजदूरों को मजदूरी दी जाती थी, लेकिन अब विभाग के सभी उद्योगों में लग सारे के मजदूरों को मजदूरी दी जाएगी, वे चाहे उसे अपने खाते में जमा करें या अपने परिवार को भेजें। इसमें कुछ हमें दिक्कत भी है।

आजादी के पहले तो करीब 1908 दोष सिद्ध बन्दी थे और 8 हजार के करीब विचाराधीन कैदी थे, किन्तु आज यह स्थिति उल्टी हो गयी है 10 हजार दोष सिद्ध बन्दी हैं और 20 हजार विचाराधीन बन्दी हैं। विचाराधीन बन्दियों को कोई औद्योगिक प्रशिक्षण इसलिए नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उनकी अवधि निश्चित नहीं रहती है। तो उपरोक्त 10 हजार लोगों के लिए जो उद्योग लग सकता है, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। दो ऊन धागा का उद्योग लगाने के लिए, कारखाना बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और उसके लिए धन का भी प्राविधान है।

इसी तरह से बल्देव जी ने बताया कि मुसाहिर जाति के लोगों को पुलिस वाले झूठे आरोपों में, 109 आदि दफाओं में बन्द कर लेते हैं, इसलिए कि वह जेलों में पाखाना आदि उठाने का काम कर सकें। उन्होंन यह भी कहा कि निश्चित घोषणा होनी चाहिए कि कितने स्वच्छकारों की नियुक्ति कर दी जाएगी। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि 143 स्वच्छकार पूरी तरह से नियुक्त किये जायेंगे। नाइयों की व्यवस्था के लिए भी इस साल 30 नाइयों की व्यवस्था की जाएगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि की ओर ध्यान दिलाया, तो इसमें भी काफी वृद्धि की जा रही है। इस सम्बन्ध में मैंने कहा था, पहले एक बन्दी पर 26 पैसा स्वास्थ्य और वस्त्र पर खर्च होता था। उसको बढ़ा कर एक रुपया कर दिया जायगा। प्रदेश के कारागारों में नयी नियुक्तियां की जायंगी। इसके अन्दर पांच एक्सरे टेक्नीशियन, 5 रेडियोलाजिस्ट 5 डार्क रूम अटेंडेंट, 98 फारमेसिस्ट्स, चार नर्सेज, 27 धोबी, 27 बावर्ची,

7 एम्बुलेन्स ड्राइवर, 27 पैथालाजिस्ट्स, 27 लैब आर्टिस्ट्स, 27 लैब असिस्टेंट्स पांच मनोवैज्ञानिक, 5 साइक्याट्रिस्ट, 5 कल्याणकारी अधिकारी। ये नये सिरे से नयी नियुक्तियां की जायंगी।

इसके साथ में माननीय राम आसरे वर्मा से यह भी कहना चाहता हूं कि कारागार आखिर कारागार है जैसा माननीय राम अधार यादव ने कहा जो गम्भीर प्रकृति के अधिकारी हैं, उनके मनोबल को, ज्यादा बढ़ाने नहीं दिया जायगा।

राजनीतिक बंदियों के लिए कहा गया कि उनके लिए जेल मैनुअल में विशेष प्राविधान होना चाहिये। जेल मैनुअल में संशोधन हो रहा है पूरा विचार कर रहे हैं, हमारा विश्वास है कि जो जेल मैनुअल बनेगा उसमें राजनीतिक बन्दियों के लिए अलग प्राविधान जरूर होगा। जो गम्भीर प्रकृति के अपराधी हैं उनको सुधारने का काम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जेल में अनुशासनहीनता और पलायन का खतरा होता है। उनके लिये जेल के नियमों और अनुशासन का पूरा पालन करना आवश्यक है। अगर नहीं करेंगे तो दंड भुगतना पड़ेगा। जिन घरों के लोगों का कत्ल होता है, जिनके घर डकैती पड़ती है, उनके दिल से पूछा जाय कि उन पर क्या गुजरती है? अगर उन अपराधी बन्दियों को ज्यादा सुविधायें बढ़ायी जाती हैं, आगे जैसे बेड़ी प्रथा खतम कर दी जायगी, सामान्य तौर से यह निर्देश दे दिये हैं कि 21 साल से कम और 45 साल से ऊपर कैदियों के साधारण तौर पर बेड़ी न लगायी जाय। लेकिन अगर पलायन का खतरा पैदा हो जाता है या किसी जेल के अधिकारी या कर्मचारी पर हमला करने की कोशिश करता है, या जेल के नियमों को तोड़ता है, तो जरूरी हो जाता है कि बेड़ी लगायी जाय। अंग्रेजी शासन जैसे अब बेड़ियां नहीं हैं जिसमें बड़ा डंडा लगा होता था। अब ऐसा होता है कि सो भी सकता है। लेट भी सकता है सिर्फ ज्यादा दौड़ नहीं सकता। उन्हीं लोगों के लगायी जाती है जिनसे पलायन या अनुशासनहीनता का खतरा होता है। कड़े निर्देश दिये जायंगे कि नियमों का दुरुपयोग न हो। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर कहीं जेल नियमों का उल्लंघन होता है, और कोई दोषी है तो आप लिखित शिकायत भेजें। हम तुरन्त उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

एक सफाई चाहता हूं। विभाग में जो आई० जी० होता है वह आई० ए० एस० आफिसर क्यों बनाया जाता है, विभागीय न हो कर? दूसरे, विगत शासन ने जेलों में अधीक्षक के पोस्ट पर एडहाक बेसिस पर प्रोमोशन किया है। जो सीनियर थे, जिनकी प्रविष्टियां खराब थीं, उनको एडहाक बेसिस पर रख दिया गया है, जो क्रेडिटेबिल थे उनको नहीं लिया गया। तीसरे, वहां के अधिकारियों पर बहुत से हमले होते हैं। पुलिस वालों को असलहा मिलते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए असलहा क्यों नहीं दिया जाता?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मित्रसेन जी लिख कर भेज दें। अगर किसी गलत अधिकारी का प्रोमोशन अधीक्षक के पद पर हो गया है, तो दोबारा देख लेंगे। तदर्थ प्रोमोशन हुआ है। अगर कहीं गलत है तो लिख कर भेज दीजिये, अगर किसी गलत अधिकारी

[श्री बेनी प्रसाद वर्मा--]

को गलत लाभ मिल गया है, उसको हम चलने नहीं देंगे । आप लिख कर भेज दीजिये हम जांच करवा लेंगे । आपसे यह भी बताना चाहता हूं कि रिहाई मिलाई के लिये काफी शिकायतें मिलती रहती हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अब तो समाप्त कर रहे होंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

काफी शिकायतें मिलती रही हैं । इस सम्बन्ध में मैंने 12-14 जेलों में अचानक छापे डाले बिना कलेक्टर की जानकारी के, और वहां पर काफी अनियमितताये मिलीं । आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी शिकायतें मिलें आप निश्चित रूप से मुझे लिखकर भेज दें, मैं जांच कराऊंगा और अगर कोई दोषी कर्मचारी या अधिकारी होगा तो उसको बक्सा नहीं जायेगा । आप इसको स्वीकार करेंगे और माननीय वर्मा जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जो जेलों में कांग्रेसी शासन के जुल्म के शिकार नक्सलपन्थी बन्द हैं, उनको राजनैतिक दर्जा देने के लिए आपने कोई निर्णय लिया है ? दूसरा मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो विजिटर्स नियुक्त किये गये थे उनको रद्द कर दिया गया था तो उनको कब तक नियुक्त कर देंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

वर्मा जी ने नक्सलपन्थियों के बारे में कहा, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार से बात-चीत चल रही है जैसी वहां से मार्गदर्शन होगा हम उसको करेंगे । दूसरी चीज यह पूछी है कि जेल विजिटर्स को कब तक नियुक्त किया जायेगा। इस बारे में भी हम कार्यवाही कर रहे हैं । परामर्श मांगी गयी है । काफी लोगों के नाम प्राप्त हो गये हैं और जिन्होंने नाम नहीं दिए हैं वे शीघ्र ही नाम भेज दें ।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य--

आई० जी० के पद पर आई० ए० एस० अधिकारी की नियुक्ति की जाती है । जेल के अधिकारी की पदोन्नति क्यों नहीं की जाती जबकि उसको जेल का अनुभव भी होता है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

यह व्यवस्था तो वैद्य जी के समय से ही चली आ रही है ।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य--

उसमें हमने सुधार किया था । उस व्यवस्था को तोड़ दिया था ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

वह श्री चरण सिंह के टाइम में टूटी थी ।

श्री उपाध्याय--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27 सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,58,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 86 सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्याय--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 86-गृह (कारागार) विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 42,12,000 रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश के द्रुतगति से विकासार्थ प्रदेश को छोटे राज्यों में विभाजित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री सोहनबीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सदन के विचारार्थ निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं--

इस सदन का यह निश्चिय मत है कि उत्तर प्रदेश के समुचित तथा द्रुतगति से विकासार्थ इस प्रदेश का छोटे राज्यों में विभाजन किया जाय और इस हेतु यह सदन केन्द्रीय सरकार से इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने की संस्तुति करता है ।

मान्यवर, हमने यह प्रस्ताव नियमावली के नियम 103 के अन्तर्गत सदन के सम्मुख रखा है । इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में मान्यवर इस प्रदेश के प्रत्येक छोर की और प्रत्येक भाग की विशाल जनता में जो चर्चा हो रही है उस चर्चा को जनता प्रतिनिधियों के समक्ष निर्णय लेने के लिए रखा है । यह नया प्रश्न नहीं है । जब फजले अली कमीशन बना था तो उस समय काफी गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार हुआ था । वह सारे भारत में घूमा था और प्रदेश में भी काफी

[श्री सोहन वीर सिंह तोमर]

लोगों ने उसके सामने अपने विचार रखे थे। उस समय 3 मुख्य बातें थीं जिनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुयी। एक तो यह कि यह विशाल राज्य शक्तिशाली भारत को संगठित रखने के लिए और भारत की एकता के लिए थे।

उत्तर प्रदेश के चाहे माननीय गोविन्द वल्लभ पंत हों चाहे कोई और हों यह कहा है कि यह भारत की शक्ति का मेरुदंड है। इसलिए अगर उत्तर प्रदेश बंट जायेगा तो भारत शक्ति समाप्त हो जायगी। इस तर्क को लेकर दक्षिण के लोगों ने यह कहना आरम्भ कर दिया कि उत्तर प्रदेश तो केवल हमारे ऊपर शासन करने के लिए ही बना हुआ है। एक तर्क यह भी दिया गया कि उत्तर प्रदेश अगर इकट्ठा है तो यहीं का प्रधान मंत्री होता है और 85 लोक सभा के सदस्य होते हैं और उनकी शक्ति से पूरे भारत पर प्रभाव रहेगा। तो यह भी तर्क मोरार जी देसाई के प्रधान मंत्री होने पर समाप्त हो गया। एक छोटी सी स्टेट गुजरात का प्रधान मंत्री बनाया गया और इस स्टेट का जिसमें 85 लोकसभा के सदस्य एक ही दल के बावजूद नहीं बन सका। तो यह तर्क भी कि हम भारत की राजनीति पर छाये रहेंगे, सही नहीं उतरा। एक नेता का यह भी कहना था कि एक तरह की संस्कृति के लोग, एक तरह का यहां पर आर्थिक संगठन है, एक तरह की भौगोलिक स्थिति है, एक रस और एक रूप राज्य है और ऐतिहासिक दृष्टि से एक रहा है और इसलिए एक रहना चाहिये। ऐसा भी नहीं है।

उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी भी एकरूपता और एकरसता नहीं रही। अंग्रेजों ने अलग-अलग समय में जीते हुये हिस्सों को मिला लिया। 1775 में जो दक्षिणी पूर्व का हिस्सा था ईस्ट इंडिया कम्पनी ने छीना। 1801 में यह गंगा यमुना का दोआब अवध के नवाब सादत अली ने अंग्रेजों को दिया। गोरखा युद्ध के बाद 1816 में अंग्रेजों ने कुमाऊं और गढ़वाल को जीता। यमुना के उत्तर का इलाका दूसरे मराठा युद्ध में 1803 और 1805 में छीना गया। इस प्रकार से यह कहना कि ऐतिहासिक दृष्टि से एक रूप और एकरस रहा है, ऐसा नहीं है जो शासक लोग थे, जो अंग्रेज हमें गुलाम बनाये हुये थे जितना हिस्सा जीतते रहे, उसकी एक यूनिट बनाते रहे। उस समय कोई ऐतिहासिक या कोई आर्थिक यूनिट का ध्यान नहीं रखा गया। जो हमलावर आया, जिसको उसने जीता उस हिस्से को जोड़ दिया।

दिल्ली के आसपास मेरठ है कभी आगरा राजधानी रही है। मुगल साम्राज्य में आगरा में राजधानी रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम ही उत्तर प्रदेश को खंडित कर रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि बड़े राज्य का खर्चा कम होता है। तथ्य, श्रीमन्, इसके खिलाफ हैं। भारत में अनेक राज्य हैं जिनका प्रशासनिक खर्च यू0 पी0 से कहीं कम है। ये सरकार द्वारा ही प्रचारित आंकड़े हैं। वर्ष 1952-53 में आसाम, मैसूर, ट्रावनकोर, कोचीन, हैदराबाद, मध्य भारत में जो सरकारी कर्मचारियों पर खर्चा होने वाला था वह उत्तर प्रदेश से बहुत कम था। उत्तर प्रदेश में खर्चा 24.6 था जबकि आसाम में 16.7, हैदराबाद में 20.0, मध्य भारत में 23 प्रतिशत, मैसूर में 13 प्रतिशत, ट्रावनकोर कोचीन में 11 प्रतिशत था। मान्यवर, यह तर्क भी कि बड़ा राज्य होगा तो खर्चा कम होगा तो खर्चा कम होगा, सही साबित नहीं हो पाया। 5-7 राज्यों में यहां से कम खर्चा है, कहीं ज्यादा भी है।

मान्यवर, जब हम आर्थिक विकास की योजना बनाते हैं तो हमें क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और वहां पर लोगों के काम करने की पद्धति आदि को भी ध्यान में रखना होता है। इन दृष्टियों से हमारे प्रदेश में काफी विभेद है। हर जगह की स्थिति अलग-अलग है। शिक्षा का प्रतिशत भी अलग-अलग है। पहाड़ पर 5 प्रतिशत शिक्षा है, बुन्देलखंड में 12 प्रतिशत, ईस्टर्न यू० पी० में 23 प्रतिशत, वेस्टर्न में 35 प्रतिशत शिक्षा है। इन्कम पर कैपिटा भी मेरठ में देखा जाये तो आजमगढ़ के मुकाबले में दोगुनी होगी। फिर केन्द्र का यह सिद्धान्त है कि पिछड़े क्षेत्र को अधिक सहायता देंगे, अगर पिछड़ा क्षेत्र अलग होगा तो उसका अधिक विकास हो सकेगा। अगर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों का विकास करना है तो आवश्यकता इस बात की है कि उन हिस्सों को अलग करके एक छोटा राज्य बना दिया जाये।

आज घनत्व की दृष्टि से भी देखा जाये तो पहाड़ पर 81 है, बुन्देलखंड में 181 है और मध्य में 412 है। फिर आज यह भावना भी फैली हुई है पश्चिम वाले टैक्स देते हैं, खर्च वह पूर्व वालों पर होता है, या पश्चिम वाले कमाते हैं, पूर्व वाले खाते हैं। इससे जो अलगाव की भावना है वह भी समाप्त हो जायेगी अगर राज्य का बटवारा होता है। अलग होने से भी हम लोगों में आपसी प्रेम और मित्रता जैसी आज है वैसी ही बनी रहेगी उसमें कोई अन्तर नहीं आयेगा। राजनैतिक दृष्टि से तो आखिर हम सभी लोग एक हैं ही।

मैं तो जब सोशलिस्ट पार्टी में था तभी से यह आवाज उठाया करता था कि यू० पी० का बटवारा होना चाहिये। यह बड़े अफसोस की बात है कि जब कभी भी बटवारे का प्रश्न उठाया जाता है तो लोग तर्क को छोड़ कर भावनाओं में अधिक बह जाते हैं। इसी सवाल को उठाने पर मेरा पार्टी के अन्दर 4 बार सस्पेन्शन तक हो चुका है। जितनी बार मैंने यू० पी० के बटवारे की आवाज उठायी मेरा सस्पेन्शन हो गया। एक बार राजनारायण जी ने, एक बार चन्द्रशेखर जी ने, एक बार गेंदा सिंह जी ने मेरा सस्पेन्शन कराया अब शायद बनारसी दास जी भी कहीं न कर दें। मैं 3-4 बार अपनी अन्तरवेदना को यहां प्रकट कर चुका हूं और सस्पेन्ड हो चुका हूं। माननीय कमलापति त्रिपाठी, बहुगुणा जी, राजनारायण जी, गेंदा सिंह जी सभी ने इसका विरोध किया और वे यही चाहते रहे कि सूबे की छोटी यूनिट न रहें। (व्यवधान) अब मोहन सिंह जी और उग्रसेन जी भी उसी मत के हो गये हैं (व्यवधान)

श्री हुकम सिंह परिहार (जिला आगरा)—

अब माननीय राजनारायण सिंह जी आपके ही विचारों के हो गये हैं, उनके वक्तव्यों को आप पढ़िये तो।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

ठीक है। मान्यवर, बड़ी खुशी की बात है क्योंकि इस आन्दोलन के पुराने नेता हुकुम सिंह ने कहा कि अब लोगों के विचारों में परिवर्तन हो रहा है, तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, मैं यह चाहूंगा कि जो साथी हैं, वे अपना विचार प्रकट कर। पश्चिम के लोगों में और हिमालय की अत्तिक में रहने वाले लोगों में यह विचार हो रहा है कि शायद हम लोग लखनऊ में बैठ कर जो कुछ कहते हैं, वह वहां तक नहीं पहुंच पाता है। हम लोग भी किसी क्षेत्र को रिप्रजेंट करते हैं, जिस तरह से

[श्री सोहन बीर सिंह तोमर--]

मैंने यहां पर अपनी बात रखा है, तो मैं दूसरे साथियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि तर्क के आधार पर बाबू जय प्रकाश जी ने कहा था कि छोटे राज्य आर्थिक विकास में सहायक है। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि छोटे राज्य वास्तविक एकता तथा सद्भावना आर्थिक इकाइयों में मदद करते हैं। शक्ति का केन्द्रीकरण जनतंत्र के सिद्धान्त के विरुद्ध है। जनता पार्टी आर्थिक और राजनैतिक विकेन्द्रीकरण में विश्वास रखती है।

मान्यवर, जनता पार्टी के नेता इस बात से बचनबद्ध हैं और वे इस बात को मानते हैं। यह सरकार की नीति का सवाल नहीं है। हम लोग तो वचनबद्ध हैं। यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है। इस प्रस्ताव पर दलीय आधार पर विचार न किया जाय। अगर सदन के लोग यह चाहें कि हमारी यह भावना केन्द्र तक चली जाय कि इस राज्य को फिर से बांटने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्से को मिलाया जाय, तो कोई बुरा नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि ऐसी केन्द्र को यह सदन संस्तुति करे। मैं अपने लायक दोस्तों से चाहूंगा कि वे अपने सुझाव दें। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि दलीय आधार पर इस पर विचार न हो, यह कह कर मैं बैठ जाता हूं।

(श्री शतरुद्र प्रकाश का नाम पुकारे जाने पर)

* श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

श्रीमन्, मेरा संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका संशोधन है ?

श्री विजय राज सिंह--

जी हां।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रस्तुत करें।

श्री विजय राज सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं :--

मूल प्रस्ताव में शब्द "निश्चित मत है कि," के "उत्तर प्रदेश के समुचित तथा द्रुतगति से विकासार्थ इस प्रदेश का छोटे राज्यों में विभाजन किया जाय" के स्थान पर शब्द "प्रशासानिक कुशलता, द्रुत आर्थिक प्रगति तथा क्षेत्रीय सांस्कृतिक व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का, ब्रज प्रदेश, बुन्देलखंड, भोजपुरी प्रदेश, अवध प्रदेश और उत्तराखंड नामक राज्यों में पुनर्गठन आवश्यक है" रखे जायं तथा शब्द "और इस हेतु यह सदन केन्द्रीय सरकार से" के बाद शब्द "इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने की संस्तुति करता है" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश के पांच राज्यों में पुनर्गठन हेतु उचित कानून बनाने की संस्तुति करता है" रखे जायं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जब मैं प्रथम बार चुनकर आया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ विधायकों की बठक इस समस्या को लेकर हुई थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश म हाई कोर्ट की एक बेन्च रखी जाय। इस बात का मैंने विरोध किया था और मेरी यह मंशा थी कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य ह कि बेंच से इसकी समस्या हल नहीं होगी, बल्कि विभाजन इसका आवश्यक है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और लगभग 16 प्रतिशत लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। दुनिया के 6 देशों को छोड़कर यू0 एस0 एस0 आर0, चीन, जापान, ब्राजील आदि को छोड़कर उत्तर प्रदेश सब देशों से बड़ा है।

श्रीमन्, इतने बड़े राज्य का शासन एक स्थान से सुचारु रूप से नहीं चल पाता है। सरकारी कर्मचारी की जो फौज है, जिसके जरिये से हम शासन चलाते हैं, श्रीमन्, निष्पक्ष दृष्टि से यहां पर देखें कि हम लोगों का क्या काम है? सुबह से शाम तक तबादला-तबादला ही रहता है। श्रीमन्, हमारे मंत्रीगण सिर्फ ट्रान्सफर में लगे रहते हैं ऐसे कि राज्य के सामने कोई विकास की समस्या नहीं है, सिर्फ स्थानान्तरण की समस्या है। तो जो विकास की योजनायें हैं उसके लिए समय मिलना चाहिए। अगर एक मन्त्री एक जिले में एक दिन का दौरा करे तो 56 दिन इस बात के और एक दिन अपने दफ्तर में रहे तो 56 दिन इस बात के इस तरह से सारा समय निकल जाता है तो जो प्रशासन की क्षमता है उसका ह्रास हो जाता है। कुशल प्रशासन हो उसके लिए आवश्यक है कि राज्य छोटा हो। इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके झगड़े, इन्ट्रीज आदि हैं, उसके लिए भी समय बच सके और योजनाओं को चलाने में अधिक समय दे सकें।

आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के छोटे-छोटे राज्यों से बहुत पीछे है। बिजली के सम्बन्ध में आप देखें, 1977 में कर्नाटक में 1056, केरल में 1011, महाराष्ट्र में 2350, तामिलनाडु में 2364, पंजाब में 7064 मेगावाट बिजली बनी थी और उत्तर प्रदेश में कुल 2675 मेगावाट। तो श्रीमन्, पंजाब जिसमें कुल 12 जिले हैं और हमारे सूबे से 5 गुना छोटा है वहाँ बिजली का उत्पादन 3 गुना है और केरल, कर्नाटक जो जनसंख्या में चौथे स्थान पर है वहाँ आधी। तामिलनाडु और महाराष्ट्र में लगभग बराबर है। हमारे यहाँ जो विकास की योजनायें हैं जो प्रदेश के गाँव की तरफ का रुख है उसमें हम कितना फेल रहे हैं। हरियाना में 1971 में सभी गाँवों में बिजली दी गयी थी, 1977 में हिमाचल प्रदेश जिसमें 7245 गाँव हैं, केवल 29 गाँव बचे थे जिसमें बिजली नहीं गयी थी। कर्नाटक में....

श्री उपाध्यक्ष--

अगर इस तरह से आप तफसील में गये तो आप का 7 मिनट का समय इसी में समाप्त हो जायेगा।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, इतना महत्वपूर्ण विषय है आप ज्यादा समय दें। हम लोगों को मुख्य मन्त्री जी की राय मालूम है इसलिए तर्क देने के लिए समय ज्यादा दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह भी तो देखें कि बोलने वाले काफी होंगे ।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

इतना लम्बा भाषण तोमर जी ने किया है । तो पक्ष और विपक्ष के लोगों को समान समय मिलना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

तोमर साहब सिर्फ 12 मिनट बोले हैं ।

श्री श्याम धर मिश्र--

यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है । जीवन-मरण की बात इसमें....

श्री उपाध्यक्ष--

7 मिनट मुनासिब रहेगा ।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

आज समय अगर कम हुआ । आज के दिन जितना समय निर्धारित करना है, कर लिया जाये । बाकी कल के दिन के लिये रख लिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

साढ़े चार बजे तक इसे लें । शेष और किसी दिन ले लेंगे ।

श्री श्यामधर मिश्र--

साढ़े चार तक कैसे होगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

शेष और किसी दिन ले लेंगे ।

श्री विजयराज सिंह--

तो मैं कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में कितने गाँवों में बिजली दी गयी । 3317 गाँव को सन् 77 तक बिजली दी गयी और छोटे राज्य हैं पंजाब, हरियाना, हिमान्चल प्रदेश इनकी तरक्की के मुकाबले म हम कहीं ठहरते नहीं हैं । अगर आप उत्तर प्रदेश के राज्य योजना विभाग को देखें तो इसने उत्तर प्रदेश को पांच भागों में बाँट रखा है । पश्चिमी प्रदेश, पूर्वी भाग, मध्य भाग, बुन्देलखण्ड और पहाड़ी क्षेत्र । पाँच क्षेत्रों में बाँट रखा है । सिंचाई विभाग ने बाँट रखा है, कृषि विभाग ने बांट रखा है, हर विभाग ने बाँट रखा है ।

(कुछ सदस्यों द्वारा आपस में बातें करने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया सदन में आपस में बात न करें ।

श्री विजयराज सिंह—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो पाँच क्षेत्रों में बाँटा गया है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे पीछे है बिहार और उड़ीसा को छोड़कर। 15 जिले केवल ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जो उन्नतिशील जिलों में गिने जाते हैं। आठ पश्चिम में, एक देहरादून पहाड़ के अन्दर, बुन्देलखण्ड म एक भी जिला ऐसा नहीं है जो उन्नतिशील हो, पूर्व में तीन—वाराणसी, गोरखपुर, मध्य क्षेत्र में कानपुर और लखनऊ के नाम समुन्नत जिलों में आते हैं। बाकी सब पिछड़े जिले हैं। हमारे शासन ने प्रदेश को स्वयं ही 5–6 इकाइयों में बाँट रखा है। इसलिये इसको विभाजित करने में कोई दिक्कत नहीं है।

जो हमारी संस्कृति है, हमारे एक सदस्य हैं, श्री श्रीनारायण। लोगों की तरफ से हमारे सदस्यों की तरफ से, आपकी तरफ से टोंका टोंकी होती है कि वह अपना भाषण खड़ी बोली में कहें। वह अपना भाषण क्षेत्रीय बोली में देते हैं। आप कहते हैं कि खड़ी बोली में बोला करें। यह जो भोजपुरी है, बृज है, बुन्देली है, पहाड़ी बोलियाँ हैं, इनका कोई विकास नहीं हो पाता। जब तक उत्तर प्रदेश का पाँच राज्यों में विभाजन न होगा हमारा समुचित विकास नहीं हो पायेगा और हम अन्य राज्यों से पीछे चले जायेंगे। मैं चाहता हूं कि प्रदेश का पांच राज्यों में विभाजन किया जाय और मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, दुनिया के इतिहास में दो तरह के उदाहरण रहे हैं। एक उदाहरण रहा है सूबे और देश को बाँटने वालों का, दूसरे रहे हैं बंटवारे को तोड़कर सूबे और देश को एक ही में मिलाने वालों का। आज यह राय फैल रही है कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को तथा पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन को एक हो जाना चाहिये और मान्यवर, यह भी राय पकड़ रही है कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को एक होना चाहिये। मान्यवर, इसी तरह से कुछ लोगों की राय है कि 1948 में जो देश का बंटवारा हुआ है, वह नहीं होना चाहिये था। बल्कि एक मुल्क हो जाना चाहिये।

श्री मुख्तार अनीस (जिला सीतापुर)—

यह तो राष्ट्रों की बात है।

श्री उपाध्यक्ष—

वह मिसाल दे रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है। आप सुनिये।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, इसी तरह से उत्तर प्रदेश के बाँटने की बातें कुछ लोग कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बात आज सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के बंटवारे के पीछे सिर्फ एक तर्क है कि देश का सबसे बड़ा यह सूबा है; इतने बड़े सूबे में प्रशासनिक व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही है। मान्यवर, अगर यही तर्क दिया जायगा कि चूंकि सूबा इतना बड़ा है, 11 करोड़ की आबादी का सूबा है इसलिये एक मुख्य मन्त्री से नहीं चल पायेगा

[श्री शतरुद्र प्रकाश--]

तो फिर यह तर्क आगे आयेगा कि चूंकि देश की आबादी 60 करोड़ है इसलिये इतना बड़ा देश एक प्रधान मन्त्री से नहीं चलेगा, इस मुल्क में चार प्रधान मन्त्री होने चाहिये। शायद यह बहुत खतरनाक बात है। इसका जो अंजाम होगा हमारे साथी समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि वह मेरी बात गौर से सुनें।

उत्तर प्रदेश का विकास क्यों नहीं हुआ, इसके कई कारण हैं। अंग्रेजों के समय से लेकर 1947 तक इस इलाके में विकास सिर्फ इसलिये नहीं हुआ चूंकि यह इलाका अंग्रेजों का विरोधी था। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी कोठियाँ खोलीं, वहाँ उनका इतना विरोध नहीं हुआ। लेकिन इसी गंगा जमुना के इलाके में 1857 की क्रांति की गयी। इसी गंगा जमुना पूर्वांचल के इलाके में 1942 की क्रान्ति की गयी। लेकिन 1947 के बाद से लेकर के आज तक केवल इसीलिये यहाँ क्षेत्रों का विकास नहीं हो सका कि जो नीतियां यहाँ लागू करनी चाहिये थीं वह नीतियां यहाँ पर लागू नहीं की गयीं।

उत्तर प्रदेश का विकास तभी हो सकता है जब कि यहाँ पर खेती को प्राथमिकता दी जाय। यह कृषि प्रधान सूबा है, कृषि को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाय। अगर कृषि को प्राथमिकता नहीं दी गयी तो सूबे का बंटवारा करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। सूबे का विकास तभी हो सकता है जब बड़े उद्योगों की जगह पर छोटे-छोटे कुटीर उद्योग लगाये जायं। अगर कुछ लोगों का भ्रम है कि छोटे सूबे में प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी होती है तो मैं चुनौती देना चाहता हूं कि पंजाब में आप जाकर देखें, राजस्थान में जाकर देखें, हरियाणा में जाकर देख लें, उड़ीसा में जाकर देख लें, पश्चिमी बंगाल में जाकर देख लें। मेरी चुनौती है कि उत्तर प्रदेश से अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था किसी भी इन सूबों में नहीं है।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें।)

यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था उन सबों से कहीं ज्यादा अच्छी है। मैं तो कहना चाहता हूं कि पंजाब में 7 बजे शाम के बाद घर-घर शराब पी जाती है। हरियाणा में गाँव-गाँव कच्ची शराब बनती है।

मैं कहना चाहता हूं कि अगर मान्यवर, इस प्रदेश का विकास करना है तो इसका बंटवारा नहीं होना चाहिये बल्कि जो बुनियादी दृष्टिकोण है उसको अपनाना पड़ेगा। लार्ड मैकाले की प्रशासनिक व्यवस्था के ढांचे को तोड़ना होगा और विकेन्द्रीकरण करके चौखम्भा राज्य की कल्पना करनी होगी। अगर किसी के दिमाग में हो कि विकेन्द्रीकरण में उत्तर प्रदेश का बंटवारा करना चाहिये तो मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में चौखम्भा राज्य की कल्पना जो है उसको साकार करना पड़ेगा। मैं इतना और निवेदन करूंगा कि राजस्व की गैर बराबरी की जहां तक बात है, अगर गाजियाबाद, मेरठ के किसी गाँव की शिकायत है कि जितना राजस्व हम सरकार को देते हैं उतना हमको विकास के लिये नहीं मिलता है, तो मान्यवर, जब तक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया नहीं शुरू होगी, अगर बनारस का नरउर गाँव साल में 13 हजार

राजस्व का देता है तो वहाँ 13 हजार का विकास कार्य होना चाहिये । वह नहीं होना चाहिये कि 5 सालों के अन्दर 2 हजार रुपया दिया है । तो राजस्व के इकठ्ठा करने और राजस्व की आपूर्ति, उसमें भी इस बुनियादी दृष्टिकोण को जब तक नहीं अपनाया जायगा तब तक उत्तर प्रदेश के गाँव का विकास नहीं हो सकता है ।

सन् 1949 में सरदार पटेल ने साढ़े 6 सौ राज्यों को मिलाकर एक अखंड राज्य बनाया, एक समप्रभुता सम्पन्न देश बनाया और कुछ लोग अगर उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बात चलायेंगे, तो हो सकता है कि उसका अंजाम 650 राज्यों में पड़ेगा और फिर यह देश गुलाम बन सकता है । इसलिये कम से कम इस देश को 50 साल तो आजाद रहने दें । इसलिये मैं कहना चाहूंगा यदि आपने बंटवारे का सिलसिला चला दिया तो इस सिलसिले का कहीं अन्त नहीं होगा । जैसे पहाड़ों का एक राज्य बना दिया जाय, पूर्वी जिलों को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाय, पश्चिमी जिलों को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाय और इस सबका अन्जाम होगा 650 राज्य हो जायेंगे । इसलिये निवेदन है कि माननीय सदस्य इस संकल्प को वापस लें और चौखंभा राज्य को साकार बनायें तभी उत्तर प्रदेश का विकास हो सकेगा ।

*श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपके समक्ष सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रश्न आपके सामने है उसकी बहुत दिनों से चर्चा, बहुत से लोग अनेक दृष्टिकोणों से करते चले आ रहे हैं । श्रीमन्, मेरे मित्र ने ठीक ही कहा है कि इसकी चर्चा ठीक से हो जाय लेकिन प्रत्येक सदस्य 5 मिनट बोले और उसमें पूरी विवेचना हो जाय, पूरी व्याख्या हो जाय, तो यह संभव नहीं है और यह उसी तरह होगा जैसे कि सदन के समक्ष कुछ प्रस्ताव आते ह और निकल जाते हैं और कहा जाता है कि चर्चा हो गयी, तो वैसे ही चर्चा हो सकती है । इसलिये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के बंटवारे का सवाल केन्द्रीकरण या विकेन्द्रीकरण का सवाल नहीं है बल्कि इन्टीग्रेशन और डिस्इन्टीग्रेशन का सवाल है । उत्तर प्रदेश के मित्रों को भूलना नहीं चाहिये कि उत्तर प्रदेश गौरव के साथ ऊंचा मस्तक किये रहता है और दुनिया कहती है कि उत्तर प्रदेश भारत वर्ष है और भारतवर्ष—उत्तर प्रदेश है । इसलिये उत्तर प्रदेश को तोड़कर कहाँ आप ले जाना चाहते ह, इसलिये मैं नहीं समझता कि इसके छोटे-छोटे राज्य बना दें । छोटे-छोटे यदि राज्य बना भी देंगे तो भी शिकायतें आती रहेंगी कि हमारे जिले को पूरा नहीं मिलता, कोई कहेगा कि हमारे जिले को पूरा अंश नहीं मिलता ।

इसलिये मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो क्षेत्र पिछड़ा है उसको देखें । उत्तर प्रदेश में इसलिये रहना चाहते हैं कि बुन्देलखंड के रहन वाले जो हैं वह सबसे पिछड़े हैं, पश्चिमी जिले जो सबसे आगे बढ़े हैं वह अपनी कमाई हमको दें और उससे उनका विकास करें । यह क्यों निकलना चाहते हैं ? हमारा अधिकार है, हम शिकायत करते हैं, आपने पर्वतीय विकास का एक विभाग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री उदित नरायन--]

बना दिया, अच्छा है। मैं मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि बुन्देलखंड विभाग क्यों नहीं बना दिया, उसे अवश्य बनायें और हमको साथ में रखकर नमूना पेश करें। यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, उनकी समस्यायें आप पूरी करना चाहते हैं बिना इस बात के सोचे कि कौन हमको क्या देता है या क्या लेता है।

मान्यवर, एक निवेदन और है कि हमको नहीं भूलना चाहिये और छोटी-छोटी बातों की तरफ नहीं जाना चाहिये, मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के बंटवारे की मांग सियासी ज्यादा है, वास्तविकता कम है। जैसे मान्यवर, अशोक मेहता ने एक बार कहा कि तुमको यदि मालूम पड़े कि 4 जिलों में ही लीडर रह सकते हैं तो हिन्दुस्तान 4 जिलों में हो जाय। तो ऐसी मनोवृत्ति श्रीमन्, हम और वह इस बात की कोशिश करते हैं कि एक तरफ हाई कोर्ट का बंटवारा, एक तरफ उत्तर प्रदेश का बंटवारा, यह हमको कहां ले जायेगा। इसलिये निवेदन है और मुझे ऐसा लगता है कि यदि मेरे प्रान्त को उत्तर प्रदेश से निकाल दिया जाय तो मुझे लगेगा कि मेरे घर से मुझको बाहर निकाल दिया। इससे हमारी भावनाओं को ठेस लगेगी। हमारे जो मेरठ के मित्र हैं, उनसे हमारी भावनायें बंधी हैं, पूर्वी जिलों के जो मित्र हैं उनसे हमारी भावनायें बंधी हैं। मैं तो सोच नहीं सकता कि हमारा कोई साथी मेरठ में नहीं रहेगा। आपने हमें अलग कर दिया, श्रीमन्, तो हम अपने मित्र तोमर जी से कहां मिला करेंगे ? हम तो उनके बिना नहीं रह सकेंगे।

एक सदस्य—

लेकिन वह रह लेंगे।

श्री उदित नरायन--

वह तो मेरे बिना रह सकेंगे, लेकिन मैं मजबूर हूं। मैं बिना उनके नहीं रह सकता।

श्री उपाध्यक्ष--

वह आपके बगैर रह लेंगे।

श्री उदित नरायन--

मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा मांग आज पश्चिमी जिलों के अलग करने की है। तो इसकी क्या जरूरत है ? अगर जरूरत है तो पर्वतीय और बुन्देलखंड की है जिनको शिकायत है कि हमारा ज्यादा विकास होना चाहिये। लेकिन, मान्यवर, मैं बुन्देलखंड से आता हूं और मैं मुख्य मंत्री जी से लड़ूंगा कि इसकी ओर अधिक से अधिक ध्यान दें ताकि वहां का विकास हो सके। प्रदेश के फाइनेंस में उसके लिये ध्यान दें। लेकिन यह कहें कि हम किसी को छोड़ देंगे या किसी अंग को काट कर फेंक देंगे, तो यह ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश का एक महत्व है, एक गरिमा है, एक इतिहास है। वह सारा का सारा इतना गौरवपूर्ण है कि उसको अगर अलग-अलग खंडों में बांट देते हैं तो वह मर जायेगा, नष्ट हो जायेगा, उसको पूंछने वाला कोई नहीं रहेगा।

हिन्दुस्तान का आज तक प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश से रहा है। हिन्दुस्तान का राजनैतिक नेतृत्व, सांस्कृतिक नेतृत्व और भावात्मक नेतृत्व हमेशा उत्तर प्रदेश का रहा है। हम चार जिले का प्रान्त लेकर बैठ जायेंगे तो कहां जायेंगे ? तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस बात को भूल जाना चाहिये, कभी जबान पर नहीं लाना चाहिये कि हम अपने प्रदेश का बंटवारा करेंगे। माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने सही कहा कि मुझे बताइये कि फिर हिन्दुस्तान का बंटवारा क्यों नहीं होगा ? कैसे एक प्रधान मन्त्री काम कर लेगा ? आज हम रो रहे हैं कि हमारा हिस्सा पाकिस्तान से अलग हो गया।

श्री मुख्तार अनीस—

वह बात कहां आती है ?

श्री उदित नरायन—

मैं माननीय मुखतार अनीस जी की बात नहीं कहता। लेकिन हमें यह नहीं करना चाहिए कि अब हम उत्तर प्रदेश के नहीं, किसी दूसरे प्रदेश के हैं। अगर वह कहते हैं, तो उनकी दूसरी बात है इसलिए मैं आपके माध्यम से उन सभी मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बहुत दिनों से इस चर्चा को गर्म किये हुए हैं, उसमें कोई सार नहीं निकलने वाला है। हमारे बुन्देलखण्ड की मीटिंग होने वाली है और मैं चाहूंगा कि जो मैं यहां कह रहा हूं, वही वहां भी कहूंगा। हां, एक बात जरूर माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन कर देना चाहूंगा कि बुन्देलखण्ड पिछड़ा इलाका है। कृपया बुन्देलखण्ड की ओर तवज्जह दें। इन शब्दों के साथ मैं उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बात का विरोध करता हूं।

श्री श्याम धर मिश्र—

मान्यवर, यह ऐसा प्रश्न है जो ऐसा प्रश्न नहीं है कि जिसमें विवाद न हो। यह स्वाभाविक है। इस प्रश्न में कोई ऐसी बात नहीं कि कोई आज ही इसमें बात हो रही हो। बहुत पहले 20/25 वर्ष से इस पर बात हो रही है। मुझे वह दिन नहीं भूला है जब माननीय पंत जी इस पक्ष के थे कि विभाजन न हो लेकिन पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी, जो आज भूतपूर्व प्रधान मन्त्री हैं और आज के वर्तमान प्रधान मन्त्री, जो जीवित हैं और जो उस वक्त प्रधान मन्त्री नहीं थे उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश का बटवारा चाहते हैं। यह कोई भावात्मक बात नहीं। जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे पूरा अहसास है कि उत्तर प्रदेश के नताओं और भूतपूर्व मुख्य मन्त्रियों की जो श्रृंखला रही है और यहां के जो वर्तमान मुख्य मन्त्री हैं, श्रीमन्, उन्होंने इसका विरोध किया है। केवल एक मुख्य मन्त्री थे चौधरी चरण सिंह जो इस पक्ष में थे और उनकी बात तार्किक लगी और दूसरों ने तर्क भावात्मक रखा है। जैसा कि शर्मा जी क और शतरुद्र प्रकाश जी का भी लगा। यह लोग देश प्रेम की बात जगाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश को हम बांट भी दें तो हमारा देश प्रेम बंट जाएगा ? जैसे जन जागरण उत्तर प्रदेश में ही है ? मुद्दों पर ही बात करनी चाहिए, भ्रमित नहीं करना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि देखा जाय कि उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन जिसके सम्बन्ध में केवल आज के मुख्य मन्त्री ही नहीं बल्कि पिछले मुख्य मन्त्री और पिछली सरकारें भी चिल्लाती रहीं हैं, इसका कारण क्या है ? मेरे सामने एक पुस्तिका है छठीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, करीब-करीब मैंने इसको पूरा

[श्री श्यामधर मिश्र--]

पढ़ लिया है क्योंकि परसों इस पर विवाद होना है। कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ लेगा तो वह यही कहेगा कि उत्तर प्रदेश के हित में विभाजन होना चाहिए क्योंकि 212 रुपये प्रति व्यक्ति हमारा सेन्ट्रल असिस्टेंस है आज तक और सबसे कम 14वाँ और 15वाँ स्थान है। आज के वर्तमान मुख्य मन्त्री केन्द्र में भी थे, जानते हैं कि केरल को एक यूनिट की सहायता मिलती है, हरियाणा को भी एक यूनिट की सहायता मिलती है। सेन्ट्रल स्कीम से जितना दूसरे राज्यों को मिलता है उतना उत्तर प्रदेश को भी मिलता है। सेन्ट्रल असिस्टेंस 212 करोड़ और प्लान असिस्टेंस 579 रुपये प्रति व्यक्ति मिला है जब कि और प्रदेशों को 700, 800, 900 करोड़ तक मिला है। इसका कारण क्या है? अभी हमारे एक भाई विवेचना कर रहे थे, आबादी 16 परसेन्ट है, 8 परसेन्ट रकबा है और 7-8 परसेन्ट कुल प्रोडक्शन। विभाजन की माँग क्यों हो रही है? क्या इसलिए कि कुछ मन्त्री बढ़ जाएंगे? 4 तरह के मन्त्री हो जायेंगे? मैं यह कहता हूं कि इससे कोई विपत्ति नहीं हो जायेगी? आज अगर 80 मन्त्री हो जायें और 4 मन्त्रि मण्डल बन जायेंगे तो बल्कि प्रदेश के शासन को ज्यादा आँख खोलकर देखा जा सकेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी जी रहे, कमला पति त्रिपाठी रहे, उन्होंने नहीं देखा और आज के मुख्य मन्त्री भी नहीं देख सकते हैं। मुख्य मन्त्री जी जानते हैं, ठाकुर हरगोविन्द सिंह जी थे, कम से कम 14-15 वर्ष तक यहां मन्त्री थे। मरने के दो वर्ष पहले उन्होंने लोगों से कहा, मुझसे तो कहा शायद कुछ और साथियों से भी कहा होगा कि 56 जो जिले थे, उस समय 52 जिले थे, हर जिले में वे नहीं पहुंचे। कोई ऐसा मन्त्री नहीं है जो हर तहसील में पहुंचता हो। तो यह कहना कि हमको प्रधान मन्त्री मिलता है, क्या प्रधान मन्त्री मिलने के बाद उसका समझौता यह होना चाहिए कि प्रगति न मिले और प्रधान मन्त्री मिले? मैं यह कहूंगा कि हमें प्रधान मन्त्री नहीं चाहिए हमें प्रगति चाहिए, विकास चाहिए। और अब तो प्रधान मन्त्री भी नहीं मिलता। अब तो प्रधान मन्त्री भी गया, प्रगति भी गई। ऐसी सूरत में सूबे को जोड़ने की बातें करना बात को उलझाना है।

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने अपने तर्क का वितर्क किया। शर्मा जी ने कहा कि इन छोटी-छोटी बातों पर नहीं जाना चाहिए, बड़ी बातों पर जाना चाहिए। अगर हमारी जिन्दगी की बात हो तो शर्मा जी का कहना है कि छोटी-छोटी बातों पर मत जाइये, यहां के प्रशासन पर जाइये। मैं एतिहासिक बात कह रहा हूं। आज मुख्य मन्त्री जी बतायें मैं आँकड़े देता हूं। दो हजार करोड़ रुपये का वर्तमान आपका बजट है। पिछले साल 1,700 करोड़ था। 400 करोड़ ऋण देते थे। राजस्व कर 1,500 करोड़ था उसमें केवल 300 करोड़ पूंजीगत व्यय होता है और 1,200 करोड़ राजस्व व्यय होता है। 300 करोड़ रुपये में भी 50 फी सदी जनता के काम के लिए नहीं आता। इसको कौन देखने जाता है। आज समितियां बनी हैं। हमारे जिले में, हर जिले में माननीय मन्त्री जी ने बताया कि समितियां बनायी गयीं हैं। आप सुन लीजिए। आप कहियेगा तो हम सुन लेंगे। मन्त्री जी ने बताया कि कमेटी बनायी गयी है। इतने बड़े प्रान्त की व्यवस्था एक कमेटी कर सकती है? तर्क दिया जाता है कि आई०जी० हैं, खर्च के लिए हैं आई० जी०, पी० डब्लू० डी० में इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर हैं लेकिन टेरिटोरियल नहीं हैं। श्रीमन्, फंक्शनल हैं। वहो इरिगेशन में हैं। इनसे किफायत नहीं है। हमारे जिले में 8 ए0 डी0 एम0 हैं। शतरुद्र प्रकाश जी के जिले में 8 ए0 डी0 एम0 हैं। क्या

कोई कारण नहीं है कि 8 ए0 डी0 एम0 हों, चार पांच से भी काम चल सकता है । एक कलेक्टर और 8 ए0 डी0 एम0 ।

माननीय मुख्य मन्त्री जी इलाहाबाद गये थे । मैं उस दिन वहाँ था । डी0 एम0 ने कहा हमारे यहां 9 ए0 डी0 एम0 हैं । वित्त का अलग, एक्जीयूक्यूटिव का अलग । तो अपने शासन को आप कन्ट्रोल नहीं कर सकते नतीजा यह होता है कि रुपये का अपव्यय होता है । रुपया ही अपव्यय नहीं हुआ, मैं तो यह कहता हूं कि स्टेबलटी इस प्रदेश में कभी नहीं आयी है केवल इस लिए कि यह बड़ा प्रदेश है । माननीय सम्पूणानन्द जी के बाद कितनी बार कितने मुख्य मन्त्री रहे । कम से कम पाँच तो मुख्य मन्त्री जीवित हैं अभी और वे बेचारे कितने दिन रहें । माननीय गुप्ता जी चार बार हुये हैं और पांच वर्ष या 6 वर्ष मुख्य मन्त्री रहे, चौधरी चरण सिंह जी दो तीन बार मुख्य मन्त्री रहे दो तीन वर्ष रहे, टी0 एन0 सिंह जी रहे, कमलापति त्रिपाठी जी रहे, नारायण दत्त तिवारी जी रहे और जो हो गये । लेकिन स्टेबलटी क्या रही । यह तर्क करना चाहता हूं कि मोस्ट अनस्टेबल स्टेट अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है (व्यवधान) श्रीमन्, हमें सुनने दिया जाय । अब आप बोले थे तो हम ने सुना । जब तर्क करते हैं तो व्यवधान करते हैं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया शांत रहें ।

श्री श्याम धर मिश्र—

मैं कह रहा था कि सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्टेट बिहार और यू0 पी0 रहे । क्योंकि केन्द्र से सम्बन्धित रहे हैं, क्योंकि हमें गौरव रहा कि हमारे प्रधान मन्त्री हैं, प्रधान मन्त्री दखल देंगे, ऐसा गौरव हमें प्राप्त है । एक इस प्रकार की अनस्टेबलटी रही बराबर अनस्टेबलटी की दशा में चल रहे हैं, बराबर अनस्टेबल रहेंगे । हरियाणा को देख लीजिये 1 हजार बारह सौ की पर कैपिटा इनकम आप पश्चिमी जिले में रहेंगे, आप बुलन्दशहर में रहेंगे मैं बनारस में रहुंगा । यह कदापि नहीं हो सकता दिल्ली में भी हमारे दोस्त हैं । असेम्बली से ज्यादा दोस्त वहां पर हैं । माननीय मुख्य मन्त्री जी के बहुत से दोस्त वहां हैं, दिल्ली में हैं, बिहार में हैं, यह क्या हमारे साथी नहीं होंगे ? बहुत से लोग हैं । देश एक है । दोस्त केवल उत्तर प्रदेश में हैं और कहीं दोस्त नहीं हैं, मैं तो कहता हूं कि ये लोग यह कह कर विभाजित कर रहे हैं और दूसरा कोई नहीं कर रहा है ।

श्रीमन्, मैं इस तर्क में नहीं जाता की यहां की पैदावार क्या है । मैं तो यह कहूंगा कि इस प्रदेश के राजनीतिक प्रश्न से इस बात को नहीं जोड़ना चाहिये । मुख्य मन्त्री जी से कहता हूं कि प्रधान मन्त्री से और तमाम दलों से राय ले लें, स्पष्ट राय ले लें । मैं अपने दल को रिप्रिजेन्ट नहीं कर रहा हूं । मैं अपनी राय दे रहा हूं । मैं कांग्रेस वालों से सहमत नहीं हूं । इनकी राय कुछ और हो सकती है कांग्रेस (आई) की राय विपरीत हो सकती है, मैं नहीं जानता। मैं अपनी राय दे रहा हूं । और शुरू से इसका पक्षपाती रहा हूं कि इस प्रदेश की तरक्की के लिये इसे चार राज्यों में विभाजित कर दिया जाय ।

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)---

मेरा ख्याल यह है कि आप बनारस राज्य के मुख्य मन्त्री रहें और इसमें एक संशोधन यह होना चाहिये कि विभाजन हो तो जो पुराना बनारस राज्य था वह अलग से राज्य बनाया जाय ।

श्री श्याम धर मिश्र---

एक और कर दें तो बड़ी कृपा होगी लेकिन यह न हो यह आपके अधिकार में नहीं है । एक चीज आपके अधिकार में है जिस पर मैं अब आ रहा हूं वह यह है कि कोई भी राज्य चार करोड़, साढ़े चार करोड़ से ज्यादा न हो । पश्चिमी, पूर्वी प्रदेश चार, साढ़े चार करोड़ से ज्यादा न हो । बुन्देलखण्ड को किसी के साथ मिला दें और पहाड़ी राज्य । अब मुख्य मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि बनारस राज्य भूतपूर्व था । मैं भूतपूर्व मुख्य मन्त्री हो गया । वर्तमान में वह हैं और वह यह कर सकते है जिसके लिये मैं बराबर कोशिश करता आया हूं कि ज्ञानपुर को औद्योगिक जिला अपने अन्तर्गत कर दीजिये तो आपकी बड़ी कृपा होगी । लेकिन जो मुख्य मन्त्री हो जाता है तब वह यह नहीं करता जो उसे करना चाहिये । करता वह है जो उसे नहीं करना चाहिये और नहीं सोचना चाहिये । वह जब तर्क करेंगे तो विध्वंसात्मक मार मारेंगे हम पर जिसे मैं एंटिसिपेट कर सकता हूं । मैं यही कह सकता हूं कि यह प्रदेश जो दुनिया का छठा देश है उसका न विकेन्द्रीकरण हो रहा है न केन्द्रीकरण हो रहा है विकेन्द्रीकरण सफल नहीं है विकेन्द्रीकरण सफल किया जाय । इन शब्दों के साथ मैं तोमर जी के प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं ।

*श्री हुक्म सिंह परिहार--

मान्यवर, मुझे बड़ी खुशी हो रही है मिश्रा जी का भाषण सुन कर । एक समय था कि जो प्रस्ताव तोमर जी ने आज पेश किया है उसे मैंने सन् 1972 में पेश किया था विधायकों की जो समिति थी विभाजन के सम्बन्ध में, उसका मैं संयोजक था । उस समय मैंने जब विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था तो पूर्व का कोई भी सदस्य विभाजन के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा नहीं हुआ था और आज मिश्रा जी जैसे सरीखे नेता इस बारे में सोचने लगे हैं तो कितना बड़ा परिवर्तन आया है विचारों में और इस विचार ने कितन घर बनाया है, यह देखने की बात है । पहले जब मैंने यह प्रस्ताव पेश किया था उस समय पोजीशन यह थी कि केवल 5, 10 सदस्य मेरे विचार के समर्थक थे और पूरा हाउस मेरा विरोधी था तथा पूर्व के तो सभी सदस्य मेरे विरोधी थे । आज यह विचार इतना घर कर गया है कि जो लोग विभाजन के विरोधी थे वे आज विभाजन के पक्ष में आ गये और आज वे इस पोजीशन में हैं कि अपना बचाव कैसे करें ।

उत्तर प्रदेश के विभाजन पर विचार करते समय हमें देखना होगा कि यह सूबा बना कैसे ? जो विभाजन के विरोधी हैं उनको मैं याद दिलाऊं कि जो उन्होंने तर्क दिया है वह इतिहास के खिलाफ है । सन् 1857 के पहले तो अलग बात थी लेकिन सन् 1857 का जब विद्रोह हुआ उस समय आगरा तथा अवध दो राज्य थे । और इस आन्दोलन का संचालन केन्द्र आगरा राज्य था । आगरा मुगलों की राजधानी थी । तो आगरा और अवध दो राज्यों को मिलाकर एक यूनाइटेड प्रोविन्स बना । और जब हमें स्वतन्त्रता मिली तो इस यूनाइटेड प्राविन्स के नाम बदल कर उत्तर प्रदेश कर दिया गया ।

मान्यवर, जब इसका नाम उत्तर प्रदेश हो रहा था तो उसी समय हिन्दुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और उस समय के वित्त मन्त्री श्री एस० के० पालीवाल ने सुझाव दिया था कि इस उत्तर प्रदेश को दो हिस्सों में बांट दिया जाय, आगरा और अवध को अलग-अलग कर दिया जाय, विकास और प्रशासन की दृष्टि से इसे अलग-अलग कर दिया जाय। इसको न मानने के बाद यह आन्दोलन थोड़ा दब गया लेकिन आगे चल कर यही राज्य पुनर्गठन आयोग बना। उसमें यह हुआ कि पूरे हिन्दुस्तान के प्रश्न पर तो वह आयोग एक मत रहा लेकिन उत्तर प्रदेश के विभाजन के प्रश्न पर यह आयोग भी दो हिस्सों में बंट गया।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में के० एम० मणिकर की टिप्पणी है। उन्होंने अपनी टिप्पणी में उत्तर प्रदेश के बारे में लिखा है जो बहुत विचारक प्रश्न है और एक तर्कपूर्ण चीज है। उन्होंने सुझाव दिया था कि आगरा और अवध अप्राकृतिक रूप से अंग्रेजों ने मिलाया हुआ था, जो कि गलत है। जिस समय अंग्रेजों के खिलाफ आन्दोलन शुरू हुआ था तो डाक्टर लोहिया और हमको बन्द कर दिया गया था और हम लोग 6/6 महीने तक जेल में रहे। आगे चल कर वे मान गये...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री हुक्म सिंह परिहार--

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश इस रूप में रहेगा तो उत्तर प्रदेश का विकास सम्भव नहीं है, उत्तर प्रदेश का शासन सम्भव नहीं है। एक बात माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं और उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के विभाजन पर केन्द्रीय सरकार भी विचार कर रही है और इसके प्रमाण में मैं आपको केन्द्रीय गृह मन्त्री का जो बयान छपा है उसको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। यह 6 जून 1979 के "अमृत प्रभात" अखबार में छपा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि--

"केन्द्रीय गृह मन्त्री श्री एच० एम० पटेल ने आज यहां संकेत दिया कि कुछ क्षत्रों में राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है।"

श्री पटेल ने कहा कि यद्यपि मैं राज्य के पुनर्गठन का विरोधी हूं लेकिन कुछ ऐसे क्षत्रों में जहां प्रशासनिक दृष्टि से समानतायें हैं राज्य का पुनर्गठन किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और उप प्रधान मन्त्री एवं वित्त मन्त्री चौधरी चरण सिंह समेत कई वरिष्ठ राजनीतिज्ञों ने छोटे-छोटे राज्यों में इसके विभाजन की बात भी कही है और अभी कोई ठोस कदम इस समबन्ध में नहीं उठाया गया है। इस तरह से श्रीमन्, प्रशासन की दृष्टि से समानता रहे, राज्यों का पुनर्गठन करना जरूरी है...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री हुक्म सिंह परिहार—

मैं केन्द्र सरकार की जो बात है उसको कह रहा हूं केन्द्रीय गृह मंत्री की बात पेश करने के बाद अपनी बात समाप्त कर रहा हूं श्री पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और उप प्रधान मंत्री चरण सिंह भी इसके पक्ष में हैं . .

श्री उपाध्यक्ष—

सदन में शांति रखें । परिहार जी, अब आप समाप्त करें ।

श्री हुक्म सिंह परिहार—

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जब चौधरी चरण सिंह जिसके द्वारा यह सरकार बनाई गई ह, वह इसका संचालन कर रहे हैं तो जब वह विभाजन की बात करते हैं तो किसी की शक्ति नहीं है कि विभाजन की उनकी बात का विरोध कर सकें । मैं अपील करना चाहता हूं कि समय आगया है कि उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात को मान लें और इसे सर्वसम्मति से स्वीकार करें । इन शब्दों के साथ मैं तोमर जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विभाजन की बात चल रही है और कुछ लोग इसके पक्ष में और कुछ लोग विपक्ष में बात कर रहें हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की प्रगति और उत्तर प्रदेश दूसरे राज्यों की दृष्टि में क्या है । इस बात पर विचार करने के लिए दल या किसी विशेष भावना से विचार करने की जरूरत नहीं है । विचार इस बात पर करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के बहुत से लोगों की भावनात्मक एकता की बात है तो मुगल काल में दिल्ली अलग था, बंगाल अलग था, आगरा अलग था और देवरिया गोरखपुर से अलग था । अंग्रेजों के टाइम में आगरा और अवध अलग अलग थे बाद में एक हुए । भावनात्मक एकता की जहां तक बात है इससे देश के टुकड़े नहीं हो रहे हैं । यह केवल उत्तर प्रदेश की बात है । उत्तर प्रदेश में जो प्रगति होनी चाहिये थी वह नहीं हुई । इस मामले पर बुनियादी तौर पर विचार होना चाहिए । यह बहुत ही चिंतनीय बात है कि हम दूसरे राज्यों के मुकाबले में पिछड़ते चले जायं । तो यह क्रम ज्यादा दिनों तक चलता रहा तो हम पिछड़ रहेंगे । आज जी पर केपिटा इनकम की पोजीशन है भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा जो पिछड़े हुए 56 जिलों के नाम घोषित हुए हैं उनमें उत्तर प्रदेश के 27 जिले आते हैं और उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम पर डे 27 पैसे आती है । विद्युत के मामले में हरियाणा पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में एक उपभोक्ता कितना कंज्यूम करता है उसमें उत्तर प्रदेश 13वें स्थान पर है । अगर दूसरे आँकड़े देखें प्रगति के तो उसमें भी साक्षरता को ले लें । यहाँ कितने पढ़े लिखे लोग हैं इसमें जो छोटे छोटे राज्य हैं जैसे आंध्र में 15, आसाम में 10, बिहार में 12, बम्बई में 24, मद्रास में 21, मध्यप्रदेश में 13 5 और उत्तर प्रदेश में 10.81 परसेंट । तो यह साक्षरता की रिपोर्ट है । जहां तक उत्तर प्रदेश की प्रगति की बात है इसकी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ह को देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की प्रगति किस प्रकार हम कर सकते हैं ।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्रियों से पूछना चाहता हूं कि वह 56 जिलों के एस० पी० और डी० एम० के नाम बता दें जो कि प्रशासन की सबसे बड़ी कड़ी है । जब 56 जिलों के डी० एम० और एस० पी० के नाम मालूम नहीं होंगे तो काम कैसे

चलेगा । जनता पार्टी ने विकेन्द्रीकरण की बात कही तो सबसे बड़ी बात विकेन्द्रीकरण की इस प्रशासन में होनी चाहिए । मेरा व्यक्तिगत विचार है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन राजनीतिक दृष्टि से कुछ राजनीतिक लोगों ने अपनी शक्ति को बनाये रखने के लिए इसका विभाजन नहीं होने दिया हो सकता है उसमें उस पक्ष के लोग भी हो और मेरे पक्ष के लोग भी हों लेकिन इसकी प्रगति का विचार किसी ने नहीं किया और हमेशा राजनीतिक दृष्टि से इसका विरोध किया। इसमें कोई शक नहीं कि जितना छोटा राज्य होगा उतनी प्रगति ज्यादा होगी । मैं प्रशासनिक क्षमता की बात और अन्य सुविधाओं की बात कह रहा हूं। चाहे परिवहन हो, चाहे चिकित्सा, सिंचाई, कृषि या और कोई सुविधा हो, जितना छोटा राज्य होगा, उसकी उतनी सुविधा आसानी से प्राप्त होगी ।

श्री के० एम० पाणिकर ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, एक-एक आँकड़े दिए थे, राज्य पुनर्गठन आयोग से अलग उनकी रिपोर्ट थी, उत्तर प्रदेश का विभाजन भावनात्मक आधार पर न होकर प्रगति के आधार पर होना चाहिए। चाहे तीन हिस्से में बाँटें या चार हिस्से में। जनसंख्या गणना अभी अगले वर्ष होने वाली है, 12 करोड़ आबादी हो जाएगी । तो 12 करोड़ की इकाई वाला कोई प्रशासन कैसे कुशलता से अपना काम कर सकता है, बहुत मुश्किल काम है । 4-4 करोड़ के भी यदि हिस्से बांट दिए जाएं, तो 3 हिस्से में उत्तर प्रदेश बंट सकता है । यदि यह अब भी कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि प्रगति की दौड़ में यह प्रदेश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ पाएगा ।

मेरा कहना है कि राजनैतिक दृष्टि से इस पर विचार नहीं किया जाए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जनता जनार्दन के सच्चे प्रतिनिधि होने की दृष्टि से, प्रदेश की प्रगति के लिए चिन्तन करने की आवश्यकता है । यह प्रगति के मामले में बहुत पिछड़ गया है और अन्य प्रदेशों से 14वें 15वें, नम्बर पर आ गया है । कुछ लोग इस पर इस दृष्टि से विचार करते हैं और एक विवाद खड़ा करना चाहते हैं कि पश्चिमी जिलों से राजस्व ज्यादा आता है और पूर्वी जिलों से कम आता है । मैं उस विचारधारा का नहीं हूं । लेकिन केवल आर्थिक दृष्टि से प्रदेश को सुचारु रूप से चलाने के लिए इस प्रदेश के विभाजन की बहुत आवश्यकता है ।

इस प्रदेश में 56 जिलों में से केवल 17 जिले आत्मनिर्भर हैं । आत्मनिर्भर और पिछड़े दोनों प्रकार के जिले पूर्व और पश्चिम दोनों भागों में हैं । हम पश्चिम-पूर्व को बाँटना नहीं चाहते हैं, हम पिछड़े जिलों का सामंजस्य आत्मनिर्भर वाले जिलों के साथ करना चाहते हैं । हमें सोचना है कि हम पिछड़े और आत्मनिर्भर जिलों में परस्पर सामंजस्य किस प्रकार से करें, गठन किस प्रकार से करें कि प्रदेश और तेजी से प्रगति कर पाए ।

श्री श्यामधर मिश्र जी ने कहा कि हमने 3-3 प्रधान मंत्री इस प्रदेश से दिये हैं, इस बात से ही लोगों को सन्तोष होता है दूसरी कोई बात नहीं है । लेकिन प्रदेश की प्रगति होना एक बात है और प्रधान मंत्री होना दूसरी बात है और अब तो वह भी चांस अपने प्रदेश से चला गया है । आज हालत यह हो गयी है कि हमारे डिग्री कालेजों की उपाधियों को भी अन्य प्रदेशों में उनका सम्यक स्थान नहीं प्राप्त है । हमारे डिग्रियों और उपाधियों के बारे में दूसरे प्रदेश में कहते हैं कि उत्तर देश का कोई स्तर नहीं है । यह केवल पूरब और पश्चिम के बंटवारे की बात नहीं है ।

[श्री गुलाब सेहरा—]

श्री तोमर जी के प्रस्ताव को इस दृष्टि से रखते हुए कि देश की गति हो, दोस्ती तब भी बनी रहेगी, देश और भावना का कोई विभाजन नहीं होगा . . . (व्यवधान)

सुचारुरूप से गति के लिए अगर तीन हिस्से भी हो सकते हैं चार-चार करोड़ के तो इस देश के लिए लाभकारी होगा। मैं तोमर जी के स्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अवधेश प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, देश के विभाजन की बात केवल आज ही नहीं यह मामला स्वर्गीय पंत जी के जमाने से ही चली आ रही है। बल्कि 1955 में लोक सभा में नौ दिन इस पर चर्चा हुई थी। लेकिन हमारे तमाम शीर्षस्थ नेताओं ने चाहे स्वर्गीय पन्त जी रहे हों, या स्वर्गीय सम्पूर्णानन्द जी रहे हों, सब ने देश के विभाजन से इनकार किया। मान्यवर, इसके पीछे मंशा केवल यही रही कि देश का विकास हो। मुझे दुख होता है कि माननीय श्यामधर मिश्रा जी को सुनकर। उन्होंने तमाम बाते कहीं। लेकिन माननीय मिश्रा जी इस बात को जानते है कि विभाजन में तमाम सचिवालय बनगे, माननीय मुख्य मन्त्री बनेंगे, मन्त्रि मंडल बनेंगे उसमें पैसा कहाँ से आयेगा।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष —

आपको सुनना चाहिए।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, इन लोगों को शान्त करवाएं। किसी को जबरदस्ती बोलने नहीं देना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष —

जो चीज पसन्द न हो वह भी सुननी चाहिए।

श्री अवधेश प्रसाद—

एक तहसील का पुनर्गठन किया जाय तो उसमें दो करोड़ रुपया लगता है। एक ब्लाक में 50-60 लाख लगेगा। एक जिले में सात करोड और देश में 3 अरब रु० लगेगा। जिस प्रदेश में तमाम विकास की योजनाएं चल रही हों, जिहां पर हमने संकल्प और वाया किया है कि जनता पार्टी का शासन आयगा तो हकसानों का विकास होगा। ऐसी सूरत में जब विकास की योजनाएं चल रही , और विचाराधीन हैं, प्रदेश के सामने डिवीजन की बात रखना एक मजाक है। माननीय मिश्रा जी और उनके साथी हमेशा डिवाइड ऐंड रूल की पालिसी को अख्तियार करते रहे हैं। मान्यवर, बंगाल का डिवीजन हुआ, क्या दशा हुई ?

श्री श्यामधर मिश्र —

छोटे राज्यों में जनता पार्टी का रूल है ही। डिवीजन होगा तब भी रूल करेगी। कैसे कह रहे हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद—

श्यामधर मिश्रा जी ने जो राजनीति की बात कही है, मिश्रा जी को मालूम होगा कि केन्द्र शासित छोटे प्रदेश हैं लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी प्रशासनिक क्षमता और जितना विकास हमारे देश का है उन छोटे राज्यों का नहीं है। विजयराज जी ने अदालतों की बात उठाई अगर इस परिपाटी को इस प्रदेश में चलाया गया तो दक्षिण के लोग, केरल के लोग यह मांग करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, इसलिए हमारा अलग सुप्रीम कोर्ट हो, वह भी मांग करेंगे कि देश का सचिवालय दिल्ली में है, दक्षिण प्रदेश से दूर पड़ता है इसलिए वह भी डिवीजन की मांग करेंगे, अगर यह परिपाटी चल गयी तो जो देश के विकास की और योजनाएं चल रही हैं उनमें शायद व्यवधान पड़ जायगा, जो हमने वादा किया था किसानों को वह पूरा नहीं होगा। लोकनायक जय प्रकाश की बात माननीय तोमर जी ने कहा, यह चाहते थे कि शासन पर कम खर्च हो, लवाजमात बहुत कम हों लेकिन विरोधी बात हो जायगी जहां पर छोटे-छोटे प्रदेश बनाये जायेंगे वहां पर खर्चा बढ़ जायगा वहां पर तमाम स्टाफ बनेगा, सचिवालय बनेगा और आप जानते हैं कि हमारा देश ऐसा है जिसने अनेकता में एकता बनाने की कोशिश की है और देश ही में नहीं बल्कि विदेशों में भी अनेकता में एकता का वातावरण पैदा किया है। ऐसे देश का डिवीजन करने की बात गलत होगी। हमारी तमाम नदियां हैं, हम उनके डिवीजन में उलझ जायेंगे और हमारे विकास की तमाम योजनायें जो नदियों पर निर्भर हैं, समाप्त हो जायेंगी।

मान्यवर, डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने चौखम्भा राज्य कायम करने का सपना देखा था अगर माननीय तोमर जी अपना प्रस्ताव चौखम्भे राज्य का कड़ाई से पालन करने का रखते तो उसका सभी लोग स्वागत करते और वह धन्यवाद के पात्र होते। प्रदेश के आर्गनाइजेशन का मामला केन्द्रीय सरकार का है केन्द्र की सरकार ने हमारे पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है कि इस पर विचार किया जाये तोमर जी वकील हैं और वह इसको भलीभांति जानते हैं राष्ट्रपति की ओर से कोई चीज नहीं कही गयी है श्री श्यामधर मिश्र के रहते हुए हमारा देश पिछड़ गया है तो इस तरह की छोटी-छोटी बातों के कारण देश का विभाजन करना ठीक नहीं होगा, उसका अहित होगा भला नहीं होगा। डिवीजन करने से कोई अच्छी बात नहीं होगी। बंगाल का उदाहरण आपके सामने है। अतः श्री तोमर जी से निवेदन है कि अपना संकल्प वे वापस ले लें।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, मैं भी थोड़ा समय चाहूंगा।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, मंत्री लोग न बोलें और जो उसके उम्मीदवार हैं वह भी न बोलें।

(श्री कल्पनाथ सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बाद आज इसको समाप्त किया जायगा। अगले दिन लिया जायेगा।

*श्री कल्प नाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध करने के लिए खड़ा हूं। मान्यवर मुझे बोलने की प्रेरणा श्री श्यामधर मिश्र जी ने दिया। इसलिए भी कि जब श्री श्यामधर मिश्र को मुख्य मंत्री जी ने सदन में याद दिलाया कि उनका दिमाग राजनैतिक दृष्टि से बनारस स्टेट और उसके प्रधान मंत्री पद से पैदा हुआ हो और उसके बाद माननीय सदस्य पार्लियामेंट में रहे और सत्ताधारी पक्ष में रहे।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं सब कुछ जानता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह सत्ताधारी दल में रहे हैं। मुझे प्रसन्नता हुई होती अगर यह दिल्ली में बैठकर यह प्रस्ताव पास करा लेते कि प्रदेश का बटवारा होगा। आज तोमर जी प्रस्ताव लाये तो उन्होंने उसका समर्थन कर दिया। यह सोचने की बात है कि इसका कारण क्या है? मान्यवर, मैं जवाब देना चाहता हूं और आप सुनें। यह बोलते रहे मैं सुनता रहा मैं नहीं बोला। अब श्यामधर जी को परेशानी हो रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री श्यामधर मिश्र जी से बढ़कर सेहरा जी ने कहा। जब उनकी हुकूमत थी तो एक बार भी इन लोगों ने श्रीमती इन्दिरा गांधी से यह नहीं कहा कि बंटवारा कर दें। उस समय दिमाग में नहीं आया। अब यह चीज दिमाग में क्यों आयी, क्या कारण है?

मैं सेहरा जी को बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए कि आज उन्होंने हिम्मत करके इंदिरा गांधी को जम कर क्रिटीसाइज करने का प्रयास किया। मैं यह चाहता हूं कि अगर आज भी वे अपनी भावनाओं को लिख कर अपनी अभिनेत्री कांग्रेस की अध्यक्षा, श्रीमती इंदिरा गांधी के पास भेज दें तो इस देश का बड़ा कल्याण होगा।

दूसरा तर्क उन लोगों की ओर से क्या दिया गया, जो इस प्रदेश के विभाजन की बात करते हैं, कि प्रदेश में शासन की अक्षमता है। दूसरी बात यह कही गयी कि राजनैतिक अस्थिरता है। सबसे छोटा देश हरियाणा में सबसे अधिक राजनैतिक अस्थिरता कब पैदा हुयी जब आया राम और गया राम" की स्थिति पदा हुयी। राजनैतिक अस्थिरता छोटे और बड़े देशों के कारण नहीं हुयी। राजनैतिक दृष्टिकोण के कारण हुयी जब आया राम गया राम के शब्द सारे भारतवर्ष में हरियाणा से चलित हुए। राजनैतिक अस्थिरता इस कारण से नहीं हुयी है कि यह देश बड़ा है। इस कारण से भी नहीं हुयी कि इस प्रदेश में या दूसरे प्रदेशों में गुटबाजियाँ हैं। राजनीतिक अस्थिरता स्वार्थों के पीछे हुआ करती हैं और जब लोगों को कुर्सी दिखायी देने लगती है तो प्रदेश अगर बंट जाता है तो सोचते हैं कि मुख्य मन्त्री बनने का नम्बर आ जायगा और अगर यह भी नहीं होता है तो फिर सोचते हैं कि मंत्री ही हो जायेंगे। जो लोग जिस दृष्टिकोण से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश का बंटवारे की बात कहते हैं आश्चर्य नहीं है कि जब वे जिले के बंटवारे की बात कहेंगे और एक-एक कान्सटीट्युएन्सी में प्रदेश को बंटवारे की बात कहेंगे ताकि वे ही वहाँ के एम० एल० ए० हों, वे ही मंत्री हों और वे ही मुख्य मंत्री हों। तो अगर 1 से 2 और 2 से 3 हिस्सों में बंटवारे की बात चलती है तो कभी भी प्रदेश का भला नहीं होने वाला है।

अगर आर्थिक दृष्टिकोण से बात है, अगर हमारे बुन्देलखंड के मित्र अपनी आर्थिक दृष्टि के प्रश्न को उठाय और जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि जब पहाड़ का एक मंत्रालय बन सकता है तो बुन्देलखंड का भी एक मन्त्रालय हो, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आर्थिक दृष्टि से प्रदेश में कुछ पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और उसमें भी कुछ पिछड़ी हुयी पाकेट्स हैं, तो ये सारी स्थिति कैसे पैदा हुयी। जब योजनाओं में कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो जायगी और राजनैतिक दृष्टिकोण से सारी कार्यवाही शुरू होगी तो फिर ऐसी ही स्थिति होगी लेकिन किसी भी दृष्टि से इस प्रदेश का बंटवारा उचित नहीं है। अगर यह बात होती तो जिस समय राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था तो केन्द्र में जितने भी हमारे नेता थे चाहे पंडित जवाहर लाल नेहरू हों, माननीय गोविन्द वल्लभ पंत हो, या रफी अहमद किदवई हों, क्या इन नेताओं के मन में इस प्रदेश के लिए प्रेम नहीं था। क्या इनके मन में इस बात की इच्छा नहीं थी कि इस प्रदेश का आर्थिक विकास किया जाय।

अगर आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन का कारण भी ये समझे होते तो उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बात कर दी होती और उसी समय यह कर दिया होता लेकिन जो लोग आज यह बात कहते हैं क्या वे नहीं जानते कि काश्मीर कितना बड़ा राज्य है, गोआ, मैसूर, हिमाँचल कितने बड़े राज्य हैं। आज ओरिसा को ले लीजिए, वह आपसे भी पीछे हैं जबकि आबादी हर दृष्टि से कम है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाय तो मध्य प्रदेश सबसे बड़े क्षेत्र का राज्य है लेकिन वहाँ पर किसी ने विभाजन की माँग नहीं की। इस प्रदेश के विभाजन की माँग करना इस प्रदेश को तबाह करना है। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)--

जो प्रस्ताव माननीय प्रस्तावक महोदय ने रखा है, उस पर बीच-बीच में मैं इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को कभी बड़ा भावुक होते हुये देख रहा हूं। यह विषय उत्तेजना से सोचने का नहीं है। मैं यह देख रहा हूं कि कुछ माननीय सदस्य चाहते हैं कि हम लोग जुदा हो जायें। यह बात इतनी जल्दी में सोचने की नहीं है। प्रदेश के विभाजन का फल बुरा होगा, एकता की बात पर बल देना ही ज्यादा हितकर होगा। यदि इस प्रदेश के विभाजन से ही देश प्रदेश का हित होता तो स्वर्गीय पंडित गोविन्द बल्लभ पंत, डा० सम्पूर्णानन्द आदि महान नेताओं ने प्रदेश की एकता पर ही सदा बल न दिया होता। आज भी केन्द्र में प्रदेश के कई नेता हैं, पर किसी ने वहां प्रदेश के विभाजन की बात नहीं उठायी। प्रस्तावक महोदय ने कहा है कि प्रदेश को छोटे-छोटे प्रदेशों में बांट दिया जाये मैं उनसे कहूंगा कि वे इस पर बल न दें। उन्होंने जनता पार्टी के घोषणापत्र का उल्लेख किया है और कहा है कि जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में कहा है कि आर्थिक और राजनैतिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। आर्थिक और राजनैतिक शक्तियों का अवश्य विकेन्द्री-

[श्री हरिशचन्द्र—]

करण होना चाहिये । लेकिन विकेन्द्रीकरण का अर्थ विभाजन नहीं है । उत्तर प्रदेश के विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं है इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये । अशोक मेहता कमेटी ने भी इस बात पर बल दिया है । भाई शतरुद्र प्रकाश जी ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में आर्थिक और राजनैतिक शक्तियों के विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये ।

जहाँ तक छोटे और बड़े प्रदेश का सवाल है । मैं एक बात और पूछना चाहता हूं । क्या आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर का एक प्रदेश बना देने से वहाँ आर्थिक विकास हो जायेगा । क्या आगरा डिवीजन को अगर एक प्रदेश बना दिया जाये तो क्या उस क्षेत्र में हत्यायें कम हो जायेंगी या शान्ति व्यवस्था काबू में आ जायेगी ।

जिन लोगों का ख्याल है कि हिमांचल प्रदेश छोटा होने के कारण तरक्की कर सका है । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं अभी 4 दिन वहाँ रहकर आया हूं मैंने अनुभव किया कि वहाँ कोई छोटा प्रदेश होने के कारण प्रगति नहीं हुई । उड़ीसा, आसाम मेघालय, अरुणांचल आदि प्रदेशों ने छोटा होने के बाद भी क्यों नहीं प्रगति की ? महाराष्ट्र बड़ा होने के बाद भी उसने प्रगति की । उत्तर प्रदेश के संसाधन और यहां के श्रम को जुटाकर प्रदेश की तरक्की की जा सकती है, बटवारे से नहीं । (व्यवधान) उत्तर प्रदेश के बटवारे की बात करना ही प्रदेश की प्रगति में बाधा उत्पन्न करना है । जिन लोगों का यह ख्याल है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा पैसा है और पश्चिम ने बड़ी उन्नति कर ली है वे भ्रम में हों तो यह भ्रम वे दूर कर लें । यह उत्तर प्रदेश एक रहेगा ।

जहाँ तक राजनैतिक अस्थिरता का प्रश्न है, इसका आरम्भ हरियाणा से हुआ, गोआ में है । यह छोटे प्रदेश हैं । जहां कोई अपने को बंगाली बोल कर बिहारी बोल कर, गुजराती बोलकर कभी उत्तेजित होता है, तो लगता है कि देश बंट जायगा, परन्तु उत्तर प्रदेश में प्रान्तीयता की यह भावना नहीं उत्पन्न हो पाती है । इसके लिये इसका स्वरूप और व्यापकता का कारण है । हिन्दुस्तान के बीच यह प्रदेश एकता बनाये रखने में सहायक रहा है । देश की एकता के लिए उत्तर प्रदेश का एक रहना आवश्यक है, इसके विकास, इसकी प्रगति के लिए आवश्यक है कि राजनैतिक एवं आर्थिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाय । मैं चाहूंगा कि तोमर जी एक दूसरा प्रस्ताव ले आवें कि प्रदेश की आर्थिक एवं राजनैतिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाय और माननीय मुख्य मंत्री जी उसको स्वीकार कर लें । आज तक राजनैतिक एवं आर्थिक शक्तियों का कहीं पर भी विकेन्द्रीकरण नहीं हुआ है । आज तक अशोक मेहता कमेटी तथा अन्य कमेटियों की रिपोर्ट सामने हैं । मैं माननीय प्रस्तावक महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें और प्रदेश में राजनैतिक तथा आर्थिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण पर जोर दें । मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं और प्रस्तावक महोदय से इसको वापस लेने के लिए आग्रह करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको आज मैं स्थगित करता हूं और इसे कार्य मंत्रणा समिति के सामने लाकर फिर हम इसके लिए समय निश्चित कर लेंगे । आज इसके ऊपर चर्चा अब समाप्त की जाय ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)—

श्रीमन्, यह कब के लिए स्थगित किया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तय कर लिया जायगा ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी (संशोधन) विधेयक, 1979

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी (संशोधन) विधेयक, 1979, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 6 जून, 1979 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 11 जून, 1979 को वापस प्राप्त हो गया है ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत आज 3 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री राम सजीवन और श्री श्रीनारायण ने बांदा जिले में कर्वी स्थित एशिया की सबसे बड़ी पाठा पेयजल योजना द्वारा पीने के पानी की पूर्ति न किये जाने के सम्बन्ध में दिया है । इसको मैंने स्वीकार किया है और इसके बारे में 15 जून को शासन की ओर से वक्तव्य आ जायगा । दूसरी सूचना श्री कल्पनाथ सिंह का गोरखपुर जिले की ट्रेजरी में बन्द आभूषण के स्थान पर नट बोल्ट और लोहा मिलने के सम्बन्ध में है । इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है जो 14 जून, 1979 को शासन की तरफ से आ जायगा ।

तीसरी सूचना श्री रवीन्द्र सिंह की है, प्रदेश में लू की चपेट से कई व्यक्तियों की मृत्यु होने के सम्बन्ध में है । इसको मैंने अस्वीकार किया ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया सदन में शान्ति रखें । कई बार हम को टोकना पड़ता है ।

मेसर्स गोल्डेन कोल्ड स्टोरेज, जी० टी० रोड, शिवराजपुर, कानपुर के भवन के गिर जाने से हुयी दुर्घटना के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

कृषि मंत्री (श्री शिव मंगल सिंह)—

मेसर्स गोल्डेन कोल्ड स्टोरेज, जी० टी० रोड, शिवराजपुर, कानपुर ने दिनांक 16 जून, 1978 को एक शीतगृह शिवराजपुर में निर्माण कराने के लिये विभाग से अनुमति माँगी । आवेदन-पत्र के साथ उन्होंने अपनी जमीन के सम्बन्धी

[श्री शिव मंगल सिंह--]

लैण्ड परचेज डीड, मशीनों की सूची जो उन्हें खरीदनी थी, बिजली के कनेक्शन के प्राप्त करने के पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की। साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के अवकाश प्राप्त इक्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा बनाये गये भवन का नक्शा भी प्रस्तुत किया। उनके प्रार्थना-पत्र के विषय में मन्डलीय उपनिदेशक उद्यान, इलाहाबाद ने अपनी संस्तुति यह दी थी कि शिवराजपुर विकास क्षेत्र में कोई भी शीतगृह उपलब्ध न होने के कारण उस क्षेत्र का आलू चौबेपुर या कानपुर में भन्डारण हेतु कृषकों को ले जाना पड़ता है। अतः शिवराजपुर क्षेत्र के लिये प्रस्तावित शीतगृह का निर्माण उपयुक्त है। उन्होंने प्रार्थी के विषय में भी बताया कि उन्हें आलू के व्यापार का अनुभव है। इस संस्तुति के आधार पर निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग, जो शीतगृह के लाइसेंसिंग अधिकारी है, निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की :--

1--निर्माण सम्बन्धी समस्त सामग्री का प्रबन्ध आवेदक को स्वयं करना होगा।

2--प्रस्तावित कोल्ड स्टोरेज कक्षों में इन्सुलेशन हेतु फाइबर ग्लास अथवा अन्य कोई वस्तु, जो उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेंस देना) नियमावली, 1976 की धारा 6 (III) में अनुमोदित हो, प्रयोग किया जायेगा।

3--प्रस्तावित कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के बाद तथा कार्यान्वयन से पूर्व विहित फीस एवं प्रपत्र पर लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र इस कार्यालय को जिला उद्यान अधिकारी, कानपुर के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा। बगैर लाइसेंस प्राप्त किये, कोल्ड स्टोरेज कक्षों में भन्डारण नहीं किया जायेगा।

4--शीतगृहों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित समस्त आदेशों का पूर्णतः पालन करना होगा।

तदनन्तर 9 मार्च, 1979 को उपनिदेशक उद्यान, इलाहाबाद ने यह सूचित किया कि शीतगृह के एक कक्ष का निर्माण 11.680 घनमीटर का पूर्ण हो गया है, उन्होंने इन्सुलेशन भी नियमानुकूल कराया है तथा उन्हें 125 हार्स पावर विद्युत् शक्ति का कनेक्शन भी प्राप्त हो गया है तथा 7″ × 7″ का आइस डियू कम्पनी का एक कम्प्रेसर शीतगृह संचालन हेतु लगाया जा चुका है एवम् दूसरे कम्प्रेसर का प्रबन्ध कर रहे हैं। उनके कक्ष का निर्माण भी करा लिया गया है और व्यवस्था नियमानुकूल पायी गयी है। शीतगृह में प्रवेश और आवागमन की व्यवस्था ठीक है। अतः उन्हें वर्ष 1979 के लिये लाइसेंस प्रदान कर दिया जाये। इस संस्तुति के आधार पर 24 मार्च, 1979 को मेसर्स गोल्डेन कोल्ड स्टोरेज को 11.680 घ० मी० के भन्डारण क्षमता के लिये वर्ष 1979 की अवधि का लाइसस दे दिया गया। इसके पूर्व दिनांक 3 मार्च, 1979 को जबकि कम्प्रेसर लगाया गया मशीनरी का भी ट्रायल हो चुका था और यह देख लिया गया कि कक्ष में तापमान स्थिर बना रहता है।

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेंस देना) नियमावली, 1976 के नियम 6 के अन्तर्गत इस प्रकार की व्यवस्था है कि शीतगृह में इन्सुलेशन इस प्रकार लगाया जायेगा कि उसमें पक्षियों, कीड़ों-मकोड़ों, चूहों आदि का प्रवेश

न हो सके, वह आर्द्रता एवं ऊष्मा निरोधक हो जिससे स्टोर किये गये कृषि उत्पादन को क्षति न पहुंचे। रैकों की व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि कोल्ड स्टोरेज में कार्य करने वाले कर्मचारियों के जीवन को खतरे में डाले बिना आलू लादने और उतारने का कार्य किया जा सके। कोल्ड स्टोरेज के भू-गृहादि में अग्नि शामक उपकरण सदैव प्रयोग्य दशा में रक्खा जायेगा।

इन नियमों के अधीन जिस-जिस व्यवस्था को सुनिश्चित करने की बात की गयी है, उन सबको लाइसेंस देने के पूर्व लाइसेंसिंग अधिकारी ने दिखलवा लिया था।

लाइसेंस देने के उपरान्त इस शीतगृह में पूरी क्षमता के अनुरूप आलू भन्डारित किया गया जो लगभग 35,000 कुन्तल थी।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

मान्यवर, अंतिम पैरा पढ़वा दें और शेष पढ़ा हुआ मान लिया जाय वक्तव्य बहुत बड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष--

शान्ति से बैठें। थोड़ा ही रह गया है।

श्री शिव मंगल सिंह--

इस कोल्ड स्टोरेज का निर्माण श्री मकबूल आलम, पार्टनर मेसर्स गोल्डेन आइस एन्ड कोल्ड स्टोरेज करा रहे थे जो मार्च, 1979 में पूर्ण हुआ। इस कोल्ड स्टोरेज के तीन हिस्सेदार सर्वश्री मकबूल आलम, महबूब आलम तथा अब्दुल हमीद हैं। इस कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु पंजाब नेशनल बैंक, जनरलगंज, कानपुर से 7.45 लाख रुपया ऋण लिया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार भवन व मशीनरी का बीमा न्यू इन्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा 28.77 लाख का कराया गया है। कोल्ड स्टोरेज का निर्माण लेबर कन्ट्रैक्ट द्वारा कराया गया। भवन के निर्माण आदि की सामग्री की व्यवस्था कोल्ड स्टोरेज के मालिकों द्वारा की गयी।

शीतगृह के निर्माण में घटिया किस्म का मैटीरियल लगाया गया या अन्य किसी कारण से शीतगृह गिर गया, इन बातों की तकनीकी जाँच अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करायी जा रही है।

(इस समय 5 बज कर 10 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्यामधर मिश्र पीठासीन हुये।)

जिलाधिकारी, कानपुर द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार दिनांक 7/8 जून, 1979 की रात्रि में लगभग 1-45 बजे कोल्ड स्टोरेज ध्वस्त हो गया। ग्रामीणों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार लगभग 1-45 बजे रात्रि बड़े घड़घड़ाहट की आवाज हुयी और जब ग्रामीणों ने मौके पर जाकर देखा तो सम्पूर्ण कोल्ड स्टोरेज ध्वस्त पाया। इस कोल्ड स्टोरेज के उत्तरी भाग के एक हिस्से में जिसे मशीन रूम बताया गया, श्रमिक रात्रि को छत की मरम्मत का कार्य कर रहे थे तथा 23-24 श्रमिक कार्य पर थे। श्रमिकों की संख्या की पुष्टि श्री राम निवास पान्डे, मशीनिस्ट, जो श्रमिकों के साथ कार्य कर रहे थे, तथा दुर्घटना में घायल हो गये

[श्री शिव मंगल सिंह--]

एवं जिनका इलाज लाला लाजपत राय अस्पताल में हो रहा है, के बयान से इस बात की पुष्टि होती है कि श्रमिकों की संख्या लगभग 24 थी। मौके पर एकत्रित लोगों की सूचना के अनुसार मृतकों की संख्या 16 तथा घायलों की संख्या 5 है। 3 व्यक्ति अस्पताल नहीं गये। इस प्रकार कुल श्रमिकों की संख्या 24 हो जाती है। गिरे हुये कोल्ड स्टोरेज के अन्दर कोई और श्रमिक नहीं रह गया है, इसे सुनिश्चित करने के लिये सुपरवाइजर, कानूननों तथा लेखपालों को निर्देश दे दिये गये हैं कि वे अपने क्षेत्रों के गाँव में जाकर यह सुनिश्चित कर लें कि कोल्ड स्टोरेज में कार्य करने वाला कोई श्रमिक लापता तो नहीं है? अभी तक इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

कोल्ड स्टोरेज के ध्वस्त होने की सूचना प्राप्त होते ही जिलाधिकारी, कानपुर ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्राधिकारी पुलिस के साथ मौके पर प्रातः 6-30 बज गये। इसके पूर्व अतिरिक्त जिलाधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र), परगना मैजिस्ट्रेट, बिल्हौर तथा अन्य पुलिस अधिकारी फायर ब्रिगेड के साथ पहुंच चुके थे तथा बचाव का कार्य कर रहे थे। बचाव का कार्य 3-30 अपरान्ह तक चलता रहा। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचा कर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करायी गयी। मौके पर चिकित्सा अधिकारी अपने डाक्टरों तथा एम्बुलेंस के साथ पहुंच गये।

इस कोल्ड स्टोरेज में 1,679 व्यक्तियों का लगभग 35,000 कुन्तल आलू भन्डारित है। कृषकों को उनकी क्षति पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 की धारा 24 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इस अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंसधारी किरायाहाता को अपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये माल के सम्बन्ध में ऐसे लाइसेंसधारी द्वारा की गयी उपेक्षा, अवचार या व्यतिक्रम के कारण हुयी प्रत्येक हानि, नाश, क्षति, खराबी या माल के अपरिदान के लिये प्रतिकर का देनदार होगा।

शासन ने कोल्ड स्टोरेज गिरने के फलस्वरूप मृत व्यक्तियों के परिवारों को दो हजार रुपये एक्सग्रेसिया दिये जाने की घोषणा की है।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

बयान में माननीय मंत्री जी से यह कहा है पेज नंबर दो के पैरा तीन में, कि इन नियमों के अधीन जिस-जिस व्यवस्था को सुनिश्चित करने की बात की गयी है, उन सबको लाइसेन्स देने के पूर्व लाइसेंसिंग अधिकारी ने दिखलवा लिया था। दूसरी जगह कहा गया है कि 31 मार्च को इस कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन हुआ था। एक जगह लिखा गया है कि श्रमिक रात्रि को छत की मरम्मत का कार्य कर रहे थे। 31 मार्च के बाद दो महीने तीन महीने के अन्दर उसकी छत टूट गयी जिससे स्पष्ट होता है कि वह भवन ठीक प्रकार से नहीं बनाया गया था। एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस समय लाइसेन्स दिया गया टेक्निकल दृष्टिकोण से भवन की ठीक प्रकार से जाँच करवा ली गयी थी या नहीं? दूसरे 35 हजार क्विन्टल आलू दबा हुआ है। कोल्ड स्टोरेज के मालिक ने इस कारण से आलू नहीं निकलवाया है कि उसके पास धनाभाव है। जिला प्रशासन ने भी कोई सहायता नहीं दिया कि वह निकलवा सके। तो परिस्थिति यह हो गयी है कि उस क्षेत्र में बदबू फैल रही है और गन्दगी हो रही है। तो एक प्रश्न तो यह है कि क्या टेक्निकल दृष्टिकोण से जाँच करा ली गयी थी और दूसरा कि 35 हजार क्विन्टल आल....

श्री अधिष्ठाता--

कृपया दोहरायें नहीं ।

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, इस पर अपने बयान में भी कहा है कि इन्जीनियर से इसकी जाँच कराई जा रही है । वही समुचित व्यक्ति है जो बता सकता है कि किन कारणों से ऐसा हुआ कि उसके मैटीरियल में खराबी थी या एलेक्ट्रिक इन्सुलेशन में खराबी थी । जहाँ तक आलू का प्रश्न है....

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि जो कोल्ड स्टोरेज को स्वीकृति दी गयी तो जो निरीक्षण-कर्ता है उसने ऐक्ट के अन्तर्गत, नियमावली के अनुसार निरीक्षण कर लिया था या नहीं ? यह आप बतायें । उनका सीधा प्रश्न है ।

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, मैं समझ नहीं पाया किस समय ?

श्री अधिष्ठाता--

कोल्ड स्टोरेज खुलने के पहले और जब कोल्ड स्टोरेज चालू हुआ उस समय सरकार के नियमों के अनुसार स्वीकृति मिली थी ? स्वीकृति देने के पहले जांच कर ली गयी थी । यह उन्होंने पहला प्रश्न पूछा । निरीक्षण किया था या नहीं ?

श्री शिव मंगल सिंह--

इन सारी चीजों की जानकारी करने के बाद ही लाइसेंस दिया जाता है । यह तो बात अपनी जगह पर सही है ।

जहां तक आलू की बात है आज ही टेलीफोन से कह दिया गया है कि शीघ्रातिशीघ्र उसकी व्यवस्था की जाय । इसमें दिक्कत यह पैदा हो गयी है कि जो भवन गिरा है अब भी उसका कुछ हिस्सा ऐसा है कि कहीं यह भी न गिर पड़े । तो फायर ब्रिगेड के लोग उसके अन्दर लोगों को जाने नहीं देते हैं कि कहीं ऐसा न हो जाय कि बिल्डिंग न गिर जाय और लोगों की मृत्यु हो जाय । फिर भी हमने कहा है कि ऐसी व्यवस्था करिये कि जो आलू दबा है वह जल्दी से जल्दी निकल सके और संभव हो तो उसकी बिक्री करा दी जाय जिससे किसानों की क्षति न हो सके ।

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, इसमें लिखा है कि दिनांक 16-6-78 को वहां पर अनुमति मांगी गयी कोल्ड स्टोरेज को बनाने की, और मशीनों आदि सभी चीजों की सूची दी और उनको अनुमति मिल गयी । तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मुझे भ्रम है कि यह सारी चीजें वहां नहीं थीं ? एक ईंट की दीवार थी । तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सारी चीजें खरीदी जा चुकी थीं ?

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, लाइसेंस देने के अधिकारी जो होते हैं वह तो उद्यान के डाइरेक्टर होते हैं। उद्यान के डाइरेक्टर, इंसूलेशन, बिल्डिंग के बारे में कोई चीज नहीं कह सकते। वह तो प्रमाण-पत्र लाइसेंस देने से पूर्व प्राप्त करते हैं। उसको देखते हैं। उसके बाद कोई अगर क्षति होती है तो उसके ऊपर जांच करायी जाती है।

श्री रेवती रमण रस्तोगी--

मान्यवर, इसके पीछे भ्रष्टाचार का मामला है। इस भ्रष्टाचार के लिए इसका निरीक्षण कराया जाय और उस अधिकारी को जिसने लाइसेंस दिया उसकी चेकिंग करायी जाय। इसके अलावा 1679 व्यक्तियों को जो 35 हजार क्विन्टल आलू रखा था उसमें एडवांस लिया गया है, यह सारा नष्ट हो गया है तो उसका कम्पंसेशन कब तक सरकार दिलायेगी ?

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, यह तो इंश्योरेंश कराया गया है। उसके अन्तर्गत इंश्योरेंश कम्पनी से डिमांड करेंगे वह आयेगा तब बंटवाया जायगा।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

मान्यवर, जो स्टेटमेंट दुर्घटना के बाद जिलाधिकारी कानपुर ने दिया था कि यह दुर्घटना माल खराब लगाये जाने से और तकनीकी गड़बड़ी से हुयी। मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट के पेज 3 में कहा है कि शीतगृह के निर्माण में घटिया किस्म का मैटीरियल लगाया गया या अन्य किसी कारण से शीतग्रह गिर गया, इन बातों की तकनीकी जांच अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करायी जा रही है। ऐसा लगता है कि इसके लाइसेंस प्राप्त करने म विभागीय अधिकारियों ने कुछ गोलमाल किया है। जो स्टैंडर्ड शीतगृहों के बनाने का है उसका पालन किया गया है ?

श्री अधिष्ठाता--

इसकी जांच हो रही है।

श्री देव कुमार--

मान्यवर, जांच अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को दी है तो ऐसा लगता है कि कुछ घपला होगा। इतनी बड़ी लोमहर्षक दुर्घटना घटी है। मैं जानना चाहता हूं कि विषय की गम्भीरता को देखते हुए और प्रदेश में इस तरह का, लोग आगे घपला न करें और ऐसे चीजें न दोहरायी जायं तो क्या इसकी जांच अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग से न कराकर टेक्निकल विजीलेंस के जरिए से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, मैं स्वयं इस बात पर विचार कर रहा था और मैं माननीय सदस्य की भावना से सहमत हूं कि यह जो एक उदाहरण हमारे सामने आया है ऐसी चीज होने का, अगर भविष्य में जितने कोल्ड स्टोरेज बनने वाले हैं अगर इस तरीके से उनका परिणाम सामने आया। तो शायद प्रदेश के कृषकों को बहुत बड़ी क्षति होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसकी एक उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा ताकि सही बात का पता चल सके।

मेसर्स गोल्डेन कोल्ड स्टोरेज, जी० टी० रोड, शिवराजपुर, कानपुर के भवन 1257 के गिर जाने से हुयी दुर्घटना के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री देव कुमार—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस जांच के परिणाम में साबित हो गया कि लाइसेंस, सही औपचारिकताओं की जांच न कराकर दिया गया है ? इसलिए क्या मंत्री जी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

अभी तो जांच हो रही है । अभी यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, जिस मैटेरियल से कोल्ड स्टोरेज बनाया गया था वह मेरे पास उपलब्ध है जिसको मंत्री जी देख लें । यह स्टोरेज मिट्टी से बनाया गया, 7 खंड का यह स्टोरेज था । लाइसेंस देने से पहले इसकी जांच इंजीनियर से कराई होगी । इससे जाहिर है कि इंजीनियर ने जांच रिपोर्ट बिना पैसे लिए नहीं दी होगी । इसलिए इसमें सिद्ध भ्रष्टाचार है । इसलिए क्या मंत्री जी उस इंजीनियर और कोल्ड स्टोरेज के मालिक के खिलाफ कार्यवाही करने जा रहे हैं कि नहीं ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में पाये गये किसी भी व्यक्ति को जो भ्रष्टाचार का दोषी होगा, उसको सख्त से सख्त सजा दी जायगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिस दिन यहां के मंत्रि परिषद् के एक सदस्य इस कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन करने गये थे, तो वह मंत्री जी से तथा अन्य अधिकारियों से इस तरह की तमाम व्यक्तियों ने शिकायत किया था कि यह कोल्ड स्टोरेज ईंट के भट्टे की जमीन पर बना है जो कभी भी ढह सकता है ? तो इस प्रकार की शिकायत मिलने के बाद भी जिला अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? दूसरी बात इस तरह की घटनाओं के सम्बन्ध में अभी तक जो जानकारी यहां सदन में मिलती रही है उनमें 5 हजार रुपये दिया जाता है । तो क्या कारण है कि जो इस घटना में मर गये हैं उनके परिवार वालों को दो हजार रुपये की सहायता की घोषणा किया ? इसलिए क्या मंत्री जी उस दो हजार रुपये को बढ़ा कर 5 हजार रुपये करेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, किसी के प्रति कोई शिकायत हुई हो या कोल्ड स्टोरेज किन कारणों से क्षतिग्रस्त हुआ, इसकी जांच हो रही है । तो जांच के पहले कोई बात कहना उचित नहीं होगा । उसमें मैटेरियल सही लगा कि नहीं, यह जानकारी करने पर ही मालूम हो सकता है, इसलिए जो इसके इक्सपर्ट होते हैं, वह इसकी जांच करते हैं और उनको रखा गया है, उनकी राय जब सामने आयेगी तो उन दोषी लोगों को सजा दी जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने दो प्रश्न पूछे थे। एक तो 2 हजार और 5 हजार रुपये करने के बारे में बात थी, जिसका कोई उत्तर नहीं दिया। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर हां या नहीं में मंत्री जी देने की कृपा करें और एक प्रश्न था कि जब जिलाधिकारी को जानकारी मिल गयी कि भवन गलत बना हुआ है, प्रायर सूचना मिल गयी, तो उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री (श्री हरीकिशन श्रीवास्तव)--

मान्यवर, मैंने उद्घाटन किया था। मुझसे किसी ने इस सम्बन्ध में बात नहीं की कि जो माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

वह जो दो हजार और पांच हजार वाली बात है, उसके सम्बन्ध में बता दें ;

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी आगरा जा रहे थे। मैंने मुख्य मंत्री जी से कहा कि मेरे क्षेत्र का मसला है। तत्काल पहुंचना है। तो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि तत्काल सहायता दो हजार की घोषणा कर दें। उन्होंने कहा कि वैसे तो उत्तरदायित्व मौलिक रूप से मालिक का होता है, लेकिन मेरी ओर से जाकर घोषणा कर दें और हमने कर दी।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कोल्ड स्टोरेज जब चालू किया जाता है, तो उस पर कोई विशेषज्ञ और इंजीनियर अपनी रिपोर्ट पेश करता है। तो क्या किसी इन्जीनियर ने उसको पेश किया था ? अगर किया था क्या उस इन्जीनियर के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

यह बात तो आ गयी। उन्होंने कह दिया कि इसकी जांच हो रही है।

श्री मंजूर अहमद--

किसी विशेषज्ञ ने रिपोर्ट पेश किया था ?

श्री अधिष्ठाता--

जब कार्यवाही की बात आयी, तो उन्होंने कहा कि पहले जांच तो हो जाय।

श्री शत्रुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, माननीय मोती लाल देहलवी ने कुछ वहां के मिट्टी या पत्थर भी पेश किए हैं और यह बताया है कि उसमें सीमेन्ट, बालू और ईंट का जो प्रयोग किया है, वह अनुपात के आधार पर बहुत कमजोर और जो मात्रा होनी चाहिए, वह नहीं है। तो मैं जानना चाहूंगा कि यह जो रिपोर्ट आपके सामने पेश किया यह तो सदन की सम्पत्ति हो गयी। इसको सदन की सम्पत्ति मानते हैं कि नहीं ? अगर सदन की सम्पत्ति मानते हैं तो विधान सभा के अन्दर जो माननीय सदस्य ने ईमानदारी और विश्वास के साथ चीज पेश की है और जो

माननीय मंत्री जी ने रिपोर्ट पेश की है, वह प्रशासन के किसी अधिकारी की रिपोर्ट है, तो जो विधायक कानपुर हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट पेश किया है, उसको आधार मानकर, शासन के सुपुर्द करेंगे ? जो माननीय विधायक ने रिपोर्ट पेश किया है, उसको प्रमाणिक मानकर जांच कर सकते हैं कि नहीं ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य ने प्रश्न न करके मुझसे पूछा है कि मैं उत्तर दूं । दो बातें एक समय कैसे हों ? एक बात खत्म हो जाने दीजिए तब दूसरी बात हो जायेगी। मैं यह कह रहा था कि जो मिट्टी उन्होंने दिया है, मने इसकी अनुमति नहीं दी है कि वह सदन की जायदाद मानी जाए। मैं यह मान कर चलता हूं कि जब माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उसकी जांच होगी तो स्वभावतः जो इंजीनियर या कोई अन्य अधिकारी जांच करता है तो वह स्वतः वहां की मिट्टी लेगा और उसकी जांच करेगा । यदि आप चाहते हैं कि इस मिट्टी की जांच की जाए तो आप मंत्री जी को दे दीजिये । वे इसकी भी जांच करा लेंगे ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मैंने बहुत जिम्मेदारी के साथ स्वयं मिट्टी मंगवाकर इकट्ठा की है जो मैंने आपको और माननीय कृषि मंत्री जी को दी है । मैं इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं कि इसी मिट्टी से वह निर्मित हुआ । मैं आपसे दूसरा आग्रह कर रहा हूं, मान्यवर, इसमें ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार निहित है। मैं यह मांग कर रहा हूं कि इसके लिए आप दो घण्टे की चर्चा स्वीकार करें ।

श्री अधिष्ठाता--

इसकी आप सूचना दीजिए । अध्यक्ष उसका निर्णय करते हैं ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मैंने नियम 52 की सूचना दे रखी है ।

श्री अधिष्ठाता--

ऐसे कहने से काम नहीं चलता है । आप लिखित सूचना दीजिए और उस पर अधिष्ठाता निर्णय नहीं करते हैं । उस पर अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाएगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मुझे जब आपने प्रश्न पूछने की अनुमति दी थी तब मैंने पूछा था कि क्या सरकार संदर्भित कारणों को ध्यान में रखते हुए इस दो हजार की राशि को बढ़ाकर 5 हजार करेगी ? आपने प्रश्न को स्वीकार किया और मंत्री जी को बुला लिया । लेकिन मंत्री जी ने इसका उत्तर नहीं दिया । मंत्री जी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं भी दे सकते हैं यदि गोपनीयता की बात हो या सूचना की आवश्यकता हो। ऐसी कोई बात है नहीं । क्या मंत्री जी इस प्रश्न का उत्तर न देने के अधिकारी हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

जब यह प्रश्न हो रहा था तब एक माननीय मंत्री हरीकिशन जी उठे और उत्तर दिया। दो बार उठे, दोनों बातों का उत्तर उन्होंने दिया। उसके बाद भी मैंने स्वयं मंत्री जी से कहा कि इस सम्बन्ध में उत्तर दे दें। अगर आप चाहते हैं तो मैं माननीय कृषि मंत्री जी से कहे देता हूं।

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, यह जो पैसा दिया जाता है, उसकी घोषणा मुख्य मंत्री जी द्वारा हो चुकी है। मैं माननीय सदस्य को इतना ही कह सकता हूं कि मैं आपकी भावनाओं के साथ पुनः उनसे वार्ता करूंगा। अगर वे बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा देंगे।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

मान्यवर, जैसा कि इतनी बड़ी दुघर्टना हुई है तो पहले तो किसी गलती पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निरीक्षण होता था। अब इसे प्रान्तीय सरका ने अपने हाथ में ले लिया और इतनी बड़ी दुघर्टना हो गई। तो क्या जिस इंसपेक्टर ने इसका निरीक्षण किया है, उस निरीक्षण रिपोर्ट को सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, क्या आपके पास वह रिपोर्ट है जो इंसपेक्टर ने निरीक्षण करके दिया है ? क्या उसको सदन के सामने सभा पटल पर रखेंग ? पहले प्रश्न यह उठता है कि रिपोर्ट आपके पास आ गई है या आप सूचना चाहते हैं ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जितनी सूचना सरकार को प्राप्त हुई है, वह तो मैंने आपको अपने बयान में दे दी है। आगे अब तो जांच हो रही है, जब कोई रिपोर्ट आएगी तब आपको बतायी जाएगी।

श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई)—

35 हजार क्विन्टल आलू उस कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ था जो क्षतिग्रस्त हो गया। किसानों का आलू वहां सड़ रहा है। क्या सरकार उस आलू को किसी सुरक्षित स्थान पर रखने की व्यवस्था करेगी तथा किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए किसानों को आलू की कीमत देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री अधिष्ठाता—

इसका उत्तर दे दिया है।

श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

जो घटना घटी है उसके सिलसिले में माननीय मंत्री जी अभी मौके पर नहीं गये लेकिन अधिकारियों के द्वारा जो सूचना आयी है उसे अपने वक्तव्य के रूप में प्रकाशित किया है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सारे तथ्यों की छानबीन करके, जैसा मंत्री जी ने स्वयं कहा कि जांच जारी है, रिपोर्ट और क्षतिपूर्ति देने में तथ्यों की जांच करके रिपोर्ट सदन के पटल पर एक सप्ताह के अन्दर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, जब जांच हो जायगी तभी तो सदन के पटल पर रिपोर्ट रखी जा सकती है ।

श्री हरि केवल प्रसाद—

जांच के बाद रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

रिपोर्ट दिये जाने के बाद पटल पर रखने पर विचार करेंगे ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, मेरी जानकारी के अनुसार जिस समय यह कोल्ड स्टोरेज गिरा उस समय उसमें 25 लोग काम कर रहे थे, 16 लाशें मिली हैं, कोल्ड स्टोरेज का पूरा मलवा हटाया नहीं गया है । क्या माननीय मंत्री जी जिम्मेदारी से यह कह सकेंगे कि मलवे के अन्दर अब कोई भी लाश नहीं है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

अभी तक यही जानकारी है ।

पूर्वोत्तर रेलवे की गाड़ी सं० 14 डाउन आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में घटित लूट की घटना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत वक्तव्य

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

दिनांक 30 मई, 1979 को आगरा से चलकर लखनऊ आने वाली पूर्वोत्तर रेलवे की गाड़ी सं० 14 डाउन एक्सप्रेस कासगंज रेलवे स्टेशन से रात्रि 12 बजे के बाद दिनांक 31 मई, 1979 को 00·05 बजे छूटी थी । रेलवे स्टेशन सहावर एवं गढ़का के मध्य उस यात्री गाड़ी के द्वितीय श्रेणी के अन्तिम डिब्बे में देशी तमन्चे एवं चाकुओं से लैस 5–6 अवांछनीय तत्वों ने तमन्चा एवं चाकू दिखाकर यात्रियों को लूटना प्रारम्भ कर दिया । उसी डिब्बे में यात्रा कर रहे सेना के अवकाश प्राप्त सिपाही श्री राजाराम निवासी जनपद एटा द्वारा प्रतिरोध किये जाने पर एक बदमाश ने उन पर देशी तमन्चे से फायर किया जिसके फलस्वरूप उक्त श्री राजारम घायल हो गये । बदमाशों ने उक्त श्री राजाराम की एकनाली 12 बोर बन्दूक, 16 कारतूस, हाथ की घड़ी एवं नकद 70 रु० छीन लिया । डिब्बे में बैठे हुये अन्य 10 यात्रियों, आर० पी० एफ० का एक रक्षक भी था, से 10,883 रु० का सामान लूटा गया । उक्त बदमाश गढ़का रेलवे स्टेशन पर होज पाइप काटकर गाड़ी रोक कर भाग गये । उक्त यात्री गाड़ी में यात्रा कर रहे जी० आर० पी० के ट्रेन गार्ड गाड़ी की आगे की बोगी में मौजूद थे परन्तु जब वह पीछे की बोगी तक पहुंचे तब तक अंधेरे का लाभ उठाकर बदमाश भाग चुके थे और ट्रेन गार्ड के सिपाहियों का प्रयास असफल रहा ।

श्री राजाराम द्वारा इस मामले की सूचना दिये जाने पर थाना जी० आर० पी० कासगंज पर अभियोग अपराध सं० 55 अन्तर्गत धारा 395/397 भा० दं० वि० पंजीकृत होकर विवेचनाधीन है । इस घटना की सूचना पाते ही जी०आर०पी०

[श्री रमा शंकर कौशिक—]

के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गये और घटना का पता लगाने व बदमाशों की गिरफ्तारी हेतु उनके पर्यवेक्षण में समुचित कार्यवाही की जा रही है । अभी तक की विवेचना से इस घटना के सम्बन्ध में 6 अभियुक्त गणों के नाम प्रकाश में आये हैं ।

इसमें से दिनांक 31 मई, 1979 व 1-6-1979 की रात्रि में जनपद पुलिस थाना गंजडुंडवारा के क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में बनवारी नामक बदमाश मारा जा चुका है जिसके पास से उपर्युक्त घटना में लूटे गये आर० पी० एफ० सिपाही की वर्दी बरामद हुई है । अन्य अभियुक्त गणों को बन्दी बनाने हेतु प्रयास जारी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चलती गाड़ियों में इस तरह की दुर्घटनायें नित्य हो रही हैं और संदर्भित गाड़ी में तो बहुत होती रहती हैं तो उसकी रोक थाम के लिये सरकार द्वारा कोई प्रभावी व्यवस्था की जा रही है ताकि ऐसी घटनायें न हुआ करें ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

प्रभावी कदम उठाने से ही पिछले वर्ष ऐसे अपराधों की संख्या बहुत थी लेकिन इस वर्ष उनमें काफी गिरावट आई है । अब इसके उपाय और किये जायेंगे ट्रेन गार्ड बढ़ाकर ।

श्री गिरीशचन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि इसी रेलवे स्टेशन पर जहां यह डकैती पड़ी 3 दिन पहले चार डकैत मय बन्दूक और 18 पुलिस वर्दी के साथ पकड़े गये थे ? उनमें से 14 आदमी फरार हो गये और उन्होंने इस बात की घोषणा की कि हमारे साथी भाग गये हैं और डकैती करने की हमारी योजना थी और दूसरे दिन ही गाड़ी लूट ली गयी तो इस बात की जानकारी होते हुए भी कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गयी ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

इस घटना से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है और न मेरे पास इसकी कोई जानकारी है ।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

सम्बन्ध यों है कि तीन दिन पहले 4 डकैत पकड़े गये थे इसी स्टेशन पर और उन्होंने तसलीम किया कि हमारी रेल लूटने की योजना थी । 14 आदमी भाग गये तो उसी समय प्रिकाशन क्यों नहीं लिया गया जब कि दूसरे दिन वह ट्रेन लूटी गयी ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

इसको भी विखवा लिया जायगा ।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जो 6 अपराधी हैं इनकी अपराध करने की प्रवृत्ति है, इनका एक गिरोह है। उनको पकड़ने की कार्यवाही हो रही है और उसी के फलस्वरूप यह इन काउन्टर हुआ जिसमें उनका सरगना बनवारी मारा गया।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

राजाराम ने जब इतना डेयरिंग काम किया तो क्या सरकार उसे पुरस्कृत करने पर विचार कर रही है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

उसके उपचार की तो पूरी व्यवस्था कर दी गयी है और पुरस्कार देने के लिए भी सरकार विचार कर रही है।

श्री गेंदा लाल गुप्त (जिला एटा)--

ट्रेन गार्ड गाड़ी की आगे की बोगी में मौजूद था और हम लोग इस गाड़ी से सफर करते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है जब फायर हुआ और भूतपूर्व सैनिक के गोली लग चुकी थी और काफी झगड़ा हुआ तो उस समय गार्ड सो रहा था और जब गार्ड का डिब्बा खटखटया गया तो उसका डिब्बा बन्द था और वह डिब्बे से निकल कर नहीं आया। उनकी सुरक्षा के लिये केवल 2/3 सिपाही ही थे। तो इसके बारे में भविष्य में कोई निश्चित व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

व्यवस्था की जायेगी। गार्ड बढ़ा दिये जायेंगे।

सत्य प्रकाश--

लूट-पाट की घटनायें निरंतर हो रही और अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा सकी है। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो लाखों रुपयों का नुकसान यात्रियों का होता है उसकी क्षतिपूर्ति के लिये सरकार व्यवस्था करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, व्यवस्था ठीक से करना शासन का काम है।

श्री अधिष्ठाता--

अब हम उठते हैं और कल 11 बज फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 46 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
1 जून, 1979।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(देखिए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1127 पर)

संलग्नक—क

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
1	2	3	4
	जिनका चयन किया गया		
सर्वश्री—			
1	सरोजनी सीलवानों ..	एम0ए0 (अर्थशास्त्र) लेबर अर्थशास्त्र तथा पर्सनल मैनेजमेन्ट और औद्योगीकरण में विशेष योग्यता । एम0बी0ए0 ।	इन्स्टीट्यूट आफ प्रोडक्टिविटी तथा मैनेजमेन्ट, लखनऊ में सहायक निदेशक के पद पर कार्य किया । मैनेजर ट्रेनी के रूप में आई0 टी0 आई0 रायबरेली में कार्य किया ।
2	सुरेन्द्र नारायण भटनागर ..	बी0 एस—सी0, एल—एल0 बी0, एम0 बी0 ए0, लेबर ला डिप्लोमा	(अ) ब्लिड स्टार लि0, नई दिल्ली में दो महीने समर ट्रेनिंग की । (ब) इलकट्रानिक कारपोरेशन में सहायक (परसोनेल) प्रबन्धक के पद पर कार्य किया ।
	जिनका चयन नहीं किया गया		
1	राज किशोर बाजपेयी ..	बी0 काम, एम0बी0ए0, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा	(अ) मैसर्स प्लाइवुड प्लान्ट, सीतापुर में कार्मशियल असिस्टेंट के पद पर दो वर्ष तक कार्य किया ; (ब) मैसर्स नारायण वेजिटेबुल प्लान्ट, सीतापुर में सहायक प्रबन्धक तथा लाईजन अधिकारी के पद पर 5 वर्ष तक कार्य किया । (स) मेसर्स बालाजी वेजिटेबुल प्रोडेक्ट्स में सहायक प्रबन्धक तथा लाईजन अधिकारी के पद पर एक वर्ष कार्य किया ।

1	2	3	4
2	प्रमोद बिहारी सिन्हा ..	बी0 ए0, एम0 ए0 एस0	(अ) मैसर्स सैकसरिया शुगर फैक्ट्री में लेबर अधिकारी के पद 5 वर्ष का अनुभव । (ब) कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल इटावा में लेबर अधिकारी के पद पर 6 वर्ष का अनुभव । (स) कानपुर सिल्क बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी के पद पर 6 वर्ष का अनुभव ।
3	एम0 सी0 कुमार स्वामी	बी0 एस–सी0, पी0 जी0 डी0 बी0 एम0, एम0 एस0 डब्लू0, एम0 बी0 ए0 (कोर्स के अन्तिम वर्ष परीक्षा में शामिल) ।	(अ) भारत इलेक्ट्रोनिक लि0 में परसोनेल मैनेजमेन्ट के पद पर फील्ड में ट्रेनी के रूप में कार्य किया । (ब) विजय बैंक में गर्मियों में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य किया ; (स) विदेशी कैमिकल बंगलौर में आफिसर (ट्रेनी) (परसोनेल) का पांच महीने का अनुभव ।
4	एस0 पी0 श्रीवास्तव ..	एम0 एस0 डब्लू0, विशेष योग्यता आई0 आर0 तथा पी0 एम0 में एल–एल0 बी0, एस0 डब्लू0 में पी0 एच0 डी0	(अ) मैसर्स रोहतास इंडस्ट्रीज लि0, डालमिया नगर में लेबर के ऊपर पर्यवेक्षण तथा प्रशासनिक कार्य, वेतन तैयार करने के कार्य इत्यादि का 8 वर्ष का अनुभव । (ब) मैसर्स पाइराटिस फासफेट्स एण्ड कैमिकल लि0 में मुख्यालय स्थापना तथा सरकारी अधिकारियों से सम्पर्क के कार्य का दो वर्ष का अनुभव । (स) मैसर्स एच0 ओ0 एम0 लि0 में 3–6–78 से घरेलू पूछ–ताछ तथा अनुशासनात्मक मामलों आदि से सम्बन्धित कार्य का अनुभव ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

5	विद्या सागर गौतम ..	बी0 ए0, एम0 एस0 डब्लू0, एल0–एल0 बी0	(अ) प्रबन्धक, इन्डस्ट्रियल रिलेशन तथा वेलफेयर अधिकारी के अधीनस्थ तीन महीने की प्रयोगात्मक ट्रेनिंग । (ब) अप्रैल, 1971 से अब तक सुपरवाइजर (परसोनेल एण्ड प्रशासन) के पद पर कार्यरत।
6	जे0 एस0 कपूर ..	बी0 काम, एम0 ए0 एस0	(अ) सिंह इन्जीनियरिंग वर्कस कानपुर में वेलफेयर आफिसर के पद पर एक वर्ष का अनुभव। (ब) लेबर कमिश्नर, उ० प्र० के अधीनस्थ वेलफेयर अधीक्षक के पद पर 16 वर्ष का अनुभव ; (स) दिनांक 28–2–1977 से आर्मी बेस वर्कशाप मेरठ में लेबर अधिकारी के पद पर कार्यरत ।
7	राम किशोर रस्तोगी ..	एम0 ए0, एम0 एस0 डब्लू0, एल0 एल0 बी0 (प्रोफेशनल)	(अ) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल, नैनी में अतिरिक्त वेलफेयर अधिकारी के पद पर 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव । (ब) यू0 एस0 पी0 सी0 स्पिनिंग मिल्स–संडीला में लेबर अधिकारी के पद पर दिसम्बर, 1976 से कार्यरत ।
8	ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह ..	एम0 ए0 (अर्थ शास्त्र), विशेष योग्यता लेबर अर्थशास्त्र तथा एम0 बी0 एम0 में	पीकेज फारमास्यूटिकलस लि0, में 5 वर्ष कार्य का अनुभव ।
9	मंगला प्रसाद श्रीवास्तव ..	एम0 ए0 एस0	(अ) मेल शोसल वर्कर 1962 से 1964 तक। (ब) लेबर विभाग उ0 प्र0 में वेलफेयर अधीक्षक के पद पर 1965 से 1967 तक। (स) लेबर विभाग में लेबर इंसपेक्टर के पद पर 1967–77 तक। (द) लेबर विभाग में 1977 से लेबर अधिकारी के पद पर कार्यरत ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1665 पर)

वर्ष 1977–78 तथा 1978–79 में विकास खण्ड वार स्वीकृत कूपों व निर्मित कूपों की संख्या निम्न प्रकार है :

विकास खण्ड	वर्ष 1977–78 स्वीकृत कूपों की संख्या	वर्ष 1977–78 पूर्ण कूपों की संख्या	वर्ष 1977–78 निर्माणाधीन	वर्ष 1978–79 स्वीकृत कूपों की संख्या	वर्ष 1978–79 पूर्ण कूपों की संख्या	वर्ष 1978–79 अप्रारम्भ	वर्ष 1978–79 निर्माणाधीन
1	2	3	4	5	6	7	8
1--रतनपुर	..	6	6	..	15	..	..	15
2--रसड़ा	..	4	4	..	16	..	..	16
3--नगरा	..	5	4	1	10	..	..	10
4--सीयर	..	5	4	1	15	..	4	11
5--चिलकहर	..	5	5	..	20	1	..	19
6--सोहाव	..	4	1	3	15	..	..	15

उत्तर प्रदेश विधान सभा

7—गड़वार	..	7	7	..	20	..	5	15
8—हनुमानगंज	..	4	3	1	15	..	3	12
9—दुवहड़ा	..	4	4	..	13	..	..	13
10—बैलहरी	..	4	2	2	12	1	..	11
11—बैरिया	..	4	1	3	13	..	..	13
12—बासडीह	..	5	4	1	13	2	..	11
13—रेवती	..	5	5	..	10	..	..	10
14—मनियर	..	5	4	1	15	..	..	15
15—मुरलीछपरा	..	4	3	1	13	..	9	4
16—बैरुवारबारी	..	4	4	..	15	..	..	15
17—पन्दह	..	4	4	..	10	..	10	..
18—नवानगर	..	5	5	..	10	..	..	10

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1167 पर)

खाद्यान्न योजनान्तर्गत वर्ष 1978-79 में खाद्यान्न योजनान्तर्गत बलिया जनपद में स्वीकृत/निर्मित सड़कों की विकास खण्डवार सूची

क्रम-सं०	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत मार्ग की लम्बाई (कि० मी० में)	निर्मित मार्ग की लम्बाई (कि० मी० में)
1	2	3	4
1	रतनपुरा	5-000	1-900
2	रसड़ा	11-000	5-100
3	नगरा	8-000	1-250
4	सीयर	5-000	2-000
5	चिलकहर	5-500	4-000
6	गड़वार	5-250	0-550
7	सोहाव	5-500	0-550
8	हनुमानगंज	7-000	3-185
9	दुबहड़	11-000	6-850
10	बलहरी	5-000	1-950
11	बैरिया	7-000	5-200
12	मुरली छपरा	5-500	2-000
13	बीसडीह	..	..
14	रेवती	5-500	2-380
15	मनियर	5-000	0-750
16	बेरुवार बारी	6-600	4-600
17	पन्दह	6-000	1-300
18	नवानगर	8-000	3-355
	योग ..	111-850	46-920

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 42 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1174 पर)

तालिका

प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा सत्र 1978-79 में दिनांक 15-5-79 तक पेरे गये गन्ने की मात्रा का विवरण

क्रमांक	नाम चीनी मिल	गन्ना पेराई (लाख कुन्टल में)
1	2	3
1	इकबालपुर	1-93
2	डोईवाला	1-14
3	देवबन्द	4-74
4	लक्सर	1-66
5	सहारनपुर	1-89
6	सरसावां	1-48
7	मन्सूरपुर	2-08
8	खतौली	3-16
9	रोहाना	1-51
10	शामली	4-84
11	सखौती	0-87
12	दौराला	3-43
13	जसवन्त	1-09
14	मोहिउद्दीनपुर	1-03
15	मोदीनगर	1-41
16	सिम्भौली	3-51
17	मवाना	4-70
18	बागपत	1-53
19	रमाला	0-07
20	बुलन्दशहर	1-31
21	अनूपशहर	1-41
22	सांवा	0-83
23	छाता	1-44
	योग प० क्षेत्र ..	47-06

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
24	किच्छा	2–70
25	काशीपुर	2–53
26	बाजपुर	2–87
27	नादेही	1–36
28	बदायूं	1–36*
29	नेवली	1–24
30	कायमगंज	0–98
31	अमरोहा	2–22*
32	बिलारी	1–72
33	वहेड़ी	2–34
34	बरेली	1–31*
35	पीलीभीत	2–50
36	मझौला	2–19
37	बीसलपुर	1–39
38	धामपुर	3–23
39	सेवहारा	5–24
40	बिजनौर	1–16
41	चांदपुर	1–42*
42	रोजा	1–20*
43	रजा बुलन्द	1–92
44	विलासपुर	1–14
45	हरदोई	2–46
46	हरगांव	4–25
47	महोली	1–77
48	बिस्वां	1–68
49	गोला	6–29
50	ऐरा	2–16
51	पलिया	2–36
	योग मध्य क्षेत्र ..	62–99

विधान सभा उत्तर प्रदेश

1	2	3
52	बाराबंकी	0–68
53	बुढ़वल	0–62
54	मसौधा	1–48
55	शाहगंज	0–72
56	औराई	0–51
57	खलीलाबाद	0–77
58	मुण्डेरवा	0–47
59	बस्ती	2–19
60	वाल्टरगंज	1–28
61	बभनान	0–44
62	नवाबगंज	1–28
63	तुलसीपुर	1–45
64	बलरामपुर	1–45
65	जरवलरोड	0–63
66	प्रतापपुर	1–05
67	बैतालपुर	0–83
68	गौरीबाजार	0–87
69	देवरिया	0–75
70	कप्तानगंज	1–98
71	खड्डा	0–96
72	छितौनी	0–70
73	लक्ष्मीगंज	1–18
74	रामकोला (पी)	2–57
75	रामकोला (के)	0–83*
76	पड़रौना	2–11
77	कठकुइयां	1–09
78	सिवरेही	1–67
79	भटनी	0–88

1	2	3
80	सरदारनगर	2–75
81	पिपराइच	1–03*
82	धुधली	0–86
83	सिसवा बाजार	0–88
84	आनन्दनगर	1–56
85	रसड़ा	0–98
86	सठियांव	0–75
87	नन्दगंज	0–26
88	दरियापुर	0–21
	योग पूर्वी क्षेत्र ..	40–72
	योग पच्छिमी क्षेत्र ..	47–06
	योग मध्य क्षेत्र ..	62–99
	योग सम्पूर्ण प्रदेश ..	150–77

*अनुमानित

पी० एस० यू० पी०—6 वि० सभा 3–5–80—835 (पी० डी०)

उत्तर प्रदेश विधान सभा